

THE FREE INDOLOGICAL COLLECTION

WWW.SANSKRITDOCUMENTS.ORG/TFIC

FAIR USE DECLARATION

This book is sourced from another online repository and provided to you at this site under the TFIC collection. It is provided under commonly held Fair Use guidelines for individual educational or research use. We believe that the book is in the public domain and public dissemination was the intent of the original repository. We applaud and support their work wholeheartedly and only provide this version of this book at this site to make it available to even more readers. We believe that cataloging plays a big part in finding valuable books and try to facilitate that, through our TFIC group efforts. In some cases, the original sources are no longer online or are very hard to access, or marked up in or provided in Indian languages, rather than the more widely used English language. TFIC tries to address these needs too. Our intent is to aid all these repositories and digitization projects and is in no way to undercut them. For more information about our mission and our fair use guidelines, please visit our website.

Note that we provide this book and others because, to the best of our knowledge, they are in the public domain, in our jurisdiction. However, before downloading and using it, you must verify that it is legal for you, in your jurisdiction, to access and use this copy of the book. Please do not download this book in error. We may not be held responsible for any copyright or other legal violations. Placing this notice in the front of every book, serves to both alert you, and to relieve us of any responsibility.

If you are the intellectual property owner of this or any other book in our collection, please email us, if you have any objections to how we present or provide this book here, or to our providing this book at all. We shall work with you immediately.

-The TFIC Team.

भ० महावीर की २५वीं निर्वाणशताब्दी के उपलक्ष्य में

जैन-अंगशास्त्र

के अनुसार

मानव-व्यक्तित्व का विकास



लेखक

डॉ० हरीन्द्रभूषण जैन

एम० ए०, पी-एच० डी०, साहित्याचार्य

प्राध्यापक, संस्कृत विभाग

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म० प्र०)

पुरोवाक्

डॉ० शिवमङ्गलसिंह 'सुमन'

कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय

उज्जैन (म० प्र०)



प्रकाशक

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

सन्मति आगमसाहित्यमाला का १२वाँ रत्न

पुस्तक :

जैन-अंगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास



लेखक :

डॉ० हरीन्द्रभूषण जैन, एम० ए०, पी-एच० डी०, साहित्याचार्य
प्राध्यापक, मस्कृत विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म० प्र०)

पुरोवाक्

डॉ० शिवमगलसिंह 'सुमन'

कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म० प्र०)



प्रथम संस्करण

म० महावीर का २५०० वाँ निर्वाणवर्ष

दीपावलीपूर्व, कार्तिक कृ० १५

नवम्बर १९७४



मूल्य :

पन्द्रह रुपये मात्र



प्रकाशक :

सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामंडी, आगरा-२



मुद्रक :

प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस

१/११ साहित्य कुंज, महात्मा गांधी मार्ग, आगरा-२

समर्पण

भगवान् महावीर के द्वारा प्रदर्शित पथ का
अनुसरण करते हुए अपने व्यक्तित्व
के विकास में सतत संलग्न
पूज्य पिताश्री ब्रह्मचारी
छोटेललाजी महाराज
के करकमलों
में सविनय
समर्पित

उज्जैन

दिनांक ३०-६-१९७४

—हरीन्द्रभूषण जैन

प्रकाशकीय

मानव का जन्म किसी एक परिवार में होता है, किन्तु उसके जीवन का विकास होता है, समाज, राष्ट्र और धर्मसंघ के उत्तम वानावरण में। विभिन्न धर्मशास्त्रों में मानव-व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न मार्ग बताये हैं, परन्तु जैनधर्म ने मानवजीवन की अलग-अलग भूमिका के अनुसार व्यक्तित्व के विकास के लिए समन्वयवादी उदार दृष्टिकोण अपनाया है। जैनदर्शन ने व्यक्तित्व के विकास के लिए किसी देश, वेश, लिंग, सम्प्रदाय, जाति, चिह्न आदि को महत्त्व न दे कर ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की साधना को महत्त्व दिया है। जैन-अगशास्त्रों में ये बातें यत्रतत्र बिखरी हुई मिलती हैं। डॉ० हरीन्द्रभूषण जैन ने अगशास्त्रों से मानव-व्यक्तित्व के सम्बन्ध में बिखरे हुए वचनरत्नों को प्रबन्ध के रूप में एक सूत्र में पिरो कर इसे पुस्तकाकृत किया है। मानव-व्यक्तित्व के विकास के लिए सचमुच यह पुस्तक अनूठी मार्ग-दर्शक है। प्रत्येक विचारक के लिए, खासतौर से जैन-संस्कृति के प्रेमियों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपादेय है। यही सोच कर सन्मति ज्ञानपीठ ने इसके प्रकाशन का निश्चय किया।

यद्यपि प्रेसों की कार्यव्यवस्था के कारण यह पुस्तक काफी विलम्ब से प्रकाशित हो रही है, जिसके लिए कई जैनविद्यार्थियों को बहुत ही प्रतीक्षा भी करनी पड़ी है। इसके लिए हम उन पाठकों से क्षमाप्रार्थी हैं।

आशा है, धर्मदृष्टि से जीवननिर्माणप्रेमी पाठक इससे अवश्य ही लाभ उठावेंगे। सुज्ञेपु किं बहुना !

—मन्त्री,

सन्मति ज्ञानपीठ

लोहामंडी, आगरा-२

पुरोवाक्

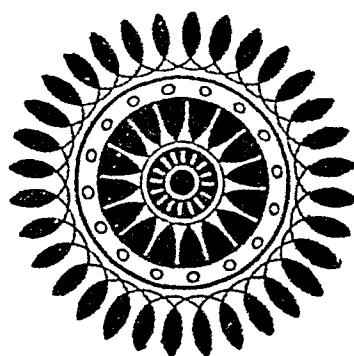
भारतीय सस्कृति की महत्ता, तपस्या और उत्सर्ग की भूमिका पर ही प्रतिष्ठित हुई है। जब साधक साधना करते करते सिद्धमय हो जाता है तो वही सस्कृति बन जाता है। आज से २५०० वर्ष पूर्व भगवान् महावीर ने बहुजनहिताय और बहुजनसुखाय स्वयं को उत्सर्ग कर दिया था। उनकी विराट् सवेदना देश, जाति, काल की सीमाओं को पार कर गई थी। इसलिए वे सृष्टिमात्र के उद्धारक एवं मुक्तिदाता माने गए। अहिंसा और अपरिग्रह की ऐसी अमोघवाणी सृष्टि में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। अपनी तात्त्विक अर्थवत्ता में आज भी वह अनन्य है। लोक-कल्याण की दृष्टि से जन-भाषा प्राकृत में ही उनके प्रवचन मुखरित हुए थे। भगवान् महावीर के इन्हीं उपदेशों का सार अगशास्त्र में संग्रहीत है। युद्ध की विभीषिका से सत्रस्त अस्तव्यस्त मानवता को भगवान् की उस मंगलमयी वाणी की जैसी आज आवश्यकता है, ऐसी पहले कभी नहीं थी। विश्वकल्याण की सार्वजनीनता को सवारने के लिये मानवात्मा के अन्तर्मन्थन से तत्त्वचिन्तन और दर्शन की जितनी उपलब्धियाँ आज तक हुई हैं, उनमें अनेकान्त, सत्यान्वेषण की सर्वोत्तम उपलब्धि है। चिन्तन और मनन की भावभूमि पर शील, सौजन्य, सहिष्णुता, उदारता और निरपेक्ष मूल्यांकन का इससे बढकर उदाहरण मिल सकना कठिन है।

प्राकृत-भाषा में निबद्ध जैन साहित्य विश्वमनीषा के तत्त्वचिन्तन की बहु-मूल्य उपलब्धि है। बिना उसका अध्ययन किए भारतीय इतिहास एवं सस्कृति का मर्म आत्मसात् नहीं किया जा सकता। जैन अगशास्त्रों की भाषा अर्धमागधी प्राकृत है। भगवान् महावीर ने इसी के माध्यम से जन-जन-कल्याणी गंगा की धारा प्रवाहित की थी। इसी तप पूत वाणी की प्रेरणा से अनगिनत अनाम अर्हंतों ने प्राकृत भाषा में अनन्त श्रोतस्विनियों प्रवाहित की थी, जिनमें अवगाहन किए बिना भारतीय वाङ्मय के भावना-वैभव का आकलन नहीं किया जा सकता। महावीर-परिनिर्वाण के इस पावनपर्व पर यदि प्राकृत के

इस अगाध भण्डार का पर्यवेक्षण, पुनर्मूल्यांकन और प्रकाशन सम्भव हो सके तो भारतीय सस्कृति के पुनर्जागरण की भूमिका चरितार्थ हो सके। डा० हरीन्द्र-भूषण जैन ने अगशास्त्र के अगाध अम्बुधि में अवगाहन कर महावीर की अमृत-वाणी के आधार पर मानव-व्यक्तित्व के विकास की जो रूपरेखा प्रस्तुत ग्रन्थ में उद्घाटित की है—वह निस्संदेह समस्त विश्व में शांति, सौहार्द एवं पारस्परिक प्रेम-भावना के प्रसार की परिकल्पना साकार कर सकती है।

भगवान् महावीर के २५०० वें निर्वाण वर्ष में इस ग्रन्थ का प्रकाशन भी एक सयोग ही है। डा० जैन ने अपनी नैष्ठिक आराधना, अध्ययन और अध्य-वसाय से न केवल भगवान् की कल्याणकारी वाणी से हमें उपकृत किया है, वरन् प्राकृत भाषा के अगाध भण्डार के अध्ययन-अव्यापन की तीव्र जिज्ञासा भी जागृत कर दी है। सदियों की सचित-साधना का यह मर्मोद्घाटन स्वयं में ही बहुमूल्य है। इस सद्प्रयत्न के लिए डा० जैन हम सबके साधुवाद के पात्र हैं। आगम, निगम और पुराणों के महारण्य में अगशास्त्र की महिमा को उद्भासित करने का यह अनुष्ठान ज्ञानपीठ की सन्मति का ही परिचायक है। भगवान् महावीर की मंगलमयी वाणी जन-जन का कल्याण और मानवता का पारिव्राण करे—इसी विनम्र स्तवन के साथ—

—शिवमंगलसिंह 'सुमन'



प्रस्तावना

जैन-अगशास्त्र पर शोधकार्य करने के परिणाम स्वरूप, सन् १९५७ में सागर विश्वविद्यालय से मुझे पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। प्रस्तुत ग्रन्थ उसी शोधकार्य का परिष्कृत रूप है।

जैन सस्कृति में अगशास्त्र का अतिशय महत्व है। अगशास्त्र वे आगम ग्रन्थ हैं, जिनका सकलन तीर्थङ्कर महावीर की वाणी से किया गया है। यद्यपि आज यह नहीं कहा जा सकता कि अगशास्त्र के शब्द पूर्णरूप से वे ही शब्द हैं, जिनका प्रयोग तीर्थङ्कर महावीर ने किया था। काल की कराल गति से वे अनेक बार छिन्न-विच्छिन्न हुए और अनेक बार उन्हें जोड़ कर सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया, फिर भी आचार्य-परम्परा से प्राप्त इस अमूल्यनिधि में प्रायः मौलिकता विद्यमान प्रतीत होती है।

आज जैन-साहित्य पर्याप्त समृद्ध हो चुका है, किन्तु हमने उस अतिप्राचीन खण्डहर में पड़ी हुई बहुमूल्य कड़ियों को एकत्रित कर शृङ्खलारूप में बांध कर मानव के व्यक्तित्व-विकास को समझने की चेष्टा की है। इस प्रयास में हमें अङ्गशास्त्र के साथ प्रायः सभी जैन-आगमों का अध्ययन करना पड़ा है।

जैन-आगमों पर अभी तक बहुत थोड़ा अनुसन्धान-कार्य हुआ है। डा० जगदीशचन्द्र जैन ने सबसे प्रथम जैन-आगमों पर अनुसन्धानकार्य किया। उनका वह कार्य अंग्रेजीभाषा में 'लाइफ इन एंश्रेंटेड इण्डिया एज डेपिक्टेड इन दि जैन केनन्स' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित है। इसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हो गया है। मैं डा० जैन के इस शोधकार्य से अत्यन्त प्रभावित हुआ। अनेक स्थलों पर उनका यह ग्रन्थ मुझे सहायक सिद्ध हुआ है, इसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। डा० जगदीशचन्द्र ने अपने ग्रन्थ में जैन-आगमों में वर्णित भारत की प्राचीन सस्कृति के दर्शन कराये हैं, और मैंने अपने ग्रन्थ को केवल आध्यात्मिक सस्कृति तक ही सीमित रखा है।

मैंने इस ग्रन्थ में इस बात को प्रदर्शित करने की चेष्टा की है कि मानव अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में रह कर किस प्रकार धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आचरण और व्यवहार करे। इस दृष्टि से जैन-अगसाहित्य पर कार्य अभी प्रायः नहीं हुआ है।

गुरुवर डॉ० रामजी उपाध्याय, अध्यक्ष, संस्कृतविभाग, सागर विश्व-विद्यालय ने मुझे जैनधर्म एवं जैनदर्शन पर शोधकार्य करने की मतत प्रेरणा प्रदान की। प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन और प्रकाशन में भी उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। इसलिए मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ। मैं आदरणीय प० श्री सुखलालजी सघवी, गुरुवर प० श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री, श्री प० दलसुख मालवणिया, उपाध्याय श्री अमरमुनि, पुरातत्त्ववेत्ता पन्थाम श्री कल्याणविजय गणी आदि का अत्यन्त आभारी हूँ, जिनके आगमसम्बन्धी ज्ञान एवं प्रकाशित रचनाओं से मुझे बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई।

मैं हिन्दी भाषा और साहित्य के गहन चिन्तक और कवि, जैनदर्शन और संस्कृति के प्रति प्रगाढ़ आस्थावान्, तथा विक्रम-विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० शिवमङ्गलमिह 'मुमन' का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर इस पुस्तक का 'पुरोवाक्' लिख देने का कष्ट किया।

अन्त में, मैं आदरणीय राष्ट्रसन्त कविरत्न उपाध्याय श्री अमरमुनिजी पुन के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ; जिन्होंने भगवान् महावीर की २५०० वीं निर्वाण जताब्दी के उपलक्ष्य में इस ग्रन्थ को 'सन्मति ज्ञानपीठ' के माध्यम से प्रकाशित कर मुझे अनुगृहीत किया।

सरीरमाहु नावत्ति, जीवो वुच्चइ नाविओ।

ससारो अण्णवो वुत्तो, ज तरंति महेसिणो॥

[महावीर वचनामृत-उत्तराव्ययन २३।७६]

(शरीर को नौका कहा गया है, आत्मा को नाविक कहा गया है और ससार को समुद्र कहा गया है, जिसे महर्षिगण पार कर जाते हैं)

विनीत

—हरीन्द्रभूषण जैन

अध्यापक आवासगृह,
उज्जैन (म० प्र०)।

पर्युषण पर्व

दिनांक २०-६-१९७४

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय (अंग-शास्त्र का परिचय)

		पृष्ठ
१. अंगशास्त्र	..	१
२. जैनागम तथा अंगशास्त्र		२
३. अंगशास्त्र का इतिहास	..	४
४. अंगशास्त्र की प्रामाणिकता		६
५. अंगशास्त्र का रचनाकाल	...	११
६. अंगशास्त्र की शैली एवं भाषा	.	१३
७. अंगशास्त्र की पदसंख्या	..	१५
८. अंगशास्त्र की टीकाएँ	..	१६
९. अंगशास्त्र का विषय तथा विवरण	..	१७

द्वितीय अध्याय (आदर्श-महापुरुष)

१. चौबीस तीर्थंकर	...	२३
२. भगवान् ऋषभ	..	२४
(अ) भागवत में ऋषभदेव		२४
३. अन्य तीर्थंकर		३०
४. भगवान् अरिष्टनेमि	..	३४
५. भगवान् पार्श्वनाथ		३६
(अ) पार्श्व का चातुर्याम धर्म		३८
(आ) पार्श्व-सध	.	४२
(इ) पार्श्व-कालीन श्रुत		४४
६. भगवान् महावीर	..	४५
(अ) जन्मकालीन परिस्थिति	..	४६
(आ) जन्म		४७
(इ) गृह-जीवन	.	५०
(ई) गृह-त्याग तथा साधक-जीवन	..	५०

		पृष्ठ
(उ) साधना का रहस्य		५३
(ऊ) तप		५४
(ए) निर्वाण		५८
(ऐ) उपदेश		५८
(ओ) सार्वजनिक सेवा	...	६२
(औ) तत्कालीन अन्य सम्प्रदाय		६४
(अ) संघ और शिष्य-परम्परा	...	७६
(अ) गण तथा गणघर	...	७८
(क) शिष्य-परम्परा	. .	८०

तृतीय अध्याय (जैन-तत्त्व-ज्ञान)

१. तत्त्व-ज्ञान	.	८३
२. पूर्विय तथा पश्चिमीय तत्त्वज्ञान की प्रकृति की तुलना		८३
३. जैन-तत्त्वज्ञान	..	८४
(अ) पदार्थ-निरूपण		८४
(१) जीव	..	८५
(अ) जीव के भेद		८६
(आ) गति		८६
(इ) इन्द्रिय		८७
(ई) शरीर	..	८८
(उ) जन्म		९०
(ऊ) भाव	.	९०
(ए) लेश्या		९१
(ऐ) वेद	..	९२
(ओ) ज्ञान	..	९२
(औ) नय	..	९३
(२) अजीव	..	९५
(अ) पुद्गल	. .	९५
(आ) धर्म तथा अधर्म	..	९५
(इ) आकाश	..	९६
(ई) काल	..	९६
(१) पत्योपम		९७
(२) सागरोपम	.	९७

		पृष्ठ
(३) आस्रव		६७
(४) वंघ	..	६८
(५) सवर		१०१
(६) निर्जरा		१०१
(७) मोक्ष	.	१०२
(८), (९) पुण्य तथा पाप	...	१०२
(व) लोक का स्वरूप	...	१०२
(१) ऊर्ध्व-लोक	...	१०३
(२) तिर्यग् लोक	...	१०४
(अ) जम्बूद्वीप		१०५
(३) अघोलोक		१०६
(स) जैनधर्म और ईश्वर		१०६

चतुर्थ अध्याय

(मानव-व्यक्तित्व का विकास)

१. विराट् विश्व	...	१०६
२. विश्व में मानव का स्थान		१११
३. मानव-जीवन की प्राप्ति		१११
४. मानव-जीवन की महत्ता	...	११२
५. विकास की परिभाषा	...	११३
५. व्यक्तित्व का विकास तथा उसके साधन	...	११५
७. उपासक तथा श्रमण जीवन	.	११६
८. विकास की चरम अवस्था	..	१२१
९. व्यक्तित्व-विकास की विभिन्न अवस्थाएँ (अ)	..	१२१
(अ) अरिहत	...	१२२
(१) तीर्थंकर	...	१२३
(आ) सिद्ध	...	१२६
(इ) आचार्य	..	१३०
(ई) उपाध्याय	.	१३३
(उ) साधु	...	१३४
१०. व्यक्तित्व-विकास की विभिन्न अवस्थाएँ (व)	...	१३६

पंचम अध्याय (उपासक-जीवन)

१.	उपासक-अवस्था		१४२
२	उपासक-अवस्था का महत्त्व	...	१४४
३.	उपासक-अवस्था मे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र का महत्त्व	..	१४५
४	उपासक-अवस्था के भेद		१४८
५	उपासक-वर्म	...	१५१
	(अ) अगुव्रत		१५२
	(आ) दिग्व्रत	..	१५६
	(इ) उपभोग-परिभोग- परिमाण-व्रत	..	१६०
	(ई) अनर्थदण्डविरमण		१६३
	(उ) सामायिक	...	१६४
	(ऊ) देशावकाशिक	..	१६५
	(ए) पोषधोषवास	..	१६६
	(ऐ) यथासंविभाग	.	१६६
	(ओ) उपासक की ११ प्रतिमा	.	१६८
	(औ) मारणांतिक सल्लेखना तथा मरणोत्तर- विधान	..	१७२
६	उपासक का जीवन-क्रम	..	१७४
७	उपासक की विचारधारा	..	१७८

षष्ठ अध्याय (श्रमण-जीवन)

१.	श्रमण-अवस्था		१८१
२.	श्रमणशब्द का निर्वचन तथा समानार्थक शब्द	.	१८२
३	श्रमण-अवस्था का महत्त्व	.	१८४
४	प्रव्रज्या		१८६
	(अ) प्रव्रज्या के कारण	..	१८६
	(आ) निष्क्रमण सत्कार	..	१८८
५	श्रमण-अवस्था के भेद	..	१८९
	(अ) पुलाक	.	१९०
	(आ) वकुश	.	१९०

		पृष्ठ
(इ) कुशील		१६०
(ई) निर्ग्रन्थ	...	१९०
(उ) स्नातक	..	१६०
(ऊ) आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, शैश्य, कुल, गण, सघ, सार्धमिक	...	१६१
(ए) साधु के २१ प्रकार के सबलदोष	...	१६१
६ श्रमण-धर्म	...	१९२
(अ) महाव्रत	...	१६३
(आ) समिति तथा गुप्ति		१६५
(इ) धर्म	...	१६५
(ई) परीपहजय	..	१९६
(उ) संयम	...	१६७
(ऊ) तप	.	१६७
(१) बाह्य-तप	.	१६६
(२) आभ्यन्तर-तप	...	२००
प्रतिमा	...	२००
सल्लेखना तथा मरणोत्तर-विधान	...	२०१
७ श्रमण की जीवनचर्या	...	२०५
(अ) भिक्षावृत्ति	.	२०५
(आ) निवास, मलमूत्रप्रक्षेप तथा शय्या	..	२०६
(इ) वस्त्र		२०८
(ई) पात्र	..	२०८
(उ) विहार	...	२०६
८ श्रमण-जीवन की विचारधारा	..	२१०

सप्तम अध्याय

(ब्राह्मण तथा श्रमण-संस्कृति)

१. संस्कृति		२१४
२. ब्राह्मण-संस्कृति		२१४
३. श्रमण-संस्कृति	..	२१५
(अ) जैनसंस्कृति	...	२१६
(आ) बौद्धसंस्कृति	.	२१६
(इ) जैन तथा बौद्धसंस्कृति का अन्तर		२१७
४. ब्राह्मण तथा श्रमणसंस्कृति का अन्तर	.	२१७
(अ) वैषम्य तथा साम्य-दृष्टि	.	२१७
(आ) परस्पर प्रभाव और समन्वय	..	२२०

		पृष्ठ
५. उभय संस्कृतियों की तुलना	...	२२०
(अ) मानव-जीवन का उद्देश्य		२२०
(आ) संस्कार		२२२
(इ) विद्यार्थी-जीवन		२२४
(ई) अध्ययन-काल		२२५
(उ) ज्ञान की प्रतिष्ठा		२२५
(ऊ) विद्या के अधिकारी		२२६
(ए) शूद्रों का विद्याधिकार	...	२२८
(ऐ) विद्यालय		२२९
(ओ) अध्ययन के विषय	..	२३१
(औ) शिक्षण-विधि		२३४
(अ) अनुशासन	...	२३५
(अ.) शिक्षक का व्यक्तित्व		२३६
(क) समावर्तन	...	२३७
(ख) विवाह	...	२३८
(ग) वानप्रस्थ तथा संन्यास	...	२४०

अष्टम अध्याय

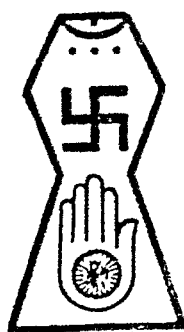
उपसंहार

१. जैन-परम्परा में मानवीय-विकास की रूपरेखा	...	२४४
२. जैन-परम्परा के आदर्श	...	२४७
३. जैन-परम्परा में विकास को दो श्रेणियाँ और उनका परस्पर समन्वय		२४९

परिशिष्ट

१ सहायक ग्रन्थों की सूची		२५१
(अ) जैन अगशास्त्र		२५१
(आ) जैन आगम ग्रन्थ		२५२
(इ) वैदिक ग्रन्थ	...	२५३
(ई) बौद्ध ग्रन्थ		२५४
(उ) अन्य ग्रन्थ	.	२५५

जैन अंगशास्त्र
के अनुसार
मानव-व्यक्तित्व का विकास



परस्परोपवृत्ते जीवानाम्

प्रथम अध्याय

अंग शास्त्र का परिचय

अंग शास्त्र :

ब्राह्मण धर्म में वेद (श्रुति) का तथा बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का जैसा महत्त्व है, वैसा ही महत्त्व जैन धर्म में अगगास्त्र का है। समवायाग में अगगास्त्र को 'गणिपिटक' कहा गया है। टीकाकार अभयदेव ने 'गणिपिटक' का अर्थ निम्नप्रकार किया है—गणी अर्थात् आचार्यों का, पिटक अर्थात् धर्मरूप निधि रखने का पात्र।^१

गणिपिटक के १२ भेद हैं—

१	आयारे	(आचाराग)
२	सूयगडे	(सूत्रकृताग)
३	ठाणे	(स्थानाग)
४	समवाए	(समवायाग)
५	विवाहपन्नत्ति	(व्याख्याप्रज्ञप्ति)
६	णायाधम्मकहाओ	(ज्ञाताधर्मकथा)
७	उवासगदसाओ	(उपासकदशाग)
८	अतगडदसाओ	(अन्तकृद्दगाग)
९	अणुत्तरोववाइयदसाओ	(अनुत्तरौपपातिकदगाग)
१०	पण्हावागरणाइ	(प्रश्नव्याकरणाग)
११	विवागसुय	(विपाकश्रुत)
१२	दिट्ठिवाए	(दृष्टिवाद)

आगम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आचाराग आदि अंगों की रचना महावीर के अनुयायी गणधरो ने की है।^३ 'जिन'

१ समवायाग १३६ (अभयदेववृत्ति, पृ० १०० अ)

२ नदीसूत्र, ४४

३ नदीसूत्र वृत्ति, पृ० १११, ला० इन ए० इ०, पृ० ३२

भगवान् उपदेश देकर कृतकृत्य हो जाते हैं, उस उपदेश को गणधर या विणिष्ट प्रकार के साधक ग्रन्थ का रूप देते हैं।^१ जैसे समय समय पर बुद्ध ने जो मार्मिक गाथाएँ कही, उनका सकलन 'उदान' में पाया जाता है, ऐसे ही अनेक गाथाएँ और वाक्य उन उन प्रसंगों पर जो तीर्थंकरों ने कहे, वे सब मूल ही नहीं, शब्दरूप में भी इन गणधरों ने द्वादशांग में रखे होंगे।^२

भगवान् महावीर का निर्वाण ४६७ ई० पू० हुआ था। महावीर के समय में जैन सिद्धान्त 'चतुर्दश पूर्व' के रूप में प्रचलित था। महावीर ने ये चौदह पूर्व अपने शिष्यों को अच्छी तरह सिखाये और उनका अभ्यास भी कराया। महावीर के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने चौदह पूर्वों, महावीर के उपदेशों तथा महावीर के शिष्यों के जीवन के आधार पर जिन सैद्धान्तिक आगमों का निर्माण किया, वे अंगशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। यद्यपि इन अंगशास्त्रों की संख्या १२ है, किन्तु वर्तमान में केवल ११ अंगशास्त्र ही उपलब्ध हैं। अन्तिम अंग दृष्टिवाद है, जो कि दार्शनिक गहन विचारों से परिपूर्ण एवं अत्यन्त क्लिष्ट होने के कारण उपेक्षित रहा और इसी कारण लुप्त भी हो गया। अंगशास्त्रों के निर्माण के कारण पूर्वशास्त्रों का अध्ययन तथा अध्यापन प्रायः समाप्त होने लगा, क्योंकि इन अंगशास्त्रों में केवल पूर्व शास्त्रों का ही निचोड़ नहीं था, प्रत्युत तत्कालीन जैन धर्म का वह परिवर्तित एवं सशोधित रूप भी विद्यमान था, जिसका उपदेश भगवान् महावीर ने दिया था। इस प्रकार पूर्वागमों का अध्ययन केवल पट्टधर आचार्यों तथा जैन सिद्धान्त के महामर्मजों तक ही सीमित रहा और अंगशास्त्र समस्त जैन-परम्परा के अनुयायियों के पठनीय विषय बने।^३

जैनागम तथा अंगशास्त्र :

'नन्दीमूत्र'^४ में श्रुतज्ञान के दो भेद किए गए हैं—अंगप्रविष्ट तथा अंगवाह्य। अंगवाह्य श्रुत दो प्रकार का है—आवश्यक तथा

१ आवश्यक निर्युक्ति, श्लोक, १६२

२ जैनदर्शन, पृ० ११

३ अन्तर्गडदमाओ, प्रस्तावना, पृ० १६-१९.

४ नन्दीमूत्र, ४३

आवश्यकव्यतिरिक्त । आवग्यक श्रुत सामायिकादि^१ के भेद से छह प्रकार का है । आवग्यकव्यतिरिक्त श्रुत दो प्रकार का है—कालिक-श्रुत तथा उत्कालिक^२ श्रुत । उत्कालिक श्रुत दशवैकालिक, कल्पा-कल्प आदि के रूप में २६ प्रकार का है । कालिक श्रुत उत्तराध्ययन-सूत्र, दशाश्रुतस्कन्ध आदि के रूप में अनेक प्रकार का है । अग-प्रविष्ट श्रुत आचाराग आदि के रूप में १२ प्रकार का है ।^३

वर्तमान में सर्वज्ञप्रणीत (अर्हत द्वारा उपदिष्ट) ३२ आगम ही प्रमाण कोटि में आते हैं—११ अगगास्त्र (अन्तिम अग दृष्टिवाद का लोप हो गया है), १२ उपागगास्त्र, ४ मूलगास्त्र, ४ छेदगास्त्र तथा १ आवश्यक सूत्र ।

१२ अगगास्त्रों के नाम हम ऊपर लिख चुके हैं । उपागगास्त्रों के नाम ये हैं—१ औपपातिकशास्त्र, २ राजप्रश्नीयशास्त्र, ३ जीवाभिगमगास्त्र, ४ प्रज्ञापनाशास्त्र, ५ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति-गास्त्र, ६ सूर्यप्रज्ञप्तिगास्त्र, ७ चन्द्रप्रज्ञप्तिशास्त्र, ८ निरया-वलिकाओ, ९ कप्पवडिसियाओ, १० पुप्फियाओ, ११ पुप्फनू-लियाओ तथा १२ वण्हदसाओ ।

४ मूल गास्त्र ये हैं—१. दशवैकालिकशास्त्र, २ उत्तराध्ययन-गास्त्र, ३. नन्दीगास्त्र तथा ४ अनुयोगद्वारगास्त्र ।

४ छेदगास्त्र ये हैं—१. व्यवहारशास्त्र, २ बृहत्कल्पगास्त्र, ३ दशाश्रुतस्कन्धशास्त्र, ४ निशीथशेास्त्र ।

इस प्रकार ३१ आगम तथा १ आवश्यकगास्त्र मिलाकर कुल ३२ आगम प्रमाणित माने जाते हैं ।^४

१ सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, तथा प्रत्याख्यान— ये छह आवश्यक श्रुत के भेद हैं ।

—नन्दीसूत्र ४३ पृ० ११४

२ जो दिन और रात के प्रथम तथा अन्तिम पहर रूप काल में पढ़े जाते हैं, वे कालिक तथा जो उससे भिन्न समय में पढ़े जाते हैं वे उत्कालिक श्रुत हैं । —नन्दीसूत्र (हि०) पृ० ११६

३ नन्दीसूत्र, ४४

४ अनुत्तरौपपातिक दशासूत्र, (हि०), प्रस्तावना पृ० ३-४.

अंगशास्त्र का इतिहास .

अंगशास्त्र की सुरक्षा—ऋग्वेदादि वेदों की सुरक्षा भारतीयों का अद्भुत पराक्रम है। आज भी भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों ब्राह्मण वेदपाठी मिलेंगे, जो आदि से अन्त तक वेदों का शुद्ध मुखपाठ कर सकते हैं, उनको वेद-पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती। वेद के अर्थ की परम्परा भले ही उनके पास नहीं है, किन्तु वेदपाठ की परम्परा तो अवश्य है।

जैनो ने भी अपने अंगग्रन्थों को सुरक्षित रखने का वैसा ही प्रयत्न भूतकाल में किया है, किन्तु जिस रूप में भगवान् के उपदेश को गणधरो ने ग्रथित किया था, वह रूप आज हमारे पास नहीं है। प्राकृत होने के कारण उसकी भाषा में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। अतः ब्राह्मणों की तरह जैनाचार्य और उपाध्याय अंगग्रन्थों की अक्षरशः सुरक्षा नहीं कर सके हैं। इनका ही नहीं, वे कई सम्पूर्ण ग्रन्थों को तो भूल भी चुके हैं और कई ग्रन्थों की अवस्था विकृत कर दी गई है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अंगों का अधिकांश जो आज उपलब्ध है वह भगवान् के उपदेश के अधिक निकट है। उसमें परिवर्तन और परिवर्द्धन हुआ है, किन्तु सब का सब विल्कुल नया और मनगढन्त ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जैन सच ने उस सम्पूर्ण श्रुत को बचाने का बार-बार जो प्रयत्न किया है, उसका साक्षी इतिहास मिटाया नहीं जा सकता।

भूतकाल में जो बाधाएँ जैनश्रुत के नाश में कारण हुईं, क्या वे ही वेदों का नाश नहीं कर सकती थीं? क्या कारण है कि जैनश्रुत में भी प्राचीन वेद तो सुरक्षित रह सके और जैनश्रुत सम्पूर्ण नहीं तो अधिकांश नष्ट हो गया? इन प्रश्नों का उत्तर सहज ही है।

वेदों की सुरक्षा में दोनों प्रकार की परम्पराओं ने सहयोग दिया है। जन्मवग की अपेक्षा पिता ने पुत्र को और उसने अपने पुत्र को, तथा विद्यावग की अपेक्षा गुरु ने शिष्य को और उसने अपने शिष्य को वेद सिखाकर वेदपाठ की परम्परा अव्यवहित गति से चालू रखी है, किन्तु जैनागम की रक्षा में जन्मवग को कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ पिता अपने पुत्र को नहीं, किन्तु अपने शिष्य को ही पढाता है। अतएव केवल विद्यावग की अपेक्षा से ही जैनश्रुत की परम्परा को जीवित

रखने का प्रयत्न किया गया है। यही कमी जैनश्रुत की अव्यवस्था में कारण हुई है। ब्राह्मणों को अपना सुगिहित पुत्र और वैसा ही सुशिक्षित ब्राह्मण गिण्य प्राप्त होने में कोई कठिनाई नहीं थी, किन्तु जैनश्रमण के लिए तो अपना सुगिहित पुत्र जैनश्रुत का अधिकारी ही नहीं है, यदि वह श्रमण नहीं है। और उधर अगिहित श्रमण, पुत्र न होने पर भी यदि गिण्य हो, तो वही श्रुत का अधिकारी हो जाता है। वेद की सुरक्षा एक वर्गविशेष से हुई है, जिसका स्वार्थ उसकी सुरक्षा में ही था। जैनश्रुत की रक्षा वैसे किसी वर्गविशेष के अधीन नहीं, किन्तु चतुर्वर्ण में से कोई भी मनुष्य यदि जैनश्रमण हो जाता है तो वही जैनश्रुत का अधिकारी हो जाता है। वेद का अधिकारी ब्राह्मण अधिकार पाकर उससे बरी नहीं हो सकता, अर्थात् उसके जीवन की प्रथमावस्था में नियमित वेदाध्ययन आवश्यक था। अन्यथा ब्राह्मण समाज में उसका कोई स्थान नहीं था। इसके विपरीत जैनश्रमण को जैनश्रुत का अधिकार तो मिल जाता है किन्तु कई कारणों से वह उस अधिकार के उपयोग में असमर्थ रहता है। ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन सर्वस्व था, किन्तु जैन श्रमण के लिए आचार ही सर्वस्व है। अतएव कोई मन्द-बुद्धि गिण्य सम्पूर्ण श्रुत का पाठ न भी कर सके, तब भी उसके मोक्ष में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं थी और उसका ऐहिक जीवन भी निर्वाध रूप से सदाचार के बल पर व्यतीत हो सकता था। जैनसूत्रों का दैनिक क्रियाओं में विशेष उपयोग भी नहीं है। जहाँ एक सामा-यिक पदमात्र से भी मोक्षमार्ग सुगम हो जाने की गन्धता हो, वहाँ विरले ही साधक यदि सम्पूर्ण श्रुतधर होने का प्रयत्न करे, तो इसमें क्या आश्चर्य? अधिकांश वैदिक सूक्तों का उपयोग अनेक प्रकार के क्रियाकाण्डों में होता है, तब कुछ ही जैन सूत्रों का उपयोग श्रमण के लिए अपने दैनिक जीवन में है। अपनी स्मृति पर ब्रह्म न बढ़ा कर पुस्तकों में जैनागमों को लिपिवद्ध करके भी जैनश्रमण आगमों को वचा सकने थे, किन्तु ऐसा करने में अपरिग्रहव्रत का भङ्ग असह्य था। उसमें उन्होंने असयम देखा।^१ जब उन्होंने अपने अपरिग्रहव्रत को कुछ गिथिल किया, तब वे आगमों का अधिकांश भूल चुके थे। पहिले जिस पुस्तक-परिग्रह को असयम का कारण समझा था

१ पोत्थए सु वेप्पतएमु असजमो भवड । —दण्वैकालिक चूणि, पृ० २१

उसी को समय का कारण मानने लगे ।^१ क्योंकि ऐसा न करने तो श्रुतविनाश का भय था । किन्तु अब क्या हो सकता था ? जो कुछ उन्होंने खो दिया था, वह तो मिल ही नहीं सकता था । ज्ञान उतना अवश्य हुआ कि जब ने उन्होंने पुस्तक-परिग्रह को समय का कारण माना, तो जो कुछ आगमिकमपत्ति उस समय तक शेष रह गई थी, वह सुरक्षित रह गई, अधिक हानि नहीं हुई । आचार के नियमों को श्रुत की सुरक्षा की दृष्टि से मिथिल कर दिया गया । श्रुत-रक्षा के लिए कई अपवादों की मृष्टि भी की गई ।

दैनिक आचार में भी श्रुतस्वाध्याय को अधिक महत्त्व दिया गया । इतना करने पर भी जो मौलिक कमी थी उसका निवारण नो हुआ ही नहीं, क्योंकि गुरु अपने श्रमणशिष्य को ही ज्ञान दे सकता है। यह जो नियम था, उसका तो अपवाद हुआ ही नहीं । अनएव अध्येता श्रमणों के अभाव में गुरु के साथ ही ज्ञान चला जाए तो उसमें आश्चर्य क्या ? कई कारणों से, विशेषकर जैनश्रमण की कठोर तपस्या और अत्यन्त कठिन आचार के कारण अन्य बौद्धादि श्रमणसंघों की तरह जैनश्रमणसंघ का सख्यावल प्रारम्भ से ही कम रहा है । ऐसी स्थिति में कठस्थ ग्रन्थों की तो क्या, बलभी में लिखित सकल ग्रन्थों की भी सुरक्षा न हो सकी तो इसमें आश्चर्य क्या है ।^२

पाटलिपुत्र की प्रथम वाचना—बौद्ध इतिहास में भगवान् बुद्ध के उपदेश को व्यवस्थित करने के लिए भिक्षुओं ने कालक्रम में तीन संगीतिया की थी, यह प्रसिद्ध है ।^३ उसी तरह भगवान् महावीर के उपदेश को व्यवस्थित करने के लिए जैनाचार्यों ने भी मिलकर तीन वाचनाएँ की । जब-जब जैनाचार्यों ने देखा कि श्रुत का ह्रास हो रहा है, उसमें अव्यवस्था हो गई है, तब-तब उन्होंने एकत्र होकर जैनश्रुत को व्यवस्थित किया है ।

भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद आचार्य यशोभद्र के ज्येष्ठ

१ काल पुण पडुच्च चरणकरणट्ठा अवोच्छित्तिनिमित्त च गेण्हमाणन्स पोत्थए सजमो भवड ।
—दशवैकालिक चूणि पृ० २१.

२ जैनागम, पृ० १०

३ सच्चमगही भूमिका, पृ० ९, तथा ला० इन ए० ३०, पृ० ३३, नोट ६.

शिष्य सभूतिविजय छठे पट्टधर हुए। इसी समय (३११ ई० पू० के लगभग) चन्द्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर आरुढ़ हुए। कल्पसूत्रानुसार सभूतिविजय की मृत्यु के बाद आचार्य स्थूलभद्र पट्टधर हुए, यद्यपि उस समय विद्या और बुद्धि की अपेक्षा आचार्य स्थूलभद्र से अधिक प्रतिभाशील एवं प्रभावशाली, आचार्य यशोभद्र के लघु शिष्य आचार्य भद्रबाहु वर्तमान थे। आचार्य स्थूलभद्र के समय में मगध में १२ वर्ष का अकाल पड़ा।^१ जैन श्रमण सघ का एक भाग आचार्य भद्रबाहु की सरक्षकता में दक्षिण की ओर प्रयाण कर गया, क्योंकि उस अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में धर्म के सरक्षण में सावधान रहना अतिकठिन था। इस अव्यवस्थित समय में अंगशास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन की उपेक्षा रही, अतः श्रमणसघ को उसका अधिकांश भाग विस्मृत हो गया। सुसमय आने पर लगभग ३०० ई० पू०, पाटलिपुत्र में जैनश्रमणसघ एकत्रित हुआ। एकत्रित हुए श्रमणों ने एक दूसरे से पूछकर ११ अंगों को व्यवस्थित किया।^२ उस समय १२ वां अंग 'दृष्टिवाद' व्यवस्थित नहीं किया जा सका, क्योंकि उपस्थित श्रमणों में से किसी को भी उसका ज्ञान नहीं था। उस अंग के एक मात्र ज्ञाता आचार्य भद्रबाहु थे।^३ वे महा-प्राण नामक ध्यानयोग की साधना के लिए नेपाल की ओर प्रयाण कर गए थे। आचार्य भद्रबाहु ही १४ पूर्वों के एकमात्र ज्ञाता थे। श्रमणसघ ने आचार्य स्थूलभद्र को कई साधुओं के साथ दृष्टिवाद अंग तथा १४ पूर्वों के अध्ययन के लिए भद्रबाहु के निकट भेजा, किन्तु उनमें से केवल स्थूलभद्र ही दृष्टिवाद को ग्रहण करने में समर्थ हुए। आचार्य स्थूलभद्र ने दृष्टिवाद के साथ-साथ १४ पूर्वों का भी अध्ययन करना चाहा, किन्तु वे १० पूर्वों का पूर्ण ज्ञान तथा बाकी ४ पूर्वों का अर्थ से हीन केवल शब्दज्ञान ही प्राप्त कर सके। परिणाम यह हुआ कि स्थूलभद्र तक ही चतुर्दश पूर्व का ज्ञान श्रमणसघ में

१ आवश्यकचूर्णि, तित्थयोगालीपडनय

२ आवश्यकचूर्णि, भाग २, पृ० १८७

३ हेमचन्द्र परिशिष्ट पर्व, सर्ग ९, श्लोक ५७, ५८, तथा वीर निर्वाण सवत् पृ० २४

रहा, किन्तु उनकी मृत्यु के बाद १२ अगो में से ११ अग और १० पूर्व का ही ज्ञान जेप रह गया ।^१

माथुरीवाचना—पट्टधर आचार्य स्कदिल के समय में पुन १२ वर्ष का अकाल पड़ा और इस वार भी अगगास्त्र लिख-विच्छिन्न हो गए ।^२ आचार्य स्कदिल के सभापतित्व में, १२ वर्ष के दुष्काल के बाद, श्रमणसंघ मथुरा में पुन एकत्रित हुआ और स्मृति के आधार पर अगगास्त्र व्यवस्थित किए गए । यह वाचना मथुरा में हुई थी, अतः यह माथुरीवाचना कहलाई ।

इससे इतना तो स्पष्ट है कि दूसरी वार भी दुष्काल के कारण श्रुत की दुरवस्था हो गई थी । इस वार की सकलता का श्रेय आचार्य स्कदिल को है । मुनि श्री कल्याण विजय जी ने आचार्य स्कदिल का पट्टधर काल वीर निर्वाण सम्वत् ८२७ में ८४० तक माना है, अतः यह वाचना इसी बीच हुई होगी ।^३

वालभी-वाचना—जब मथुरा में वाचना हुई उसी समय वालभी में भी नागार्जुन सूरी ने श्रमणसंघ को एकत्रित करके आगमों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया । वाचक नागार्जुन और एकत्रित संघ को जो जो आगम याद थे वे लिख लिए गए और विस्तृत स्थलों को पूर्वापर सवध के अनुसार ठीक करके वाचना दी गई ।^४

देवधिगणि का पुस्तक लेखन—उपर्युक्त वाचनाओं को संपन्न हुए लगभग १५० वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका था । उस समय पुन वालभी नगर में देवधिगणि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में श्रमण-संघ एकत्रित हुआ और पूर्वोक्त दोनों वाचनाओं के समय सकलित आगमों को लिखाकर सुरक्षित करने का निश्चय किया गया ।^५

१ ला० इन ए० ३०, पृ० ३२ तथा जैन-आगम, पृ० ११, अन्तगडदमाओ प्रस्तावना, पृ० २०, २१

२ नदी, चूणि पृ० ८

३ वीर निर्वाण सवत्, पृ० १०४.

४ वही पृ० ११० तथा ला० इन ए० ३०, पृ० ३२, ३३

५ अतगडदसाओ, भूमिका, पृ० २२

इस श्रमण-परिपद् ने दोनो वाचनाओ के सिद्धान्तो का परस्पर समन्वय किया और जहाँ तक हो सका भेदभाव मिटाकर उन्हें एक रूप कर दिया।^१ यही कारण है कि मूल और टीका मे हम “वायंणतरे-पुण” या “नागार्जुनीयास्तु पठन्ति” जैसे उल्लेख पाते है।^२ यह कार्य वीर निर्वाण सवत् ६८० (४५४ ई०) मे हुआ। वाचनान्तर के अनुसार इस कार्य का काल ६६३ वीर सवत् (४६७ ई०) भी है। वर्तमान मे जो अंगशास्त्र उपलब्ध हैं, उनका अधिकांश इसी समय मे स्थिर हुआ।^३

क्षमाश्रमण देवधिगणी ने आगमो को लिखित रूप देने का कार्य सम्भवतः इस आशका से प्रेरित होकर किया होगा कि कालान्तर मे कही ये आगम स्मृतिदुर्बलता के कारण लुप्त न हो जाएँ। उनके पहिले आचार्य, गिष्यो के अध्ययन के लिए लिखित ग्रन्थो का प्रयोग नही करते थे, किन्तु बाद मे आगमो के लिखित रूप मे आ जाने के कारण, लिखित आगमो का उपयोग अध्ययन और अध्यापन के लिए होने लगा। प्राचीन काल मे पुस्तके थी ही नही। वैदिक पुरुष स्मृति पर ही अधिक विश्वास रखते थे। जैन और बौद्धो ने भी उनका अनुकरण किया। इसमे कोई सन्देह नही कि अध्यापन की इस शैली के परिवर्तन का श्रेय देवधिगणी को ही है। प्रत्येक आचार्य तथा कम से कम प्रत्येक उपाश्रय के लिए आगमो की अनेक प्रतियाँ देवधिगणी द्वारा अवश्य तैयार कराई गई होगी।^४

अंगशास्त्र की प्रामाणिकता

अंगशास्त्र की प्रामाणिकता और मौलिकता के विषय मे जैनागम के प्रगाढ अभ्यासी डा० हर्मन याकोबी जैसे योरोपीय विद्वानो ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। वे इन अंगशास्त्रो को वास्तविक ‘जैनश्रुत’ मानते है और इन्हीं के आधार पर वे जैनधर्म की प्राचीनता सिद्ध करने मे सफल हुए है।^५

-
- १ वीर निर्वाण सवत्, पृ० ११२.
 - २ वीर निर्वाण सवत्, पृ० ११६.
 - ३ जैन-आगम, पृ० १५, जैनसूत्राज् भाग १, प्रस्तावना पृ० ३७.
 - ४ जैनसूत्राज्, भाग १, प्रस्तावना, पृ० ३८, ३९
 - ५ वही भाग १ प्रस्तावना, पृ० ९

पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सत्य एक ही है, मिद्वान्त एक ही है। नाना देग, काल और पुरुष की दृष्टि से उस सत्य का आविर्भाव नाना प्रकार से होता है, किन्तु उन आविर्भावों में एक ही सनातन सत्य अनुस्यूत है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर जैनागम को अनादि एव अनन्त कहा जाता है।

नदीसूत्र में कहा है कि—“द्वादशांगभूत गणिपिटक कभी नहीं था, ऐसा नहीं, कभी नहीं है, ऐसा भी नहीं, और कभी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। वह तो था, है, और होगा। वह ध्रुव है, नियत है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है और नित्य है।”^१

वृहत्कल्पभाष्य में कहा गया है कि ऋषभादि तीर्थंकरों की शरीर-सपत्ति और वर्द्धमान की शरीर-सपत्ति में अत्यन्त वैलक्षण्य होने पर भी इन सभी के धृति, संघयण और शरीर-रचना का विचार किया जाए तथा उनकी आंतरिक-योग्यता (केवलज्ञान) का विचार किया जाए तो उन सभी की योग्यता में कोई भेद न होने के कारण उनके उपदेश में भी कोई भेद नहीं हो सकता।^२

सभी तीर्थंकरों के उपदेश की एकता का उदाहरण अगगास्त्र में भी मिलता है। आचाराग सूत्र में कहा गया है कि—“जो अरिहत पहिले हो गए हैं, जो अभी वर्तमान हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सभी का एक ही उपदेश है कि किसी भी प्राण, जीव, भूत और सत्त्व की हत्या मत करो, उनके ऊपर अपनी सत्ता मत जमाओ, उनको दास मत बनाओ और उनको मत सताओ। यही मार्ग ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और विवेकी पुरुषों द्वारा बताया हुआ है।”^३

उपर्युक्त कथन से यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि सत्य की जो अविच्छिन्न धारा अगणित काल से चली आ रही है, मध्य में उत्पन्न होने वाले आदर्श महापुरुषों ने उसी धारा का अपनी अपनी दृष्टि से उद्धार एव सम्बर्द्धन किया है। सत्य का आविर्भाव किस रूप में

१ नदीसूत्र, ५७

२ वृहत्कल्प भाष्य, २०२, २०३

३ आचाराग १, ४, १२६

हुआ ? किसने किया ? कब किया ? और कैसे किया ? इत्यादि दृष्टि से विचार करने पर आगमो की सादिता एव सान्ता भी सिद्ध होती है । इस प्रकार उभय दृष्टि से विचार करने पर जैन अग पौरुषेयता और अपौरुषेयता के सुन्दर समन्वय प्रतीत होने है ।

अंगशास्त्र का रचनाकाल

अगशास्त्र की रचना के सम्बन्ध में एक परम्परागत सिद्धान्त यह है कि ये सभी अग प्रथम तीर्थंकर द्वारा ही रचे गए हैं, किन्तु आजकल वैज्ञानिक युग में इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।

अगशास्त्र गव्दवाच्य कोई एक ग्रन्थ नहीं है, किन्तु अनेककर्तृक अनेक ग्रन्थों का समुदाय है, अतएव अगशास्त्र की रचना का कोई एक काल भी निश्चित नहीं किया जा सकता । भगवान् महावीर का उपदेश ५०० विक्रम पूर्व में प्रारम्भ हुआ, अतएव उपलब्ध किसी अगशास्त्र की रचना का उससे पहिले होना सम्भव नहीं है । और उसके दूसरी ओर अन्तिम वाचना के आधार पर पुस्तक-लेखन, वलभी में विक्रम संवत् ५१० (मतान्तर से ५२३) में हुआ । अतएव तदन्तर्गत कोई शास्त्र विक्रम ५२५ के बाद का नहीं हो सकता । इस मर्यादा को ध्यान में रखकर हमें सामान्यतः अगशास्त्र की रचना के काल का विचार करना है ।

अग ग्रन्थ गणधरकृत कहे जाते हैं, किन्तु उनमें सभी एक समान प्राचीन नहीं हैं । आचाराग के ही प्रथम और द्वितीय श्रुतस्कन्ध भाव और भाषा में भिन्न हैं, यह कोई भी कह सकता है । प्रथम श्रुतस्कन्ध द्वितीय से ही नहीं, किन्तु समस्त जैन वाङ्मय में सबसे प्राचीन अंश है । उसमें परिवर्तन और परिवर्द्धन सर्वथा नहीं है, यह तो नहीं कहा जा सकता । किन्तु उसमें नवीन अंश सबसे कम मिलाया गया है, यह तो निश्चयपूर्वक कहा ही जा सकता है । वह महावीर के साक्षात् उपदेश रूप में भी हो, तब भी उसके अत्यन्त निकट तो है ही । ऐसी स्थिति में उसे हम विक्रम-पूर्व ३०० से बाद की सकलना नहीं कह सकते । अधिक संभव यही है कि वह प्रथम वाचना की सकलना है । आचाराग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध आचार्य भद्रबाहु के बाद की रचना होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रथम श्रुतस्कन्ध की

अपेक्षा भिक्षुओं के नियमोपनियम के वर्णन में विकसित भूमिका की सूचना मिलती है। इसे हम विक्रम-पूर्व दूसरी शताब्दी में उधर की रचना नहीं कह सकते। यही बात हम अन्य सभी अंगों के विषय में सामान्यतः कह सकते हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें जो कुछ सकलित है वह इसी शताब्दी का है। वस्तु तो पुरानी है, वह गणधरो से परम्परा से चली ही आती थी। उसी को सकलित किया गया। इसका मतलब यह भी नहीं समझना चाहिए कि विक्रम-पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद इसमें कुछ नया नहीं जोड़ा गया है। स्थानाग जैसे अंग ग्रंथों में वीर निर्वाण की छोटी शताब्दी की घटना का भी उल्लेख मिलता है। किन्तु ऐसे कुछ अंशों को छोड़कर बाकी सब भाव पुराने ही हैं। भाषा में यत्र-तत्र काल की परिवर्तित होती हुई गति और प्राकृत भाषा के कारण भाषा-विकास के नियमानुसार परिवर्तन होना अनिवार्य है, क्योंकि प्राचीन समय में इसका पठन-पाठन लिखित ग्रन्थों से नहीं, किन्तु कठोपकठ से होता था। प्रश्नव्याकरणांग का वर्णन जैसा नदीसूत्र में है, उसे देखते हुए उपलब्ध प्रश्नव्याकरण अंग संपूर्ण ही बाद की रचना हो, ऐसा प्रतीत होता है। वालभी-वाचना के बाद कव यह अंग नष्ट हो गया और कव उसके स्थान में नया बनाकर जोड़ा गया, इसके जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। इतना ही कहा जा सकता है कि अभयदेव की टीका, जो कि विक्रम १२ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गई है, उससे पहिले ही वह कभी बन चुका था।^१

डा० हरमन याकोबी ने भी अपने आचारांग सूत्र की प्रस्तावना में विस्तार के साथ समस्त आगमों के रचनाकाल के सम्बन्ध में विचार किया है। अंगशास्त्र की भाषा, छन्द आदि के गहन अध्ययन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अंगशास्त्र की रचना का काल ३०० ई० पू० के लगभग होना चाहिए, जब आगमों की प्रथम वाचना पाटलिपुत्र में हुई थी।^२

१ जैन आगम, पृ० २२, २३

२ जैनसूत्राज् भाग १, प्रस्तावना, पृ० ४३.

अंगशास्त्र की शैली एवं भाषा

शैली—गुरु-शिष्य के क्रम से आये हुए सूत्रों की भाषा और शैली में हजार-आठ सौ वर्ष में कुछ भी परिवर्तन न हो, यह सम्भव नहीं है। यद्यपि सूत्रों में प्रयुक्त प्राकृत उस समय की सीधी-सादी लोकभाषा थी, परन्तु समय के प्रवाह के साथ उसकी सुगमता ओझल होती गई और उसे समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता हुई। प्रारम्भ में व्याकरण तत्कालीन भाषानुगामी बने, परन्तु पिछले समय में ज्यो-ज्यो प्राकृत का स्वरूप अधिक मात्रा में बदलता गया त्यों-त्यों व्याकरण ने भी उसका अनुगमन किया। फल यह हुआ कि हमारी सौत्र-प्राकृत पर भी उसका असर पड़े बिना नहीं रहा। यही कारण है कि कुछ सूत्रों की भाषा नवीन-सी प्रतीत होती है।

प्राचीन सूत्रों में एक ही आलापक, सूत्र और वाक्य को बार-बार लिखकर पुनरुक्ति करने का एक साधारण नियम-सा था। यह उस समय की सर्वमान्य शैली थी। उस समय के वैदिक, बौद्ध और जैन ग्रन्थ इसी शैली में लिखे हुए हैं। परन्तु जैन आगमों के पुस्तकारूढ होने के समय वह शैली कुछ अंगों में बदल कर सूत्रपाठ संक्षिप्त कर दिए गये और जिस विषय की चर्चा एक स्थल पर व्यवस्थित रूप में हो चुकी थी उसे अन्य स्थल पर संक्षिप्त कर दिया गया। जिज्ञासुओं के लिए उसी स्थल पर सूचना भी कर दी गई कि यह विषय अमुक सूत्र अथवा स्थल पर देख लेना। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी, जो उस समय तक शास्त्रीय मानी जाने लगी थी, उचित स्थान पर यादी के तौर पर लिख दी गई, जो आज तक उसी रूप में दृष्टिगोचर होती हैं और अपने स्वरूप से ही वे नवीन प्रतीत होती हैं।^१

अंगशास्त्र में, एक अंग का दूसरे अंग में तथा प्रस्तुत अंग का प्रस्तुत अंग में ही वर्णन पाया जाता है, जैसे—समवायाग में १२ अंगों का वर्णन है, जिनमें समवायाग का भी वर्णन सम्मिलित है। अतकृद्-दशाग में स्वयं उसका वर्णन है।^२ यही क्रम अन्य अंगों में भी है।

१ श्रमण भगवान् महावीर, पृ० ३३२, ३३३

२ समवायाग सूत्र, १३६, तथा अन्तगडदशागो, २७, पृ० ६४

इसका कारण आगमो की प्राचीन गैली है, जो कि वेदो मे भी पाई जाती है ।

भाषा—अगशास्त्र की भाषा अर्द्धमागधी है । समवायाग, भगवती ओववाइय तथा पणवणा मे इस बात के स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान् महावीर अपने सिद्धान्तो का प्रचार अर्द्धमागधी भाषा मे करते थे और वह भाषा सब जीवो को अपनी-अपनी भाषा मे परिणत हो जाती थी ।^१

स्थानाग सूत्र तथा अनुयोगद्वार मे इस भाषा को 'इसि-भासिया' (ऋषिभासिता) कहा गया है । इसी आधार पर हेमचन्द्राचार्य आदि ने इसका नाम 'आर्प' रखा ।^२ अत अर्द्धमागधी, ऋषिभाषिता तथा आर्प—ये तीनों ही नाम एक ही भाषा के है । पहला नाम उत्पत्ति-स्थान (मगध) के कारण है तथा अन्य नाम उस भाषा को सर्व-प्रथम साहित्य मे स्थान प्रदान करने वाले ऋषियो से सम्बन्ध रखते है ।

डा० हर्मन याकोवी ने जैनागम की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कह कर 'जैन महाराष्ट्री' नाम दिया है, जिसका डा० पिगल ने अपने विख्यात प्राकृत-व्याकरण मे खण्डन करके सप्रमाण सिद्ध किया है कि अर्द्धमागधी मे बहुलता से ऐसी अनेक विशेषताएँ है, जो महाराष्ट्री आदि किसी प्राकृत मे ढूढने से भी नही मिलती, इसलिए उपर्युक्त नाम नही दिया जा सकता । नाटको मे जो अर्द्धमागधी पाई जाती है उसमे और सूत्रो की अर्द्धमागधी मे समानता की अपेक्षा भेद ही अधिक है । भरत तथा मार्कण्डेय ने अर्द्धमागधी के भिन्न-भिन्न लक्षण बताये है ।^३ ये लक्षण केवल नाटकीय अर्द्धमागधी के है । हेमचन्द्राचार्य ने अपने व्याकरण मे अर्द्धमागधी को 'आर्प प्राकृत' और अर्वाचीन रूप को 'महाराष्ट्री' माना है । इससे यह सिद्ध होता है कि महाराष्ट्री से अर्द्धमागधी बहुत प्राचीन है । अथवा यो कहिए कि अर्द्धमागधी ही महाराष्ट्री का मूल है ।^४

१ समवायाग सूत्र, ३४ भगवती, ५ ४, पृ० २३१ ओववाइय, ५६. पणवणा, पृ० ५६, (आगमोदय-समिति)

२ हेमचन्द्राचार्य का प्राकृत व्याकरण, सूत्र १, ३

३ भरत नाट्यशास्त्र, १६ ४८, ५०.

४ इन्ट्रोडक्शन टू प्राकृत लक्षण आफ चड, पृ० १९, डा० हार्नली

वहुत से लोग अर्द्धमागधी की व्युत्पत्ति “अर्ध मागध्या” करके कहते हैं कि जिसका आधा अश मागधी भाषा हो वह अर्द्धमागधी है क्योंकि नाटकीय अर्द्धमागधी में मागधी के लक्षण बहुलता से पाए जाते हैं, इसलिए वह अर्द्धमागधी है। और जैन सूत्रों में मागधी के लक्षण बहुत कम मिलते हैं, इसलिए वह अर्धमागधी नहीं है। परन्तु उनकी यह व्युत्पत्ति भ्रमात्मक एवं असंगत है। इसकी वास्तविक व्युत्पत्ति है—“अर्द्धमगधस्येय” अर्थात् मगध देश के अध्याश की जो भाषा हो वह अर्द्धमागधी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम मगध अथवा मगध और सूरसेन का मध्य-प्रदेश (अयोध्या आदि) होने पर भी इसमें मागधी और गौरसेनी के इतने लक्षण नहीं दिखते, जितने महाराष्ट्री के दिखते हैं। इसका कारण संभवतः श्रमणों का दुष्काल के कारण दक्षिण-गमन एवं तद्देशीय भाषा का प्रभाव है।^१

अंगशास्त्र की पदसंख्या

प्राचीन पद्धति के अनुसार जैन सूत्रों की पदसंख्या निश्चित करके लिखी गई है। नंदी टीका तथा समवायाग सूत्र^२ के अनुसार जैनसूत्रों की पदसंख्या निम्नप्रकार है .

अंगशास्त्र	पदसंख्या
१ आचाराग	१८,०००
२. सूत्रकृताग	३६,०००
३ स्थानांग	७२,०००
४ समवायाग	१,४४,०००
५ व्याख्या-प्रज्ञप्ति	२,८८,०००
६ ज्ञाताधर्म-कथाग	५,७६,०००
७ उपासकदशांग	११,५२-०००
८ अन्तकृद्दशांग	२३,०४,०००
९ अनुत्तरौपपातिकदशांग	४६,०८,०००
१० प्रवृत्तव्याकरण	६२,१६,०००
११ विपाकसूत्र	१,८४,३२,०००

१ मुत्तागमे, पृ० १८, १९ (प्रस्तावना).

२. समवायाग, १३६-१४७.

यहाँ पर पद का अर्थ 'अर्थबोधक-शब्द' अथवा जिसके अन्त में विभक्ति हो वह 'पद' किया गया है।^१

अंगशास्त्र की टीकाएँ

अंगशास्त्र की टीकाएँ प्राकृत और संस्कृत में हुई हैं। प्राकृत टीकाएँ निर्युक्ति, भाष्य और चूर्णि के नाम से लिखी गई हैं। निर्युक्ति और भाष्य पद्यमय हैं और चूर्णि गद्यमय। उपलब्ध निर्युक्तियाँ भद्रबाहु द्वितीय की रचनाएँ हैं। उनका समय विक्रम पाचवी या छठी शताब्दी है। निर्युक्तियों में भद्रबाहु ने अनेक प्रसंगों पर दार्शनिक चर्चाएँ बड़े सुन्दर ढंग में की हैं।

किसी भी विषय की चर्चा का यदि अपने समय तक का पूर्ण-रूप देखना हो तो भाष्य देखने चाहिए। भाष्यकारों में प्रसिद्ध सधदासगणी और जिनभद्र हैं। इनका समय सातवी शताब्दी है।

लगभग सातवी-आठवी शताब्दी की चूर्णियाँ मिलती हैं। चूर्णिकारों में जिनदास अति प्रसिद्ध हैं। चूर्णियों में भाष्य के ही विषय को संक्षेप में गद्य में लिखा गया है। अंगशास्त्र की सबसे प्राचीन संस्कृत टीका आचार्य हरिभद्र ने की है। उनका समय विक्रम ७५७ से ८५७ के बीच का है। हरिभद्र ने प्राकृत चूर्णियों का प्रायः संस्कृत में अनुवाद किया है।

हरिभद्र के बाद गीलाकसूरि ने दसवी शताब्दी में संस्कृत-टीकाओं की रचना की। इसके बाद प्रसिद्ध टीकाकार अभयदेव हुए, जिन्होंने स्थानाग आदि नव अंगों पर संस्कृत में टीकाएँ रचीं। उनका जन्म विक्रम १०७२ में और स्वर्गवास विक्रम ११३५ में हुआ है।

संस्कृत-प्राकृत टीकाओं का परिमाण इतना बड़ा था और विषयों की चर्चा इतनी गहनतर होती गई कि बाद में यह आवश्यक समझा गया कि आगमा का गन्धार्थ बताने वाली संक्षिप्त टीकाएँ की जाएँ। संस्कृत और प्राकृत बोलचाल की भाषा में हटकर मात्र साहित्यिक भाषा बन गई थी। अतः तत्कालीन अपभ्रंश अर्थात् प्राचीन गुजराती भाषा में बालावबोधों की रचना हुई। इन्हें 'टवा' कहते हैं।^२

१ सुप्तिङन्त पद—पाणिनीय, १. ४ १४

२ जैन आगम पृ० २६, २७

अंगशास्त्र का विषय तथा विवरण

आचारांग—आचाराग बारह अंगों में सबसे प्रथम अंग है। इसका दूसरा नाम 'सामायिक' भी है।^१ इसके दो श्रुतस्कन्ध हैं, जो कि शैली तथा विषय दोनों में एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध द्वितीय श्रुतस्कन्ध की अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन मालूम पड़ता है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में आठ अध्ययन तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध में सत्तरह अध्ययन हैं। इसमें मुख्यतया श्रमण निर्ग्रन्थों के आचार का वर्णन किया गया है। भिक्षु को भिक्षा, गय्या, वस्त्र, पात्र आदि किस प्रकार, कितनी मात्रा में, किन स्थानों से मागना चाहिए और किस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, भिक्षु को किस प्रकार गमन करना चाहिए, किस प्रकार की भाषा बोलना चाहिए, उसे कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ मल मूत्र त्याग करना चाहिए, आदि भिक्षु के आचार-संबन्धी समस्त प्रश्नों के उत्तर आचारांग में समाविष्ट हैं।

आचार-वर्णन के अतिरिक्त भिक्षु के विचारों को प्रभावित करने के लिए आचारांग में सुख-दुःख, हिंसा-अहिंसा, सम्यक्त्व-मिथ्यात्व आदि विषयों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचाराग भिक्षु के आचार तथा विचार का एक महाग्रन्थ है।

आचाराग की महत्ता का एक सबसे महान् कारण यह भी है कि आचाराग अंगशास्त्रों में सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है, अतः इसमें सग्रह किए हुए महावीर के जीवन और तप का विवरण ऐतिहासिकों के लिए बहुत ही उपयोगी तथा प्रामाणिक सिद्ध हुआ है। इसके आधार पर ही आज के युग में जैनधर्म तथा महावीर की ऐतिहासिकता एवं प्रामाणिकता प्रतिष्ठित हुई है।^२

सूत्रकृतांग—सूत्रकृतांग १२ अंगों में द्वितीय अंग है। इसके दो श्रुतस्कन्ध तथा २३ अध्ययन हैं। इसमें सूत्र (संक्षिप्त) रूप में कथन

१. अनंगार ग्रन्थ, सामायिक आदि एकादश अंगशास्त्रों का अध्ययन करने लगा। —अनुत्तरोपपातिकदण्डाग, ३

२. जैनसूत्राज भाग १, प्रस्तावना, पृ० ४७-५३, सम्वायाग सूत्र, १३६, नदीसूत्र, ४५

होने के कारण सम्भवतः इस ग्रन्थ का नाम सूत्रकृताग रखा गया होगा।^१ यही कारण है कि इस अंग के सम्बन्ध में यह परम्परा रखी गई कि साधु-जीवन को स्वीकार करने के बाद चतुर्थ वर्ष में इस अंग का अध्ययन किया जाए।^२ सूत्रों के दुर्ज्य होने के कारण बिना पूर्व शास्त्राभ्यास के इस ग्रन्थ का अध्ययन करना कठिन होता होगा।

इस अंग में नवदीक्षित श्रमणों को समय में स्थिर करने के लिए उपयोगी जैन सिद्धान्त का वर्णन किया गया है। साथ में तत्कालीन अन्य मतों का निराकरण करके स्वमत की स्थापना भी की गई है। इसमें भूतवादियों का निराकरण करके आत्मा का पृथक् अस्तित्व, ब्रह्मवाद के स्थान में नानात्मवाद तथा जीव और शरीर को पृथक् वताकर कर्म और उसके फल की सत्ता सिद्ध की गई है। जगदुत्पत्ति के विषय में नानावादों का निराकरण करके “विश्व को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, वह तो अनादि अनन्त है”—इस मत की स्थापना की गई है। तत्कालीन क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद का निराकरण करके सुसंस्कृत क्रियावाद की स्थापना की गई है।^३

समवायाग के अनुसार इस अंग में १८० क्रियावादियों के, ८४ अक्रियावादियों के, ६७ अज्ञानवादियों के तथा ३२ विनयवादियों के—इस प्रकार कुल ३६३ अन्य-दर्शनों के मतों का खण्डन कर जैन सिद्धान्त का विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष इन नव पदार्थों की भी व्याख्या की गई है।^४ “प्राचीन भारत के तत्त्वज्ञान के अभ्यासी के लिए सूत्रकृताग में वर्णित अजैन सिद्धान्त रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक होंगे।”^५

१ सूत्र का लक्षण “अत्याक्षरमदिग्ध सारवद् विश्वनो मुखम् ।

अस्तोभमनवद्य च सूत्र सूत्रविदो विदुः ।”

—लघु कौ० फुट नोट पृ० १४

२ जैनसूत्राज् भाग २, प्रस्तावना, पृ० ३९, फुट नोट न० १

३ जैन आगम, पृ० २५, २६

४ समवायागसूत्र, १३७, तथा नदीसूत्र, ४६

५ आनन्दशङ्कर बापू भाई ध्रुव, सूत्रकृताग (हि०अ०) पृ० ३, (प्रस्तावना)

स्थानांग तथा समवायांग—अगशास्त्र में स्थानांग तृतीय तथा समवायांग चतुर्थ अंग है। इन दोनों अंगों में एक-एक श्रुतस्कन्ध है। स्थानांग में १० अध्ययन और समवायांग में १ अध्ययन है। दोनों अंगों का वर्णन तथा वर्णनीय विषय प्रायः एक ही प्रकार के हैं। इनकी रचना वौद्धों के अगुत्तरनिकाय के ढंग की है।

स्थानांग में पदार्थों के गुण, द्रव्य, क्षेत्र, काल, तथा पर्यायों की व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त पर्वत, नदी, समुद्र, सूर्य, भवन, विमान, निधि, पुरुषों के प्रकार, स्वर, ज्योतिष्पंचार आदि का विस्तृत वर्णन भी इस अंग में है। आत्मा, पुद्गल, ज्ञान, नय, प्रमाण आदि दार्शनिक विषयों की चर्चा भी बहुत सुन्दर ढंग से इस अंग में की गई है। भगवान् महावीर के शासन में हुए ७ निह्वों का वर्णन भी इसमें समाविष्ट है। ऐसे ७ व्यक्ति बताये गये हैं, जिन्होंने महावीर के सिद्धान्तों की भिन्न-भिन्न बातों को लेकर अपना मतभेद प्रकट किया, वे ही निह्व कहे जाते हैं।^१ एकरूप पदार्थों का वर्णन (एकविध वक्तव्य), दो रूप पदार्थों का वर्णन (द्विविध-वक्तव्य) और इसी प्रकार क्रम से एक-एक बढ़ाते हुए १० रूप तक के पदार्थों का वर्णन इस अंग की एक विशिष्ट शैली है।

समवायांग के वर्णन की शैली भी उपर्युक्त प्रकार की ही है। केवल अन्तर इतना है कि स्थानांग में १० रूप तक के पदार्थों का वर्णन है, जब कि समवायांग में १ से लेकर १-१ की वृद्धि करते हुए १०० रूप तक के पदार्थों का वर्णन है। तथा आगे अधिक वृद्धि करते हुए कोटि-कोटि रूप तक के पदार्थों का वर्णन है। स्थानांग का वर्णन कुछ विस्तृत है, किन्तु समवायांग का संक्षिप्त है। स्थानांग में एक प्रकार के पदार्थों का वर्णन करने के लिए अनेक सूत्र हैं और समवायांग में एक प्रकार के पदार्थों का वर्णन करने के लिए एक ही सूत्र है। इसमें जम्बूद्वीप, धातकीखड द्वीप, पुष्करार्ध द्वीप तथा पर्वतों के विस्तार, ऊँचाई तथा प्रकार आदि का वर्णन है। समवायांग में १२ अंगों के वर्णनीय विषयों की भी व्याख्या की गई है।^२

१ स्थानांग ५८७

२ समवायांग, १३८-१३९, नन्दीसूत्र, ४७-४८

भगवतीसूत्र—इस अंग का नाम 'भगवती-व्याख्या-प्रज्ञप्ति' है। सक्षेप में इसे भगवतीसूत्र तथा व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र कहा जाता है। इसका अंगशास्त्र में पाचवा स्थान है। इसमें एक श्रुतस्कन्ध तथा १० अध्ययन हैं। वर्तमान में इसमें ४१ गतक उपलब्ध होते हैं। इसकी रचना बौद्ध 'सुत्तपिटक' की तरह है। सुत्तपिटक में महात्मा बुद्ध से पूछे गये प्रश्न तथा उनके द्वारा दिए गए उत्तर संगृहीत हैं, उसी प्रकार भगवती सूत्र में भी महावीर से पूछे गए प्रश्न तथा उनके द्वारा दिए गए उत्तरों का संग्रह है।

तत्त्व ज्ञान के विषय में सदिग्ध तत्कालीन देव, नरेन्द्र, राजर्षि तथा महर्षियों के द्वारा नव पदार्थ तथा उनके द्रव्य, गुण, क्षेत्र, काल, पर्याय, प्रदेग, परिणाम, यथास्तिभाव, अनुगम, निक्षेप, नय, प्रमाण आदि के सम्बन्ध में महावीर से जो जो प्रश्न किए गए और महावीर ने उनके जो जो सयुक्तिक उत्तर दिए, उनका संग्रह इस अंग में किया गया है।^१

जाताधर्मकथा—यह धर्मकथा-प्रधान छठा अंग है। इसमें कल्पित तथा अकल्पित दोनों ही प्रकार की कथाओं के आधार पर धर्म का उपदेग दिया गया है। जाताधर्मकथा में दो श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययन तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध के १० वर्ग हैं। नन्दीसूत्र के अनुसार जाताधर्मकथा में धर्मकथाओं के १० वर्ग हैं, जिनमें प्रत्येक धर्मकथा में पाँच-पाँच सौ आख्यायिकाएँ हैं, एक-एक आख्यायिका में पाँच-पाँच सौ उपाख्यायिकाएँ हैं, एक-एक उपाख्यायिका में पाँच-पाँच सौ आख्यायिकोपाख्यायिकाएँ हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर अष्टगुण्ट—साढ़े तीन करोड़ कथाएँ इस अंग में हैं।

जाताधर्मकथा में जात अर्थात् उदाहरणभूत व्यक्तियों के नगर, उद्यान, वनखड चैत्य यक्षायतन, समवसरण-धर्मसभा, राजा, माता-पिता, धर्माचार्य, धर्मकथा, इस लोक-परलोक सम्बन्धी ऋद्धिविगेष, भोग का त्याग, प्रव्रज्या, मुनिदीक्षा, पर्याय दीक्षा-समय, श्रुतग्रहण, तप-उपधान, सल्लेखना, भक्तप्रत्याख्यान, पादपोष-

गमन (टूटे हुए वृक्ष की तरह चेष्टारहित होकर अनशन करना), देवलोक-गमन, सुकुल में जन्म, प्रत्यागमन, सम्यक्त्वधर्म की प्राप्ति और अन्तक्रिया (निर्वाण प्राप्ति) का वर्णन है ।^१

उपासकदशांग—यह सातवाँ अंग है । इसमें श्रमणोपासको (साधुओं के सेवक श्रावको) के नगर-उद्यानादि, भोगों का परित्याग, श्रावक दीक्षा, श्रावक अवस्था का काल प्रमाण, श्रुतग्रहण, तप-उपधान, गीलव्रत, अणुव्रत, गुणव्रत, प्रतिमा, उपसर्ग (कष्ट), सल्लेखना, भक्त-प्रत्याख्यान, पादपोषगमन, देवलोकगमन, पुनः मनुष्य भव में सुकुल की प्राप्ति, सम्यक्त्व धर्म की प्राप्ति और अन्तक्रिया आदि का वर्णन है । इस अंग में एक श्रुतस्कन्ध तथा दस अध्ययन हैं ।^२

अन्तकृतदशांग—यह आठवाँ अंग है । इसमें अन्तकृत—संसार का अन्त करने वाले मनुष्यों के नगरादि, भोगपरित्याग, प्रव्रज्या (मुनिदीक्षा), श्रुतग्रहण, तप-उपधान, सल्लेखना, अन्तक्रिया आदि का वर्णन है । इसमें एक श्रुतस्कन्ध तथा आठ वर्ग हैं ।^३

अनुत्तरौपपातिकदशांग—यह नवा अंग है । इसमें अनुत्तरौपपातिक—अनुत्तर विमान में उत्पन्न होने वाले जीवों के नगरादि तथा निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है । इसमें एक श्रुतस्कन्ध तथा तीन वर्ग हैं ।^४

प्रश्न-व्याकरणांग—यह दसवा अंग है । इसमें एक श्रुतस्कन्ध तथा १० अध्ययन हैं । हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रहरूप आत्मवद्वारो तथा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहरूप संवर द्वारो का इसमें विस्तृत वर्णन है । नदीसूत्र तथा समवायाग के अनुसार इसमें उन प्रश्नों—विद्याओं (अगुष्ठप्रश्न, अगुष्ठविद्या, बाहुप्रश्न, आदर्शप्रश्न आदि) का वर्णन है, जो केवल जप-मात्र से पूछे गये, बिना पूछे गये तथा उभयरूप प्रश्नों के उत्तर देती हैं । इन

१ समवायाग, १४१, नदीसूत्र ५०

२ वही, १४२ तथा वही, ५१

३ वही, १४३ वही, ५२

४ वही, १४४ वही, ५३

विद्याओ के साथ नागकुमार, सुवर्णकुमार आदि के दिव्य सवाद भी इस अग मे वर्णित है।^१

विपाकश्रुत—यह ११ वा अग है। इसमे शुभाशुभ कर्मों के फल-विपाक कहे गये हैं। फलविपाक २० है—१० दुःखविपाक तथा १० सुखविपाक। दुःखविपाक मे दुःख-विपाक के भोगने वाले पुरुषों के नगरोद्यानादि, इसलोक परलोक-ऋद्धि-विशेष, दुराचरण से नरकगमन ससार मे जन्म का विस्तार, दुःख की परम्परा, पुन. हीन-कुल मे उत्पत्ति और सम्यक्त्व धर्म की दुर्लभता आदि का वर्णन है। सुखविपाक मे सुखविपाक को भोगने वाले पुरुषों के नगरादि, भोगों का परित्याग, प्रव्रज्या, तप-उपधान, सल्लेखना, आहारत्याग, देवलोक-गमन, सुख-परम्परा, पुन उत्तम कुल मे जन्म, सम्यक्त्व-लाभ तथा निर्वाण-प्राप्ति का वर्णन है। इसमे दो श्रुतस्कन्ध तथा बीस अध्ययन हैं।^२

दृष्टिवाद—यद्यपि परम्परानुसार यह अग पूर्ण रूप से लुप्त हो गया है, फिर भी इसके वर्णनीय विषय आदि के सम्बन्ध मे समवायाग तथा नदीसूत्र में उल्लेख मिलते हैं। यह १२ वां अग है। दृष्टिवाद के ५ भेद किए गए हैं—१. परिकर्म, २ सूत्र, ३ पूर्वगत, ४ अनुयोग, तथा ५ चूलिका। दृष्टिवाद के इन भेदों के भी अनेक प्रभेद हैं। दृष्टि का अर्थ है—“दर्शन”। इस अग मे प्रज्ञापन, प्ररूपण, दर्शन, निदर्शन तथा उपदर्शन का विशेष रूप से वर्णन है। इसमे एक श्रुत-स्कन्ध तथा चौदह पूर्व हैं।^३

१ समवायाग, १४५. तथा नदीसूत्र, ५४.

२ वही, १४६ वही ५५

३ वही, १४७ वही, ५६

द्वितीय अध्याय

आदर्श—महापुरुष

चौबीस तीर्थकर

जैन-परम्परा के अनुसार इस दृश्यमान जगत् में काल का चक्र सदा घूमता रहता है। यद्यपि काल का प्रवाह अनादि और अनन्त है, तथापि उस काल चक्र के छह विभाग हैं—१ सुसम-सुसमा (सुषम-सुषमा), २ सुसमा (सुषमा), ३ सुसम-दूसमा (सुषम-दुषमा), ४ दूसम-सुसमा (दुषम-सुषमा), ५ दूसमा (दुषमा), ६ दूसम-दूसमा (दुषम-दुषमा)।

जैसे चलती हुई गाड़ी के चक्र का प्रत्येक भाग नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाता है, वैसे ही ये छह भाग भी क्रमवार सदा घूमते रहते हैं, अर्थात् एक वार जगत सुख से दुःख की ओर जाता है और दूसरी वार दुःख से सुख की ओर बढ़ता है। सुख से दुःख की ओर जाने को ओसर्पिणी (अवसर्पिणी) या अवनति काल कहते हैं, और दुःख से सुख की ओर जाने को उत्सर्पिणी (उत्सर्पिणी) या विकास-काल कहते हैं।^१ इन दोनों कालों की अवधि लाखों करोड़ों वर्षों से भी अधिक है। प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के दुःख-सुख रूप भाग में चौबीस तीर्थकरो का जन्म होता है, जो 'जिन' अवस्था को प्राप्त करके जैन-धर्म का उपदेश देते हैं। इस समय अवसर्पिणी काल चल रहा है। इस युग के चौबीस तीर्थकरो में से भगवान् उसभ (ऋषभ) प्रथम तीर्थकर थे और भगवान् वद्धमाण (वर्द्धमान) अर्थात् महावीर अन्तिम तीर्थकर थे।^२ सम-

१ स्थानाग, सूत्र ५०.

२ नमवायाग, सूत्र २३.

वायाग मे इन चौबीस तीर्थकरो को देवाहिदेव (देवाधिदेव) कहा गया है, क्योंकि ये इन्द्रादि देवताओ के भी पूज्य है ।^१

भगवान् ऋषभ

भगवान् पार्व्वनाथ तथा भगवान् महावीर, ये दोनो ऐतिहासिक महापुरुष है, यह प्राय सभी आधुनिक पूर्वीय तथा पाश्चात्य विद्वान् स्वीकार कर चुके है ।^२ भगवान् नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) तक भी इतिहास की कुछ किरणे पहुँच चुकी है, किन्तु भगवान् ऋषभ के बारे मे अभी तक कुछ भी मुनिञ्चित रूप से जात नही है ।

इस बात को तो प्राय सभी विद्वान स्वीकार करते है कि भगवान् ऋषभ जैनधर्म के सस्थापक थे । डा० याकोवी कहते है कि—इसमे कोई भी प्रमाण नही कि पार्व्वनाथ जैनधर्म के सस्थापक थे । जैन-परम्परा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को जैन धर्म का सस्थापक मानने मे एकमत है । इस मान्यता मे ऐतिहासिक सत्य की सम्भावना है ।^३

डा० याकोवी के इस मत से डा० सर राधाकृष्णन् भी सहमत है । उनका कहना है कि—जैन परम्परा ऋषभदेव से अपने धर्म की उत्पत्ति होने का कथन करती है, जो बहुत-सी गताब्दियो पूर्व हुए थे । इस बात के प्रमाण पाए जाते है कि ईसा-पूर्व प्रथम गताब्दी में प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की पूजा होती थी । इसमें कोई सदेह नही कि जैनधर्म वर्द्धमान और पार्व्वनाथ से भी पहिले प्रचलित था । यजुर्वेद मे ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि—इन तीन तीर्थकरो के नामो का निर्देश है । भागवत-पुराण भी इस बात का समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैनधर्म के सस्थापक थे ।^४

भागवत में ऋषभदेव

ब्राह्मण परम्परा और उसमे भी विगेष रूप से वैष्णव-परम्परा का बहुमान्य और सर्वत्र अतिप्रमिद्ध ग्रन्थ भागवत है, जिसे भागवत-

१ समवायाग, सूत्र २४

२ जैनसूत्राज् भाग १, प्रस्तावना, पृ० १००

३ इण्डियन एण्टीक्वेरी, पुस्तक ९, पृ० १६३

४ इण्डियन फिलासफी, पुस्तक १, पृ० २८७

पुराण भी कहते हैं। इनमें ऋषभदेव का सुन्दर वर्णन है जो कि जैन-परम्परा के वर्णन से बहुत अगो में मिलता है। उसमें लिखा है कि—“जब ब्रह्मा ने देखा कि मनुष्य सख्या नहीं बढ़ी तो उसने स्वयम्भू मनु और सतरूपा को उत्पन्न किया। उनके प्रियव्रत नाम का लडका हुआ, प्रियव्रत का पुत्र अग्नीध्र हुआ, अग्नीध्र के घर नाभि ने जन्म लिया। नाभि ने मरुदेवी से विवाह किया और उनमें ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव ने इन्द्र के द्वारा दी गई जयन्ती नाम की भार्या से सौ पुत्र उत्पन्न किए और बड़े पुत्र भरत का राज्याभिषेक करके सन्यास ले लिया। उस समय केवल गरीरमात्र उनके पास था और वे दिग्भ्रमर वेग में नग्न विचरण करते थे, मौन रहते थे, कोई डराए, मारे, ऊपर धूके, पत्थर फेंके, मूत्र-विष्टा फेंके, तो इन सबकी ओर ध्यान नहीं देते थे। यह गरीर असत् पदार्थों का घर है, ऐसा समझकर अहंकार-ममंकार का त्याग करके अकेले भ्रमण करते थे। उनका कामदेव के समान सुन्दर गरीर मलिन हो गया था। उनका क्रिया-कर्म बड़ा भयानक हो गया था। गरीरादिक का मुख छोड़कर उन्होंने “आजगर” व्रत ले लिया था। इस प्रकार कैवल्यपति भगवान् ऋषभदेव निरन्तर परम आनन्द का अनुभव करते हुए भ्रमण करते-करते कोक, बैक, कुटक, दक्षिण कर्नाटक देशों में अपनी इच्छा में पहुँचे, और कुटिकाचल पर्वत के उपवन में उन्मत्त के समान नग्न होकर विचरने लगे। जंगल में वाँसों की रगड़ से आग लग गई और उन्होंने उसी में प्रवेश करके अपने को भस्म कर दिया।”^१

इस तरह ऋषभदेव का वर्णन करके भागवतकार आगे लिखते हैं कि—“इन ऋषभदेव के चरित्र को सुनकर कोक, बैक, कुटक देशों का राजा अर्हन् उन्होंने के उपदेश को लेकर कलियुग में जब अधर्म बहुत हो जाएगा तब स्वधर्म को छोड़कर कुपथ पाखंड (जैनधर्म) का प्रवर्तन करेगा। तुच्छ मनुष्य माया में विमोहित होकर, गौच आचार को छोड़कर ईश्वर की अवज्ञा करने वाले व्रत धारण करेंगे। न स्नान, न आचमन। ब्रह्म, ब्राह्मण, यज्ञ सबके निन्दक ऐसे पुरुष होंगे, जो वेद विरुद्ध आचरण करके नरक में गिरेगे।

यह ऋषभावतार रजोगुण से व्याप्त मनुष्यों को मोक्षमार्ग सिखलाने के लिए हुआ ।”^१

श्रीमद्भागवत के उक्त कथन में से यदि उस अंग को निकाल दिया जाए, जो कि धार्मिक विरोध के कारण लिखा गया है तो उससे बराबर यह ध्वनित होता है कि ऋषभदेव ने ही जैन-धर्म का उपदेग दिया था । क्योंकि जैन तीर्थंकर ही केवल-ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर “जिन”, “अर्हत्” आदि नामों से पुकारे जाते हैं और उसी अवस्था में वे धर्मोपदेग करते हैं जो कि उनकी उस अवस्था के नाम पर जैनधर्म या आर्हन्त-धर्म कहलाता है ।

श्रीमद्भागवत में ऋषभदेव के द्वारा उनके पुत्रों को जो उपदेग दिया गया है वह भी बहुत अंगों में जैन धर्म के अनुकूल ही है, उसका सार निम्न प्रकार है —

१ हे पुत्रो ! मनुष्यलोक में गरीरधारियों के बीच में यह गरीर कष्टदायक है, भोगने योग्य नहीं है । अतः दिव्य तप करो, जिससे अनन्त सुख की प्राप्ति होती है ।

२ जो कोई मेरे से प्रीति करता है, विषयी जनो से, स्त्री से, पुत्र से और मित्र से प्रीति नहीं करता, तथा लोक में प्रयोजन मात्र आसक्ति करता है वह समदर्शी, प्रज्ञान्त और साधु है ।

३ जो इन्द्रियों की तृप्ति के लिए परिश्रम करता है, उसे हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि यह गरीर भी आत्मा को क्लेशदायी है ।

४ जब तक साधु आत्मतत्त्व को नहीं जानता, तब तक वह अजानी है । जब तक यह जीव कर्मकाण्ड करता रहता है तब तक सब कर्मों का, शरीर और मन द्वारा आत्मा से बन्ध होता रहता है ।

५ गुणों के अनुसार चेष्टा न होने से विद्वान् प्रमादी हो, अजानी बनकर, मैथुन-सुख-प्रधान घर में बस कर अनेक सतापो को प्राप्त होता है ।

६ पुरुष का स्त्री के प्रति जो कामभाव है, यही हृदय की ग्रन्थि है । इसी से जीव को घर, खेत, पुत्र, कुटुम्ब और धन से मोह होता है ।

७ जब हृदय की ग्रन्थि को बनाए रखने वाले मन का बन्धन गिथिल हो जाता है, तब यह जीव ससार से छूटता है और मुक्त होकर परमलोक को प्राप्त होता है ।

८ जब वह सार-असार का भेद कराने वाली व अज्ञानान्धकार का नाश करने वाली मेरी भक्ति करता है और तृष्णा, सुख-दुःख का त्याग कर तत्त्व को जानने की इच्छा करता है, तथा तप के द्वारा सब प्रकार की चेष्टाओं की निवृत्ति करता है, तब मुक्त होता है ।

९ जीवों की जो विषयों की चाह है, वही अन्धकूप के समान नरक में जीव को पटकती है ।

१० अत्यन्त कामना वाला तथा नष्टदृष्टि वाला यह जगत अपने कल्याण के हेतुओं को नहीं जानता है ।

११ जो कुबुद्धि सुमार्ग छोड़ कुमार्ग में चलता है, उसे दयालु विद्वान् कुमार्ग में कभी भी नहीं चलने देता ।

१२ हे पुत्रो ! सब स्थावर-जगम जीवमात्र को मेरे ही समान समझ कर भावना करना योग्य है ।

ये सभी उपदेग जैनधर्म के अनुसार हैं । इनमें न० ४ का उपदेग, तो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जो कर्मकाण्ड को बन्ध का कारण बतलाता है । जैनधर्म के अनुसार मन, वचन और काय का निरोध किए बिना कर्मबन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता । किन्तु वैदिक धर्मों में यह बात नहीं पाई जाती । शरीर के प्रति निर्ममत्त्व होना, तत्त्वज्ञानपूर्वक तप करना, जीवमात्र को अपने समान समझना, कामवासना के फन्दे में न फँसना, ये सब तो वस्तुतः जैनधर्म ही हैं । अतः श्रीमद्भागवत के अनुसार जैनधर्म का उद्गम श्री ऋषभदेव से हुआ, ऐसा स्पष्ट ध्वनित होता है ।^१

भगवान् ऋषभ द्वारा अपने पुत्रों को उपदेग देने का प्रसंग अग-शास्त्र में भी है । सूत्रकृतांग का द्वितीय अध्ययन (प्रथम श्रुतस्कन्ध) इसी उपदेग से भरा है । भगवान् ऋषभदेव के सौ पुत्र थे, जिनमें भरत सबसे ज्येष्ठ थे । भरत ने राज्य-प्राप्ति के वाद अपने निग्यानवे

भाइयो को सन्ताप दिया । अपने बड़े भाई से दुःखी होकर वे सभी अपने पिता भगवान् ऋषभ के निकट पहुँचे, जो कि अष्टापद पर्वत पर स्थित थे और जिन्हें दिव्यज्ञान उत्पन्न हो गया था । पुत्रों ने कहा कि हे भगवन् ! भरत हम लोगों से अपनी आज्ञा पालन कराना चाहता है, हमें क्या करना चाहिए ? तब भगवान् आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को अग्नि का दृष्टान्त देकर यह उपदेश किया कि जैसे काष्ठ से अग्नि की तृप्ति नहीं होती है उसी प्रकार विषयो का भोग करने से मनुष्य की इच्छानिवृत्ति नहीं होती है । भगवान् के इस उपदेश का वर्णन सूत्रकृताग में है ।^१ इसके पश्चात् श्री ऋषभदेव का उपदेश सुनकर उनके निन्यानवे पुत्रों ने ससार को असार, विषयो को कटुफलवाले एव सार रहित आयु को मतवाले हाथी के कान के समान चंचल तथा युवावस्था को पहाड़ी नदी के समान अस्थिर जानकर भगवान् की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है—यह समझ कर उनके पास प्रव्रज्या ग्रहण की ।^२

भगवान् ऋषभ अपने पूर्वजन्म में चक्रवर्ती राजा थे ।^३ उनके जीवन के सम्बन्ध में कल्पसूत्र में निम्न प्रकार का उल्लेख मिलता है । भगवान् ऋषभ प्रथम जिन, तथा प्रथम तीर्थंकर थे । उनका जन्म अगणित वर्ष पूर्व उस अत्यन्त प्राचीन समय में हुआ था, जब कि लोग विल्कुल अशिक्षित तथा जीवन की कलाओं से पूर्ण अनभिज्ञ थे । वे कोगली कहलाते थे, क्योंकि उनका जन्म कोगल अर्थात् अयोध्या में हुआ था ।

आसाढ कृष्णा चतुर्थी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ । उनके पिता का नाम नाभि और माता का नाम मरुदेवी था । उनका जन्मस्थान इक्ष्वाकु-भूमि (अयोध्या) था । भगवान् ऋषभ के पिता कुलकर थे, क्योंकि वे ही सबसे प्रथम कुल अर्थात् वंश के

१ सूत्रकृताग, भाग १, प्रथम श्रुतस्कन्ध, द्वितीय अध्ययन

२ वही भाग १, प्रथम श्रुतस्कन्ध, द्वितीय अध्ययन की भूमिका.

—(टीकाकार शीलाकाचार्य)

३ समवायाग, सूत्र २३ ।

प्रवर्तक थे। चैत्र कृष्णा अष्टमी को भगवान् का जन्म हुआ। वे काश्यप गोत्र के थे। भगवान् ऋषभ प्रथम राजा, प्रथम श्रमण, प्रथम जिन तथा प्रथम तीर्थकर थे। वे चौरासी लाख-वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे, जिसमें बीस लाख-वर्ष राजकुमार अवस्था में, त्रैसठ लाख-वर्ष राजा के रूप में, एक हजार वर्ष तपस्वी के रूप में, निन्यानवे हजार वर्ष केवली के रूप में रहे। उनका ८३ लाख-वर्ष गृहस्थ-अवस्था का और १ लाख-वर्ष श्रमण अवस्था का काल है।

भगवान् ऋषभ ने अपने ६३ लाख-वर्षों के राज्य-काल में मानव जाति के हित के लिए अनेक प्रकार के ज्ञान-विज्ञान तथा कलाओं का प्रणयन, सम्बर्द्धन एवं शिक्षण किया। उन्होंने मनुष्यों को लेखन, गणित, ज्योतिष आदि ७२ प्रकार के विज्ञान, नृत्य, गायन, वादन आदि ६४ प्रकार की स्त्रियोपयोगी कलाओं, मिट्टी के वर्तन बनाना, लोहा, सोना, चाँदी आदि धातुओं के काम, रँगई, बुनाई तथा नाई के काम आदि १०० प्रकार की मानवीय कलाओं तथा कृषि, वाणिज्य आदि व्यवसायों की शिक्षा दी। अन्त में अपने सौ पुत्रों का राज्याभिषेक कर उन्हें पृथक् पृथक् राज्य अर्पण किया।

भगवान् ऋषभ मनुष्य जाति को ससार में प्रविष्ट होने की शिक्षा देने के लिए ही नहीं आए थे, किन्तु ससार में प्रविष्ट जनों को उससे निकलने का मार्ग बताने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं के ऊपर था। अतः गृहस्थजीवन में जनकल्याण में व्यस्त भगवान् ऋषभ को लौकान्तिक जाति के देवताओं ने सम्बोधित किया और उन्हें वास्तविक आत्मकल्याण तथा जनकल्याण करने का मार्ग बताया।^१ वे गृहस्थ जीवन से ऊब उठे और चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन सुदर्शना नामक निविका पर आरोहण करके सिद्धार्थ वन नामक उपवन में गये, जहाँ अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने चार मुट्टियों से अपने केशों को उखाड़ा। अठ्ठाई दिन का निर्जल उपवास कर

१ तीर्थकरों को जनकल्याण के लिए प्रेरित करने एवं उनका निष्क्रमण तथा तप-कल्याणक मनाने के लिए लौकान्तिक देव, स्वर्गलोक से मनुष्य लोक पर आते हैं।

चार हजार प्रशस्त, उच्च कुलीन मनुष्यों के साथ अनगार अवस्था को प्राप्त किया ।

एक हजार वर्ष के निरन्तर तपश्चरण एवं अध्यात्म चिन्तन के बाद उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ । इसके बाद ६६ हजार वर्षों तक वे प्राणिमात्र को आत्म-कल्याण का मार्ग वताने में व्यस्त रहे । अवसर्पिणी काल के सुपम-सुषमा विभाग के समाप्त होने में जब तीन वर्ष, साढ़े आठ माह रह गये तब भगवान् ऋषभ ने माघ कृष्ण त्रयोदशी के दिन अष्टापद (कैलाश) पर्वत के गिखर पर दस हजार साधुओं के साथ निर्वाण प्राप्त किया ।

भगवान् ऋषभ के ८४ गण तथा ८४ गणधर थे । उनके सघ में ८४ हजार श्रमण, तीन लाख भिक्षुणी, तीन लाख पाँच हजार उपासक, पाँच लाख चरुअन हजार उपासिकाएँ, तथा अनेक चरुदह-वर्धारी, अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी, केवलज्ञानी, ऋद्धिधारी आदि साधु थे । भगवान् ऋषभ को मुक्ति-लाभ किए ४२००२ वर्ष ८॥ माह कम एक कोटाकोटि सागरोपम व्यतीत हो चुका है ।^१

उत्तराध्ययन में केगिमुनि तथा गौतम मुनि के सम्वाद के समय ऋषभ तथा महावीर के समय की तुलना की गई है । उसमें कहा गया है कि प्रथम तीर्थंकर के समय में मनुष्य बुद्धि में जड़ होने पर भी प्रकृति के सरल थे, किन्तु अन्तिम तीर्थंकर के समय के मनुष्य जड़ तथा प्रकृति के कुटिल हैं । ऋषभ प्रभु के अनुयायी पुरुषों को धर्म समझना कठिन होता था, परन्तु समझने के बाद उसे धारण करने में समर्थ होने के कारण वे भवसागर पार उतर जाया करते थे, किन्तु अन्तिम तीर्थंकर के अनुयायियों को धर्म समझना सरल है, परन्तु उनसे धर्म का पालन करवाना कठिन है ।^२

अन्य तीर्थंकर

भगवान् ऋषभ के निर्वाण के बाद उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर आत्मकल्याण तथा जनकल्याण करने का कार्य अन्य २३ तीर्थंकरों ने किया । उनमें से २० तीर्थंकरों के बारे में किसी प्रकार की

१ जैन सूत्राज् भाग १ (कल्पसूत्र), पृ० २८१-२८५

२ उत्तराध्ययनसूत्र, अध्ययन २३, पृ० २५३

विनिष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं है, जो कि उनके जीवन पर प्रकाश डाल सके। कल्पसूत्र में उन सभी के नाम तथा एक तीर्थकर से दूसरे तीर्थकर के निर्वाण-काल का अन्तर दिया गया है। अन्य २३ तीर्थकरो के नाम निम्न प्रकार हैं —

१ अजित, २ सम्भव, ३ अभिणदण (अभिनन्दन), ४ सुमइ (सुमति), ५ पउमप्पह (पद्मप्रभ), ६ सुपास (सुपार्व), ७ चन्दप्पह (चन्द्रप्रभ), ८ सुविधि, ९ सीअल (गीतल), १० सिज्जस (श्रेयास), ११ वासुपुज्ज (वासुपूज्य), १२ विमल, १३ अणत (अनन्त), १४ धम्म (धर्म), १५ सन्ति (शान्ति), १६ कुन्थ (कुन्थु), १७. अर (अरह), १८ मल्ली, १९ मुणिसुव्वय (मुनिसुव्रत), २० नमि, २१ नेमि, २२ पास (पार्व), २३ वद्धमाण (वद्धमान)।^१

“नायाधम्मकहाओ” में उन्नीसवें तीर्थकर मल्ली के जीवन का कुछ विवरण मिलता है। मल्ली के पिता का नाम कुम्भक और माता का नाम प्रभावती था। मल्ली को छोड़ बाकी २३ तीर्थकर पुरुष थे, केवल मल्ली स्त्री थी। वह जन्म से ही अत्यन्त रूपवती थी। उसके नयन अधिक रमणीय, ओष्ठ विम्बफल के समान सुन्दर, दात की पक्ति अत्यन्त श्वेत, कमल की तरह सुन्दर और कोमल अंग तथा पूर्ण विकसित कमल के समान सुगन्धित निश्वास था।

वचन पार कर जब राजकुमारी ने अपनी यौवनावस्था में प्रवेश किया तो उनके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर छह राजा मल्ली को प्राप्त करने की कामना करने लगे। जब वह सौ वर्ष में कुछ कम थी तब उसने अवधिज्ञान से उन छहो राजाओ को जान लिया। राजकुमारी मल्ली ने महल में अपने प्रतिरूप एक सुवर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया, जिसमें ऊपर की ओर एक ढक्कन रखा। वह प्रतिदिन ढक्कन उठाकर भोजन का एक ग्रास उसमें डाल दिया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने छहो राजाओ को अपने घर पर निमन्त्रित किया।

अवसर पाकर राजकुमारी ने राजाओ के समक्ष अपने प्रतिरूप उस सुन्दर सुवर्ण प्रतिमा का, जिसमें व ऊपर का ढक्कन उठाकर

प्रतिदिन अपने सुस्वादु भोजन का एक एक ग्रास डाल दिया करती थी, ढक्कन ऊपर उठाया। ढक्कन उठाना था कि दुर्गन्ध का ज्वार-सा आ गया, मारे दुर्गन्ध के राजाओ की नाक फटने लगी, दम घुटने लगा और उन्होंने उत्तरीय वस्त्रों से अपने अपने मुह आच्छादित कर लिए।

तदनन्तर राजकुमारी जितवन्तु प्रमुख उन सभी राजाओं से इस प्रकार बोली कि “हे देवानुप्रियो, इस रमणीय सुवर्ण प्रतिमा में मनोज्ञ भोजन के एक एक ग्रास को प्रतिदिन डाल देने पर इस प्रकार अगुभ पौद्गलिक एव दुर्गन्ध रूप परिणमन हुआ तो इस औदारिक (स्थूल) शरीर का, जो कि वात, पित्त, कफ, शोणित, पूय, मूत्र, पुरीष आदि से परिपूर्ण एव सड़ने और गलने के स्वभाव वाला है, अंतिम परिणाम क्या होगा ? अतः हे देवानुप्रियो, आप लोग इन मानवीय कामभोगों में अनुरक्त, गृद्ध एवं लुब्ध मत होओ।”

इसके बाद मल्ली ने दीक्षा ग्रहण करने का विचार किया। देवराज शक्र तथा राजा कुम्भक ने मल्लो को सिंहासन पर बिठाया, सोने के एक हजार आठ कलशों से अभिषेक किया। इसके बाद उन्हें शिविका पर बिठाया गया। देवता लोगो ने शिविका को कन्धे पर उठाया और मल्ली ने सहस्राम्रवन में जाकर दीक्षा धारण की। दीक्षाधारण के साथ ही मल्ली को मन पर्ययज्ञान हुआ। दीक्षा के दिन ही अर्धरात्रि के समय शुभ परिणाम एव प्रगस्त लेख्या के द्वारा तदावरण कर्मों का नाश कर अपूर्वकरण गुणस्थान में प्रवेश करके मल्ली ने केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्राप्त किया।

मल्ली ने सहस्राम्रवन में निकल कर बाहर भ्रमण करना प्रारम्भ किया और लोगो को आत्मोन्नति का मार्ग बताया। आर्यिका मल्ली के २८ गण तथा भिक्षुकप्रमुख २८ गणधर थे। उनके सघ में ४८ हजार श्रमण, ५५ हजार आर्यिका, १ लाख ८४ हजार श्रावक, ३ लाख ६५ हजार श्राविकाएँ तथा अनेक पूर्वज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी तथा केवलज्ञानी शिष्य थे। अन्त में अवशिष्ट कर्मों का नाश कर मल्ली ने निर्वाण पाया।^१

प्रथम २२ तीर्थकरो के सम्बन्ध में ऐसी किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे कि उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता स्थापित की जा सके। इन सभी तीर्थकरो में इक्ष्वाकु-वंश में सम्बन्ध रखने वाले तीर्थकर अधिक हैं। इनमें से प्रायः अधिको ने सम्मेय (सम्मेत) पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया है। उनके जीवनकाल की लम्बी अवधि तथा एक तीर्थकर से दूसरे तीर्थकर के बीच के अंतराल पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये पौराणिक पुरुष २४ बुद्धों के सख्या की समानता मिलाने के लिए ही स्थापित किए गए हैं।^१

सभी तीर्थकरो को मुक्ति लाभ किए आज से निम्नांकित समय व्यतीत हो चुका है —

१	नमि, ५ ८४ ६८६ वर्ष			
२	मुनिसुव्रत, ११ ८४ ६८० वर्ष			
३	मल्ली, ६५ ८४ ६८० वर्ष			
४	अरह, १ ०० ०० ००० वर्ष	(मल्ली के मुक्ति लाभ से पूर्व)		
५	कुन्थु, पल्योपम का एक चौथाई	"	"	"
६	गान्ति, " " तीन "	"	"	"
७	धर्म, तीन सागरोपम	"	"	"
८	अनन्त, सात "	"	"	"
९	विमल, सोलह "	"	"	"
१०	वासुपूज्य, चालीस "	"	"	"
११	श्रेयास, सौ "	"	"	"
१२	गीतल, एक करोड़ "	(४२,००३ वर्ष ८१ माह कम, महावीर के मुक्ति लाभ से पूर्व)		
१३	मुविधि, दस करोड़ "	(गीतल के मुक्ति लाभ से पूर्व)		
१४	चन्द्रप्रभ, सौ "	"	"	"
१५	मुपार्श्व, एक हजार "	"	"	"
१६	पद्मप्रभ, दस "	"	"	"
१७	सुमति, एक लाख,, "	"	"	"
१८	अभिनदन, दस लाख,, "	"	"	"

- १६ सम्भव, बीस लाख ,, ,, (शीतल के मुक्ति लाभ से पूर्व)
 २० अजित, पचास ,, ,, ,, ,, ,, ,,

भगवान् अरिष्टनेमि

अन्य पूर्ववर्ती २१ तीर्थकरो की तरह २२ वे तीर्थकर अरिष्टनेमि के जीवन के सम्बन्ध में भी बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। ये वामुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे। इनके नाम का उल्लेख यजुर्वेद में भी मिलता है।^१ कल्पसूत्र में अर्हत् अरिष्टनेमि के जीवन का एक अध्याय है, उसके अनुसार उनके पिता का नाम समुद्रविजय तथा माता का नाम गिवा था। उनका जन्मस्थान सीरीपुर (शौर्यपुर) था। कार्तिक कृष्णा द्वादशी को अपराजित विमान से अवतरित होकर वे माता के गर्भ में आए और श्रावण शुक्ला पचमी के दिन उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया। उनकी माता ने गर्भकाल में स्वप्न में चक्र की नेमि देखी थी अतः उनका नाम नेमि या अरिष्टनेमि रखा गया।

श्रावण शुक्ला षष्ठी को उत्तर-कुरु नामक गिविका पर आरोहण करके भगवान् द्वारावति (द्वारिकापुरी) होते हुए सीधे रैवतक नामक उपवन में पहुँचे जहाँ पर उन्होंने पचमुष्टि केगलोच किया। तदनंतर ढाई दिन का निर्जल उपवास कर हजारों मनुष्यों के साथ अवगिष्ट केगो का लुञ्चन करके उन्होंने अनगार अवस्था को धारण किया।^३

अर्हत् अरिष्टनेमि लगातार ५४ दिनों तक शरीर की कुछ भी परवाह किए बिना तपश्चरण में मग्न रहे। ५५वे दिन आश्विन कृष्णा अमावस्या को गिरनार पर्वत की चोटी पर वेतस वृक्ष के नीचे उन्हें सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण, निरावरण, अव्याहत केवलज्ञान उत्पन्न हुआ।

१ जैन सूत्राज् भाग १ (कल्पसूत्र, एपाक्स आफ् दी इण्टरमीडियट तीर्थकराज्) पृ० २८०

२ जैन दर्शन, पृ० ६ तथा इंडियन फिलासफी, पुस्तक १, पृ० २८७

३ तुलना, महाभारत—युगे युगे महापुण्य दृश्यते द्वारिकापुरी,
 अवतीर्णो हरिर्यत्र प्रभासशशिभूषण ।
 रेवताद्री जिनो नेमिर्युगादिविमलाचले,
 ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥

अर्हत् अरिष्टनेमि के १८ गण और १८ गणधर थे। उनके सघ मे १८ हजार श्रमण, ४० हजार आर्यिका, १ लाख ६६ हजार उपासक, ३ लाख ३६ हजार उपासिकाएँ तथा अनेक १४ पूर्वजान के धारी, अवधिजानी, मन.पर्ययजानी, केवलजानी, ऋद्धिधारी एवं चरमशरीरी साधु, उपाध्याय तथा आचार्य्य थे। भगवान् अरिष्टनेमि का जीवन-काल एक हजार वर्ष का था, जिसमे वे तीन-सौ वर्ष राजकुमार अवस्था मे, ५४ दिन तपस्या में मग्न, और कुछ कम ७०० वर्ष केवली अवस्था मे रहे।

अवसर्पिणी काल के दुष्पम-मुपमा काल का अधिक भाग व्यतीत हो चुकने पर आपाढ शुक्ला अष्टमी के दिन एक माह का निर्जल उपवास करके गिरनार की चोटी पर ५५६ साधुओं के साथ भगवान् अरिष्टनेमि का निर्वाण हुआ। तब से ८४ हजार ६७६ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।^१

उत्तराध्ययन में “रथनेमीय” नाम का एक प्रकरण है जिसमें भगवान् अरिष्टनेमि के जीवन की उस महान् घटना पर प्रकाश डाला गया है जिसने, उनके जीवन मे एक क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित किया और जिसके कारण वे सासारिक मोह-माया को त्याग कर मुक्तिपथ के पथिक बने।

रथनेमि अरिष्टनेमि के सहोदर लघु भ्राता थे। यह प्रकरण उन्ही के नाम से है क्योंकि इसमे मुख्य रूप से उनके जीवन की उस घटना का चित्र उपस्थित किया गया है, जिसमे वे साधुजीवन स्वीकार कर लेने के वाद भिक्षुणी राजीमती (जिनके साथ भगवान् अरिष्टनेमि का विवाह-सम्बन्ध निश्चित हुआ था) को देखकर साधुत्व से च्युत होने लगते हैं किन्तु भिक्षुणी द्वारा उपदेग दिए जाने पर पुन साधुत्व में स्थिर हो जाते हैं।

यद्यपि अरिष्टनेमि वाल्यकाल से ही सुसंस्कारी थे। गृहस्थ-आश्रम में प्रवेग करने की उनकी लेशमात्र भी इच्छा नहीं थी। वे तो वैराग्य मे डूबे हुए थे, किन्तु अपने चचेरे भाई महाराज कृष्ण के

अति आग्रहवग, उनका विवाह सम्बन्ध जूनागढ के महाराज उग्रसेन की सुगीला, सुनयना सुपुत्री राजीमती के साथ निश्चित हुआ।

भरपूर ठाटवाट के साथ समस्त यादवकुल सहित कुमार अपने विवाह के लिए चल पड़े। उनके श्वसुर ने मासाहारी अतिथियों के सत्कार के लिए कुछ पशुओं को अपने घर के निकट एक बाड़े में बंद कर रखा था। जब वारात उस बाड़े के निकट पहुँचो तो कुमार ने भय से पीड़ित एवं चीखते-चिल्लाते हुए उन पशुओं को देखकर सारथि से पूछा कि ये इतने पशु इस तरह क्यों रोके गए हैं। अरिष्ट-नेमि को यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि मेरे विवाह में अतिथियों के सत्कारार्थ इन पशुओं का बध किया जाने वाला है। वे बोले कि यदि मेरे विवाह के निमित्त इतने पशुओं का जीवन संकट में है तो धिक्कार है ऐसे विवाह को, अब मैं विवाह नहीं कहूँगा। वे तत्क्षण रथ से नीचे उतर पड़े और मुकुट तथा कगन को फेंक कर वन की ओर चल दिए। वारात में इस समाचार के फैलते ही कुहराम मच गया। जूनागढ के अन्तपुर में जब राजीमती को यह समाचार मिला तो वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। बहुत से लोग नेमिनाथ को लौटाने के लिए दौड़े, किन्तु व्यर्थ। वे पास ही में स्थित गिरनार पर्वत पर चढ़ गए और सहस्राम्रवन में दिगम्बर हो आत्मध्यान में लीन हो गए।

होग आने पर राजीमती ने सोचा कि राजकुमार ने मुझे त्याग दिया, राजपाट तथा ऐश्वर्य सुख छोड़ कर उन्होंने दीक्षा धारण की और वे योगी बन गए किन्तु मैं अभी तक घर में ही हूँ। मेरे जीवन को धिक्कार है, मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिए, इसी में मेरा कल्याण है। यह सोचकर विदुषी राजीमती ने बहुत-सी सहेलियों तथा सेविकाओं के साथ दीक्षा धारण की और उसी गिरनार पर्वत पर तप करने लगी।^१

भगवान् पार्श्वनाथ

आधुनिक जैन-परम्परा के निर्माता महावीर हैं, इसमें किसी भी विद्वान् को सदेह नहीं है। किन्तु महावीर की आचार-विचार परम्परा

उनकी अपनी ही थी अथवा किसी पूर्ववर्ती साधु की, इस विषय में पाञ्चात्य ऐतिहासिक सदिग्ध अवश्य थे। डा० याकोवी जैसे विद्वानों ने उनका सदेह निवारण किया और अकाट्य प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि भगवान् पार्श्वनाथ निःसदेह एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं। इस विषय में डा० याकोवी ने जो प्रमाण दिए उनमें जैन आगमों के अतिरिक्त बौद्ध-पिटक का भी समावेश होता है। बौद्ध-पिटकगत उल्लेखों से जैनागमगत वर्णनों का मेल बिठाया गया, तब ऐतिहासिकों की प्रतीति दृढतर हुई कि महावीर के पूर्व पार्श्वनाथ अवश्य हुए हैं।^१

भगवान् पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाने के बाद इस बात में भी कोई सदेह नहीं रहा कि भगवान् महावीर को जैन-आचार-विचार की परम्परा पार्श्वनाथ से मिली थी। भगवान् महावीर के पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, अतः उन्हें जैनागमों में “पार्श्वपत्निक” कहा गया है।^२ प्राप्त आगमग्रन्थों में अनेक जगत् पार्श्वनाथ और उनकी परम्परा के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है। आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानांग, भगवती, उत्तराध्ययन और कल्पसूत्र इस विषय में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

भगवान् पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी (वनारस) में हुआ था। राजा अश्वसेन उनके पिता थे। उनकी माता का नाम वामादेवी था। पौष कृष्ण दशमी को उन्होंने गर्भ में प्रवेग किया और ६ माह ७॥ दिन के बाद पृथ्वी पर जन्म लिया। उनकी माता ने स्वप्न-काल में पास में रेंगते हुए काले सर्प को देखा था, अतः उनका नाम पार्श्वनाथ रखा गया। ३० वर्ष तक वे घर में रहे, और इसके बाद पौष कृष्ण एकादशी के दिन विगाला नाम की गिरिका पर आरोहण करके वनारस से सीधे आश्रमपद नाम के उपवन में आए तथा अगोक वृक्ष के नीचे उन्होंने पचमुष्टि केगलुच किया।

साढ़े तीन दिन का निर्जल उपवास कर ३०० अन्य मनुष्यों के साथ अवगिष्ट केगो को उखाड़ कर भगवान् पार्श्व ने अनंगार

१ जैनसूत्राज्, भाग २, प्रस्तावना, पृ० २१

२. आचाराग २, भावचूलिका ३, सूत्र स० ४०१, पृ० ३८६.

अवस्था को प्राप्त किया। वे ८३ दिन तक निरंतर तपश्चरण में मग्न रहे। ८४वे दिन चैत्र कृष्णा चतुर्थी को धातकी वृक्ष के नीचे उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया। भगवान् पार्श्वनाथ के ८ गण तथा ८ गणधर थे। उनके सघ में १६ हजार श्रमण, १८ हजार आर्यिका, १ लाख ८४ हजार उपासक, ३ लाख २७ हजार उपासिकाएँ तथा अनेक पूर्वधारी केवलज्ञानी आदि थे।

भगवान् पार्श्वनाथ का जीवन-काल कुल १०० वर्षों का है जिसमें वे ३० वर्ष तक गृहस्थ रहे। उन्होंने ८३ दिन तक तपश्चरण कर केवलज्ञान प्राप्त किया तथा कुछ कम ७० वर्ष तक केवली अवस्था में निरंतर भ्रमण करते हुए वे मनुष्यों को उपदेश देते रहे।

अवसर्पिणी काल के द्रुपम-सुपमा के अधिक भाग समाप्त हो चुकने के बाद श्रावण गुक्ला अष्टमी के दिन सम्मत् शिखर (पार्श्वनाथ हिल) पर ८३ साधुओं के साथ भगवान् पार्श्वनाथ ने निर्वाण पाया। उनके निर्वाण को १२२६ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।^१

भगवान् पार्श्वनाथ का समय महावीर से २५० वर्ष पूर्व माना जाता है।^२ पार्श्वनाथ ने अपने जीवन-काल में अनेक स्थानों की यात्रा की जिनमें अहिच्छत्त, आमलकप्प, सावत्थी, हत्थिनापुर, कम्पिल्लपुर, सागेय, रायगिह तथा कोसम्बी प्रधान हैं। वे “पुरिसादानीय” अर्थात् मनुष्यों के सम्माननीय रूप में प्रसिद्ध थे।^३

पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म

भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा से चला आने वाला धर्म चातुर्याम धर्म कहलाता था जिसका वर्णन स्थानागसूत्र में मिलता है। १ सर्वप्राणातिपात विरमण, २. सर्वमृपावाद विरमण, ३ सर्वअदत्तादान विरमण और ४ सर्ववहिद्धादाण विरमण अर्थात् सपूर्ण प्रकार की हिंसा, झूठ, चोरी तथा परिग्रह से निवृत्ति।^४ टीकाकार अभयदेव ने वहिद्धादाण का अर्थ, परिग्रह किया है। इस परिग्रह में अब्रह्म का त्याग भी इष्ट था।

१ जैनसूत्राज्, भाग १ (कल्पसूत्र, लाइफ् आफ् पार्श्व, पृ० २७१)

२ वही भाग २ उत्तराध्ययन, नोट न० ३ पृ०, १८९

३ ला० इन० ए० इ०, पृ० १६

४ स्थानागसूत्र २६६, पृ० १८९

पार्व्वपत्तिक परम्परा बुद्ध के समय विद्यमान थी। बुद्ध तथा उनके अनुयायी इस परम्परा से पूर्ण अभिन्न थे। बौद्धपिटको में निर्ग्रन्थ साधु के लिए आया हुआ “चातुर्यामिसवरसवुत्तो” विशेषण हमें पार्श्वनाथ की इसी परम्परा की ओर संकेत करता है।^१

महात्मा बुद्ध ने गृह-त्याग के बाद कुछ दिन तक निर्ग्रन्थ आचार का पालन किया। उसके साथ तत्कालीन निर्ग्रन्थ आचार का जब हम मिलान करते हैं तथा बौद्धपिटको में पाये जाने वाले आचार और तत्त्वज्ञान सम्बन्धी कुछ पारिभाषिक शब्दों,^२ जो केवल निर्ग्रन्थ प्रवचन में ही पाये जाते हैं, पर विचार करते हैं तो ऐसा मानने में कोई संदेह नहीं रहता कि बुद्ध ने भले ही थोड़े समय के लिए हो, पार्श्वनाथ की परम्परा को स्वीकार किया था।^३ बौद्ध विद्वान् अध्यापक धर्मानन्द कोशाम्बी भी इस मान्यता से सहमत हैं।^४

१ दीघनिकाय, मामञ्जफलसुत्त।

२. पुगल, आसव, संवर, उपोसथ, सावक, उवासग इत्यादि। पुगल शब्द बौद्ध पिटक में जीव व्यक्ति का बोधक है (मज्झिमनिकाय, १०४)। जैन-परम्परा में वह शब्द सामान्य रूप से जड परमाणुओं के अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो भी भगवती तथा दशवैकालिक के प्राचीन स्तरो में उसका बौद्ध-पिटक स्वीकृत अर्थ भी सुरक्षित रहा है।

आसव और संवर, ये दोनों शब्द परस्पर विरुद्धार्थक हैं। आमव-चित्त या आत्मा के क्लेश का बोधक है, जबकि सवर उसके निवारण एवं निवारण उपाय का। ये दोनों शब्द जैन आगम और बौद्धपिटक में समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं (स्थानागसूत्र १ ला स्थान, समवायागसूत्र ५ वा समवाय, मज्झिम निकाय, ७)।

‘उपोसथ’ शब्द गृहस्थों के उपव्रत विशेष का बोधक है जो पिटको में आता है (दीघनिकाय २६)। उसी का एक रूप पोसह या पोपध भी है जो आगमों में प्रयुक्त होता देखा जाता है (उवासकदसाओ)।

सावक तथा उवासग—ये दोनों शब्द किसी न किसी रूप में पिटक (दीघनिकाय ४) तथा आगमों में पहले से प्रचलित रहे हैं।

३ जैन दर्शन, पृ० ७

४ पार्श्वनाथाचा चातुर्यामिधर्म, पृ०, २४-२६

पार्श्वनाथ के चातुर्याम तथा महावीर के पचमहाव्रत का अन्तर उत्तराध्ययन के २३ वे अध्ययन में वर्णित है। वहाँ पाष्वापत्यिक निर्ग्रन्थकेगी और महावीर के प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति (गौतम), दोनों के श्रावस्ती में मिलने की और आचार-विचार के कुछ प्रश्नों पर सवाद होने की बात कही गई है। केगी पाष्वापत्यिक प्रभावशाली निर्ग्रन्थ रूप से निर्दिष्ट है। इन्द्रभूति तो महावीर के साक्षात् शिष्य ही है। उनके बीच की वार्ता के विषय कई हैं, पर यहाँ प्रस्तुत दो ही हैं। केगी गौतम से पूछते हैं कि हे मुने ! पार्श्व ने चारयाम-रूप धर्म का उपदेष्टा दिया, जबकि वर्द्धमान महावीर पचमहाव्रत रूप धर्म वतलाते हैं, सो क्यों ? इसी तरह पार्श्वनाथ ने सचेल (सवस्त्र) धर्म वतलाया, जब कि महावीर ने अचेल (वस्त्र रहित) धर्म, सो क्यों ? इसके जवाब में इन्द्रभूति ने कहा कि तत्त्वदृष्टि से चारयाम और पचमहाव्रत में कोई अन्तर नहीं है, केवल वर्तमान युग की कम और विपरीत समझ देखकर ही महावीर ने विवेक गुद्धि की दृष्टि से चार के स्थान पर पाँच महाव्रत का उपदेष्टा दिया है। मोक्ष का वास्तविक कारण तो आन्तर ज्ञान, दर्शन और गुद्ध चारित्र्य ही है। इन्द्रभूति के उत्तर की यथार्थता देखकर केगी पचमहाव्रत धर्म स्वीकार करते हैं और इस प्रकार महावीर के सध के एक अंग बनते हैं।^१

उत्तराध्ययन के उक्त प्रकरण में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पार्श्व के चातुर्याम धर्म और महावीर के पचमहाव्रत धर्म में कोई अन्तर नहीं है। पाष्वापत्यिक परम्परा के चार यामों में से “वहिद्धादाण” का अर्थ जानना यहाँ आवश्यक है। नवागी-टीकाकार अभयदेव ने “वहिद्धादाण” शब्द का अर्थ “परिग्रह” सूचित किया है। “परिग्रह से विरति” यह पाष्वापत्यिको का चौथा याम था जिसमें अब्रह्म का वर्जन अवश्य अभिप्रेत था।^२

इस प्रकार पार्श्व के चातुर्याम धर्म में “वहिद्धादाण” का अर्थ परिग्रह तथा अब्रह्म दोनों हैं किन्तु जब मनुष्य सुलभ दुर्बलता के

१ उत्तराध्ययन अ० २३ श्लोक २३, ३२ पृ० २५२

२ इह च मैथुन परिग्रहेऽन्तर्भवति, न हि अपरिगृहीता योऽपि भुज्यते,

—स्थानाग, २६६ सूत्रवृत्ति.

कारण अब्रह्म-विरमण मे गिथिलता आई और परिग्रह-विरति के अर्थ मे स्पष्टता करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तब महावीर ने अब्रह्म-विरमण को परिग्रह विरमण से अलग स्वतंत्र यमरूप में स्वीकार करके पाँच महाव्रतों की भीष्म-प्रतिज्ञा निर्ग्रन्थों के लिए रखी और स्वयं उस प्रतिज्ञा-पालन के अग्रणी हुए। इतना ही नहीं, बल्कि क्षण-क्षण के जीवन-क्रम में बदलने वाली मनोवृत्तियों के कारण होने वाले मानसिक, वाचिक, कायिक दोष भी महावीर को निर्ग्रन्थ जीवन के लिए अत्यन्त अखरने लगे, इसलिए उन्होंने निर्ग्रन्थजीवन मे सतत जागृति रखने के लिए प्रतिक्रमण धर्म को भी स्थान दिया, जिससे कि प्रत्येक निर्ग्रन्थ साय-प्रातः अपने जीवन की वृत्तियों का निरीक्षण करे और लगे दोषों की आलोचनापूर्वक भविष्य मे दोषों से बचने के लिए शुद्ध सकल्प को दृढ़ करे। उनके इस कठोर प्रयत्न के कारण ही चार याम का नाम स्मृतिगेष रह गया तथा पाँच महाव्रत समय धर्म के जीवित अंग बने।^१

जब चार याम मे से महावीर के पाँच महाव्रत और बुद्ध के पाँच गोल के विकास पर विचार करते हैं, तब कहना पड़ता है कि पार्श्वनाथ के चार याम की परम्परा का ज्ञातपुत्र ने अपनी दृष्टि के अनुसार और गाक्यपुत्र ने अपनी दृष्टि के अनुसार विकास किया।^२ अध्यापक धर्मानन्द कोणाम्बी के “पार्श्वनाथाचा चातुर्यामधर्म” नामक पुस्तक लिखने का तात्पर्य भी यही बतलाना है कि गाक्य पुत्र ने पार्श्वनाथ के चातुर्यामधर्म की परम्परा का विकास किस तरह किया।

आचाराग मे कहा गया है कि महावीर ने गृह त्याग करते समय एक वस्त्र धारण किया था। क्रमशः उन्होंने उसका हमेशा के लिए त्याग कर दिया और पूर्णतया अचेलत्व स्वीकार किया।^३ इससे यह ज्ञात होता है कि महावीर ने सचेलत्व में से अचेलत्व को ओर कदम बढ़ाया।

पार्श्वपत्तिक-परम्परा मे निर्ग्रन्थों के लिए मर्यादित वस्त्र धारण वर्जित न था, जब कि महावीर ने वस्त्रधारण के बारे मे अनेकान्त

१ चार तीर्थकर, पृ० १५१, १५२

२ वही, पृ० १५५

३ आचाराग १ ९ १

दृष्टि से काम लिया। उन्होंने सचेलत्व और अचेलत्व—दोनों को निर्ग्रन्थ-संघ के लिए यथाशक्ति और यथारुचि स्थान दिया। इसी कारण उनके निर्ग्रन्थ संघ में सचेल और अचेल दोनों निर्ग्रन्थ अपनी-अपनी रुचि एवं शक्ति का विचार करके ईमानदारी के साथ परम्पर उदार भाव से रहे। महावीर का कहना था कि मुक्ति के लिए तो मुख्य और पारमार्थिक लिंग—साधन, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप आध्यात्मिक संपत्ति है, अचेलत्व या सचेलत्व यह तो लौकिक बाह्य लिंगमात्र है, पारमार्थिक नहीं।^१

पार्श्वसंघ

जैन आगम-ग्रन्थों में अनेक जगह पार्श्व तथा उनके अनुयायियों का (पासार्वच्चज्ज-पार्श्वपत्तिक) वर्णन मिलता है। हम कह चुके हैं कि भगवान् महावीर के माता-पिता पार्श्व के अनुयायी थे।

कालासवेसी नामक पार्श्वपत्तिक का वर्णन भगवती सूत्र में है जो कि किन्ही स्थविरो में मिला और जिसने सामायिक, सयम, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग आदि पर अनेक प्रश्न किये। स्थविरो द्वारा संतोषपूर्ण उत्तर पाने के बाद कालासवेसी ने महावीर के पंचमहाव्रत और प्रतिक्रमण धर्म को स्वीकार किया।^२

भगवती सूत्र में एक अन्य जगह गागेय नामक पार्श्वपत्तिक का वर्णन है। वाणिज्य ग्राम में जाकर उसने भगवान् महावीर से जीवो की उत्पत्ति, च्युति के सवध में प्रश्न किया। भगवान् महावीर से संतोषपूर्ण उत्तर पाकर गागेय को उनकी सर्वज्ञता की प्रतीति हुई और अंत में वह सप्रतिक्रमण पंचमहाव्रत स्वीकार कर महावीर के संघ का अंग बन गया।^३

सूत्रकृतांग में एक पार्श्वपत्तिक उदक पेढाल का वर्णन है, जो कि गौतम के पास आया और कुछ प्रश्नों का सयुक्तिक उत्तर पाकर महावीर के संघ में सम्मिलित हो गया।^४

१. चार तीर्थंकर, पृ १५०

२. भगवती सूत्र, पृ. ९ ७६

३. वही, ६ ३२ ३७८, ३७९.

४. सूत्रकृतांग, नालदीय अध्ययन, २. ७ ७१, ७२, ८१.

पार्श्वपत्निक निर्ग्रन्थ केगी तथा महावीर के शिष्य गौतम के परस्पर मिलन-वार्ता और अतः मे केगी के महावीर सघ मे सम्मिलित होने की बात हम पहिले ही कह चुके हैं।

भगवती सूत्र मे कुछ ऐसे थेरो (स्थविरो) का वर्णन मिलता है जो कि राजगृह मे महावीर से मर्यादापूर्वक मिले, कुछ आध्यात्मिक प्रश्न किये, गान्तिपूर्वक उनका उत्तर सुना, और महावीर की सर्वज्ञता की प्रतीति कर उनके शिष्य बन गये।^१

आवश्यक चूर्णि मे ऐसे अनेक पार्श्वपत्निको का वर्णन मिलता है जो कि महावीर के भ्रमण काल मे उपस्थित थे। उप्पल, ऐसा ही एक पार्श्व का अनुयायी था, जिसने कि साधु-जीवन की कठिन तपस्या से घबडाकर गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लिया था और फिर “अट्ठियागाम” मे भविष्यवक्ता (नेमित्त) का व्यवसाय कर अपना जीवन व्यतीत करने लगा था।^२

सीमा और जयन्ती नाम की उसकी दो बहिनो ने भी पार्श्व का धर्म स्वीकार किया था, किन्तु उसकी कठोरता से घबडाकर श्रमण-धर्म छोडकर वैदिक धर्म को अपना लिया था।^३

तुगियाग्राम पार्श्वपत्निक थेरो का केन्द्र माना गया है। वहाँ पर पार्श्व के अनुयायी साधु ५०० का सघ बनाकर भ्रमण किया करते थे। उस ग्राम के निवासी पार्श्वपत्निक श्रावक उनके पास धर्म-श्रवण के लिए जाया करते थे और उनसे खूब तत्त्व-चर्चा किया करते थे। एक बार राजगृह मे भगवान् महावीर ने गौतम द्वारा पार्श्वपत्निक थेरो और श्रावको की धर्म-चर्चा की बात सुनी थी।^४

नायाधम्मकहाओ मे वर्णन है कि श्रमणोपासिका काली को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने आर्यिका पुष्पचूला के निकट भगवान् पार्श्व के धर्म को स्वीकार किया।^५

१ भगवती सूत्र, ५ ९ २२६

२ आवश्यक चूर्णि, पृ० २७३

३ वही, पृ० २८६

४ भगवती सूत्र, २ ५

५ नायाधम्मकहाओ, २ १ पृ० २२०

वौद्ध ग्रन्थो मे निर्ग्रन्थ का 'एक शाटक' विशेषण पार्श्वपत्तिक निर्ग्रन्थो की ओर ही संकेत करता है ।^१

जैन-आगम तथा वौद्ध-साहित्य के उपर्युक्त उद्धरणों मे इस बात की सूचना मिलती है कि महावीर से पूर्व पार्श्वनाथ ने जिस निर्ग्रन्थ धर्म और सघ का निर्माण किया था उसने महावीर के धर्म और सघ-निर्माण के लिए नींव का काम किया ।

पार्श्वकालीन श्रुत

जैन आगमो मे जहाँ कही भी अनगार धर्म स्वीकार करने की कथा है वहाँ या तो यह कहा गया है कि वह सामायिक आदि ११ अग पढता है या चतुर्दश पूर्व पढता है ।^२

शास्त्रो मे यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आचाराग आदि ११ अगो की रचना महावीर के अनुगामी गणधरो ने की ।^३ भगवती-सूत्र मे अनेक जगह महावीर के मुख से कहलाया गया है कि अमुक वस्तु पुरुषादानीय पार्श्वनाथ ने वही कही है जिसको मैं भी कहता हूँ । और जब हम यह भी देखते है कि महावीर का तत्त्वज्ञान वही है जो पार्श्वपत्तिक परम्परा से चला आता है तब हमे 'पूर्व' शब्द का अर्थ समझने मे कोई दिक्कत नही आती । 'पूर्व' श्रुत का अर्थ स्पष्टतया यही है कि जो श्रुत महावीर के पूर्व से पार्श्वपत्तिक परम्परा द्वारा चला आता था और जो किसी न किसी रूप मे महावीर को भी प्राप्त हुआ । डा० याकोवी का भी ऐसा ही मत है ।^४

जैन श्रुत के मुख्य विषय नवतत्त्व, पचअस्तिकाय, आत्मा और

१ अगुत्तरनिकाय, छक्कनिपात, २ १

२ ११ अग पढने का उल्लेख, भगवती ११ ९. ४, १८ १६ ५, पृ० ७६. जाता धर्मकथा, अ० १२, १४ पूर्व पढने का उल्लेख भगवती सूत्र ११. ११ ४३२, १७ २ ६१७, जाता-धर्मकथा अ० ५ । जाता-धर्मकथा अ० ६ मे पडिबो के १४ पूर्व पढने का एव द्रौपदी के ११ अग पढने का उल्लेख है । इसी प्रकार जाता० २. १ मे काली साध्वी बनकर ११ अग पढती है, ऐसा वर्णन है ।

३ नदी सूत्र (विजयदानसूरि सङ्गोद्धित), वृष्णि पृ० १११

४ जैन सूत्राज् १, प्रस्तावना पृ० ४४

कर्म का सबध, उसके कारण, उनकी निवृत्ति के उपाय, कर्म का स्वरूप आदि है। इन्हीं विषयो का महावीर और उनके गिष्यो ने सक्षेप से विस्तार और विस्तार से सक्षेप कर भले ही कहा हो, पर वे सब विषय पाञ्चपत्तिक परम्परा के पूर्ववर्ती श्रुत में किसी न किसी रूप से निरूपित थे। इस विषय में कोई सदेह नहीं। एक भी स्थान पर महावीर अथवा उनके गिष्यो में से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि महावीर का श्रुत अपूर्व अर्थात् सर्वथा नवीन है। चौदह पूर्व के विषयो की एव उनके भेद-प्रभेदों की जो टूटी-फूटी यादी नंदीसूत्र^१ तथा धवला^२ में मिलती है उसका आचाराग आदि ११ अंगों में तथा अन्य उपांगादि गास्त्रो में प्रतिपादित विषयो के साथ मिलान करने पर इसमें सदेह नहीं रहता कि जैन परम्परा के आचार-विचार विषयक मुख्य प्रश्नों की चर्चा पाञ्चपत्तिक परम्परा के पूर्वश्रुत और महावीर की परम्परा के अंगोपाग श्रुत में समान ही है।

कल्पसूत्र में वर्णन है कि महावीर के सघ में ३०० श्रमण १४ पूर्व के धारी थे।^३ इससे मैं अभी तक निम्नलिखित निष्कर्ष पर आया हूँ कि —

१ पाञ्चकालीन परम्परा का पूर्व-श्रुत महावीर को किसी न किसी रूप में अवग्य प्राप्त हुआ, तथा उसी में प्रतिपादित विषयों पर आचाराग आदि ग्रंथों की पृथक्-पृथक् हाथों से रचना हुई।

२ महावीरगासित सघ में पूर्व श्रुत और आचाराग आदि श्रुत दोनों की बड़ी प्रतिष्ठा रही, फिर भी पूर्व-श्रुत की महिमा अधिक ही की जाती रही है। इसी से हम दिगम्बर तथा ज्वेताम्बर, दोनों परम्पराओं के साहित्य में आचार्यों का ऐसा प्रयत्न पाते हैं कि वे अपने अपने कर्मविषयक तथा ज्ञान आदि विषयक इतर पुरातन-ग्रंथों का सबध उस विषय के पूर्व नामक ग्रंथ से जोड़ते हैं। दोनों परम्परा के वर्णन से इतना निश्चित मालूम पड़ता है कि सारी निर्ग्रन्थ-परम्परा अपने वर्तमान श्रुत का मूल 'पूर्व' में मानती आई है।^४

१ नदीसूत्र, पृ० १०६

२ पट्खडागम (धवला टीका) पुस्तक १, पृ० ११४

३ जैनसूत्राणु भाग १ (कल्पसूत्र ५), पृ० २६८

४. चार तीर्थकर, पृ० १५५

३. पूर्व श्रुत में जिस-जिस देव काल का एव जिन-जिन व्यक्तियों के जीवन का प्रतिविम्ब था उसमें आचाराग आदि अंगों में भिन्न देव-काल एव भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के जीवन का प्रतिविम्ब पड़ा, यह स्वाभाविक है, फिर भी आचार एव तत्त्वज्ञान के मुख्य प्रश्नों के स्वरूप में दोनों में कोई विरोध अंतर नहीं पड़ा।^४

भगवान् महावीर

जन्मकालीन परिस्थिति :

आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व महावीर के जन्म से पहिले, भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक स्थिति ऐसी थी, जो कि एक विनिष्ट आदर्श की अपेक्षा रखती थी। देव में ऐसे अनेक मठ थे जहाँ रहकर साधु लोग विभिन्न प्रकार की तामसिक तपस्याएँ किया करते थे। अनेक ऐसे आश्रम थे जहाँ मायावी मनुष्य के समान ममत्व रखने वाले बड़े-बड़े धर्मगुरु रहते थे। कितनी ही सस्थाएँ ऐसी थीं जहाँ विद्या की अपेक्षा कर्मकाण्ड की, विरोधकर यज्ञ की प्रधानता थी और उन यज्ञों में पशुओं का बलिदान धर्म माना जाता था।^१ समाज में एक ऐसा बड़ा दल था, जो पूर्वज के परिश्रमपूर्वक उपार्जित गुरु-पद को अपने जन्म-सिद्ध अधिकार के रूप में स्थापित करता था। उस वर्ग में उच्चता की और विद्या की ऐसी कृत्रिम अस्मिता रूढ़ हो गई थी कि जिसके कारण वह अन्य कितने ही लोगों को अपवित्र मानकर अपने से नीच और घृणा योग्य समझता, उनकी छाया के स्पर्श तक को पाप मानता,^२ तथा ग्रन्थों के अर्थहीन पठनमात्र में पाण्डित्य मानकर दूसरों पर अपनी गुरुसत्ता चलाता। शास्त्र और उसकी व्याख्याएँ विद्वद्गम्य भाषा में होती थी, इससे जनसाधारण उस समय उन शास्त्रों से यथेष्ट लाभ उठा न पाता था। स्त्रियो, शूद्रों और विरोधकर अति शूद्रों को किसी भी बात से आगे बढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलता था। उनकी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं के जागृत होने का अथवा जागृत होने के बाद उनके पुष्ट रखने का

१ जतपथ ब्राह्मण, का० ३, अ० ७, ८, ९

२ वही, का० ३, अ० १, ब्रा०

कोई विशेष अवलम्बन न था।^१ पहिले से प्रचलित जैन गुरुओं की परम्परा में भी बड़ी गिथिलता आ गई थी। राजनैतिक स्थिति में किसी प्रकार की एकता न थी। गणसत्तात्मक तथा राजसत्तात्मक राज्य इधर-उधर बिखरे हुए थे। यह सब कलह में जितना अनुराग रखते थे, उतना मेल-मिलाप में नहीं। प्रत्येक एक दूसरे को कुचल कर अपने राज्य-विस्तार का प्रयत्न करता था।

ऐसी परिस्थिति को देखकर उस काल के कितने ही विचारशील और दयालु व्यक्तियों का व्याकुल होना स्वाभाविक था। उस दशा को सुधारने की इच्छा, कितने ही लोगों की होती थी। वह सुधारने का प्रयत्न भी करते थे और ऐसे प्रयत्न कर सकने वाले नेता की अपेक्षा रखते थे। ऐसे समय में महावीर का जन्म हुआ।^२

जन्म

भगवान् पार्श्व के निर्वाण के बाद जैन परम्परा के सबसे प्रबल प्रचारक भगवान् महावीर हुए। वे इस अवसर्पिणी काल के २४ तीर्थ-करो में से सबसे अंतिम तीर्थकर थे।^३ आज से कुछ ही दशक पूर्व आधुनिक विद्वान् इस महापुरुष को एक काल्पनिक दैवी विभूति मानते थे। किन्तु जैन-आगम-ग्रन्थों के प्रकाश एवं प्रचार में आ जाने के बाद प्रायः सभी पूर्वीय तथा पाश्चात्य विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि भगवान् महावीर एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं।^४

महावीर स्वर्ग से अवतरित होकर सबसे प्रथम ऋषभदेव की पत्नी ब्राह्मणी देवानद के गर्भ में आए। सौधर्म स्वर्ग के इन्द्र शक्र ने ऐसा सोचकर कि तीर्थकर कभी भी ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, उन्हें ब्राह्मणी के गर्भ से निकाल कर क्षत्रियाणी त्रिगला के गर्भ में रख दिया।^५

१ आपस्तम्ब, ३ ९ १५. (जहाँ चाडाल रहता हो, वहाँ वेद नहीं पढ़ना चाहिए), गौतम १२ ४ ६ (शूद्र यदि वेद का पाठ सुन ले तो उसके कानों में शीशा गलाकर डाल देना चाहिए, यदि वह वेदोच्चारण करे तो जीभ काट लेना चाहिए)।

२ चार तीर्थकर, पृ ३७

३. स्थानाग, सूत्र ५३

४ जैन सूत्राज्, भाग १, प्रस्तावना पृ० १०

५ आचारान्त, २ १५ तथा जैन सूत्राज्, भाग १ (कल्प सूत्र) २ १७-३०

मानव-वग के इतिहास में इस प्रकार की घटना सबसे अनोखी मालूम होती है। जिसे आज के वैज्ञानिक युग में सहसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक जैन विद्वान् प० सुखलाल जी सघवी ने इस असंगत घटना का खुलासा करते हुए लिखा है कि —

(१) महावीर की जननी तो ब्राह्मणी देवानदा ही है, क्षत्रियाणी-त्रिगला नहीं।

(२) त्रिगला जननी तो नहीं है, पर वह भगवान् को गोद लेने वाली या अपने घर पर रखकर सम्बर्धन करने वाली माता अवश्य है।

त्रिगला द्वारा महावीर सम्बर्धन के अनेक कारण हो सकते हैं। त्रिगला के कोई अपना औरस पुत्र न होगा। स्त्री मुलभ पुत्रवासना की पूर्ति उसने देवानंदा के औरस पुत्र को अपना बनाकर की होगी। दूसरा कारण यह भी संभव है कि महावीर छोटी उम्र से ही उस समय ब्राह्मण-परम्परा में अतिरूढ़ हिंसक यज्ञ और दूसरे निरर्थक क्रिया-काण्डी-कुल-धर्म-विरुद्ध-संस्कार वाले तथा त्यागी प्रकृति के थे। उन्हें छोटी उम्र में ही किसी निर्ग्रन्थ परम्परा के त्यागी भिक्षु के ससर्ग में आने का अवसर मिला होगा और उस निर्ग्रन्थ संस्कार से उनकी स्वाभाविक त्याग वृत्ति की पुष्टि हुई होगी। महावीर के त्यागाभिमुख संस्कार, होनहार के योग्य शुभ लक्षण और निर्भयता आदि गुण देखकर उस निर्ग्रन्थ गुरु ने अपने दृढ़ अनुयायी सिद्धार्थ और त्रिगला के यहाँ उनको सम्बर्धन के लिए रखा होगा।^१

महावीर का जन्म स्थान कुण्डपुर अथवा कुण्डग्राम है। आचाराग सूत्र में इसे सन्निवेग कहा गया है। व्याख्याकारों ने सन्निवेग का अर्थ 'यात्रियों का विश्रामस्थल' किया है। इस कुण्डपुर की दक्षिण दिशा में ब्राह्मण लोग रहते थे और उत्तर दिशा में क्षत्रिय लोग।

बौद्ध साहित्य "महावग्ग" में लिखा है कि जब बुद्ध "कोटिगुगाम" में थे तब अम्बपाली नाम की वेग्या तथा समीपस्थ राजधानी वैंगाली के लिच्छवी लोग उनके पास गये थे। संभवतः बौद्धों का यह "कोटि-गुगाम" जैनो का "कुण्डग्राम" ही हो। ऐसा मालूम होता है कि यह

कुण्डग्राम विदेह की राजधानी वैंगली का कोई मोहरला ही होगा । वयोकि सूत्र कृतांग मे महावीर को वैंगलिक कहा गया है ।^१

अवमर्षिणी कात के सुपम सुपमा, सुपमा, सुपम दुप्पमा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके थे तथा दुप्पम-सुपमा का भी बहुत अधिक भाग समाप्त हो चुका था । केवल ७५ वर्ष ६॥ माह अवशिष्ट थे । उस समय आपाड गुवला पट्टी के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे महावीर ने स्वर्ग से उतर कर जम्बूद्वीप भारतवर्ष मे ब्राह्मणी देवानदा के गर्भ मे सिंहरूप मे प्रवेग किया ।

६ माह ७॥ दिन व्यतीत होने पर चैत्र-कृष्णा त्रयोदशी को क्षत्रियाणी त्रिगला के गर्भ मे महावीर का जन्म हुआ । उसी रात्रि को देवताओ ने अमृत, गध, चूर्ण, पुष्प और रत्नो की बहुत वृष्टि की, तथा भगवान् का अभिषेक, तिलक और रक्षावन्धन आदि किया ।

जिस दिन से महावीर ने रानी त्रिगला के गर्भ मे प्रवेग पाया, उसी दिन से राजा सिद्धार्थ के घर मे धन-धान्य की अत्यधिक वृद्धि हुई, अत जन्म से ११वे दिन राजा सिद्धार्थ ने अपने सगे सवधियो को बुलाकर उन्हे भोजनादि द्वारा सन्तुष्ट करके यह घोषित किया कि “जब से कुमार ने रानी त्रिगला के गर्भ मे प्रवेग पाया है, हमारे घर मे धन-धान्य की अनेक प्रकार से वृद्धि हुई है । अत कुमार आज से ‘वर्द्धमा’ न इस नाम से सम्बोधित किए जायेंगे ।

महावीर के सम्बर्धन के लिए पाँच दाइयाँ रखी गई थी—१ दूध पिलाने वाली, २ स्नान कराने वाली, ३. कपडे पहिानने वाली, ४ खिलाने वाली और ५ गोद मे रखने वाली ।

भगवान् के तीन नाम थे—माता-पिता का रखा हुआ नाम ‘वर्द्धमा’ न था । अपने वैराग्य आदिसहज गुणों मे प्राप्त ‘श्रमण’ नाम था, और अनेक उपसर्ग-परिपह सद्गन करने के कारण देवो का रखा था ‘श्रमण भगवान् महावीर’ नाम था ।

भगवान् के पिता के भी तीन नाम थे—सिद्धार्थ, श्रेयास और जसस (यगस्वी) । भगवान् की माता के भी त्रिगला, विदेहदिग्धा और प्रियकारिणी तीन नाम थे । भगवान् के काका का नाम

सुपार्श्व, बड़े भाई का नाम नन्दिवर्द्धन और बड़ी बहिन का नाम सुदर्शना था ।^१

भगवान् के माता-पिता पार्श्वनाथ की परम्परा के श्रमणों के उपासक थे, उन्होंने बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक के आचार का पालन कर अंत में छहकाय के जीवों की रक्षा के लिए आहार-पानी का त्याग (अपरिचम-मारणातिक सल्लेखना) करके देह त्याग किया। इसके बाद वे अच्युत कल्प नामक १२ वे स्वर्ग में देव हुए। वहाँ से वे महाविदेह क्षेत्र में जाकर अन्तिम उच्छ्वास के समय सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त होंगे तथा सब दुखों का अंत करेंगे।^२

गृहजीवन

महावीर के माता-पिता जिस पार्श्वनाथ की परम्परा के अनुयायी थे, उसमें त्याग और तप की भावना प्रबल थी, जो कि महावीर को जन्मकाल से प्राप्त हुई। अंत वाल्यकाल व्यतीत होने के बाद जब महावीर के सामने विवाह का प्रस्ताव आया तो उन्होंने इस पर अपनी अरुचि प्रकट की, जो कि स्वाभाविक ही थी। किन्तु विनयशील महावीर अपने माता-पिता के आग्रह को न टाल सके और विवाह करना पड़ा। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था जो कि कौडिन्य गोत्र की थी। यशोदा से महावीर को एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसके दो नाम थे—अनवद्या तथा प्रियदर्शना।

यद्यपि महावीर अपनी पूर्व प्रतिज्ञानुसार २८ वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर देना चाहते थे किन्तु अपने ज्येष्ठ भ्राता के आग्रह से उन्होंने गृहवास की अवधि दो वर्ष और बढ़ा दी।^३ इन दो वर्षों में महावीर ने घर में भी त्यागी और तपस्वी जीवन को व्यतीत किया।

गृह त्याग तथा साधक जीवन

महावीर ने ३० वर्ष गृहस्थाश्रम में रहकर अपने माता-पिता का

१. आचाराग, २। १५। १७७

२. आचाराग, २ १५ १७८

३. वही, २ १५ १७७

देहान्त होने पर अपनी प्रतिज्ञा (माता-पिता के देहान्त होने पर प्रव्रज्या लेने की, पूरी करने का समय जानकर मार्गशीर्ष-कृष्णा दशमी को प्रव्रज्या लेने का निश्चय किया।

कर्म-भूमि^१ में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर का जब दीक्षा लेने का समय निकट आता है तब पाँचवे कल्प के विमानो में रहने वाले लोकान्तिक देव आकर उनको सवोधित करते हैं कि हे भगवन् ! आप सकल जीवों के हितकारक धर्म-तीर्थ की स्थापना करें। इसी के अनुसार २६ वे वर्ष उन देवों ने आकर भगवान् से ऐसी प्रार्थना की। तीसरे वर्ष में भगवान् ने दीक्षा लेने की तैयारी की। उस समय सब देव-देवी अपनी समस्त समृद्धि के साथ अपने-अपने विमानों में बैठकर कुण्डग्राम के उत्तर में क्षत्रिय विभाग के ईगान्य में आ पहुँचे।

हेमन्त ऋतु के पहिले महीने में, प्रथम पक्ष में मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी को भगवान् को शुद्ध जल से स्नान कराया गया और उत्तम सफेद वारीक दो वस्त्र और आभूषण पहिनाये गये। उनके लिए चन्द्र-प्रभा नामक सुगोभित पालकी लाई गई, जिसमें भगवान् निर्मल शुभ मनोभाव से विराजमान हुए। उस समय उन्होंने एक ही वस्त्र धारण किया था। फिर उनको धूमधाम से गाँव के बाहर ज्ञातृवगी क्षत्रियों के उद्यान में ले गये। उद्यान में जाकर भगवान् ने पूर्वाभिमुख बैठकर सब आभूषण उतार डाले और पाँच मृद्वियों में दाहिने हाथ से दाहिनी ओर के और बाएँ हाथ से बाई ओर के सब बाल उखाड़ दिये। फिर सिद्ध को नमस्कार करके, “आगे से मैं कोई पाप नहीं करूँगा”, यह नियम लेकर सामायिक चारित्र्य को स्वीकार किया। देव और मनुष्य चित्र के समान स्तब्ध होकर यह सब देखते रहे।

भगवान् को ‘क्षायोपगमिक सामायिक चारित्र्य’ लेने के बाद मनः-पर्ययज्ञान प्राप्त हुआ और वे मनुष्य लोक के पचेन्द्रिय और सजी जीवों के मनोगत भावों को जानने लगे। प्रव्रज्या लेने के बाद महावीर ने मित्र, जाति, स्वजन और सबधियों को विदा किया और स्वयं ने यह नियम लिया कि वे १२ वर्ष तक गरीर की रक्षा या उसमें ममता रखे,

१ ससार का वह भाग, जहाँ धर्म पालन किया जाता है, कर्मभूमि कहलाती है। जम्बूद्वीप, भरत, ऐरावत तथा विदेह कर्मभूमि हैं। जैन सूत्राज् भाग १—आचाराग, नोट न० १, पृ० १९५.

विना, जो कुछ भी परीषह और उपमर्ग आएँगे उन सबको अडिग होकर स्थिर भाव से सहन करेंगे तथा उपसर्ग (विघ्न) देने वाले के प्रति समभाव रखेंगे। ऐसा नियम लेकर महावीर भगवान् कुम्मार ग्राम में आ पहुँचे।

इसके बाद भगवान् शरीर की ममता छोड़कर विहार, निवास-स्थान, उपकरण, तप, सयम, ब्रह्मचर्य, त्याग, सतोष, समिति, गुप्ति आदि में सर्वोत्तम पराक्रम करते हुए तथा निर्वाण की भावना से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। वे उपकार तथा अपकार, सुख और दुःख, लोक तथा परलोक, जीवन और मृत्यु, मान तथा अपमान आदि में समभाव रखने, ससारममुद्र पार करने का निरन्तर प्रयत्न करने और कर्म रूपी शत्रु का समुच्छेद करने में तत्पर रहते थे।

इस प्रकार विचरते हुए भगवान् को देव, मनुष्य तथा पशु-पक्षी आदि ने जो कष्ट दिये उन सबको उन्होंने अपने मन को निर्मल रखते हुए, अदीनभाव से सहन किया और अपने मन, वचन और काय को पूर्णरूप से स्वाधीन रखा।

इस प्रकार १२ वर्ष व्रतने पर १३ वे वर्ष में, ग्रीष्म के दूसरे महीने में, वैसाख-शुक्ला दशमी को ज्वाभक गाँव के बाहर ऋजुवालिका नदी के उत्तर किनारे पर श्यामाक नामक गृहस्थ के खेत में भगवान् गोदोहासन से बैठे ध्यान मग्न होकर धूप में तप कर रहे थे। उस समय उनको अटुमभत्त (छह दिन का अनशन) निर्जल उपवास था और वे शुद्ध ध्यान में लीन थे। उसी समय उनको सपूर्ण, प्रतिपूर्ण, अव्याहत, निरावरण, अनन्त और सर्वोत्तम केवलज्ञान तथा दर्शन उत्पन्न हुआ। अब भगवान् अर्हत्, जिन, केवली, सर्वज्ञ और सर्वभावदर्शी हुए।

भगवान् को केवलज्ञान हुआ, उस समय देव-देवियों के आने जाने से अतरिक्ष में धूम मची थी। भगवान् ने प्रथम अपने को, फिर लोक को देखभाल कर पहिले देवों को उपदेश दिया और फिर मनुष्यों को।^१

साधना का रहस्य

महावीर के साधनाविषयक आचाराग के प्राचीन और प्रामाणिक वर्णन से उनके जीवन की भिन्न-भिन्न घटनाओं से तथा अवतक उनके नाम से प्रचलित सम्प्रदाय की विवेकता से यह जानना कठिन नहीं है कि महावीर को किस तत्त्व की साधना करनी थी और उस साधना के लिए उन्होंने मुख्यतः कौन से साधन स्वीकार किये थे।

महावीर की साधना का केन्द्र अहिंसा तत्त्व था और उसके लिए सयम और तप ये दो साधन मुख्य रूप से अंगीकार किये थे। उन्होंने यह विचार किया कि ससार में जो बलवान् होता है वह निर्बल के सुख और साधन एक डाकू की तरह छीन लेता है। यह अपहरण करने की वृत्ति अपने माने हुए सुख के राग से, विशेषकर सुखशीलता से पैदा होती है। इस वृत्ति से गांति और समभाव का वातावरण कलुषित हुए बिना नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख और सुविधा को इतना महत्त्व देने लगता है कि उसके सामने दूसरे प्राणियों की सुख-सुविधा का कुछ भी मूल्य नहीं होना। इस प्रकार स्वार्थपरिपूर्ण वृत्ति से, व्यक्ति-व्यक्ति, व्यक्ति-समाज तथा समाज-समाजों में आपस का अन्तर बढ़ता है और गत्रुता की नींव पड़ती जाती है। इसके फलस्वरूप निर्बल बलवान् होकर बदला लेने का प्रयत्न करने लगता है। इस प्रकार हिंसा और प्रतिहिंसा का ऐसा मलिन वातावरण तैयार होता है कि लोग इस ससार में ही नरक का अनुभव करने लगते हैं। हिंसा-के रौद्र ताडव से आर्द्रहृदय महावीर ने अहिंसा-तत्त्व में ही प्राणिमात्र की गांति का मूल देखा। यह विचार कर उन्होंने कायिक सुख-दुःख की समता से वैर भाव रोकने के लिए तप प्रारम्भ किया और अर्धैर्य जंसे मानसिक दोष से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सयम का अवलम्बन लिया।

सयम का संबन्ध मुख्यतः मन और वचन के साथ होने के कारण उसमें ध्यान और मौन का समावेग होता है। महावीर के समस्त साधक जीवन में सयम और तप—यही दो बातें मुख्य हैं और उन्हें सिद्ध करने के लिए १२ वर्षों तक उन्होंने जो प्रयत्न किया और उसमें जिस तत्परता और अप्रमाद का परिचय दिया वैसा आज तक की तपस्या के इतिहास में किसी व्यक्ति ने दिया हो, यह नहीं दिखाई

देता। कितने लोग महावीर के तप का देह-दुःख और देह-दमन कहकर उसकी अवहेलना करते हैं, परन्तु यदि वे सत्य तथा न्याय के लिए, महावीर के जीवन पर गहरा विचार करेंगे तो यह मालूम हुए बिना नहीं रहेगा कि महावीर का तप शुष्क देह-दमन नहीं था। वे समय और तप दोनों पर समान रूप से बल देते थे।

बारह वर्ष की कठोर और दीर्घ साधना के पश्चात् जब उन्हें अपने अहिंसा तत्त्व के सिद्ध हो जाने की पूर्ण प्रतीति हुई तब वे अपना जीवनक्रम बदलते हैं। अहिंसा का सार्वभौम धर्म उस दीर्घ तपस्वी में परिप्लुत हो गया था। अब उनके सार्वजनिक जीवन से कितनी ही भव्य आत्माओं में परिवर्तन हो जाने की पूर्ण सभावना थी। मगध और विदेह देश का पूर्वकालीन मलिन वातावरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगा था, क्योंकि उसमें उस समय अनेक तपस्वी और विचारक लोकहित की आकांक्षा से प्रकाश में आने लगे थे। इसी समय दीर्घ तपस्वी भी, प्रकाश में आए।

तप

आचारांग सूत्र में भगवान् महावीर के तप का जो वर्णन मिलता है, वह वस्तुतः ध्यान देने योग्य है।

भगवान् महावीर प्रव्रज्या स्वीकार कर हेमन्त ऋतु की सर्दी में ही घर से बाहर निकल पड़े। उस अत्यधिक गीत में भी वस्त्र से शरीर को न ढकने का उनका दृढ सकल्प था।^१ अरण्य में विचरण करने वाले भगवान् को छोटे-बड़े अनेक जन्तुओं ने चार महीने तक अनेक कण्ट दिये और इनका मांस तथा रक्त चूसा।^२ तेरह महीने तक भगवान् ने वस्त्र को कंधे पर रख छोड़ा, फिर दूसरे वर्ष गिशिर ऋतु के आधी वीत जाने पर उसको भी छोड़कर भगवान् सम्पूर्ण अचेलक (वस्त्र रहित) हो गये।^३

वस्त्र न होने पर भी कठिन गीत में वे अपने हाथों को लम्बे रख कर ध्यान करते थे। गीत के कारण उन्होंने किसी भी दिन हाथ

१. आचारांग, १ ९ १ २.

२. वही, १ ९. ३.

३. वही, १ ९ ४ २२

वगल मे नही डाले । कभी-कभी वे गीत के दिनो मे छाया में बैठकर ही ध्यान करते और कभी-कभी गर्मी के दिनो मे धूप मे बैठकर ।^१

वस्त्र रहित होने के कारण तृण के स्पर्श, ठंड-गर्मी के स्पर्श तथा डास-मच्छर आदि के स्पर्श महावीर ने समभाव से सहन किए ।^२ महावीर चलते समय आगे पीछे पुरुष की लम्बाई के बराबर मार्ग पर दृष्टि रखकर सावधानी से चलते थे । कोई उनसे बोलता, तो भी वे बहुत कम बोलते । उनको इस प्रकार नग्न देखकर भय भीत होकर लडको का झुंड उनका पीछा करता और चिल्लाता रहता था ।^३

उजाड घर, सभा स्थान, प्याऊ और हाट ऐसे स्थानो मे महावीर अनेक बार ठहरते थे । कभी लुहार के स्थान पर तो कभी धर्म-शालाओ मे, वगीचो मे, घरों मे, या नगर मे भी ठहरते थे । इस प्रकार महावीर ने १२ वर्ष से अधिक समय बिताया । इन वर्षों मे रात-दिन प्रयत्नशील रहकर भगवान् अप्रमत्त होकर समाधिपूर्वक ध्यान करते, पूरी नीद न लेते, नीद मालूम होने पर उठकर आत्मा को जागृत करते । किसी समय वे करवट से हो जाते, किन्तु निद्रा की इच्छा से नही । कदाचित् निद्रा आ ही जाती तो वे उसको प्रमाद बढ़ाने वाली समझ कर उठकर दूर करते ।^४

उन स्थानो पर भगवान् को अनेक प्रकार के भयंकर संकट पडे । उन स्थानो पर रहने वाले जीव-जन्तु उनको कष्ट देते । नीच मनुष्य भी उन्हे बहुत दुःख देते । कई बार गाँव के चौकीदार हाथ में हथियार लेकर भगवान् को सताते । कभी-कभी विषय वृत्ति से स्त्रियाँ या पुरुष भगवान् को तंग करते । रात मे अकेले फिरने वाले लोग वहाँ भगवान् को अकेला देखकर उनसे पूछ-ताछ करते । भगवान् के जवाब न देने पर तो वे चिढ़ ही जाते थे । कोई पूछता कि तुम कौन हो तो भगवान् कहते, “मैं भिक्षु हूँ ।” अधिक कुछ न कहने पर

१ आचाराग, १ ९ २२ १६-१७

२ वही, १ ९ ४०

३ वही, १ ९ ५ २१

४ वही, १ ९ २४ २९

वे भगवान् पर नाराज हो जाते, पर भगवान् तो ध्यान ही करने रहते ।^१

भगवान् दुर्गम प्रदेश लाढ़ में वज्र भूमि और गुभ्र-भूमि में भी विचरे थे । वहाँ उनको एकदम बुरी में बुरी गय्या और आमन काम में लाने पड़े थे । वहाँ के लोग भी उनको बहुत मारने खाने को रुखा भोजन देते तथा कुत्ते काटते थे । कुछ लोग उन कुत्तों को रोकते थे, तो कुछ लोग कुत्तों को उन पर छोड़ कर उन्हें कटवाते थे । कितनी ही बार कुत्तों ने भगवान् की मास-पेशियों को खींच डाला । इतने पर भी ऐसे दुर्गम लाढ़ प्रदेश में हिंसा का त्याग करके और गरीर की ममता छोड़कर वे अनगार भगवान् सब सकटों को सहन करते और सग्राम में आगे रहने वाले विजयी हाथी के समान इन सकटों पर जय प्राप्त करते थे । अनेक बार लाढ़ प्रदेश में बहुत दूर चले जाने पर भी गाँव न आता था, कई बार गाँव के पास आते ही लोग भगवान् को बाहर निकाल देते और मार कर दूर कर देते थे, कई बार वे भगवान् के गरीर पर बैठकर उनका मास काट लेते थे, कई बार उन पर धूल फेंकी जाती थी तथा कई बार उनको ऊपर में नीचे डाल दिया जाता था । कभी-कभी तो लोग उन्हें आसन पर से ढकेल दिया करते थे ।^२

दीक्षा लेने के कुछ अधिक दो वर्ष पूर्व से ही भगवान् ने ठंडा पानी पीना छोड़ दिया था । वे अपने लिए तैयार किया हुआ भोजन कभी नहीं करते थे । इसका कारण यह था कि वे इसमें अपने लिए कर्मबन्ध समझते थे । पापमात्र का त्याग करने वाले भगवान् निर्दोष आहार-पानी प्राप्त करके उसका ही उपयोग करते थे । वे कभी भी दूसरों के पात्र में भोजन नहीं करते थे और न दूसरों के वस्त्र ही काम में लाते थे । मान-अपमान को त्याग कर, किसी की गरण न न चाहने वाले भगवान् भिक्षा के लिए फिरते थे ।^३

भगवान् आहार पानी के परिमाण को बराबर समझते थे इस कारण वे कभी रसो में ललचाते न थे । चाँवल, बैर का चूरा, और

१ आचागग, १ ९ ३०-३१ ३४-३५.

२ वही, १ ९ ४१-५३

३ वही, १ ६ १८, १९

खिचड़ी को रूखा खाकर ही वे अपना निर्वाह करते थे । भगवान् ने ८ महीने तक इन वस्तुओं पर निर्वाह किया । उन्होंने आधे महीने तक पानी ग्रहण नहीं किया । इस प्रकार वे छह महीने तक विहार करते रहे । सदा आकाशरहित भगवान् किसी समय ठंडा अन्न खाते तो किसी समय छह, आठ, दस या बारह भक्त के वाद भोजन करते थे ।^१

गाँव या नगर में जाकर वे दूसरों के लिए तैयार किया हुआ आहार सावधानी से खोजते थे । आहार लेने जाते समय मार्ग में भूखे-प्यासे कौए आदि पक्षियों को बैठा देखकर तथा ब्राह्मण, श्रमण, भिखारी, अतिथि, चाण्डाल, कुत्ते, बिल्ली आदि को घर के आगे देख कर, उनको आहार मिलने में बाधा न हो या उनको अप्रीति न हो, ऐसा सोचकर वे वहाँ में धीरे-धीरे अन्यत्र चले जाते और दूसरे स्थान पर अहिंसापूर्वक भिक्षा को खोजते थे । कई बार उन्होंने भिगोया हुआ, सूखा तथा ठंडा आहार लिया । बहुत दिनों की खिचड़ी, तथा पुलाग (निस्सार खाद्य) भी वे कभी-कभी लेते थे । ऐसा भी न मिल पाता तो भगवान् गान्त भाव से रहते थे ।^२

भगवान् नीरोग होने पर भी भरपेट भोजन न करते थे और न औषधि ही लेते थे । शरीर का स्वरूप समझ कर वे उसकी शुद्धि के लिए सगोधन (जुलाब), वमन, विलेपन, स्नान और दत्त प्रक्षालन नहीं करते थे । इसी प्रकार शरीर के आराम के लिए वे अपने हाथ, पैर नहीं दबवाते थे ।^३

काममुखों से इस प्रकार विरत होकर वे विचरण करते थे । उन्होंने कपायों की ज्वाला ज्ञात कर दी थी और उनका दर्शन विगद था । अपनी साधना में वे इतने निमग्न थे कि उन्होंने कभी अपनी आँख तक न मसली, और न शरीर को खुजाया ही । रति और अरति पर विजय प्राप्त करके उन्होंने इस लोक के और देव-यक्ष आदि के अनेक भयकर संकटों को समभाव से सहन किया ।^४

१ आचाराग, १ ९ ५८—६०

२. वही, १ ६ ६२—६७.

३ वही, १ ९ ५४—५५

४ आचाराग, १ ६ ५६, ११, २०, ३२, ३३

निर्वाण

महावीर लगभग ३० वर्षों तक तीर्थंकर अवस्था में भ्रमण कर जनता को सदुपदेष्टा होते रहे और अंत में ७२ वर्ष की आयु में, कार्तिक-कृष्णा अमावस्या को पापा (पावा) में निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त हो गए।^१ जिस रात्रि को महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, उसी रात्रि को उनके प्रधान गिण्य गौतम इन्द्रभूति को केवलज्ञान प्राप्त हुआ।^२ निर्वाण प्राप्ति की रात्रि के उष काल में काशी और कोशल तथा मल्लिकि और लिच्छवि वन के १८ राजाओं ने यह कहकर कि अब ससार से ज्ञान का प्रकाश सदा के लिए अस्त हो गया, अतः हमें पार्थिव दीपको का प्रकाश करना चाहिए, दीप-माला प्रज्वलित की।^३

महावीर ३० वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में, कुछ अधिक १२ वर्ष तक अर्द्ध विकसित अवस्था में, कुछ कम ३० वर्ष तक केवली अवस्था में, ४२ वर्ष तक भ्रमण अवस्था में, इस प्रकार कुल ७२ वर्ष तक संसार में रहे।^४ भगवान् महावीर का निर्वाणकाल ४६७ ईसा पूर्व है। भगवान् पार्व्व के निर्वाण के २५० वर्ष बाद महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया।^५

उपदेश

बारह वर्ष के निरन्तर तपश्चरण के बाद महावीर को सम्पूर्ण वस्तुओं के सम्पूर्ण भावों तथा अवस्थाओं को एक साथ जानने वाला अव्याहत एव निरावरण केवलज्ञान तथा केवलदर्शन उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन्होंने मानवजाति के कल्याण के लिए उपदेश देना

१. जैन सूत्राज् भाग १ (कल्पसूत्र) १२३, पृष्ठ २६५

२. वही १२७, पृ० २६६

३. वही १२८, पृ० „

४. वही १४७, पृ० २६७.

५. मुनि कल्याण विजयजी के अनुसार महावीर का निर्वाणकाल ५२८ ई० पू० है। वे कहते हैं कि महावीर ने बुद्ध के परिनिर्वाण के १४ वर्ष बाद निर्वाण पाया—“वीर निर्वाण सवत् और काल-गणना”, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, पृ० २१.

प्रारम्भ किया । महावीर ने सबसे प्रथम गौतम आदि श्रमण निर्ग्रन्थो को भावनाओ के साथ पाँच महाव्रत का उपदेग दिया था । उनका कहना था कि साधु को जीवन पर्यन्त के लिए मन, वचन, काय से समस्त जीवो की हिंसा, असत्य-रूप वाणी, सब प्रकार की चोरी, सब प्रकार के मैथुन और सब प्रकार के परिग्रह तथा उनमें आसक्ति का त्याग करना चाहिए । उपर्युक्त प्रकार के पाप, साधु न स्वयं करे, न दूसरो से करावे और न करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन ही करे ।^१

महावीर सुन्दर तथा सहज ग्राह्य दृष्टान्त देकर जनता को ससार से विराग का उपदेग दिया करते थे । एक बार उन्होंने पुडरीक (कमल) का दृष्टान्त देकर पथभ्रष्ट मानवो को सन्मार्ग पर आने का उपदेग दिया था । उन्होंने कहा कि एक, जल और दलदल से परिपूर्ण बड़ी सुन्दर झील है । उसमे जगह-जगह पुडरीक उगे हुए हैं । उन सब के बीच झील के मध्य भाग मे एक बहुत बड़ा पुडरीक है जिस की सुगन्ध और सौन्दर्य अद्वितीय है ।

पूर्व दिगा से एक पुरुष झील के पास आया और तट पर खड़ा होकर उस पुडरीक को देखकर बोला, “मैं कुगल और उद्योगी पुरुष हूँ । मैं मार्ग-गमन-शक्ति का जानने वाला हूँ । मैं अभी इस पुँडरीक को उखाड़ डालूंगा ।” वह झील मे उतर कर आगे बढ़ने लगा, किन्तु ज्यो-ज्यो वह आगे बढ़ा त्यो-त्यो जल और दलदल मे फँसता गया । अत मे ऐसे गहरे पानी और कीचड़ मे फँसा कि न वह पुडरीक तक पहुँचा और न लौट कर किनारे पर ही आया ।

इसी प्रकार दक्षिण, पच्छिम तथा उत्तर दिगा से क्रमश तीन पुरुष आए और वे सब अपने को कुगल और परिश्रमी समझ कर पुडरीक उखाड़ने के लिए जल मे प्रविष्ट हुए किन्तु सब के सब दल-दल मे फँसते गए । इसके बाद किसी अनियत दिगा से एक वीतराग और पार ससार सागर) करने की इच्छा वाला भिक्षु आया । वह झील के तट पर आकर खड़ा हुआ और उसने पुडरीक तथा दलदल मे फँसे हुए उन चारो ही पुरुषो को लक्ष्य करके कहा, “अफसोस, अपनी शक्ति और गतिविधि को न जानते हुए ये पुरुष पुडरीक को उखाड़ने चले परन्तु स्वयं ही फँस गए । जो तरीका इन्होंने पुडरीक

उखाड़ने के काम में लाया वह ठीक नहीं था। इस प्रकार कमल नहीं उखाड़े जाते। इसका ठीक उपाय मैं जानता हूँ।” यह कहते हुए उसने वही से आवाज दी, “उड़ जा, पुडरीक उड़ जा।” और पुडरीक उड़ गया।

भगवान् ने इस दृष्टान्त का अर्थ समझाते हुए कहा कि, ‘यह मनुष्य लोक एक बड़ी झील है। जीवों के शुभाशुभ कर्म इसमें जल है। काम भोग इसमें दलदल है। मनुष्य समाज इसमें पुडरीक समुदाय है। चक्रवर्ती इसमें महापुडरीक है। अन्य-तीर्थिक चार पुरुष हैं। धर्म भिक्षु है। धर्म-तीर्थ झील का किनारा है। धर्म-कथा भिक्षु की आवाज है, और निर्वाण वहाँ से उड़ना है।’^१

सूखी तथा गीली मिट्टी के दृष्टान्त द्वारा महावीर ने ससार से आसक्ति तथा अनासक्ति का कितना सुन्दर चित्रण किया है। “गीली और सूखी मिट्टी के दो लौड़े हैं, उनको भीत से मारने पर जो लौड़ा गीला है वह भीत से चिपट जाता है और सूखा लौड़ा नहीं चिपटता। इसी प्रकार कामभोगों में आसक्त दुष्टबुद्धि जीव तो पाप करके ससार से चिपट जाता है और जो विरक्त पुरुष है, वे सूखी मिट्टी के ढेले के समान ससार से नहीं चिपटते।”^२

तत्कालीन हिंसक यज्ञों एवं जातिगत उच्च-नीच भावना के प्रति महावीर के मन में अत्यधिक अरुचि थी, इस कारण उन्होंने अपने उपदेशों द्वारा वास्तविक यज्ञ तथा सच्चे ब्राह्मण का अर्थ जनता को समझाया। उनका कहना था कि, “सत्य ज्ञान तथा ब्राह्मण के सत्य कर्म से अज्ञ मूढ़ पुरुष केवल “यज्ञ यज्ञ” गब्द चिल्लाया करते हैं किन्तु वे यज्ञ का वास्तविक अर्थ नहीं जानते।”^३

शुद्ध अग्नि की तरह पापरहित होने से पूज्य, कुटुम्ब में अनासक्त, सयमी, रागद्वेष आदि से दूर, सदाचारी, तपस्वी, दमितेन्द्रिय तपस्या द्वारा कृशगात्र, शान्तकषाय, अहिंसक, क्रोध, लोभ, हास्यादि के वश होकर असत्य नहीं बोलने वाला, अल्पपरिग्रही, मैथुन का

१ सूत्र कृतांग, २११

२. उत्तराध्ययन, २५ ४२-४३.

३ वही, २५, १८

मन, वचन, काय से त्याग करने वाला, कामभोगो मे अलिप्त, भिक्षाजीवी, और अकिंचन व्यक्ति ही सच्चा ब्राह्मण कहलाने के योग्य है ।^१ माथा मुड़ा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, ओंकार गव्द के उच्चारण से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, घर छोड़कर जंगल मे रहने मात्र से मुनि तथा भगवा वस्त्र पहिन लेने से कोई तापस नहीं हो जाता ।^२

महावीर ने वैदिक यज्ञ की तुलान जैनधर्म के सयम और तप से की है । वे कहते हैं कि पाँच इन्द्रियो को वग मे करने वाला, अपने जीवन की भी परवाह नहीं करने वाला, गरीर के ममत्व से रहित महापुरुष बाह्य बुद्धि की अपेक्षा न करते हुए, उत्तम एव महाविजयी भाव-यज्ञ करता है ।^३ उस भाव-यज्ञ मे धर्मरूपी हृद तथा ब्रह्मचर्य-रूपी तीर्थ है । मनुष्य आत्मा के विगुद्ध धर्मकुंड में “यज्ञ स्नान” कर कर्मरज से रहित होता है ।^४ यज्ञ स्नान किए हुए व्यक्ति को, तप अग्नि है, जीवात्मा ही उस तपरूपी अग्नि का स्थान है, मन, वचन, काय का योग कडछी है, कर्म ईधन (समिधा) है, और सयमरूपी शाति-मत्र है । इस तरह प्रगस्त चरित्र रूपी यज्ञ द्वारा यजन को महर्षियो ने उत्तम माना है ।^५ महावीर ने अपने उपदेशो मे इस बात पर सब से अधिक बल दिया है कि मनुष्य को सासारिक काम-भोगो मे आसक्त नहीं होना चाहिए । दुवले बैल को, जैसे मार कूटकर चलाने पर वह अडियल हो जाता है और अत मे वजन ढोने के वदले थक कर पड जाता है, ऐसी ही दगा, विषय-रस सेवन किए हुए मनुष्य की है । ये विषय तो आज या कल छोड़कर चले जायेगे, ऐसा सोचकर कामी मनुष्य को प्राप्त या अप्राप्त विषयो की वासना त्याग देना चाहिए ।^६ कामी मनुष्यो को अत मे बहुत पश्चात्ताप और विलाप करना पडता है । अत बुद्धिमान् पुरुष को पहिले ही सावधान होकर

१ उत्तराध्ययन २५ १९-२९

२ वही २५ ३१ ३२

३ वही १२ ४२

४ वही १२ ४५

५ वही १२ ४४

६ सूत्रकृताग, २ ३ ५ ६

अतः मे न पछताना पडे—इसलिए आत्मा को भोगों से छुड़ाना चाहिए ।^१

महावीर ने अपने समय में ज्ञानहीन साधुओं की बहुतायत देखकर मनुष्य का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया कि कोई भले ही नग्न अवस्था में फिरे या मास के अंत में एक बार भोजन करे किन्तु वह यदि मायावी है तो उसको बार-बार गर्भवास प्राप्त होगा ।^२ केवल स्नान से मुक्ति मानने वालों से महावीर ने कहा कि यदि स्नान करने मात्र से मोक्ष मिलता हो तो पानी में रहने वाले अनेक जीव भी मुक्त हो जावे ।^३ पानी यदि पाप-कर्मों को धो सकता, तो उससे पुण्य भी धुल जा सकते हैं ।^४

उन्होंने मनुष्य का ध्यान आत्म-प्रशंसा से हटाकर वास्तविक आत्मोन्नति की ओर आकृष्ट किया । “प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न होकर जो भिक्षु वने हैं और महा तपस्वी हैं, यदि उनका तप कीर्ति लाभ की इच्छा से किया गया है तो वह शुद्ध नहीं है । जिसे दूसरे न जानते हो वही तप है, ऐसा समझ कर साधु को कभी भी आत्म-प्रशंसा में लीन न होना चाहिए ।^५ जो सर्वस्व का त्याग करके,

खे-सूखे आहार पर रहने वाला होकर भी गर्व और स्तुति का इच्छुक होता है, उसका सन्यास ही उसकी आजीविका होती है । ज्ञान प्राप्त किये बिना वह ससार में बार-बार भटकता है ।”^६

सार्वजनिक सेवा

श्रमण भगवान् महावीर का ४३ से ७२ वर्ष तक का यह दीर्घ-जीवन सार्वजनिक सेवा में व्यतीत हुआ । इस समय में उनके द्वारा किए गए मुख्य कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है .—

१ महावीर ने जाति का तनिक भी भेद रखे बिना प्रत्येक व्यक्ति के लिए (गूढ़ों के लिए भी) भिक्षु-पद और गुरु-पद का मार्ग

१ सूत्र कृताग, २ ३ ७

२ वही २ १ ६

३ वही ७ १४

४ वही ७ १६

५ वही ८ २४.

६ वही १३ १२.

खोल दिया था ।^१ उनका कहना था कि श्रेष्ठता का आधार जन्म नहीं, बल्कि गुण है । वस्तुतः वर्ण-व्यवस्था जन्मगत नहीं, किन्तु कर्मगत है । कर्मों से ही ब्राह्मण होता है, कर्मों से ही क्षत्रिय होता है, कर्मों से ही वैश्य होता है तथा कर्मों से ही शूद्र होता है ।^२

२ उन्होंने पुरुषों की तरह स्त्रियों के विकास के लिए भी पूर्ण स्वतन्त्रता दी और विद्या तथा आचार दोनों में स्त्रियों की पूर्ण श्रेष्ठ योग्यता को स्वीकार किया । उनके लिए गुरुपद का भी आध्यात्मिक अधिकार उन्होंने दिया ।^३

३ उन्होंने लोकभाषा में तत्त्वज्ञान और आचार का उपदेश करके केवल विद्वद्गम्य संस्कृत भाषा का मोह घटाया और योग्य अधिकारों के लिए ज्ञान प्राप्ति में भाषा का विघ्न दूर किया ।^४

४ उन्होंने ऐहिक और पारलौकिक सुख के लिए होने वाले यज्ञ आदि कर्म-काण्डों की अपेक्षा सयम तथा तपस्या के स्वावलम्बी तथा पुरुषार्थप्रधान मार्ग की महत्ता की स्थापना की और अहिंसा धर्म में जनसाधारण की प्रीति उत्पन्न की ।^५

५. उन्होंने त्याग और तपस्या के नाम पर रूढ़ शिथिलाचार के स्थान पर सच्चे त्याग और सच्ची तपस्या की प्रतिष्ठा करके भोग के स्थान पर विराग के महत्त्व का वायुमंडल चारों ओर उत्पन्न किया ।

१. उत्तराध्ययन, १२ १ (चाण्डाल कुल में उत्पन्न किन्तु उत्तम गुणी हरिकेशवल नामक एक जितेन्द्रिय भिक्षु हो गए हैं ।)

२ वही २५ ३३

३ नायायम्मकहाओ, २ १ पृ० २२२ (श्रमणोपासिका काली ने आर्थिका पुष्पचूला के निकट पार्श्व के श्रमणधर्म को स्वीकार किया ।)

४ समवायाग सूत्र, ३४ (भगवान् अर्द्धमागधी भाषा में धर्म का व्याख्यान करते हैं ।)

५. उत्तराध्ययन, २५. "यज्ञीय"

तत्कालीन अन्य सम्प्रदाय

पार्श्व का चातुर्यामि धर्म

जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं, महावीर ने किसी नवीन मत की स्थापना नहीं की थी, बल्कि अपनी पितृपरम्परा से प्राप्त पार्श्व के चातुर्यामि धर्म को ही देग-काल की परिस्थिति के अनुसार नवीन रूप प्रदान किया। पार्श्व के चातुर्यामि धर्म में अहिंसा, सत्य, अचौर्य तथा अपरिग्रह—इन चार बातों की प्रधानता थी। यद्यपि पार्श्व के अपरिग्रह में ब्रह्मचर्य की भी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि स्त्री का ग्रहण भी एक प्रकार का परिग्रह ही है, तथापि महावीर ने ब्रह्मचर्य पालन में शिथिलता देखकर उसे स्वतंत्ररूप से मानकर पाँच महाव्रतों की सजा दी। यम की जगह महाव्रत शब्द का उपयोग भी इस बात की ओर संकेत करता है कि वे पार्श्व के पारम्परिक धर्म को नवीन रूप देकर एक अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न करना चाहते थे।^१ इसके अतिरिक्त पार्श्वधर्म में साधु लोग विविध रंग के वस्त्र पहिनते थे। जब कि महावीर ने उन्हें श्वेत वस्त्र अथवा निर्वस्त्र-रूप अल्प उपधि का उपदेश दिया था।^२

बौद्ध सम्प्रदाय

इस बात से प्रायः सभी विद्वान् सहमत हैं कि महात्मा बुद्ध भगवान् महावीर के समकालीन थे। बुद्ध ने जिस मत का प्रणयन किया था वह यद्यपि बहुत अगो मे जैन धर्म से मिलता है,^३ फिर भी वह जैन धर्म से पृथक्, एक स्वतंत्र धर्म है। जैन सूत्रों में बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में निम्न प्रकार का वर्णन मिलता है। उसमें बौद्धों के दो सम्प्रदाय माने गए हैं—एक वे, जो मानते हैं कि जगत का निर्माण पाँच स्कन्धों से होता है। वे पाँच स्कन्ध ये हैं—१ रूप, २ वेदना, ३. विज्ञान, ४. सजा तथा ५. संस्कार। संसार में इनसे भिन्न

१ उत्तराध्ययन, २३. १२

२ वही २३ ७९

३ डा० याकोबी ने महावीर तथा बुद्ध के धर्म की समानता और असमानता पर विस्तार में विचार किया है। —जैन सूत्राज् (भाग १, प्रस्तावना, पृ० १९-२८)

आत्मा नाम का कोई स्कन्ध नहीं है। पृथ्वी, धातु तथा रूप आदि को “रूप स्कन्ध” कहते हैं। सुख-दुःख तथा असुख और अदुःख के अनुभव को “वेदना स्कन्ध” कहते हैं। रूप विज्ञान, रस विज्ञान आदि विज्ञान को “विज्ञान स्कन्ध” कहते हैं। सजा के कारण वस्तु-विशेष के बोधक शब्द को “सजा स्कन्ध” कहते हैं।^१

दूसरे प्रकार के बौद्ध वे हैं, जो निम्न चार धातुओं को जगत को धारण करने वाला मानते हैं। पृथ्वी धातु है, जल धातु है, तेज धातु है और वायु धातु है। ये चारों पदार्थ जगत को धारण और पोषण करते हैं, इसलिए धातु कहलाते हैं। ये चारों धातु जब एकाकार होकर गरीर रूप में परिणत होते हैं तब इनकी जीव सजा होती है। “चातुर्धातुकमिदं गरीर” अर्थात् यह गरीर चार धातुओं से बना है अतः इन चार धातुओं से भिन्न आत्मा नहीं है।^२

आजीविक सम्प्रदाय

जैनागम तथा बौद्ध ग्रन्थों से यह बात स्पष्ट है कि महावीर के समय में आजीविक मत अधिक प्रभावशाली था।^३ आजीविक सम्प्रदाय के नेता “मक्खलिगोगाल” तत्कालीन प्रसिद्ध छह आचार्यों में से एक गिने जाते थे, अन्य पाँच आचार्यों के नाम निम्न प्रकार हैं : १ पूरणकस्सप, २ अजितकेसकम्बली, ३ पकुधकच्चायन, ४ सजय-वेलट्ठिपुत्त तथा ५ नातपुत्त (जातृपुत्र महावीर)।^४

भगवती सूत्र में आजीविक सम्प्रदाय के प्रधान गोशाल का निम्न परिचय मिलता है। मक्खलिपुत्र गोगाल, सरवण नामक सन्निवेग में एक ब्राह्मण की गोशाला में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम “मख” था, जो कि हाथ में चित्र लेकर उसे दिखा-दिखाकर भिक्षा

१ सूत्र कृताग, १ १ १७ महासत्तिपट्ठानसुत्त (दीर्घनिकाय, २. ९) ‘पाँचों उपादान स्कन्ध दुःख हैं।’

२ सूत्र कृताग, १ १ १८.

३ आजीविक सम्प्रदाय के “मक्खली” की महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक हानिप्रद साधुओं के मध्य गणना की है। (अगुत्तरनिकाय १ ३३) “आजीविक मत” के लिए, देखिये “श्रमण भगवाद् महावीर” का पंचम अध्याय “आजीविक मत—दिग्दर्शन”, पृ० २५९

४ भगवती टी०, १ २ पृ० ८७

माँगा करता था। गोगाला में पैदा होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम गोगाल रखा। पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के व्यवसाय को सीखकर भिक्षा माँगना प्रारम्भ कर दिया। एक समय वह राजगृह में आया और नालदा में ततुगाला में ठहरा। महावीर भी उसी समय वहाँ उपस्थित थे। गोगाल ने महावीर से उसे अपना गिण्य बना लेने की प्रार्थना की, जिसे महावीर ने स्वीकार किया। गोगाल ६ वर्ष तक महावीर के साथ रहे, किन्तु बाद में उनका महावीर से मतभेद हो गया और वे उनके सघ से अलग हो गए। अलग होने के बाद गोगाल ने तपस्या द्वारा इन्द्रजाल विद्या का अभ्यास किया और अपने को “जिन” कहकर आजीविक सम्प्रदाय के नेता बन गए। कुम्भकार सद्दालपुत्त तथा उनकी पत्नी हालाह्ला, आजीविक सम्प्रदाय की थीं। सावत्थी तथा पोलासपुर सभ्यत इस सम्प्रदाय के केन्द्र थे।^१

आजीविक सम्प्रदाय के मत का जो विवरण जेनागम तथा बौद्ध-साहित्य में अनेक जगहों पर मिलता है वह लगभग एक-सा ही है। उवासगदसाओ में महावीर तथा आजीविकोपासक सद्दालपुत्त के वार्तालाप का विवरण है, जिससे उनके सिद्धान्त का पता लगता है। सूत्रकृताग में इस वाद को नियतिवाद कहा गया है। “जीव के सुख-दुःख आदि स्वयं किए हुए नहीं हैं, वे तो दैवनियत हैं।”^२ किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के जीवन में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ससार के संपूर्ण पदार्थ अपने-अपने स्वभाव में नियत (स्थित) हैं।^३ बौद्ध ग्रन्थों में आजीविकों के मत का निम्न प्रकार वर्णन है। “इस ससार में प्राणियों के क्लेश का न कोई हेतु है और न कोई प्रत्यय (कारण) है। मनुष्य के पराक्रम पर कुछ भी निर्भर नहीं है क्योंकि इस ससार में आत्मकार, परकार, बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम नाम की कोई वस्तु नहीं है। समस्त प्राणी नियतिवग्न होकर सुख-दुःख का अनुभव करते हैं।”^४

१ भगवती सूत्र, १५

२. सूत्र कृताग, १ २

३ उवासगदसाओ, ७.

४ दीघनिकाय, सामञ्जसलसुत्त.

आजीविक साधुओं का आचार निम्न प्रकार था—वे नग्न रहते थे तथा अपने हाथों पर भोजन करते थे। वे भोजन के लिए किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। उनके स्थान पर लाए हुए अथवा उनके लिए तैयार किए हुए भोजन को भी वे स्वीकार नहीं करते थे। जिन वर्तनों में भोजन पकाया जाता था, उन वर्तनों से अथवा अन्य वर्तनों से वे भोजन ग्रहण नहीं करते थे। वच्चे को साथ में लिए हुए स्त्री से भी वे आहार ग्रहण नहीं करते थे। यदि कुत्ता पास में खड़ा हो अथवा मक्खियाँ भिनभिना रही हो तो वे भोजन नहीं करते थे। वे मांस, मछली तथा मद्य नहीं लेते थे। कुछ लोग केवल एक ही घर जाकर केवल दो ग्रास भोजन लेते थे, अन्य लोग सात घरों में जाकर सात ग्रास ले लेते थे। कुछ लोग दिन में एक बार भोजन लेते थे, तो कुछ लोग दो दिन में एक बार। कुछ लोग सात दिन में एक बार और कुछ लोग १५ दिन में एक बार।

‘आजीविक’ शब्द की उत्पत्ति “आजीव” शब्द से हुई है जिसका अर्थ है जीवन अथवा व्यवसाय का एक नवीन प्रकार। मालूम पड़ता है कि आजीविकों ने एक विनिष्ट जीवन के तरीके को अपनाया था। इसलिए भी उन्होंने अपने सम्प्रदाय का नाम ‘आजीविक’ रख लिया हो।^१ यह सम्प्रदाय गोगाल से भी पहले वर्तमान था। गोगाल इस सम्प्रदाय के तीसरे नेता माने गए हैं। भगवती सूत्र में लिखा है कि आजीविक सम्प्रदाय गोगाल से १७० वर्ष प्राचीन है।^२

उच्छेदवाद

अजित केसकम्बली उच्छेदवाद के प्रमुख व्याख्याता माने जाते हैं। उनका कहना था कि “दान, यज्ञ तथा होम यह सब कुछ नहीं है, भले-बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता, न इहलोक है न परलोक, चार भूतों से मिलकर मनुष्य बना है। जब वह मरता है तो उसमें का पृथ्वी धातु पृथ्वी में, आपोधातु पानी में, तेजो धातु तेज में तथा वायु धातु वायु में मिल जाता है और इन्द्रियाँ सब आकाश में मिल जाती हैं। मरे हुए मनुष्य को चार आदमी अर्थात् पर सुलाकर उसका गुणगान करते हुए ले जाते हैं। वहाँ उसकी अस्थि सफेद हो जाती है

१ उत्रामगदसाओ, पृ० २३८—(डा० पी० एल० वैद्य)

२ भगवती सूत्र, १५

और आहुति जल जाती है। दान का पागलपन मूर्खों ने उत्पन्न किया है। जो आस्तिकवाद कहते हैं वे झूठ भाषण करते हैं, व्यर्थ की वड-वड़ करते हैं। अक्लमद और मूर्ख दोनों ही का मृत्यु के बाद उच्छेद हो जाता है। मृत्यु के बाद कुछ भी अवशेष नहीं रहता।” केस-कवली के इस मत को उच्छेदवाद कहते हैं।^१

अन्योन्यवाद

आचार्य पकुध-कात्यायन इस वाद के प्रमुख व्याख्याता थे। उनका कहना था कि “सातों पदार्थ न किसी ने किए, न करवाए। वे बंध्य, कूटस्थ तथा खभे के समान अचल हैं। वे हिलते नहीं, वड-लते नहीं, आपस में कष्टदायक नहीं होते। और एक-दूसरे को मुख दुःख देने में असमर्थ हैं। पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, मुख, दुःख तथा जीवन ये ही सात पदार्थ हैं। इनमें मारने वाला, मार खाने वाला, सुनने वाला, कहने वाला, जानने वाला, जनाने वाला कोई नहीं। जो तेज गस्त्रो से दूसरे के सिर काटता है, वह खून नहीं करता। उसका शस्त्र इन सात पदार्थों के अवकाश (रिक्त स्थान) में घुसता है।” इस मत को अन्योन्यवाद कहते हैं।^२

विक्षेपवाद

आचार्य सजय वेलट्ठिपुत्त के वाद को विक्षेपवाद कहते हैं। उनका कहना है कि “परलोक है या नहीं, यह मैं नहीं समझता। परलोक है—यह भी नहीं, परलोक नहीं है—यह भी नहीं। अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलता है, यह भी मैं नहीं मानता, नहीं मिलता—यह भी मैं नहीं मानता। वह रहता भी है नहीं भी रहता, तथागत मृत्यु के बाद रहता है या नहीं रहता, यह मैं नहीं समझता। वह रहता है यह भी नहीं, वह नहीं रहता यह भी नहीं।” इस वाद को विक्षेपवाद कहते हैं।^३

उच्छेदवाद, अन्योन्यवाद तथा विक्षेपवाद तथा उनके व्याख्याताओं का विवरण बौद्ध-सूत्रों में अनेक जगह पाया जाता है।^४

१ भारतीय संस्कृति और अहिंसा, २६ पृ० ४६

२ वही २७ पृ० ४६, ४७

३ वही २९ पृ० ४७

४. भारतीय संस्कृति और अहिंसा, २३ पृ० ४५.

चार प्रकार के अन्य वाद

सूत्रकृताग में चार प्रकार के वादों का वर्णन मिलता है जो कि महावीर के समय में वर्तमान थे। १ किरियम् (क्रियावाद), २ अकिरियम् (अक्रियावाद), ३ अज्ञाणम् (अज्ञानवाद), ४ विणीयम् (विनयवाद)।^१

क्रियावाद

क्रिया आत्मा की सूचक है, अतः जो वादी आत्मा की स्थिति को स्वीकार करते हैं वे क्रियावादी हैं। जो यह मानता है कि जीव नरक में दुःख का अनुभव करते हैं, जो पाप और उससे विरक्ति को मानते हैं तथा दुःख और उसके सम्पूर्ण नाश का भी जिन्हें ज्ञान है वे क्रियावाद के व्याख्याता माने जाते हैं। क्रियावाद के १८० भेद हैं।^२ जीव, अजीव, आसव, वध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप—ये नव पदार्थ हैं। ये नव ही पदार्थ, स्वतः-परतः, नित्य-अनित्य तथा काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, तथा स्वभाव के भेद से (६ × २ × २ × ५) के भेद से १८० हो जाते हैं। क्रियावाद की यह परिभाषा जैनो के लिए भी लागू होती है। केवल अंतर इतना है कि जैन सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य तीनों के एकत्व से मुक्ति मानते हैं, जब कि क्रियावादी केवल सम्यक्चारित्र्य (क्रिया) से ही मुक्ति मानते हैं।^३

अक्रियावाद

अक्रियावादी आत्मा की स्थिति को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु क्षणस्थायी है। जब प्रत्येक वस्तु एक क्षण के बाद नष्ट हो जाती है तो क्रिया कैसे हो सकती है? यह सिद्धान्त बौद्धों के क्षणिकवाद सिद्धान्त के बहुत निकट है। इस मत के अनु-

१ सूत्र कृताग, १ १२

२ “क्रियावादी के १८०, अक्रियावादी के ८४, अज्ञानवादी के ६७ तथा विनयवादी के ३२—इस प्रकार सब मिलकर ३६३ पाखण्डियों के व्यूह है।”—समवायांग, १३७। नदी सूत्र, ४६ पृ० १२२

३ सूत्र कृताग (टीका), १ १२ पृ० २०८-अ

सार सूर्य का उदय या अस्त नहीं होता, चन्द्रमा घटता या बढ़ता नहीं, नदियाँ बहती नहीं और हवा चलती नहीं ।^१

वौद्ध ग्रन्थों में आचार्य पूरण-कव्यप के अक्रियावाद का वर्णन मिलता है। सभवन जैन सूत्रों में मिलने वाला यह अक्रियावाद वही अक्रियावाद हो। उनका कहना था कि “किसी ने कुछ किया या करवाया, काटा या कटवाया, तकलीफ दी या दिलवाई, शोक किया या करवाया, कष्ट सहा या दिया, डरा या डूँमरो को डराया, प्राणी की हत्या की, चारी की, डकैती की, घर लूट लिया, बटमारी की, परस्त्री-गमन किया, असत्य वचन कहा, फिर भी उसको पाप नहीं लगता। तीक्ष्ण धार के चक्र से भी अगर कोई इस ससार के सब प्राणियों को मार कर ढेर लगा दे तो भी उसे पाप न लगेगा। गंगा नदी के उत्तर किनारे पर जाकर भी कोई दान दे या दिलवाए, यज्ञ करे या करवाए, तो कुछ भी पुण्य नहीं होने का। दान, धर्म, सयम, सत्य भाषण—इन सबों से पुण्य प्राप्ति नहीं होती।”^२

अक्रियावाद के चौरासी भेद हैं। उपर्युक्त जीवादि नव पदार्थों में से पुण्य-पाप इन दो पदार्थों को छोड़कर बाकी सात पदार्थ, स्वतन्त्र तथा परत एव काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव तथा यदृच्छा के भेद से (७ × २ × ६) ८४ हो जाते हैं।^३

स्थानाग सूत्र में अक्रियावादी के सात भेद बताए गए हैं—
१ एकावाई (एकवादी), २ अणगावाई (अनेकवादी), ३ मियवाई (मितवादी), ४ निम्मियवाई (निर्मितवादी), ५ समुच्छेयवाई (समुच्छेदवादी), ६ नियवाई (नित्यवादी), ७ न सन्त परलोकवाई (न शान्ति परलोकवादी)।

एकवादी—एक ही आत्मा प्रत्येक प्राणियों में व्याप्त है। जैसे एक ही चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब अनेक जलाशयों में अनेक प्रकार से दिखता है, उसी प्रकार यह एक आत्मा भी नाना रूप में प्रतिभासित होता है।

१ सूत्र कृताग, १ १२ ४-८

२ भारतीय संस्कृति और अहिंसा, २४ पृ० ४५-४६.

३. सूत्र कृताग टीका, १ १२ पृ० २०६

अनेकवादी—इस ससार में सब जगह आत्मा ही आत्मा है। आत्मा के अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं। पृथ्वी, तेज, जलादि सब में आत्मा व्याप्त है। इस प्रकार आत्मा की अनेकता मानने वाले अनेकवादी हैं।

मितवादी—जीवों की अनेकता स्वीकार करते हुए भी उनकी परिमितता को मानने वाले अथवा आत्मा को अगुण्टपर्वमात्र या श्यामाक तदुलमात्र परिमित मानने वाले अथवा पृथ्वी को सप्तद्वीप परिमित मानने वाले मितवादी हैं।

निर्मितवादी—इस ससार को ईश्वर, ब्रह्मादि द्वारा निर्मित मानने वाले निर्मितवादी हैं।

समुच्छेदवादी—वस्तु का प्रतिक्षण निरन्वय समुच्छेद (नाश) मानने वाले समुच्छेदवादी हैं।

नित्यवादी वस्तु को सर्वथा नित्य मानने वाले नित्यवादी हैं।

न गान्ति परलोकवादी—इस लोक में न गान्ति (मोक्ष) है और न परलोक ही है, इस बात को मानने वाले न गान्ति परलोकवादी हैं।^१

बुद्ध ग्रन्थों में पकुधकात्यायन अक्रियावादी माना गया है।^२

अज्ञानवाद

अज्ञानवाद निर्वाण प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं मानता। अज्ञानवादी कहते हैं कि परलोक, स्वर्ग और नरक तथा अच्छे-बुरे कर्मों के फल आदि के विषय में हम कुछ नहीं जान सकते। स्वर्ग आदि का अस्तित्व है—यह भी नहीं कहा जा सकता अथवा नहीं है—यह भी नहीं कहा जा सकता। इसके ६७ भेद हैं। जीवादि ६ पदार्थ, सत्, असत्, सदसत्, अवक्तव्य, सदवक्तव्य, असदवक्तव्य तथा सदसदवक्तव्य के भेद से (६×७) ६३ तथा इनमें सत्, असत्, सदसत्, तथा अवक्तव्य के जोड़ने से कुल ६७ हो जाते हैं।^३

१ स्थानाग, ६०७ टीका, पृ० ४०३-४०४

२ ला—“हिस्टारिकल ग्लोनिंग्स”, पृ० ३३

३ सूत्रकृताग टीका, १ १२, पृ० २०६

विनयवाद

विनयवादियों को वैनयिक तथा अविरुद्ध भी कहा जाता है। ये लोग चरित्र के महत्त्व को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि केवल विनय (श्रद्धा) से ही मुक्ति या निर्वाण प्राप्त हो सकता है।^१ विनयवादी देव, राजा, साधु, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, वकरी, स्वार, कौआ, सारस, घड़ियाल तथा अन्य प्राणियों को भी समान विनयपूर्वक देखते हैं। मन, वचन, काय तथा दान के द्वारा देवता, मालिक, साधु, मनुष्य, बड़े पुरुष, छोटे व्यक्ति, माता और पिता का विनय करने के कारण यह वाद (८ × ४) ३२ भागों में विभक्त है।^२

सप्त निह्व

श्रमण भगवान् महावीर के तीर्थ में ७ पवयण निह्व (प्रवचन-निह्व) कहे गए हैं। प्रवचननिह्व का अर्थ है—वे व्यक्ति जो महावीर के सिद्धान्तों से सहमत न होकर उनके प्रवचन का विरोध करते थे। उनके नाम निम्न प्रकार हैं—१ जमालि (जमाली), २ तीसगुत्त (तिष्यगुप्त), ३ आसाढ (आषाढ), ४ असमित्त (अश्वमित्र), ५ गगे (गग), ६ छलुए (षड्लुक), ७ गोठ्ठामाहिले (गोष्ठामाहिल)।^३

जमालि—जमालि भगवान् महावीर के भानजे तथा उन्हीं के दामाद (सुदर्शना के पति) थे। महावीर ने ही उन्हें दीक्षित किया था। अनुचित आहार-विहार के कारण उन्हें रोग उत्पन्न हो गया और वेदना से पीड़ित होकर एक साथी श्रमण से उन्होंने सस्तारक (गय्या) विछाने को कहा। श्रमण गय्या विछा ही रहा था कि जमालि ने पूछा, क्या गय्या विछ गई? श्रमण ने कहा कि, गय्या विछ गई। इस पर जमालि गय्या के निकट आए। किन्तु उन्होंने देखा और सोचा कि गय्या विछाई जा रही है अतः श्रमण का यह कहना ठीक नहीं कि गय्या विछ गई है।

१ सूत्र कृतांग टी० १.२२.

२. वही, १.१२, पृ० २०९

३ स्थानांग, ५८७.

जमालि का मतभेद क्रियाविषयक नहीं, तर्कविषयक था । उनकी मान्यता थी कि कोई भी कार्य किसी एक ही समय में पूर्ण नहीं हो सकता । कोई भी कार्यविषयक क्रिया अनेक समय तक चलकर जब उपराम पाती है, तब कार्यसिद्धि होती है । इस प्रकार एक कार्य अनेक समय की क्रिया में निष्पन्न होता है । अतः कोई भी कार्य क्रियाकाल में “क्रिया” नहीं कहा जा सकता । किन्तु क्रियाकाल के अंत में जब कार्य पूरा हो जाए तब उसे “क्रिया” कहना चाहिए ।

इसके विपरीत महावीर का “चलमाणे चलिए”, “करमाणे कडे”, अर्थात् चलने लगा चला, किया जाने लगा किया, यह सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त का आधार ऋजुसूत्रनय^१ नामक निश्चय नय है । यह नय केवल वर्तमानग्राही है । अतः इसके अनुसार किसी भी क्रिया का काल समय मात्र है । महावीर का सिद्धान्त है कि कोई भी क्रिया अपने वर्तमान समय में कार्य-साधक होकर दूसरे समय में नष्ट हो जाती है । इस दृष्टि में प्रथम समय की क्रिया प्रथम समय में ही कुछ कार्य करेगी तथा दूसरे समय की दूसरे समय में । प्रथम समय की क्रिया दूसरे समय में नहीं रहती, तथा दूसरे समय की तीसरे समय में । इस दृष्टि में प्रति समयभावी क्रियाएँ प्रति समयभावी पर्यायों का ही कारण बन सकती हैं, उत्तरकालभावी कार्य का नहीं । और जब क्रियाकाल निरग्न समय मात्र है, तब भगवान् महावीर का सिद्धान्त वास्तविक सिद्ध होता है ।^२ जमालि ने इसे बहुसमयात्मक मानकर आग्रहवग्न अपना मतभेद खड़ा किया और वे तथा उनके अनुयायी “बहुरतधर्माचार्य” कहलाए ।^३

तिष्यगुप्त—तिष्यगुप्त चतुर्दश पूर्वधारी वसुनायक आचार्य का निष्य था । उसका मत था कि—“असंख्यात प्रदेशों वाला जीव केवल एक प्रदेश के कम रह जाने मात्र से जीव नहीं कहा जा सकता, अतः जिस अंतिम प्रदेश के कम हो जाने से वह जीव नहीं कहा जा सकता वही प्रदेश तत्त्वतः जीव है ।” गुरु ने उसे समझाया कि जो अंतिम प्रदेश जीवसत्ता को प्राप्त करता है, वह गुणों में एकादि प्रदेशों के समान ही है, अतः जिस प्रकार एकादि प्रदेश अजीव है उसी

१ इस शब्द की व्याख्या “जैनतत्त्वज्ञान” प्रकरण में देखिए ।

२ स्थानागमूत्र, टीका अभयदेव, ५८७ पृ० ३८९-३९०

३ “श्रमण भगवान् महावीर”, चतुर्थ परिच्छेद पृ० २५६

प्रकार अतिम प्रदेश भी अजीव माना जायगा। इस कारण तुम्हारे मत में जीव का अभाव ही हो जाएगा। तिष्यगुप्त को गुरु की यह बात समझ में नहीं आई और वह दुराग्रह के कारण सघ से वहिष्कृत कर दिया गया। ये 'जीवप्रदेशिक धर्माचार्य' कहे जाते थे।^१

आषाढ—आषाढ एक साधु थे। हृदय-शूल के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए तथा अपने ही मृत शरीर में प्रविष्ट होकर वे अपने शिष्यों को पढाते रहे। कार्य पूर्ति के बाद एक दिन शिष्यों से बोले कि "हे शिष्यो, मैं साधु नहीं, देव हूँ, अतः मुझे क्षमा करना कि अब तक मैंने तुम लोगों से अपनी स्तुति, वन्दना कराई।" शिष्य अपने आचार्य को असयत (सयमहीन) देव जानकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और तब से लेकर वे अवक्तव्य-मतवादी हो गए। उनका कहना था कि "यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक व्यक्ति साधु है अथवा देव, इसी तरह देवता के सम्बन्ध में भी कहा नहीं जा सकता कि वह देव है अथवा अदेव।" ये "अवक्तव्य-मत-धर्माचार्य" कहे जाते थे।

अश्वमित्र—इनका मत था कि "प्राणी की उत्पत्ति के बाद उसका सर्वथा नाश हो जाता है, अतः सुकृत और दुष्कृत रूप कर्म का वेदन नहीं हो सकता।" ये "सामुच्छेदिक धर्माचार्य" कहे जाते थे।^२

गंग—ये एक समय उल्लुका नदी पार कर रहे थे, ऊपर सूर्य की उष्णता से सिर में गर्मी लगी तथा नीचे जल की शीतलता से पैर में ठंड। अतः उन्होंने सोचा कि यह कहना गलत है कि एक समय में एक ही क्रिया का वेदन (अनुभवन) होता है। मुझे एक ही समय में दोनों क्रियाओं का अनुभव हो रहा है। ये "द्वैक्रिय-धर्माचार्य" कहे जाते थे।^३

षडुलुक—षडुलुक मानते थे कि ससार में केवल जीवराशि तथा अजीवराशि ये दो ही राशियाँ नहीं हैं।^४ किन्तु "नोजीवराशि" नाम की एक तीसरी राशि भी है। नोजीवराशि का उदाहरण पूछे

१ स्थानाग, टी०, २८७, पृ० ३९०

२ वही, " पृ० ३९१

३. वही, " पृ० ३९२अ.

४. महावीर का कहना था कि राशि दो है, जीवराशि तथा अजीवराशि।
(समवायाग, २, स्थानाग, ५७)

जाने पर वे कहते थे कि यह राशि दृष्टान्तसिद्ध है । जैसे एक वश-खड के तीन हिस्से होते हैं—आदि, अत तथा मध्य, इसी प्रकार ससार की सभी वस्तुएँ तीन राशि वाली हैं । ये “त्रैराशिक धर्माचार्य” के नाम से प्रसिद्ध थे ।^१

गोष्ठामाहिल

गोष्ठामाहिल का मत था कि जिस प्रकार शरीर से कचुकादि (कुरता) का स्पर्शमात्र होता है उसी प्रकार आत्मा तथा कर्म, दोनों का परस्पर केवल स्पर्ग होता है, वधन नहीं । ये “अवद्विक धर्माचार्य” कहे जाते थे ।^२

कुछ अन्य सम्प्रदाय

१ अत्तुक्कोसिय—इस सम्प्रदाय के साधु बड़े स्वाभिमानी होते थे ।

२ भूइकम्मिय—ये लोग भस्म द्वारा दूसरो के ज्वर आदि दूर किया करते थे ।

३ भुज्जो भुज्जो कोउयकारक—ये लोग सौभाग्य प्राप्ति के लिए मंगल स्नान आदि का प्रचार करते थे । इन्हें “आभियोगिय” भी कहा जाता था ।

४. चण्डिदेवग—ये लोग अपने पास एक छोटी सी तलवार (सिक्कक) धार्मिक संपत्ति के रूप में रखते थे ।

५. वगसोयरिय—ये सुइवाई (शुचिवादी) भी कहलाते थे । यदि स्नान के बाद इन्हें कोई छू लेता तो ये चौसठ बार स्नान करते थे । मथुरा के नारायण कोट्ट में एक “दगसोयरिय” साधु रहता था । गोवर ग्रहण करके तीन दिन के उपवास की समाप्ति का छल उसने किया था । वह स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं करता था, और चुप रहता था । लोग उसके आचरण से इतने प्रभावित थे कि वे उसे वस्त्र तथा भोजन-पान दिया करते थे । मलयगिरि के अनुसार ये साधु साख्य-मत के मानने वाले थे ।

६ धम्मचित्तक—ये लोग याज्ञवल्क द्वारा निबद्ध धर्म संहिता के चितन में व्यस्त होकर निरन्तर धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करते रहते थे ।

१. सूत्रकृताग टी०, पृ० ३६२अ

२. सूत्रकृताग, टी० १. १२ पृ० २०९.

७ गीयरइ—ये लोग प्रेमानन्द में विभोर होकर संगीत में तन्मय रहते थे ।

८ गोअम—ये लोग एक सुन्दर जवान बैल को रगों से चित्र-विचित्र करके उसे कौड़ियों से सजाकर उसके द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हुए आजीविका कमाते थे । इनका भोजन चावल मात्र था ।

९ कम्मार-भिक्षु—ये लोग अपने आराध्यदेव की प्रतिमा लेकर भ्रमण किया करते थे ।

१० कुच्चिय—ये लोग लम्बी दाढ़ी तथा मुँछे रखते थे ।

११ परपरिवाइय—ये लोग अन्य साधुओं की निन्दा किया करते थे ।

१२. पिण्डोलग—ये लोग बहुत मैले रहते थे । इनके शरीर में जूँ तक रेंगने लगती थी । इनके देह से बहुत दुर्गन्ध आती थी । एक पिण्डोलग साधु ने “वेभार” नामक पर्वत पर एक चट्टान के नीचे दब कर अपने को समाप्त कर दिया था ।

१३ ससरक्ख—ये लोग इन्द्रजाल विद्या में निपुण होते थे, और बरसात के लिए धूलि का संग्रह कर लिया करते थे । ये नग्न रहते थे तथा हाथ पर ही भोजन करते थे ।

१४. वणीमग—ये लोग भोजन के अति लोभी होते थे और अपने को शाक्य आदि का भक्त बताकर भिक्षावृत्ति किया करते थे । अपनी अवस्था बहुत ही करुण बनाकर तथा अनेक प्रकार की चाटुतापूर्ण बातें करके, ये लोगों के हृदय को द्रवीभूत किया करते थे ।

१५ वारिभद्रक—ये लोग पानी तथा काई पर जीवन निर्भर रखते थे । ये हमेशा स्नान तथा पगधावन में ही व्यस्त रहते थे ।

१६ वारिखल—ये लोग अपने पात्र को वारह वार मिट्टी से रगड़ते थे ।^१

सघ तथा शिष्य-परम्परा

यो तो जैन-धर्म और जैन-सघ महावीर से भी प्राचीन है, क्योंकि तीर्थंकर पार्वनाथ ने महावीर से भी पहिले उनकी स्थापना की थी ।

किन्तु महावीर के समय तक लोक-परिस्थिति इतनी बदल गई थी कि उस प्राचीन जैन-सघ का पुनरुद्धार आवश्यक था । महावीर के “वीरसघ” की चतुर्विध व्यवस्था ने उस आवश्यकता को पूर्ण किया । भगवान् की गरण में अनेक भव्य प्राणी आए थे । कोई श्रमण हुआ, किसी ने उपासक के व्रत धारण किए । पुरुष ही नहीं, स्त्रियो को भी सघ में अपने भाग्य-निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ । अनेक रमणियो ने महाव्रत धारण किए और वे आर्यिका बनीं । जिनकी गृहस्थी से ममता बनी रही, वे अणुव्रतो का पालन करती हुई अपने विकास में तत्पर रही ।

इस प्रकार महावीर के भक्त दो प्रकार के थे—गृहत्यागी और गृहवासी । गृहवासी भक्त उपासक तथा उपासिकाएँ थी, जो व्रती और अव्रती (मात्र सम्यग् दृष्टि) दोनों तरह के थे परन्तु गृह-त्यागी भक्त जो अधिकतर भगवान् के साथ विहार किया करते थे, श्रमण तथा आर्यिकाएँ थीं । अतः वीर-सघ चतुर्विध रूप था, जिसके अंग थे १ श्रमण, २ आर्यिका, ३ उपासक, ४ उपासिका ।^१

कल्पसूत्र में “वीर-सघ” के चारों अंगों का उल्लेख मिलता है । उस सघ में १४ हजार श्रमण थे, जिनमें सबसे प्रधान श्रमण इन्द्रभूति थे । ३६ हजार भिक्षुणी अर्थात् आर्यिकाएँ उस सघ में थी, जिनमें सब से प्रधान आर्यिका चन्दना थी । १ लाख ५६ हजार उपासक उस सघ के अंग थे, जिनमें सबसे प्रधान उपासक गणेशतक थे । ३ लाख १८ हजार उपासिकाएँ उस सघ में थी, जिनमें सबसे प्रधान उपासिका सुलसा थी ।

इसके अतिरिक्त उनके सघ में १४ पूर्वगत ज्ञान के धारी ३०० साधु, अवधिज्ञान के धारी १३०० साधु, केवलज्ञान के धारी ७०० साधु, ७०० ऋद्धिधारी, ५०० मन पर्यय-ज्ञानधारी, ४०० वादी—शास्त्रार्थी तथा ८०० एकभवी (एक भव के बाद मुक्ति पाने वाले) साधु थे ।^२

उनके उपदेग को सुनकर वीरागक, वीरयग, सजय, एण्यक, सेय, गिव, उदयन^३ और गण-इन ८ समकालीन राजाओं ने प्रव्रज्या

१ स्थानाग ३६३.

२ जैन-सूत्राज् भाग १ (कल्पसूत्र), “ला० ऑफ महावीर”, पृ० २६७

३ भगवती सूत्र १२ २.

अगीकार की थी। अभयकुमार,^१ मेघकुमार^२ आदि अनेक राजकुमारों ने भी घर छोड़कर व्रतो को अगीकार किया था। स्कंधक प्रमुख अनेक तापस भी तप का रहस्य जानकर भगवान् के शिष्य बन गए थे। अनेक स्त्रियाँ भी ससार की असारता को जानकर उनके श्रमणी-सघ में सम्मिलित हुई थी, जिनमें अनेक तो राजपुत्रियाँ भी थी। उनके गृहस्थ अनुयायियों में मगधराज श्रेणिक,^३ कुणिक,^४ वैशाली-पति चेटक,^५ अवन्तिपति चण्डप्रद्योत,^६ आदि प्रमुख थे। आनन्द^७ आदि वैश्य श्रमणोपासकों के अतिरिक्त शकडाल पुत्र^८ जैसे कुम्भकार भी उपासक सघ में सम्मिलित थे। अर्जुनमाली जैसे दुष्ट से दुष्ट हत्यारे भी उनके पास वैर त्याग कर, शांति रस का पान कर तथा क्षमा को धारण कर दीक्षित हुए थे। गूद्रो और अतिगूद्रो^९ को भी उनके सघ में स्थान था।

उनका सघ राढादेश, मगध, विदेह, काशी, कोशल, सूरसेन, वत्स, अवन्ती, आदि देशों में फैला हुआ था। उनके विहार के मुख्य क्षेत्र मगध, विदेह, काशी, कोशल, राढादेश, और वत्स थे।^{१०}

गण तथा गणधर

महावीर ने अपनी श्रमण-संस्था को व्यवस्थासौकर्य की दृष्टि से ६ गणों में विभक्त कर दिया था, और इनके नियमन के लिए ११ प्रधान गिण्यों को नियत किया था, जो “गणधर” नाम से प्रसिद्ध थे। गणधरों के जीवन आदि का संक्षिप्त वृत्तान्त हमें कल्पसूत्र, आवश्यक

१ आवश्यक चूर्णि, पृ० ११५.

२ नायाधम्मकहाओ, १.

३ उत्तराध्ययन, २०

४ औपपातिक सूत्र, १२

५ आवश्यक चूर्णि, २, पृ० १६४.

६ वही, पृ० ४०१

७ उवासगदसाओ, १.

८ वही, ७

९ उत्तराध्ययन, १२.

१०. भगवान् महावीर, पृ० ८.

निर्युक्ति आदि सूत्रों में प्राप्त होता है । उनका जीवन वृत्तान्त निम्न प्रकार है—

इन्द्रभूति गौतम महावीर के सबसे प्रधान गिण्य थे । ये मगध देशान्तरगत गोव्वरगाम (गोवर ग्राम) के निवासी गौतम-गोत्रीय ब्राह्मण वसुभूति के पुत्र थे । इन्द्रभूति वैदिक धर्म के प्रखर विद्वान् और अध्यापक थे । एक समय वे पावा-मध्यमा निवासी सोमिलार्य के निमंत्रण पर, अपने ५०० शिष्यों के साथ उनके यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के लिए गए । उधर ऋजुवालिका के तट से विहार कर महावीर भी पावा-मध्यमा में पधारे । इन्द्रभूति वादी वनकर महावीर को पराजित करने के लिए उनकी धर्मसभा में गए, पर उन्होंने इन्द्रभूति को उनके सदिग्ध वेद पदों का वास्तविक अर्थ समझाकर उनके समस्त गिण्यों के साथ अपना शिष्य बना लिया । दीक्षा के समय इन्द्रभूति की अवस्था ५० वर्ष की थी । ये महान् तपस्वी, विनीत तथा गुरु-भक्त श्रमण थे । जिस रात्रि में महावीर का निर्वाण हुआ उसी रात्रि के अंत में इन्द्रभूति को केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ था ।^१ इसके बाद वे १२ वर्ष तक जीवित रहकर महावीर के उपदेशों का प्रचार करते रहे । अंत में अपनी आयु समाप्त होती देखकर, इन्द्रभूति ने अपना गण आर्य सुधर्मा को सम्हालाया और मासिक अनशन के बाद ६२ वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया ।

अग्निभूति तथा वायुभूति, इन्द्रभूति के छोटे भाई थे । ये दोनों भी इन्द्रभूति के समान सोमिलार्य ब्राह्मण के यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपने ५०० शिष्यों के साथ महावीर के निकट आए थे और अपने सदिग्ध वेद पदों का तात्त्विक अर्थ समझकर उनके गिण्य बन गए थे । महावीर ने इन्हें विद्वान् एव अत्यन्त योग्य समझकर क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय गणधर बनाया ।

चौथे तथा पाँचवे गणधर आर्यव्यक्त तथा सुधर्मा थे । ये कोल्लाग सन्निवेश निवासी तथा क्रमशः भारद्वाज गोत्रीय तथा अग्नि-वेश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे । ये दोनों अध्यापक थे और इनके गिण्यों की संख्या भी ५००-५०० थी । पावा-मध्यमा में महावीर के मुख से

अपनी गूढ़ शकाओ का समाधान पाकर ये दोनों उनके धर्म में दीक्षित हो गए थे ।

छठे गणधर का नाम मडिक है । मडिक मौर्यसन्निवेश के रहने वाले वणिष्ठ गोत्रीय विद्वान् ब्राह्मण थे । इनके ३५० शिष्य थे । सातवें गणधर मौर्यपुत्र, काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे । इनका निवास-स्थान भी मौर्यसन्निवेश था । ये भी ३५० छात्रों के अध्यापक थे । महावीर के अष्टम गणधर का नाम अकम्पित था । ये मिथिला निवासी गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके ३०० शिष्य थे । नवें, दशवें तथा ग्यारहवें गणधरों के नाम अचलभ्राता, मेतार्य तथा प्रभास हैं । इनमें अचलभ्राता हारीत गोत्रीय, तथा अन्य दोनों कौण्डिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे । इन तीनों विद्वान् अध्यापकों के प्रत्येक के ३०० शिष्य थे । ये सभी विद्वान् सोमिलार्य के निमंत्रण पर उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए थे, जहाँ पर उनकी महावीर से भेट हुई और उनके उपदेश से प्रभावित होकर वे उनके शिष्य हो गए तथा उनसे प्रव्रज्या धारण की ।

कल्प-सूत्र में उपर्युक्त सभी गणधरों के नाम निम्न प्रकार हैं—
१ इद्रभूइ (इन्द्रभूति), २ अग्निभूइ (अग्निभूति), ३ वाउभूइ (वायुभूति), ४ अज्जवियत्त (आर्यव्यक्त), ५ अज्जसुधम्म (आर्य-सुधर्मा), ६ मण्डिय (मडिक), ७ मोरियपुत्त (मौर्यपुत्र), ८ अकम्पिय (अकम्पित), ९ अयलभाया (अचलभ्राता), १० मेइज्ज (मेतार्य), तथा ११ पभास (प्रभास) ।^१

शिष्य-परम्परा

महावीर अपने जीवनकाल में चतुर्विध सघ के प्रधान थे । उनके निर्वाण के बाद स्थविर आर्य सुधर्मा सघ नायक हुए और वे २० वर्षों तक सघ का अधिपतित्व करते रहे । सुधर्मा के बाद आर्य जम्बू सघ के नायक बने । वे सबसे अंतिम केवली थे । जम्बू के बाद क्रम से प्रभव, गय्यम्भव, यगोभद्र और सभूतिविजय ने सघ का नेतृत्व किया । इसके बाद भद्रवाहु सघ के नेता हुए, इनके समय में भारत-वर्ष में बहुत बड़ा अकाल पड़ा । भद्रवाहु के बाद स्थूलभद्र ने सघ का

सचालन अपने हाथ में लिया । वे नवे नद के प्रधान मंत्री गकटाल के पुत्र थे, ऐसा माना जाता है । स्थूलभद्र बहुत समय तक जैन सघ के प्रधान रहे । जम्बू के बाद छह आचार्य श्रुतकेवली कहे गए हैं ।^१

स्थूलभद्र के बाद आर्य महागिरि संघपति हुए । उन्होंने नग्नवेग को धारण कर प्राचीन जिनकल्प परम्परा का उद्धार किया । स्थूलभद्र के बाद आर्य सुहस्ति ने जिन सघ का नेतृत्व किया । ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने राजा अगोक के पौत्र एव उत्तराधिकारी राजा "सम्पर्ई" (सम्प्रति) को जैनधर्म में परिवर्तित किया था । राजा सम्प्रति जैनधर्म के अत्यन्त भक्त थे और उन्होंने अनार्य देशों में जैनधर्म के प्रचार में पर्याप्त सहयोग दिया था ।

आर्य सुहस्ति के बाद आर्य सुस्थित, सुप्रतिबुद्ध तथा इन्द्रदत्त क्रमशः जैन-सघ के प्रधान बने । इनके बाद सुप्रसिद्ध आचार्य कालकाचार्य ने सघ का शासन किया । इन्होंने अपने समय में सीथियन राजाओं की सहायता से राजा गर्दभिल्ल को परास्त किया था ।^२ ये राजा शातवाहन के समकालीन माने जाते हैं ।

इसके बाद प्रभावगाली आचार्यों में आर्य वज्र का नाम प्रधान है । वे सबसे अंतिम दगपूर्वधारी आचार्य माने गए हैं । ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन पाटिलपुत्र के राजा ने उनका बड़े महोत्सव के साथ सम्मान किया था । उनके समय में दो बार देश में लम्बे समय का अकाल पड़ा । पहली बार उत्तरापथ में, दूसरी बार दक्षिणापथ में । अपनी आयु के अंतिम दिनों में आर्य वज्र रैवतक पर्वत पर गए और अन्न-जल का त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया ।^३

आर्य वज्र के बाद आर्य रक्षित ने सघ का नेतृत्व ग्रहण किया । वे नवपूर्व के ज्ञाता थे । बाद के आचार्यों में उमास्वाति, कुन्दकुन्द, सिद्धसेन दिवाकर, समन्तभद्र, हरिभद्र, अकलक, विद्यानद तथा हेमचन्द्र के नाम प्रधान हैं । सभी आचार्य जैनधर्म के पूर्ण मर्मज्ञ थे और

१ निशीथ चूर्णि, ५, पृ० ४३७.

२ निशीथ चूर्णि, १० पृ० ५७१

३ आवश्यक चूर्णि, पृ० ३१०-३१६, ४०४

उन्होंने जैनधर्म को स्थायी करने के लिए अनेक ग्रन्थों की रचना की। हेमचन्द्र कलिकाल सर्वज्ञ माने गए हैं। वे अद्वितीय प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति थे। उनका समय ११२१ ई० है। उन्हीं के समय में राजा कुमारपाल ने जैनधर्म अंगीकार किया और उसे गुजरात में राजधर्म का पद प्राप्त कराया। तबसे जैनधर्म निरंतर ह्रास पर है।^१



तृतीय अध्याय

जैन-तत्त्वज्ञान

तत्त्वज्ञान

विश्व के बाह्य और आंतरिक स्वरूप के संबन्ध में तथा उसके सामान्य एवं व्यापक नियमों के संबन्ध में जो तात्त्विक दृष्टि से विचार किए जाते हैं, उनका नाम तत्त्वज्ञान है। इस प्रकार से विचार करना मनुष्यत्व का विगिष्ट स्वरूप है, अतएव प्रत्येक देश में निवास करने वाली प्रत्येक प्रकार की मानव-प्रजा में ये विचार अल्प या अधिक अंग में उद्भूत होते हैं।

मनुष्य जाति जब प्रकृति की गोद में आई और उसने सबसे पहिले बाह्य विश्व की ओर आँखें खोली, तब उसके समक्ष अद्भुत और चमत्कारी वस्तुएँ तथा घटनाएँ उपस्थित हुईं। एक ओर सूर्य, चन्द्र और अगणित तारामण्डल तथा दूसरी ओर समुद्र, पर्वत, विशाल नदीप्रवाह, मेघगर्जनाएँ और विद्युत्चमत्कारों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। मनुष्य का मानस इन सब स्थूल पदार्थों के सूक्ष्म चिन्तन में प्रवृत्त हुआ और उसके हृदय में इस संबन्ध में अनेक प्रश्न उद्भूत हुए। जिस प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में बाह्य विश्व के गूढ़ तथा अति सूक्ष्म स्वरूप के विषय में और उनके सामान्य नियमों के विषय में विविध प्रश्न उत्पन्न हुए, उसी प्रकार आंतरिक विश्व के गूढ़ और अति सूक्ष्म स्वरूप के विषय में भी उसके मन में विविध प्रश्न उठे।^१ इन प्रश्नों की उत्पत्ति ही तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति का प्रथम सोपान है।

पूर्वी तथा पश्चिमी तत्त्वज्ञान की प्रकृति की तुलना

पूर्वी हो या पश्चिमी, सभी तत्त्वज्ञान केवल जगत्, जीव और ईश्वर के स्वरूप चिन्तन में ही पूर्ण नहीं होते, परन्तु वे अपने प्रदेश

१. अनेक मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं है कि वे कहाँ से आये हैं और कहाँ जाने वाले हैं ? उनकी आत्मा जन्मजन्मान्तर को प्राप्त करती है या नहीं ? —आचाराग १ १ १—३

मे चारित्र्य का प्रग्न भी हाथ मे लेते हैं। अल्प या अधिक अग मे प्रत्येक तत्त्वज्ञान अपने मे जीवन-गोधन की विविध मीमासा का समा-वेग करता है, फिर भी पूर्वी तथा पश्चिमी तत्त्वज्ञान के विकास मे हम थोड़ी भिन्नता भी देखते हैं।

ग्रीक तत्त्व-चिन्तन का प्रारम्भ केवल विश्व के स्वरूप सवधी प्रश्नो से होता है और आगे जाकर क्रिश्चियेनिटी के साथ इसका सवध होने पर इसमे जीवन-गोधन का भी प्रश्न समाविष्ट होता है। परन्तु आर्य-तत्त्वज्ञान के इतिहास मे हम एक विशेषता देखते हैं, और वह यह कि मानो इस तत्त्वज्ञान का प्रारम्भ ही जीवन-गोधन के प्रग्न से हुआ हो, क्योंकि आर्य-तत्त्वज्ञान की वैदिक, बौद्ध और जैन—इन तीन मुख्य शाखाओ मे समान रीति से विश्वचिन्तन के साथ ही जीवन-गोधन का चिन्तन सकलित है। आर्यावर्त का कोई भी दर्शन ऐसा नहीं कि जो केवल विश्व-चिन्तन करके ही सतोष धारण करता हो। हम देखते हैं कि प्रत्येक मुख्य या शाखारूप आर्य दर्शन जगत्, जीव और ईश्वर सवधी अपने विगिष्ट विचार दिखला करके अत मे जीवन-गोधन के प्रश्न को भी लेता है और जीवन-गोधन की प्रक्रिया दिखला कर के विश्रान्ति लेता है।^१ इसलिए हम प्रत्येक आर्य दर्शन के मूल ग्रन्थ मे प्रारम्भ मे मोक्ष का उद्देश्य और अत मे उसका ही उपसहार देखते हैं।^२

जैन-तत्त्वज्ञान

(अ) पदार्थ-निरूपण—जैनागम मे सद्भाव-पदार्थ ६ माने गए हैं—१ जीव, २. अजीव. ३. आस्रव, ४ वध, ५ सवर, ६ निर्जरा, ७ मोक्ष, ८ पुण्य तथा ९ पाप।^३

१ जैन-तत्त्वज्ञान, पृ० ६.

२ वेदान्तसार, प्रारम्भ “अखड सच्चिदानन्दमवाङ्मानसगोचरध्, आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये।”

समाप्ति “विमुक्तश्च विमुच्यते, इत्यादि श्रुते”

साय्यकारिका—प्रारम्भ “दु खत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ”,
समाप्ति “ऐकान्तिकमात्यन्तमुभय कैवल्यमाप्नोति”

तर्कभाषा—प्रारम्भ “तत्त्वज्ञानान्निश्चयेसाधिगम”

३ स्थानांग, २, ७ १०, १३, १४, १६, ६६५ समवायाग, १

पदार्थ-व्यवस्था की दृष्टि से यह विश्व द्रव्यमय है, किन्तु मुमुक्षु पुरुष के लिए, जिनको तत्त्वज्ञान की आवश्यकता मुक्ति के लिए है, वे पदार्थ ६ माने गए हैं। जिस प्रकार रोगी को रोग-मुक्ति के लिए रोग, रोग का कारण, रोग-मुक्ति और रोग-मुक्ति का उपाय—इन चार बातों का जानना चिकित्सा-शास्त्र में आवश्यक बताया गया है, उसी प्रकार मोक्ष-प्राप्ति के लिए ससार, ससार के कारण, मोक्ष और मोक्ष का उपाय—इस मूलभूत चतुर्व्यूह का जानना परमावश्यक है।

जीव तथा अजीव ये दो पदार्थ मिलकर ही ससार कहे जाते हैं।^१ चेतना लक्षण जीव है और इसके विपरीत अजीव है। पुण्य, पाप तथा आस्रव, बध—ये चार पदार्थ ससार के कारण हैं। मन, वचन तथा काय की शुभ प्रवृत्ति पुण्य और अशुभ प्रवृत्ति पाप कहलाती है। पाप की तरह पुण्य भी ससार का कारण है क्योंकि प्रवृत्ति मात्र, चाहे शुभ-रूप हो चाहे अशुभ-रूप, कर्मगमन में कारण होती है। मुक्ति के लिए तो प्रवृत्ति-निरोध ही आवश्यक है। पुण्य तथा पाप के द्वारा कर्मरूप पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के समीप आगमन होता है, वही आस्रव कहलाता है। आस्रव कर्मगमन का द्वार है। जीव और कर्म का परस्पर में सङ्गिष्ठ हो जाना बध है। जीव का समस्त कर्म-बन्धनों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। सवर तथा निर्जरा, ये दो पदार्थ मोक्ष के कारण हैं। आस्रव के रोकने को सवर कहते हैं, सवर नवीन कर्मों के आगमन का द्वार बंद कर देता है। बधे हुए कर्मों को तप के द्वारा नष्ट कर देना निर्जरा है।^२

१. जीव—जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं, इस ससार में दो पदार्थ ही पूर्ण रूप से व्याप्त हैं, जीव तथा अजीव।^१ इन दोनों पदार्थों से भिन्न ससार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। नव पदार्थों में ये दो

१ समवायाग, १०३

२ बौद्ध-दर्शन में जो दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग—चार आर्यसत्य हैं, (अभिधर्मकोष, ६, २) और साध्य तथा योगदर्शन में हेय, हेय-हेतु, हान, और हानोपाय चतुर्व्यूह है जिसे न्यायदर्शन में “अर्थपद” कहा गया है। इनके स्थान में आस्रव से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व जैन-दर्शन में प्रसिद्ध हैं। —जैनदर्शन, पृ० २१४

३ स्थानाग, ५७

ही मूल पदार्थ हैं, क्योंकि इन दोनों को लेकर ही अन्य पदार्थों की कल्पना हुई है ।

जीव का लक्षण चैतन्य है । जिसमें चेतना गुण—जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति पाई जाती है, वही जीव है । साख्य भी चेतना को पुरुष का स्वरूप मानता है ।^१ ज्ञान और दर्शन—ये जीव के दो विगिण्ट गुण हैं ।^२ प्रत्येक सचेतन प्राणी अपने समक्ष उपस्थित वस्तु का प्रथम दर्शन करता है, और उसके पश्चात् ज्ञान । दर्शन, ज्ञान का पूर्व रूप है । इस प्रकार ज्ञान तथा दर्शनरूप चैतन्य से युक्त प्राणी ही जीव सजा को प्राप्त करता है ।

जीव के भेद—ससार तथा मुक्ति की अपेक्षा जीव के दो भेद किए गए हैं, सिद्ध तथा असिद्ध ।^३ सिद्ध वे जीव हैं जो कर्मों का पूर्ण विनाश करके ससार को छोड़कर मुक्तिगामी हो चुके हैं और असिद्ध वे हैं जो अभी कर्मबन्धन के कारण ससार में पड़े हुए हैं । इन्हे क्रमशः अससार-समापन्नक तथा ससारसमापन्नक कहा गया है ।^४ सिद्ध जीवों में तो कोई भेद होता नहीं है, क्योंकि सभी समान गुण-धर्म वाले होते हैं ।

गति—ससारी जीव जिन-जिन अवस्थाओं में निरन्तर गमन (भ्रमण) करता है वे गति कहलाती हैं । गति चार है—१ नरकगति, २ तिर्यचगति, ३ मनुष्यगति, तथा ४. देवगति ।^५ गति की दृष्टि से ससारी जीव के ४ भेद किए गए हैं—१ नारकी, २ तिर्यच, ३ मनुष्य तथा ४ देव ।^६

पृथ्वी के नीचे सात नरक हैं,^७ उनमें जो जीव निवास करते हैं, वे नारकी कहलाते हैं । स्वर्गों में जो निवास करते हैं वे देव हैं ।^८ जो

१ साख्यकारिका,

२ स्थानाग, १०४

३ वही, १०१

४ वही, ५७

५ वही, २६७

६ वही, ३६५, २९४

७ स्थानाग, ५४६.

८ वही, २५८,

नरक और स्वर्ग के बीच मध्यलोक में निवास करते हैं तथा जिन्होंने मनुष्य-योनि में जन्म पाया है वे मनुष्य हैं। देव, नारकी तथा मनुष्य को छोड़ जितने ससारी जीव हैं वे सब तिर्यच कहलाते हैं।

इन्द्रिय—प्राणी को जो अर्थ ग्रहण (ज्ञान) में सहायक होती हैं वे इन्द्रियाँ कही जाती हैं। इन्द्रियाँ ५ हैं—१ स्पर्शन, २ रसना, ३ घ्राण, ४ चक्षु, तथा ५ श्रोत्र।

स्पर्शन इन्द्रिय वस्तु का स्पर्श करके पदार्थ को जानती है। समस्त शरीर में व्याप्त त्वक् (चर्म) ही स्पर्शन इन्द्रिय है। जो वस्तु का स्वाद लेकर पदार्थ का ज्ञान करती है वह रसनेन्द्रिय है। घ्राणेन्द्रिय वस्तु की गंध को ग्रहण करती है। चक्षु इन्द्रिय का कार्य वस्तुरूप को देखना है तथा श्रोत्रेन्द्रिय का कार्य वस्तु के शब्द को सुनना है।

इन्द्रिय की अपेक्षा ससारी जीव पांच प्रकार के होते हैं—१ एकेन्द्रिय, २ द्वीन्द्रिय, ३ त्रीन्द्रिय, ४ चतुरिन्द्रिय, तथा ५ पचेन्द्रिय। इन्द्रियों के गणन में इनका क्रम अपना विशेष महत्त्व रखता है। एकेन्द्रिय जीव वे हैं, जिनके केवल एक इन्द्रिय, अर्थात् प्रथम (स्पर्शन) इन्द्रिय ही है। द्वीन्द्रिय जीव वे हैं जिनके दो इन्द्रियाँ अर्थात् प्रथम तथा द्वितीय (स्पर्शन एवं रसना) इन्द्रियाँ हैं। त्रीन्द्रिय जीव वे हैं जिनके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (स्पर्शन, रसना तथा घ्राण) इन्द्रियाँ हैं। चतुरिन्द्रिय जीव वे हैं जिनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ (स्पर्शन, रसना, घ्राण तथा चक्षु) इन्द्रियाँ हैं, और पचेन्द्रिय जीव वे हैं जिनके उपर्युक्त पाँचो ही इन्द्रियाँ हैं।^१

इन्द्रियों को दृष्टि में रखकर ससारी जीव के अन्य प्रकार से भी भेद किए गए हैं। ससारी जीव दो प्रकार के हैं—त्रस तथा स्थावर। जिन जीवों के मात्र स्पर्शन इन्द्रिय होती है, वे स्थावर जीव कहे जाते हैं। पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक तथा वनस्पति-कायिक, इस प्रकार पाँच तरह के स्थावर हैं। दो-इन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के जीव त्रस कहे जाते हैं। जैनधर्म के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के अतिरिक्त पृथिवी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति में भी जीव हैं। मिट्टी में कीड़े आदि जीव तो हैं ही किन्तु मिट्टी-

ककड आदि स्वयं भी पृथिवीकायिक जीवों के शरीर का पिण्ड है। इसी तरह जल में यत्रों के द्वारा दिखाई देने वाले अनेक जीवों के अतिरिक्त जल स्वयं जलकायिक जीवों के शरीर का पिण्ड है, यही बात अग्निकाय आदि के विषय में भी जानना चाहिए।^१

लट आदि जीवों के स्पर्शन और रसना, ये दो इन्द्रियाँ होती हैं। चीटी वगैरह के स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं। भौरे आदि के स्पर्शन, रसना, घ्राण तथा चक्षु ये चार इन्द्रियाँ होती हैं। इन इन्द्रियों के द्वारा वे जीव अपने-अपने योग्य स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द का ज्ञान करते हैं। मनुष्य प्रकृति का सर्वोच्च प्राणी है, उसके तथा सर्प, नेवला, पशु-पक्षी आदि के पाँचों ही इन्द्रियाँ होती हैं।

त्रस तथा स्थावर के पाँच उपभेदों को मिलाकर, छह जीव-निकाय (जीवसमुदाय) माने गए हैं। वे निम्न प्रकार हैं—
१ पृथिवीकाय, २ अपकाय, ३ वायुकाय, ४ वनस्पतिकाय, तथा ५ त्रसकाय।^२ इन सभी प्रकार के जीवों का वर्णन ऊपर किया जा चुका है।

जीवों के भेदों का इससे भी सूक्ष्म विवेचन जैनमूत्रों में है। सम-वायाग^३ में चौदह भूतग्राम (जीवों के समूह) कहे गए हैं। ये भेद जीवों के पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक, सूक्ष्म तथा वादर (स्थूल) एवं सजी तथा असजी रूप को ध्यान में रखकर किए गए हैं। पर्याप्तक जीव उन्हें कहते हैं जो जन्म से पूर्व शरीरादि छह पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हैं। जो इन पर्याप्तियों को पूर्ण किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वे अपर्याप्तक कहलाते हैं। एकेन्द्रिय जीवों में सूक्ष्म तथा वादर भेद होते हैं। गेप जीवों के केवल स्थूल होने के कारण उनमें सूक्ष्म भेद नहीं पाया जाता। पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकार के हैं—असजी तथा सजी। असजी जीवों के मन नहीं होता और सजी जीवों के मन होता है। मन का सद्भाव केवल पंचेन्द्रिय प्राणियों में ही है, अतः सजी-असजी का भेद भी केवल उन्हीं में है। वे चौदह भूतग्राम निम्न प्रकार हैं—

१ आचाराग, १, १, (शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन)

२ समवायाग, ६ तथा स्थानाग ४८०

३. वही, १४

- १ सूक्ष्म अपर्याप्तक एकेन्द्रिय (सुहुमा अपज्जत्तया एगिदिया)
- २ सूक्ष्म पर्याप्तक एकेन्द्रिय (मुहुमा पज्जत्तया एगिदिया)
- ३ वादर अपर्याप्तक एकेन्द्रिय (वादरा अपज्जत्तया एगिदिया)
- ४ वादर पर्याप्तक एकेन्द्रिय (वादरा पज्जत्तया एगिदिया)
- ५ अपर्याप्तक द्वीन्द्रिय (अपज्जत्तया वेइदिया)
- ६ पर्याप्तक द्वीन्द्रिय (पज्जत्तया वेइदिया)
- ७ अपर्याप्तक त्रीन्द्रिय (अपज्जत्तया तेदिया)
- ८ पर्याप्तक त्रीन्द्रिय (पज्जत्तया तेदिया)
- ९ अपर्याप्तक चतुरिन्द्रिय (अपज्जत्तया चउरिदिया)
- १० पर्याप्तक चतुरिन्द्रिय (पज्जत्तया चउरिदिया)
- ११ असंज्ञी अपर्याप्तक पचेन्द्रिय (असंज्ञि अपज्जत्तया पचिदिया)
- १२ असंज्ञी पर्याप्तक पचेन्द्रिय (असंज्ञि पज्जत्तया पचिदिया)
- १३ संज्ञी अपर्याप्तक पचेन्द्रिय (संज्ञि अपज्जत्तया पचिदिया)
- १४ संज्ञी पर्याप्तक पचेन्द्रिय (संज्ञि पज्जत्तया पचिदिया)

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जैन-दर्शन जीववहुत्ववादी है। वह प्रत्येक जीव की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता है। स्थानाग में कहा गया है कि प्रत्येक गरीर के हिसाब से एक जीव है।^१ जीवों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को देखकर सांख्य ने भी 'पुरुष' तत्त्व की अनेकता को स्वीकार किया है।^२

गरीर—जीव के क्रिया करने के साधन को गरीर कहते हैं। ससारी जीवों के पाँच प्रकार के गरीर होते हैं—१ औदारिक, २ वैक्रिय, ३ आहारक, ४ तैजस, ५ कार्माण।

जो गरीर उदार (स्थूल) हो, जो जलाया जा सके, जिसका छेदन-भेदन हो सके वह औदारिक गरीर कहलाता है। जो गरीर कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी एक, कभी अनेक इत्यादि विविध प्रकार की विक्रिया कर सके वह वैक्रिय गरीर है। जो शरीर केवल किसी विनेप ऋद्धिधारी (चतुर्दणपूर्वी) मुनियों के द्वारा रचा जा सके, वह आहारक गरीर कहलाता है। जो शरीर तेजोमय होने के कारण ग्रहण किए हुए आहार आदि के परिपाक

१ स्थानाग, १७, तथा ममवायाग, १

२ सांख्यकारिका, १८ (पुरुषवहुत्व सिद्धम्)

का हेतु और दीप्ति का निमित्त हो वह तैजस शरीर है। क्षण-प्रतिक्षण ग्रहण किया जाने वाला कर्म का समूह ही कार्माण शरीर कहलाता है।

तैजस तथा कार्माण शरीर प्रत्येक ससारी जीव के होते हैं। औदारिक शरीर केवल देव तथा नारकियों के होता है। आहारक शरीर का निर्माण कोई विशेष ऋद्धिधारी मुनि ही कर सकते हैं। जब कभी चतुर्दणपूर्वपाठी मुनि को किसी सूक्ष्म विषय में सदेह हो जाता है और जब सर्वज्ञ का सन्निधान नहीं होता, तब वे अपना सदेह-निवारण करने के लिए औदारिक शरीर से क्षेत्रांतर में जाना असंभव समझ कर अपनी विणिष्ट ऋद्धि का प्रयोग करते हुए जो हस्तप्रमाण छोटा शरीर निर्माण करते हैं, वह आहारक शरीर कहलाता है।^१

जन्म—समूच्छन, गर्भ तथा उपपात के भेद से जन्म तीन प्रकार का है। जरायुज, अण्डज तथा पोतज प्राणियों के गर्भ जन्म होता है। जरायु अर्थात् गर्भवेष्टन के साथ जो प्राणी उत्पन्न होते हैं वे जरायुज कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय आदि। अण्डे से पैदा होने वाले जीव अण्डज कहलाते हैं, जैसे साप, मोर, चिड़िया आदि। जो किसी प्रकार के आवरण से वेष्टित न होकर ही पैदा होते हैं वे जीव पोतज कहलाते हैं, जैसे हाथी, गजक, नेत्रला, चूहा आदि।

स्वर्ग तथा नरक में देव तथा नारकियों के जन्म के लिए नियत स्थान-विशेष उपपात कहा जाता है। देव तथा नारकियों के उपपात जन्म होता है क्योंकि वे उपपात-क्षेत्र में स्थित वैक्रिय-पुद्गलो को शरीर के लिए ग्रहण करते हैं। इन दो जन्मों से अतिरिक्त जन्म वाले समस्त प्राणियों का जन्म समूच्छन जन्म कहलाता है।^२

भाव—आत्मा के सभी पर्याय किसी एक ही अवस्था वाले नहीं पाए जाते। कुछ पर्याय किसी एक अवस्था में हैं तो दूसरे कुछ पर्याय किसी दूसरी अवस्था में। पर्यायों की वे भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ भाव कहलाती हैं। आत्मा के पर्याय अधिक से अधिक पाँच भाव वाले हो सकते हैं। वे पाँच भाव निम्न प्रकार हैं—१ औपशमिक, २ क्षायिक, ३ क्षायोपशमिक, ४ औदयिक, ५ पारिणामिक।

औपशमिक भाव वह है जो कर्म के उपगम से पैदा होता है। उपगम एक प्रकार की आत्मशुद्धि है, जो कर्म का उदय विलकुल रुक जाने

१ समवायाग, १५२

२ न्वानाग, ८५, ५४३

पर वैसे ही होती है, जैसे मल नीचे बैठ जाने पर जल में स्वच्छता होती है । क्षायिक भाव वह है जो कर्म के क्षय से पैदा होता है । क्षय आत्मा की वह परम विगुद्धि है जो कर्म का सम्बन्ध विलकुल छूट जाने पर वैसे ही प्रकट होती है, जैसे सर्वथा मल निकाल देने पर जल में पूर्ण स्वच्छता प्रकट हो जाती है । क्षायोपगमिक भाव कर्म के क्षय तथा उपगम दोनों से पैदा होता है । क्षयोपगम भी एक प्रकार की आत्मिक गुद्धि है, जो कर्म के एक अंग का क्षय होने पर प्रकट होती है । यह विगुद्धि वैसी ही मिश्रित है जैसे धोने से मादक शक्ति के कुछ क्षीण हो जाने और कुछ रह जाने पर कोदो की गुद्धि । औदयिक भाव वह है जो कर्म के उदय से उत्पन्न होता है । उदय एक प्रकार की आत्मिक मलिनता है जो कर्म के विपाकानुभाव से वैसे ही होती है, जैसे मल के मिल जाने पर जल में मालिन्य हो जाता है । पारिणामिक-भाव द्रव्य का वह परिणाम है जो केवल द्रव्य के अस्तित्व से आप ही आप हुआ करता है, अर्थात् किसी भी द्रव्य का स्वाभाविक स्वरूप-परिणमन ही पारिणामिक भाव कहलाता है । ये ही पाँच भाव आत्मा के स्वरूप हैं, अर्थात् ससारी या मुक्त कोई भी आत्मा हो, उसके सभी पर्याय उक्त पाँचों भावों में से किसी न किसी भाव वाले अवश्य होंगे ।^१

लेश्या—क्रोध, मान, माया तथा लोभ-रूप कपाय के सद्भाव में मन, वचन तथा काय की प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले आत्म-परिणाम लेश्या कहलाते हैं । लेश्या औदयिक भाव है, जो कि कर्म के उदय होने पर ही होती है । आत्मा के भाव असंख्य हो सकते हैं, इस दृष्टि से लेश्याएँ भी असंख्य हैं किन्तु व्यवहार के लिए उनको मुख्य रूप से छह भागों में विभक्त किया गया है । वे छह भाग निम्न प्रकार हैं—१ कृष्ण लेश्या, २ नील लेश्या, ३. कापोत लेश्या ४ तेजो लेश्या, ५ पद्म लेश्या तथा ६ शुक्ल लेश्या ।

कपाय की तीव्रता के कारण अतिमलिन आत्म-परिणाम कृष्ण-लेश्या है । कपाय की कुछ अल्पता हो जाने से मलिन आत्म-परिणाम नील लेश्या है । कापोत लेश्या में परिणामों की मलिनता नील लेश्या की अपेक्षा और भी अल्प होती है । इसी प्रकार तेजस्, पद्म और

गुक्ल लेख्या में मलिनता की मात्रा अपेक्षाकृत अल्प मे अल्पतर होती चली गई है ।^१

वेद—वेद लिग को कहते हैं । ये तीन है—१ स्त्री वेद, २ पुरुष-वेद, ३ नपुसक वेद ।

ये तीनों वेद द्रव्य और भाव-रूप से दो-दो प्रकार के हैं । द्रव्य वेद का मतलब ऊपर के चिह्न से है और भाव-वेद का मतलब अभिलापा विगेष से है । जिस चिह्न से पुरुष की पहिचान होती है वह द्रव्य पुरुष-वेद है और स्त्री के ससर्गमुख की अभिलापा का भाव पुरुष-वेद है । स्त्री की पहिचान का साधन द्रव्य स्त्री-वेद, और पुरुष के ससर्ग-मुख की अभिलापा का भाव—स्त्री-वेद है । जिसमे कुछ स्त्री के चिह्न और कुछ पुरुष के चिह्न हो वह द्रव्य नपुसक-वेद और स्त्री-पुरुष दोनों के ससर्गमुख की अभिलापा का भाव नपुसक वेद है । नारकी-जीव तथा समूच्छन्न जन्म वाले जीव नपुसक-वेद वाले होते हैं । गेष समस्त ससारी प्राणी तीनों वेद वाले होते हैं ।^२

ज्ञान^३—ज्ञान के दो भेद हैं—प्रत्यक्ष तथा परोक्ष । जो ज्ञान इन्द्रियो तथा मन की सहायता के बिना केवल आत्मा से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । इसके विपरीत इन्द्रिय तथा मन की सहायता से होने वाला ज्ञान परोक्ष कहलाता है ।

प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेद हैं—अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान । अवधिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपगम से, इन्द्रिय तथा मन की सहायता के बिना कुछ निश्चित अवधि तक के पदार्थों का ज्ञान अवधिज्ञान है । इसके दो भेद हैं—भवप्रत्ययावधि तथा क्षायोप-गमिकावधि ।

जो अवधिज्ञान जन्म से प्राणियों को प्राप्त होता है उसे भव-प्रत्ययावधिज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान देव तथा नारकियों के होता है । जो अवधिज्ञान तप आदि अनुष्ठान के द्वारा अवधिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपगम से प्राप्त होता है उसे क्षायोपशमिकावधिज्ञान कहते

१ ममवायाग, ६, स्थानाग, ५०४

२ ममवायाग, १५६

३ “ज्ञान पाँच प्रकार का है—आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, तथा केवलज्ञान ।” —स्थानाग, ४६३.

है। यह ज्ञान पचेन्द्रिय-तिर्यच तथा मनुष्यों के होता है। मन पर्यय-जानावरण कर्म के क्षयोपगम से उत्पन्न, प्राणियों के मनोभावो को जानने वाला ज्ञान मन पर्ययज्ञान कहलाता है। इसके भी दो भेद हैं—ऋजुमति मन पर्यय तथा विपुलमति मन पर्यय। मनोभावो का सामान्य ज्ञान ऋजुमतिमन पर्यय तथा विगिष्टज्ञान विपुलमतिमन पर्यय कहलाता है। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति-मन पर्ययज्ञान विशुद्ध-तर है तथा वह मनोभावो के अधिक सूक्ष्म विगेषो को अधिक स्पष्ट रूप से जानता है। केवलज्ञानावरण कर्म के क्षय से वस्तु की भूत, भविष्यत् एव वर्तमान की समस्त पर्यायो को एक साथ जानने वाला ज्ञान केवलज्ञान कहलाता है।^१ यह ज्ञान 'अरिहत' तथा 'सिद्ध' अवस्था में उत्पन्न होता है।

परोक्षज्ञान दो प्रकार का है—आभिनिवोधिक तथा श्रुतज्ञान।

मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपगम से, इन्द्रिय तथा मन की सहायता द्वारा उत्पन्न ज्ञान आभिनिवोधिकज्ञान कहलाता है। श्रुत-ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपगम से, इन्द्रिय तथा मन की सहायता पूर्वक मतिज्ञान के बाद उत्पन्न होने वाला विचारात्मकज्ञान श्रुतज्ञान कहलाता है। श्रुतज्ञान के दो भेद हैं—अगवाह्य तथा अगप्रविष्ट। आचाराग आदि १२ अगगास्त्र अगप्रविष्ट श्रुतज्ञान है तथा इनसे अतिरिक्त उत्तराध्ययन, दगवैकालिक आदि अनेक आगम ग्रन्थ अगवाह्य श्रुतज्ञान हैं।^२

नय—वस्तु को जानने के साधन दो हैं—प्रमाण तथा नय। प्रमाण वस्तु के पूर्ण रूप को ग्रहण करता है, और नय प्रमाण द्वारा गृहीत वस्तु के एक अंश को जानता है। वस्तु अनन्त धर्मात्मक है, प्रमाण समग्रभाव से ग्रहण करता है, उसमें अग-विभाजन की ओर उसका लक्ष्य नहीं होता। जैसे “यह घड़ा है” इस ज्ञान में प्रमाण घड़े को अखंड भाव से उसके रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि अनन्त गुण-धर्मों का विभाग न करके पूर्णरूप में जानता है, जब कि कोई भी नय उसका विभाजन करके “रूपवान् घट.”, “रसवान् घट” आदि रूप में उसे अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार जानता है।^३

१ कल्पसूत्र, ५, १२७, पृ० २६६

२ स्थानाग (सूत्रवृत्ति-अभयदेव), ७१ पृ० ४५-४७ (व)

३. जैनदर्शन, पृ० ४७५

प्रमाण के आभिनिवोधिक आदि पाँच भेदों का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। नय के सात भेद हैं—१ नैगम, २ सग्रह, ३ व्यवहार, ४ ऋजुसूत्र, ५ गव्द, ६ समभिरुद्ध तथा ७ एवभूत।

नैगम नय—सकल्पमात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय होता है। जैसे कोई पुरुष दरवाजा बनाने के लिए लकड़ी काटने जगल जा रहा है। पूछने पर वह कहता है कि “मैं दरवाजा लेने जा रहा हूँ।” यहाँ दरवाजा बनाने के सकल्प में ही “दरवाजा” व्यवहार किया गया है।

सग्रह नय—अनेक पर्यायों को एक द्रव्य के रूप से या अनेक द्रव्यों को सादृश्यमूलक एकत्वरूप से अभेदग्राही सग्रह नय होता है। जैसे—“संपूर्ण जगत सद्रूप है”, क्योंकि सत्तारहित कोई वस्तु है ही नहीं।

व्यवहार नय—सग्रह नय के द्वारा गृहीत अर्थ में विधिपूर्वक, अवि-सवादी और वस्तुस्थितिमूलक भेद करने वाला व्यवहार नय है। यह नय लोक-प्रसिद्ध व्यवहार का अविरोधी है। जैसे—“सद्रूप वस्तु भी जड-चेतन रूप से दो प्रकार की है। चेतन तत्त्व भी ससारी तथा मुक्तरूप से दो प्रकार का है।” इत्यादि रूप से भेद करना।

ऋजुसूत्र नय—अतीत चूँकि विनष्ट है और अनागत अनुत्पन्न है, अतः वर्तमान क्षणवर्ती अर्थपर्याय को ही विषय करने वाला ऋजु-सूत्र नय कहलाता है। इस नय की दृष्टि में पलाल का ढाह नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि का सुलगाना, धोकना, जलाना आदि असंख्य समय की क्रियाएँ वर्तमान क्षण में नहीं हो सकती।

शब्द नय—काल, कारक, लिंग तथा संख्या के भेद से गव्द-भेद होने पर उनके भिन्न-भिन्न अर्थों को ग्रहण करने वाला गव्द नय है। जैसे भिन्न कारक तथा भिन्न वचनों में कहा गया “देवदत्त” एक ही नहीं, किन्तु अनेक है।

समभिरुद्ध नय—एक-कालवाचक, एक-लिंगक तथा एक-संख्याक भी गव्द अनेक पर्यायवाची होते हैं। यह नय उन प्रत्येक पर्यायवाची गव्दों का अर्थभेद मानता है। जैसे—इन्द्र, गक तथा पुरन्दर—इन तीन गव्दों में प्रवृत्ति निमित्त की भिन्नता होने से भिन्नार्थ वाचकता है।

एवंभूत नय—यह नय, पदार्थ जिस समय जिस क्रिया में परिणत हो उस समय उसी क्रिया से निष्पन्न गवद की प्रवृत्ति स्वीकार करता है। जैसे कोई मनुष्य पूजा करते समय ही “पुजारी” कहा जा सकता है, अन्य समय नहीं।^१

२. अजीव—जिस पदार्थ में ज्ञान-दर्शनरूप चैतन्य नहीं पाया जाए उसे अजीव कहते हैं। यह जीव का विरोधी भावात्मक पदार्थ है। इसके पाँच भेद हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल।

पुद्गल—जिस पदार्थ में स्पर्श, रस, गन्ध, रूप तथा गवद पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं।

स्पर्श के ८ भेद हैं—१ कर्कश, २ मृदु, ३ गुरु, ४ लघु, ५ गीत, ६ उष्ण, ७ स्निग्ध तथा ८ रुक्ष।

रस के पाँच भेद हैं—१. तिक्त, २ कटु, ३ कषाय, ४. अम्ल, तथा ५ मधुर।

गन्ध के दो भेद हैं—सुगन्ध तथा दुर्गन्ध।

रूप के चौदह भेद हैं—१ सुरूप, २ दूरूप, ३ दीर्घ, ४ ह्रस्व, ५ वृत्त ६ त्र्यस्र, ७ चतुरस्र, ८ पृथुल, ९ परिमण्डल, १० कृष्ण, ११ नील, १२ लोहित, १३ हारिद्र, तथा १४ शुक्ल।

गवद के दो भेद हैं—शुभ तथा अशुभ।^२

इन्द्रियो के द्वारा हम जो कुछ देखते हैं, सूँघते हैं, छूते हैं, चखते हैं, और सुनते हैं, वह सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल के दो भेद हैं—अणु तथा स्कन्ध। पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा अणु है तथा एक अणु में एक से लेकर अधिक अणुओं के मिलने से स्कन्ध बनता है।^३

धर्म तथा अधर्म—धर्म तथा अधर्म से पुण्य तथा पाप का अभिप्राय नहीं है। किन्तु ये दोनों भी जीव तथा पुद्गल की तरह स्वतन्त्र पदार्थ हैं। जो, जीव तथा पुद्गल के चलने एवं ठहरने में सहायक होते हैं वे क्रमशः धर्म तथा अधर्म द्रव्य कहे जाते हैं। यद्यपि चलने

१ स्थानाग, ५५२, (अभयदेव—वृत्ति, ३७०-३७१)

२ स्थानाग, ४७

३ वही, ४४२

और ठहरने की शक्ति तो जीव और पुद्गल में ही है, किन्तु बाह्य सहायता के बिना शक्ति की व्यक्त नहीं हो सकती, अतः इन दो पदार्थों का स्वतन्त्र अस्मिन्ध स्वीकार किया गया।

आकाश—जो सभी द्रव्यों को अवकाश देता है उसे आकाश कहते हैं। यह पदार्थ अमूर्तित तथा सर्वव्यापी है। उसके दो भेद हैं—लोकाकाश तथा अलोकाकाश। जहाँ जीव तथा अजीव पदार्थ पाये जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। जहाँ ये दोनों पदार्थ नहीं पाये जाते उसे अलोकाकाश कहते हैं। जैनधर्म के अनुसार लोकाकाश सार्वत्रिक तथा अलोकाकाश अनन्त है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्स्टीन समस्त लोकाकाश को मात मानते हैं।^१

काल—जो वस्तु मात्र के परिवर्तन करने में सहायक है उसे काल द्रव्य कहते हैं। यद्यपि परिणमन की शक्ति सभी पदार्थों में है किन्तु बाह्य निमित्त के बिना इन शक्तियों की व्यक्त नहीं हो सकती, अतः काल द्रव्य का पृथक् अस्तित्व स्वीकार किया गया।

काल द्रव्य के दो भेद हैं—निश्चय काल तथा व्यवहार काल। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर पृथक् पृथक् कालाणु (काल के अणु) स्थित हैं, इन कालाणुओं को निश्चयकाल कहते हैं। आपसी व्यवहार के निमित्त स्थिर किए गए समय, आवली, उच्छ्वास आदि व्यवहार काल हैं। भगवतीसूत्र^३ (व्याख्या प्रज्ञप्ति-सूत्र) में व्यवहार-काल के विषय में निम्न प्रकार विस्तृत विवरण मिलता है।

आकाश के एक प्रदेश में स्थित पुद्गल परमाणु मदगति से जितनी देर में उस प्रदेश से लगे हुए पास के दूसरे प्रदेश पर पहुँचता है उसे "समय" कहते हैं।^४ असंख्यात समयों का समुदाय एक "आवलीका" कहलाती है। असंख्यात आवलीकाओं का एक "उच्छ्वास" और उतनी ही आवलीकाओं का एक "निश्वास" होता है। सञ्ज्ञ और

१ "प्रोफेसर धामीराम ने धर्म द्रव्य की तुलना आधुनिक विज्ञान के "ईथर" नामक तत्त्व से तथा अधर्म द्रव्य की तुलना "सर आइजक न्यूटन" के "आकर्षण सिद्धान्त" से की है।" काममोलोजी ओल्ड एण्ड न्यू, पृ० ४४.

२ काममोलोजी ओल्ड एण्ड न्यू, पृ० ५७.

३ व्याख्याप्रज्ञप्ति (अभयदेववृत्ति) ६, ७, २४६ पृ० ५००-५०२

४ जैन-धर्म पृ० ९७

नीरोग मनुष्य के एक 'श्वासोच्छ्वास' को "प्राण" कहते हैं। इस प्रकार के सात प्राणों का एक "स्तोक" सात स्तोको का एक "लव" और ७७ लवों का एक "मुहूर्त" होता है। इस प्रकार एक मुहूर्त में ३७७३ श्वासोच्छ्वास होते हैं। ३० मुहूर्तों का एक "अहोरात्र" (रात दिन), १५ अहोरात्र का एक "पक्ष", दो पक्ष का एक "मास", दो मास को एक "ऋतु", तीन ऋतुओं का एक "अयन", दो अयन का एक "संवत्सर" (वर्ष) तथा पाँच संवत्सर का एक "युग" होता है।

औषधिककाल दो प्रकार का है—पल्योपम और सागरोपम।

पल्योपम—एक योजन (चार कोस) प्रमाण लवा, चौड़ा, और गहरा एक पल्य (गड्ढा) ठूस-ठूस कर वालाग्रो (जिसका दूसरा खड न हो सके ऐसे बाल) से भरा जाए। उस पल्य में से सौ-सौ वर्ष के अन्तर में एक-एक वालाग्र निकाला जाए और इस प्रकार जितने काल में वह पल्य खाली हो जाए उतने काल को एक पल्योपम कहते हैं।

सागरोपम—दस कोटाकोटि (एक करोड़ × एक करोड़) पल्योपमों का एक सागरोपम होता है।

व्यवहारकाल के अन्य छह भेद किए गए हैं—१ सुपमसुपमा, २ सुपमा, ३ सुपमदुषमा, ४ दुषमसुपमा, ५ दुषमा, ६ दुषमदुषमा।

चार कोटाकोटि सागरोपम का सुपमसुपमा काल है। तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुपमा काल है। दो कोटाकोटि सागरोपम का सुपमदुषमा काल है। व्यालीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम का दुषमसुपमा काल है। इक्कीस हजार वर्ष का दुषमा काल है। इक्कीस हजार वर्ष का ही दुषमदुषमा काल है। इन त्वासोन्मुख छह कालों के समुदाय को अवसर्पिणी कहते हैं। इसी प्रकार दुषमदुषमा से लेकर सुपमसुपमा तक का विकासोन्मुख काल उत्सर्पिणी कहलाता है। इस प्रकार दस कोटाकोटि सागरोपम अवसर्पिणी तथा दस कोटाकोटि सागरोपम उत्सर्पिणी काल^१ है।

२. आस्रव—जीव को एक तालाव की उपमा दी गई है तथा कर्म को जल की। जीव रूपी तालाव में कर्मरूपी जल का आगमन आस्रव

है। आत्मव के द्वार पाँच कहे गये हैं—१ मिथ्यात्व, २ अविरति, ३ प्रमाद, ४ कपाय, और ५ योग^१।

मन मे पदार्थों की यथार्थता के प्रति श्रद्धा न होना मिथ्यादर्शन है।^२ हिंसादि पापों के त्यागरूप व्रत का अभाव अविरति है। धर्म के प्रति अश्रद्धा के कारण धर्माचरण मे आलस्य प्रमाद है।^३ क्रोध, मान, माया तथा लोभ, आत्मा को दुःख देने के कारण कपाय कहे गये हैं।^४ मन, वचन तथा काय की प्रवृत्ति योग है।^५ आत्मा प्रतिक्षण मिथ्यादर्शनादि के द्वारा कर्म का आकर्षण करता रहता है। प्रश्न व्याकरणाग मे आत्मव के कारणभूत हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन तथा परिग्रह रूप पाचो पापों को आत्मव कहा गया है।^६

४ बंध—कपाय सहित होने के कारण जीव के द्वारा कर्मरूप पुद्गल-परमाणुओं का ग्रहण किया जाना बंध है। बंध शब्द का अर्थ है-बधन, अर्थात् आत्मा तथा कर्म का परस्पर बंध जाना—एक क्षेत्र मे स्थित हो जाना। यह बंध चार प्रकार का है—१ प्रकृतिबध, २ स्थितिबध, ३ अनुभावबध, ४ प्रदेगबध।

कर्म पुद्गलो मे जानादि को आवरण करने का जो स्वभाव वनता है वही स्वभाव-निर्माण प्रकृतिबध है। स्वभाव वनने के साथ ही साथ उस स्वभाव से किसी निश्चित समय तक च्युत न होने की मर्यादा भी पुद्गलो मे निर्मित होती है, यह काल-मर्यादा का निर्माण ही स्थितिबध है। स्वभावनिर्माण के साथ ही उसमे तीव्रता, मन्दता आदि रूप मे फलानुभव कराने वाली विशेषताएँ बधती हैं। ऐसी विशेषता ही अनुभावबध है। ग्रहण किए जाने पर भिन्न-भिन्न स्वभाव में परिणत होनेवाली कर्मपुद्गलराशि स्वभावानुसार किन्ही निश्चित परिमाणो मे बँट जाती है, यह परिमाणविभाग ही प्रदेगबध कहा जाता है।

^१ स्यानाग, ४१८, (अभयदेव वृत्ति, पृ० ३००-३०१ व)

^२ वही, ७०

^३ वही, १६६

^४ वही ४८

^५ वही, १२४

^६ प्रश्नव्याकरणाग, १, २, पृ० ५ अ

कर्म की प्रकृतियाँ आठ हैं—१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र, तथा ८ अन्तराय ।

जो कर्म आत्मा के ज्ञानगुण का आवरण करता है वह ज्ञानावरणकर्म कहलाता है । इसके पाँच भेद हैं—१ आभिनिवोधिक-ज्ञानावरण, २ श्रुतज्ञानावरण, ३ अवधिज्ञानावरण ४ मन पर्यय-ज्ञानावरण, ५ केवलज्ञानावरण । ये पाँचो ज्ञानावरण क्रमग आभिनिवोधिक, श्रुत, अवधि, मन पर्यय तथा केवलज्ञान का आवरण (आच्छादन) करते हैं ।^१

जिसके द्वारा दर्शन (सामान्यबोध) का आवरण हो, वह दर्शनावरण है । दर्शनावरण कर्म के नव भेद हैं—१ निद्रा, २ प्रचला, ३ निद्रानिद्रा, ४ प्रचलाप्रचला, ५ स्त्यानगृद्धि, ६ चक्षुदर्शनावरण, ७ अचक्षुदर्शनावरण, ८ अवधिदर्शनावरण, तथा ९ केवलदर्शनावरण ।

जिस कर्म के उदय से सुखपूर्वक जाग सके ऐसी निद्रा आवे, वह निद्रा है । जिस कर्म के उदय से बैठे-बैठे या खड़े-खड़े ही निद्रा आ जावे, वह प्रचला है । जिस कर्म के उदय से निद्रा से जागना अत्यन्त दुष्कर हो, वह निद्रानिद्रा है । जिस कर्म के उदय से चलते-चलते ही नींद आ जाए वह प्रचलाप्रचला है । जिस कर्म के उदय से जागृत अवस्था में सोचे हुए काम को निद्रावस्था में करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाए, वह स्त्यानगृद्धि है । जो कर्म चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, तथा केवलदर्शन का आवरण करे, वे कर्म क्रमग चक्षुदर्शनावरण, अक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण तथा केवलदर्शनावरण कहलाते हैं ।^२

जिससे सुख या दुःख का अनुभव हो वह वेदनीय कर्म है । वेदनीय के दो भेद हैं—सातावेदनीय तथा असातावेदनीय । जिस कर्म के उदय

१ स्थानाग ५९६, (अमयदेवसूत्रवृत्ति, पृ० ३९४, ३९५)

२ वही, ४६४

३ स्थानाग, ६६८, ममवायाग ९

“आत्मगुण चैतन्य, अवस्था विशेष में निराकार रह कर दर्शन, और साकार होकर ज्ञान कहलाता है । दर्शन की व्याख्या पदार्थों के सामान्यावलोकन तक जा पहुँची ।” जैनदर्शन, पृ० २६५

मे प्राणी को मुख का अनुभव हो, वह मातावेदनीय है। जिस कर्म के उदय से प्राणी को दुःख का अनुभव हो वह अमातावेदनीय है।^१

जिस कर्म के उदय से आत्मा मोह (मूढता राग-द्वेष) को प्राप्त हो वह मोहनीय कर्म है। मोहनीय के दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय। जिस कर्म के उदय से पदार्थों का यथार्थ श्रद्धानुरूप दर्शन न हो वह दर्शनमोहनीय है। जिस कर्म के उदय से सामायिकादि चारित्र मे रुचि उत्पन्न न हो वह चारित्रमोहनीय है।^२

जिस कर्म के उदय से भव-धारण हो, वह आयु है। आयु के चार भेद हैं—१ नरकायु, २ तिर्यचायु, ३ मनुष्यायु, ४ देवायु। जिस कर्म के उदय से प्राणी को नरक, तिर्यच, मनुष्य तथा देवगति का जीवन व्यतीत करना पड़े, वह क्रमशः नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु तथा देवायु है।^३

जिसमे विगिष्ट गति जाति आदि की प्राप्ति हो वह नाम है। नामकर्म के दो भेद हैं—१ शुभनामकर्म, २ अशुभनामकर्म। जिस प्रकार निपुण चित्रकार सुन्दर तथा असुन्दर एवं प्रिय तथा अप्रिय रूपों का निर्माण करता है, इसी प्रकार नामकर्म भी जीव के शुभन तथा अशुभन एवं इष्ट तथा अनिष्टरूप अनेक आकृतियों का निर्माण करता है। जिस कर्म के उदय से प्राणी का सुन्दर तथा इष्ट रूप उत्पन्न हो वह शुभ नामकर्म है। जिस कर्म के उदय से अशुभ एवं अप्रिय रूप उत्पन्न हो, वह अशुभ नामकर्म है।^४

“दर्शन के चार भेद हैं—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन तथा केवलदर्शन। चक्षु इन्द्रिय मे होने वाला मामान्यावलोकन चक्षुदर्शन है। चक्षु को छोड़ अन्य इन्द्रियो से होने वाला मामान्यावलोकन अचक्षुदर्शन है। इसी प्रकार अवधिज्ञान तथा केवलज्ञान मे पूर्व होने वाला मामान्यावलोकन क्रमशः अवधिदर्शन तथा केवलदर्शन है।”

—स्थानाग, ३६५

१ स्थानाग, १०५

२ वही, १०५

३ वही, २९४

४ स्थानाग, १०५ (अभयदेवसूत्रवृत्ति, पृ० ९२, नोट न० १)

जिससे ऊँचपन या नीचपन मिले वह गोत्रकर्म है। गोत्र के दो भेद हैं—उच्चगोत्र तथा नीचगोत्र। प्रतिष्ठा-प्राप्त कुल में जन्म दिलाने वाला कर्म उच्चगोत्र है। शक्ति रहने पर भी प्रतिष्ठा न मिल सके ऐसे कुल में जन्म दिलाने वाला कर्म नीचगोत्र है।^१

जिस कर्म के उदय से लेने तथा देने आदि में विघ्न हो वह अन्तरायकर्म है। अन्तराय के दो भेद हैं—प्रत्युत्पन्नविनाशि तथा पिधत्ता-गामिपथ। जिस कर्म के उदय से वर्तमान में, वस्तु के लाभादि में विघ्न पड़े वह प्रत्युत्पन्नविनाश अन्तराय है। जिस कर्म के उदय में भविष्य में प्राप्त करने योग्य वस्तु के लाभादि में विघ्न पड़े वह पिधत्तागामिपथ अन्तराय है।^२

५. संवर—जीवरूपी तालाब में कर्मरूपी जल का आना आस्रव कहलाता है, ठीक इसके विपरीत कर्मरूपी जल के आने को रोक देना संवर है। आस्रव संवर का विरोधी है, इस कारण जो मिथ्यादर्शनादि आस्रव के द्वार कहे गए हैं उनके विरोधी सम्यग्दर्शनादि संवर के द्वार हैं। संवर के पाँच द्वार हैं—१ सम्यक्त्व, २ विरति, ३ अप्रमाद, ४ अकपाय, ५ अयोग। ये पाँचो क्रमशः आस्रव के प्रकरण में कहे गए मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कपाय, तथा योग के अभाव से होते हैं।^३ प्रज्ञव्याकरणाग में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह संवर के द्वार कहे गए हैं।^४

६. निर्जरा—आत्मा के साथ बंधे हुए जानावरणादि कर्मों का एकदेग से नष्ट होना निर्जरा है। समवायाग में निर्जरा-स्थान (निर्जरा के कारण) पाँच बताए गए हैं—१ प्राणातिपात (हिंसा) से विरमण, २ मृषावाद (असत्य) से विरमण, ३ अदत्तादान (चोरी) से विरमण, ४ मैथुन (अब्रह्मचर्य) से विरमण, ५ परिग्रह से विरमण। प्राणातिपात आदि का जब सपूर्णरूप से त्याग होता है तब ये महाव्रत कहलाते हैं। जब इनका स्थूलरूप से त्याग होता है तब ये अणु-

१ स्थानाग १०५, (अभयदेव वृत्ति, पृ० ९२, नोट न० १)

२ वही, १०५

३ वही, ४१८ (अभयदेवसूत्रवृत्ति, पृ० ३००)

४ प्रज्ञव्याकरणाग, द्वितीय श्रुतस्कन्ध, (संवरद्वार)।

व्रत कहलाते हैं। किन्तु जब इनका त्याग साधारणरूप से होता है तब ये निर्जरा-स्थान कहे जाते हैं।^१

७. मोक्ष—आत्मा के साथ बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मों का सपूर्णरूप से अभाव हो जाना मोक्ष है। समवायाग में मुक्त आत्मा (सिद्ध) के ३१ गुण कहे गए हैं। ज्ञानावरणादि पाँच कर्मों के अभाव से पाँच गुण, दर्शनावणादि ६ कर्मों के अभाव से ६ गुण, सातावेदनीय तथा असातावेदनीय के अभाव से दो गुण, दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय के अभाव से दो गुण, नरक, तिर्यच, मनुष्य तथा देव-आयु के अभाव से चार गुण, शुभनाम तथा अशुभनाम कर्म के अभाव से दो गुण, उच्चगोत्र तथा नीचगोत्र के अभाव से दो गुण तथा दानान्तराय आदि पाँच अन्तरायों के अभाव से पाँच गुण, इस प्रकार आठों कर्मों के अभाव हो जाने से मुक्त जीवों के ३१ गुण प्रकट हो जाते हैं।^२

८-९ पुण्य तथा पाप—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रहरूप शुभकर्म पुण्य हैं तथा हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन तथा परिग्रहरूप अशुभकर्म पाप हैं। वास्तव में यदि शुभ एवं अशुभ कर्मों की गणना की जावे तो पुण्य तथा पाप के अनेक भेद हो जाएँगे किन्तु अहिंसादि समस्त शुभकर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह हिंसादि समस्त पाप कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं।^३

(ब) लोक का स्वरूप

यह समस्त ससार तीन भागों में विभक्त है।^४ ऊर्ध्वलोक, तिर्यग्लोक तथा अधोलोक। अधोलोक मेरुपर्वत के समतल के नीचे नौ सौ योजन की गहराई के बाद गिना जाता है। समतल के नीचे तथा ऊपर के नौ सौ, नौ सौ योजन अर्थात् कुल अठारह सौ योजन का तिर्यग्लोक है। तिर्यग्लोक के ऊपर सपूर्ण प्रदेश ऊर्ध्वलोक है।^५

१ समवायाग, ५ (अभयदेवसूत्रवृत्ति, पृ० १०)

२ वही, ३१

३ समवायाग, १ तथा स्थानाग, ५९ । तुलना, “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेनेति।” बृहदारण्यकोपनिषद्, ५६०

४ स्थानाग, १५३

५ वही, १५३ (अभयदेवसूत्रवृत्ति, पृ० १२१ व)

यह लोक नीचे की ओर विस्तृत, मध्य में सक्षिप्त और ऊपर के भाग में विगल है। आकार में वह अधोभाग में पलग जैसा, मध्य भाग में वज्र जैसा और ऊपर भाग में मृदग जैसा है। यह लोक गावत, परीत्त (असंख्येयप्रदेगात्मक) तथा परिवृत (अलोकाकाश से व्याप्त) है।^१

भगवती सूत्र में लोकस्थिति का स्वरूप बहुत स्पष्टरूप से समझाया गया है,^२—“त्रस स्थावरादि प्राणियो का आधार पृथिवी है, पृथिवी का आधार उदधि है, उदधि का आधार वायु है और वायु का आधार आकाश है। जैसे कोई पुरुष मग्न को हवा से पूर्ण भर कर उसका मुह बंद करदे, फिर उसको बीच में से मजबूत बाध कर मुह पर की गाँठ खोल हवा निकाल कर उसमें पानी भर दे और फिर मुह पर कसकर गाँठ बाँध दे, फिर बाद में बीच की गाँठ खोल दे तो वह पानी नीचे की हवा पर ठहरेगा। इसी तरह आकाश के ऊपर हवा और हवा के ऊपर पृथिवी आदि रहते हैं।”

ऊर्ध्वलोक—मध्यलोक के ऊपर कुछ कम ७ रज्जुप्रमाण विस्तार वाला ऊर्ध्वलोक है।^३ यह देवताओं का निवास स्थान है। देवता ४ प्रकार के कहे गए हैं—१. भवनवासी, २ व्यन्तर, ३ ज्योतिष्क, ४ वैमानिक।

भवनवासी देव भवनो में निवास करते हैं। इनके भवन नगर-सदृश होते हैं। वे बाहर से गोल और भीतर से समचतुष्कोण और नीचे पुष्पकणिका जैसे होते हैं।

भवनवासियों के १० भेद हैं—१ अमुरकुमार, २ नागकुमार, ३ विद्युत्कुमार, ४ मुपर्णकुमार, ५ अग्निकुमार, ६ वातकुमार, ७ स्तनितकुमार, ८ उदधिकुमार, ९ द्वीपकुमार, १० दिक्कुमार।^४

सभी भवनवासी देव कुमार कहलाते हैं, क्योंकि वे कुमार की तरह देखने में मनोहर तथा सुकुमार होते हैं और मृदु एवं मधुरगति-वाले तथा क्रीड़ागील होते हैं।

१ भगवती, ५ ९

२ वही, १ ६

३ स्थानांग, १५३ (अभयदेवसूत्रवृत्ति, पृ० १०१ व)

४ वही, २५८

५ वही, ७३६

व्यन्तरदेव अपनी इच्छा से या दूसरो की प्रेरणा से तीनो लोको मे भिन्न-भिन्न स्थानो पर जाया करते है। वे विविध प्रकार के पर्वत तथा गुफाओ के अतरो मे वसने के कारण व्यन्तर कहलाते है।

इनके ८ भेद है—१ पिशाच, २ भूत, ३ यक्ष, ४ राक्षस, ५ किन्नर, ६ किपुरुष, ७ महोरग, ८ गन्धर्व।^१

ज्योतिष्क जाति के देव प्रकाशमान विमानो मे निवास करने के कारण ज्योतिष्क कहलाते है। इनके पाँच भेद है—१ चन्द्र, २ सूर्य, ३ ग्रह, ४ नक्षत्र, ५ तारा।^२

वैमानिकदेव यद्यपि विमानो मे निवास करते है फिर भी उनका यह नाम पारिभाषिक मात्र है, क्योंकि अन्य देव भी विमानो मे रहते है। इन देवो के विमान एक दूसरे के ऊपर स्थित है। वैमानिको के दो भेद है—कल्पोपपन्न तथा कल्पातीत। जो कल्प मे रहते है वे कल्पोपपन्न कहलाते है। कल्प के १२ भेद है—१ सौधर्म, २ ऐगान, ३ सानत्कुमार, ४ माहेन्द्र, ५ ब्रह्मलोक, ६ लान्तक, ७ महाशुक्र, ८ सहस्रार, ९ आनत, १०. प्राणत, ११. आरण, १२ अच्युत।

कल्पो के ऊपर अनुक्रम से ६ विमान है, जो पुरुषाकृति लोक के ग्रीवास्थानीय भाग मे होने के कारण ग्रैवेयक कहलाते है। इनके ऊपर विजय, वैजयन्त, जयत, अपराजित, तथा सर्वार्थसिद्धि, ये पाँच विमान क्रम से ऊपर-ऊपर है, जो सबसे उत्तर (प्रधान) होने के कारण अनुत्तरोपपातिक कहलाते है।^३

तिर्यग्लोक—ऊर्ध्वलोक के नीचे तथा अधोलोक के ऊपर १८ मौ योजन प्रमाण तिर्यग्लोक है।^४ इसमे मनुष्य तथा तिर्यचो का निवास है। लोक के मध्य मे होने के कारण इसे मध्य-लोक भी कहते है।

मध्यलोक में असख्यात द्वीप और समुद्र है। वे क्रम से द्वीप के बाद समुद्र तथा समुद्र के बाद द्वीप इस तरह अवस्थित है। जम्बूद्वीप थाली जैसा गोल है और अन्य सब द्वीप तथा समुद्रो की आकृति वन्य

१ स्थानांग, ६५४

२ वही, ४०१

३ समवायाग, १४९

४ स्थानाग, १५३ (अभयदेवसूत्रवृत्ति, पृ० १२१ व)

[चूड़ी] के समान है। जम्बूद्वीप लवणसमुद्र से वेष्टित है, लवणसमुद्र धातकीखण्ड-द्वीप से वेष्टित है, धातकीखण्ड-द्वीप कालोदधिसमुद्र से, कालोदधिसमुद्र पुष्करवरद्वीप से और पुष्करवरद्वीप पुष्करोदधि से वेष्टित है। यही क्रम स्वयंभूरमणसमुद्र-पर्यन्त है।

जम्बूद्वीप—जम्बूद्वीप सबसे पहला द्वीप है और समस्त द्वीप-समुद्रों के बीच में स्थित है। इसका विस्तार एक लाख योजन प्रमाण है।^१ इसके बीच में मेरुपर्वत की ऊँचाई एक लाख योजन है।

जम्बूद्वीप में सात क्षेत्र हैं, जो वर्ष कहलाते हैं। इनमें पहला भरत-क्षेत्र है जो दक्षिण की ओर है। भरत से उत्तर की ओर हैमवत, हैमवत के उत्तर में हरि, हरि के उत्तर में विदेह, विदेह के उत्तर में रम्यक, रम्यक के उत्तर में हैरण्यवत और हैरण्यवत के उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है।

सातों क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करने वाले उनके मध्य छह पर्वत हैं, जो वर्षधर कहलाते हैं। ये सभी पर्वत पूर्व-पश्चिम लम्बे हैं। भरत और हैमवत के बीच हिमवान् पर्वत है। हैमवत और हरि का विभाजक महाहिमवान् है। हरि और विदेह को जुदा करने वाला निषध पर्वत है। विदेह और रम्यक को भिन्न करने वाला नील पर्वत है। रम्यक और हैरण्यवत को विभक्त करने वाला रुक्मी पर्वत है। हैरण्यवत और ऐरावत का विभाग करने वाला शिखरी पर्वत है।^१

जम्बूद्वीप में सात महानदियाँ हैं जो कि पूर्वाभिमुख होकर लवण-समुद्र में गिरती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) गंगा, (२) रोहिता, (३) हरी, (४) सीता, (५) नरकान्ता, (६) सुवर्णकूला और (७) रक्ता। इसी प्रकार अन्य सात नदियाँ भी पश्चिमाभिमुख होकर लवणसमुद्र में गिरती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) सिन्धु, (२) रोहितास्या, (३) हरिकान्ता (४) सीतोदा, (५) नारीकान्ता (६) रुष्यकूला तथा (७) रक्तवती।^२

जम्बूद्वीप की अपेक्षा धातकीखण्डद्वीप में मेरु, वर्ष, वर्षधर तथा नदियों की संख्या द्विती है। मेरु आदि की जो संख्या धातकीखण्ड-

१. स्थानांग, १६३.

२. समवायांग, १.

३. स्थानांग, ८६-८२, ५५५

४. वही, ५५५

द्वीप की है वही संख्या पुष्करार्ध-द्वीप की भी है, क्योंकि पुष्करवर द्वीप के अर्द्धभाग में मानुषोत्तर पर्वत के पहले ही मनुष्य तथा तिर्यंचो का निवास है।^१

अधोलोक—तिर्यंग्लोक के नीचे कुछ अधिक सात रज्जुप्रमाण विस्तार वाला अधोलोक है। इनमें नारकी जीवों का निवास है। जो जीव अशुभ कर्मों द्वारा पापोपार्जन करके नरकगति को प्राप्त करते हैं, वे नारकी कहलाते हैं। नारकी जीव इन पृथ्वियों में आ कर अपने पूर्वोपाजित कर्मानुसार महादुःखों को भोगते हैं।

अधोलोक के सात विभाग हैं (१)—रत्नप्रभा, (२) शर्कराप्रभा, (३) वालुकाप्रभा, (४) पकप्रभा, (५) धूमप्रभा (६) तम, तथा (७) तमस्तमः।

इन सातों पृथ्वियों के नाम उस उस पृथ्वी में रहने वाली प्रभा एवं अंधकार की तरतमता के अनुसार हैं। जैसे रत्नप्रभा पृथ्वी में रत्न की प्रभा के समान प्रकाश है तथा तमस्तम-पृथ्वी में घोर अन्धकार है।^२

जैनधर्म और ईश्वर

जैनधर्म की यह विशेषता है कि उसमें प्राकृतिक तथा आधिदैविक देवों अथवा नित्यमुक्त ईश्वर को ही पूज्य का स्थान नहीं है; उसमें तो एक सामान्य मनुष्य भी अपना चरम विकास करके जनसाधारण के लिए ही नहीं, किन्तु देवों के लिए भी पूज्य बन जाता है।^३ इसी कारण इन्द्रादि देवों का स्थान जैनधर्म में पूजक का है, पूज्य का नहीं। स्थानांग में कहा गया है कि अरिहंतों की उत्पत्ति के समय, उनके प्रव्रज्यां धारण करने के समय तथा उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न होने के समय इन्द्रादि देव अपने आसन से उठते हैं, आसन से चलते हैं, सिंहनाद (हर्ष ध्वनि) करते हैं, चेलोत्क्षेप (हर्ष में उन्मत्त होकर वस्त्रादि फेंकना) करते हैं तथा महोत्सव मनाने के लिए स्वर्गलोक से उतर कर मनुष्यलोक में आते हैं।^४

१. स्थानांग, ५५५ तथा ६३

२. वही, ५४६

३. “देवा वि तं नमसति जस्स धम्मं सया मणो।” दशवैकालिक

४. स्थानांग, १३४

जैनधर्म में महावीर ईश्वर के अवतार नहीं हैं, किन्तु वे केवल मानव ही हैं, जिन्होंने अपने सत्प्रयत्नों द्वारा समस्त कर्मों से मुक्ति पा कर परमात्म-पद को प्राप्त किया है। उन्हें नित्यवद्ध तथा नित्य-मुक्त ईश्वर कभी नहीं कहा गया, क्योंकि नित्य-ईश्वर को इस संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। नित्यमुक्त ईश्वर को न मानने में एक बाधा उपस्थित हो सकती है कि “इस समस्त सृष्टि का निर्माण एवं व्यवस्था कौन करेगा ?”

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर सूत्रकृतांग में बहुत विस्तार के साथ दिया गया है। कोई कहते हैं कि किसी देवता के द्वारा यह लोक बनाया गया है, और दूसरे लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने यह लोक बनाया है।^१ ईश्वर-कारणवादी कहते हैं कि जीव, अजीव, सुख तथा दुःख से युक्त यह लोक ईश्वरकृत है और सांख्यवादी कहते हैं कि यह लोक प्रधानादिकृत है।^२ कोई अन्यतीर्थी कहते हैं कि विष्णु ने इस लोक को बनाया है। किसी का कहना है कि यमराज ने माया द्वारा इसका निर्माण किया है।^३ कोई ब्राह्मण-श्रमण ऐसा भी कहते हैं कि यह जगत् अण्डे से उत्पन्न हुआ है।^४ पूर्वोक्तवादी अपनी इच्छा से जगत् को किया हुआ बतलाते हैं, किन्तु वे वस्तुस्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह जगत् कभी भी अनित्य नहीं है।^५

उपर्युक्त कथन से यह सिद्ध है कि जगत् अनादि एवं अनन्त है, अतः इस जगत् को बनाने के लिए किसी सृष्टिकर्तारूप ईश्वरादि के मानने की आवश्यकता नहीं है।

जैनसंस्कृति के अनुसार जो भी प्राणी त्याग और तपस्या के मार्ग पर चल कर अपने आत्मविकास की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, वह

१. सूत्रकृतांग, १, १, ३, ५

२. वही, १. १ ३. ६.

“प्रकृति से महान् (बुद्धितत्त्व) उत्पन्न होता है, महान् से अहंकार, अहंकार से सोलह पदार्थों का गण, उस गण में से पाँच तन्मात्राओं द्वारा पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार यह सृष्टि-रचना का क्रम है।”

—सांख्यकारिका, २२

३. सूत्रकृतांग १. १. ३ ७

४. वही, १. १. ३ ८

५. वही १. १. ३. ६

पूर्ण बन जाता है। उसे हम अलीकिक ऐश्वर्य का भोग करने के कारण 'ईश्वर' आत्मा के परमोत्कृष्ट पद प्राप्त कर लेने के कारण 'परमात्मा' आदि नामों से पुकारते हैं।

परमात्मपद को प्राप्त ईश्वर दो प्रकार के माने गए हैं—सदेह-मुक्त तथा विदेहमुक्त।

परमात्मपद पा लेने के बाद आत्मा जब तक संसार में निवास करती है, तब तक वह सदेहमुक्त परमात्मा है। उसे 'अरिहत' 'जीवन्-मुक्त' आदि के नामों से संबोधित किया जाता है।^१ वही आत्मा शरीर छोड़ देने के बाद पूर्ण परमात्मपद को प्राप्त कर सिद्ध संज्ञा को ग्रहण करती है।^२ महावीर ने बारह वर्ष की निरन्तर कठिन तपश्चर्या के बाद अरिहत पद को पाया और लगभग तीस वर्ष के अरिहत पद के बाद शरीर का त्याग कर सिद्धपद को प्राप्त किया।^३



१. स्थानाग, २२६

२. वही, २६८.

३. कल्पसूत्र, १. ५ १२७ (जैनसूत्राज भाग १, पृ० २६६)

चतुर्थ अध्याय

मानव-व्यक्तित्व का विकास

विराट् विश्व

जब हम इस ससार में अपनी आखे खोल कर देखते हैं तो चारों ओर एक असीमित विश्व के दर्शन होते हैं। प्रत्येक दिशा तथा विदिशा में लाखों-करोड़ों और अनन्त योजन तक नदी, समुद्र, मैदान और जंगल हैं, जिनमें अनन्त जीव अपने क्षुद्र जीवन की मोह-माया में उलझे रहते हैं। यह विराट् ससार जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। भूमण्डल पर अगणित कीड़े मकोड़े, समुद्रों में अनन्त मच्छ-कच्छ, मगर और घड़ियाल, तथा आकाश में रंग-विरंगे असंख्यात पक्षीगण अपनी-अपनी लीलाओं में मग्न हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में असंख्यात जीवों का एक विराट् संसार सोया पड़ा है।

भगवान् महावीर ने गौतम द्वारा लोक की विशालता के बारे में पूछे जाने पर विश्व की विराटता का कैसा सुन्दर चित्र उपस्थित किया है—“गौतम, असंख्यात कोटि-कोटि योजन पूर्वदिशा में, असंख्यात कोटि-कोटि योजन पश्चिम दिशा में, इसी प्रकार असंख्यात कोटि-कोटि योजन दक्षिण, उत्तर, उर्ध्व एवं अधो दिशा में लोक का विस्तार है।”

गौतम प्रश्न करते हैं—“भन्ते! यह लोक कितना बड़ा है?” भगवान् समाधान करते हैं—“गौतम, लोक की विशालता को समझने के लिए कल्पना करो कि एक लाख योजन के ऊँचे मेरुपर्वत के शिखर पर छह महान् शक्तिशाली ऋद्धिसम्पन्न देवता बैठे हुए हैं और नीचे

भूतल पर चार दिशा-कुमारिकाएँ हाथों में वलिपिंड लिये चारों दिशाओं में खड़ी हैं, जिनकी पीठ मेरु की ओर है एवं मुख दिशाओं की ओर। उक्त चारों दिशा-कुमारिकाएँ अपने-अपने वलि-पिंडों को अपनी अपनी दिशाओं में एक साथ फेंकती हैं और उधर उन मेरुशिखरस्थ छह देवताओं में से एक देवता तत्काल दौड़ लगा कर चारों ही वलिपिंडों को भूमि पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। इस प्रकार शीघ्र गति वाले वे छहो देवता हैं।

एक समय वे छहो देवता लोक का अन्त मालूम करने के लिए क्रमशः छहो दिशाओं में चल पड़े। अपनी पूरी गति से एक पल का भी विश्राम लिये बिना वे दिन-रात चलते रहे। जिस क्षण देवता मेरु-शिखर से उड़े, कल्पना करो, उसी क्षण किसी गृहस्थ के यहाँ एक हजार वर्ष की आयु वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ वर्ष पश्चात् माता-पिता परलोकवासी हुए हैं। पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह हो गया। वृद्धावस्था में उसके भी पुत्र हुआ और बूढ़ा हजार वर्ष की आयु पूरी करके चल बसा। इसके बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका भी पुत्र, इस प्रकार एक के बाद एक, एक हजार वर्ष की आयु वाली सात पीढ़ियाँ गुजर जाएँ, इतना ही नहीं, उनके नाम, गोत्र भी विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाएँ, तब तक वे देवता चलते रहे, फिर भी लोक का अंत नहीं प्राप्त कर सकते। इतना महान् और विराट् है यह संसार।^{११}

पानी की एक नन्ही-सी बूँद असंख्यात जलकाय जीवों का विश्राम-स्थल है। पृथ्वी का एक छोटा-सा रजकण असंख्यात पृथ्वीकायिक जीवों का पिण्ड है। अग्नि और वायु के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म कण भी इसी प्रकार असंख्य जीवराशि से समाविष्ट हैं। वनस्पति-काय के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या है।

जैन-साहित्य में विश्व की विराटता के लिए चौदह राजु की भी एक मान्यता है। एक व्याख्याकार राजु का परिमाण बताते हुए कहते हैं कि कोटि मन लोहे का गोला यदि ऊँचे आकाश से छोड़ा जाए और वह दिन-रात अविराम गति से नीचे गिरता-गिरता छह मास में

जितना लम्बा मार्ग तय करे, वह एक राजु की विशालता का परिमाण है।^१

सूक्ष्म पाँच स्थावरो से यह असंख्यात योजनात्मक विराट् संसार ठसाठस भरा हुआ है। कहीं अणुमात्र भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ कोई सूक्ष्म जीव न हो। सम्पूर्ण लोकाकाश सूक्ष्म जीवों से परिव्याप्त है।^२

विश्व में मानव का स्थान

अनन्तानन्त विश्व में मनुष्य एक नन्हे-से क्षेत्र में अवरुद्ध-सा खड़ा है। जहाँ अन्य जाति के जीव असंख्य तथा अनन्त संख्या में हैं, वहाँ यह मनुष्य-जाति, अल्प एवं सीमित है। विश्व की अनन्तानन्त जीवराशि के सामने मनुष्य की गणना में आ जाने वाली अल्प संख्या उसी प्रकार है, जिस प्रकार महासमुद्र के समक्ष एक नन्ही-सी बूँद। चौदह राजु लोक में मनुष्य को केवल सबसे क्षुद्र एवं सीमित ढाई द्वीप ही रहने को मिला है।

मानव-जीवन की प्राप्ति

संसार में अनन्तकाल से परिभ्रमण करती हुई आत्मा जब क्रमिक विकास का मार्ग अपनाती है, तब वह अनन्त पुण्यकर्म के उदय से निगोद (प्राणी की सबसे अल्पविकसित अवस्था) से निकल कर प्रत्येक-वनस्पति, पृथ्वी, जल आदि योनियों में जन्म लेती है। यहाँ भी जब अनन्त शुभकर्म का उदय होता है, तब द्वीन्द्रिय केचुआ आदि के रूप में जन्म होता है। इसी प्रकार तीन इन्द्रिय चीटी आदि, चतुरिन्द्रिय मक्खी, मच्छर आदि, पंचेन्द्रिय नारक, तिर्यंच आदि की विभिन्न योनियों को पार करता हुआ क्रमशः ऊपर उठकर जीव अनन्त पुण्यबल के प्रभाव से मनुष्य-जन्म ग्रहण करता है।^३ भगवान् महावीर कहते हैं कि जब अशुभ कर्मों का भार दूर होता है, आत्मा शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनती है, तब कही यह जीव मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है।^४

१. श्रमण सूत्र, पृ० ३.

२ उत्तराध्ययन, ३६, 'सुहमा सव्वलोगम्मि'

३ वही, १०, ५, २०

४ वही, ३, ७,

विश्व में मनुष्य ही सबसे थोड़ी संख्या में है, अतः मनुष्य-जीवन को पा लेना ही दुर्लभ है। “संसारि जीवो को मनुष्य का जन्म चिरकाल तक इधर-उधर अन्य योनियों में भटकने के बाद बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। वह सहज नहीं है, दुष्कर्म का फल बड़ा ही भयंकर होता है। अतएव हे गौतम क्षणभर के लिए भी प्रमाद मत कर।^१ जो प्राणी छल-कपट से दूर रहता है, प्रकृति से ही सरल होता है, अहंकार में शून्य होकर विनयशील होता है, सब छोटे-बड़े का यथोचित सम्मान करता है, दूसरों की किसी भी प्रकार की उन्नति को देख कर डाह नहीं करता, प्रत्युत जिसके हृदय में हर्ष और आनन्द की स्वाभाविक अनुभूति होती है, रग-रग में दया का संचार है, जो किसी भी प्राणी को देखकर द्रवित हो जाता है एवं उसकी सहायता के लिए तन-मन-धन सब लुटाने को तैयार हो जाता है, वह मृत्यु के पश्चात् मनुष्य-जन्म पाने का अधिकारी होता है।^२

मानव-जीवन की महत्ता

जैन-संस्कृति में मानव-जन्म को बहुत ही दुर्लभ एवं महान् माना गया है। जैन-धर्म के अनुसार देव होना उतना दुर्लभ नहीं, जितना कि मनुष्य होना दुर्लभ है। जैनागम में जहाँ कहीं भी आप किसी को संबोधित होते हुए देखेंगे वहाँ ‘देवानुप्रिय’ शब्द का प्रयोग पायेंगे।^३ भगवान् महावीर भी मनुष्य को देवानुप्रिय शब्द से संबोधित करते थे। देवानुप्रिय शब्द का अर्थ है, देवताओं को भी प्रिय। दुर्भाग्य से मानव-जाति ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और वह अपनी श्रेष्ठता को भूल कर अवमानता के दल-दल में फँसी हुई है। मनुष्य तू देवता से भी ऊँचा है, देवता भी तुझ से प्रेम करते हैं, वे भी मनुष्य बनने के लिए व्याकुल हैं। कितनी विराट् प्रेरणा है—मनुष्य की सुप्त आत्मा को जगाने के लिए। मनुष्य-जीवन की इस महत्ता का मूल कारण यह है कि वह अपनी बुद्धि का व्यवस्थित उपयोग कर सत्कार्यों द्वारा उस अविनाश सुख को प्राप्त कर सकता है, जिसकी प्राप्ति के लिए देवता लोग भी व्याकुल रहते हैं।

१. उत्तराध्ययन, १०, ४

२. औपपातिकसूत्र

३. विवागसूयम्, १, १, पृ० ६.

जैनसूत्रों में मनुष्य जीवन के माहात्म्य का बहुत वर्णन मिलता है ।^१ सूत्रकृताग में लिखा है कि इस मनुष्यलोक में धर्म का सेवन करके जीव ससार-सागर से पार हो जाते हैं ।^२ मनुष्य को छोड़ कर अन्य गति वाले जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनमें ऐसी योग्यता नहीं है ।^३ यह मनुष्यभव प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है ।^४ जो इस मनुष्य-शरीर से भ्रष्ट हो जाता है, उसे बोधि प्राप्त करना दुर्लभ है ।^५ यह मनुष्यभव अत्यन्त दुष्प्राप्य है तथा जीवों को बड़े लम्बे काल के बाद कभी मिलता है, क्योंकि कर्मों के फल गाढ (घोर) होते हैं ।^६ अनेक विघ्नों से परिपूर्ण और क्षण-क्षण घटती हुई आयु वाले इस जीवन में पूर्व संचित कर्मों को शीघ्र दूर कर देना चाहिए ।^७ कुश के अग्र-भाग पर स्थित ओस की बूँद की तरह यह मनुष्यजीवन क्षणभंगुर है ।^८

विकास की परिभाषा

मनुष्य ही क्या, ससार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है तथा दुःख से भागता है ।^९ वास्तव में प्राणी का अनन्त एव अविनाशी सुख का प्राप्त कर लेना ही उसके जीवन का सर्वोच्च विकास है ।

जैनागम में सुख के दो भेद किए हैं—(१) आंतरिक तथा (२) बाह्य । प्रथम आत्मनिष्ठ है तो द्वितीय वस्तुनिष्ठ, प्रथम आध्यात्मिक है तो द्वितीय भौतिक, प्रथम अजर-अमर है, तो द्वितीय क्षणिक । एक दुःख की कालिमा से सर्वथा रहित है, तो दूसरा सुख की तरह प्रतीत होने वाला किन्तु, दुःखों से परिपूर्ण ।

१. तुलना, “गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि, न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्”

—महाभारत ।

२. सूत्र क०, १, १५, १५ ।

३. वही, १, १५, १६ ।

४. वही, १, १५, १७ ।

५. वही, १, १५, १८ ।

६. उत्तरा०, १०, ४ ।

७. वही, १०, ३ ।

८. वही, १०, २ ।

९. आचाराग १, २, ८० ।

बाह्य सुख मे इस प्रकार के भौतिक तथा पौद्गलिक सुखों का समावेश हो जाता है। यह सुख वस्तुनिष्ठ है अतः वस्तु है तो सुख है, अन्यथा दुःख। सच्चा सुख आत्मा से ही पैदा होता है, अतः वह हमेशा स्थिर रहता है। जब आत्मा बाहर भटकता है तो दुःख का शिकार बनता है। और जब लौट कर अपने अन्दर मे ही आता है तो वैराग्यरस का आस्वाद करता है और सुख-शान्ति उसे अपने मे ही मिल जाती है।^१ प्रबुद्ध-ज्ञानेन्द्रिय मनुष्य को जब उपर्युक्त रूप से सच्चे आत्म-सुख का बोध हो जाता है तो उसके सभी व्यापार आत्मोन्मुख हो जाते हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, बुद्धि, मन, शरीर आदि के कार्यों की दिशा बदल जाती है। उसमे प्राणिमात्र के प्रति समानता की भावना पैदा होने लगती है।^२ वह आत्मसुख की झलक पा जाता है और उसे मालूम हो जाता है कि मानवजीवन का ध्येय न धन है, न रूप है, न बल है और न सासारिक सुख ही है; किन्तु मनुष्य जीवन मे मनुष्यता का पूर्ण विकास कर अनन्त सुख प्राप्त करना ही उसका अन्तिम लक्ष्य है।

यो ही कहीं से घूमता, फिरता, भटकता आत्मा शुभकर्मों के प्रभाव मे मानव-शरीर मे आया, कुछ दिन रहा, खाया-पिया, लडा-झगडा, रोया और एक दिन मर कर काल-प्रवाह मे आगे के लिए बढ गया, भला यह भी कोई जीवन है? जीवन का उद्देश्य मरण नहीं, मरण पर विजय प्राप्त करना है। इस विराट् ससार मे कोई जाति, कुल, वर्ण और स्थान ऐसा नहीं है जहाँ इस जीव ने अनन्त बार जन्म-मरण न किया हो। भगवतीसूत्र मे हमारे जन्म-मरण की दुःख-भरी कहानी का स्पष्टीकरण करने वाली एक महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है।^३ गौतम पूछते है कि—“भन्ते, असंख्यात कोड़ा-कोडी योजन परिणाम

१ “मनुष्यो को बड़ी-बड़ी कामनाएँ होती है जिनके कारण वे सच्चे सुख से दूर रहते हैं।”
—आचाराग, १, ५, १४१।

२. “प्रत्येक श्रमण-ब्राह्मण को बुला कर पूछो कि भाई, तुम्हे सुख दुःख-रूप है या दुःख दुःख-रूप? यदि वे सत्य बोलेगे तो यही कहेंगे कि हम को दुःख ही दुःखरूप है। फिर उनसे कहना चाहिए कि तुमको जैसे दुःख दुःख-रूप है, वैसे ही सब जीवों को भी दुःख महाभय का कारण और अनाति-कारक है।”
—वही, १, ४, १३३, १३४।

३. भगवती सूत्र, १२, ७, ४५७।

इन विस्तृत लोक में क्या कहीं कोई ऐसा भी स्थान है, जहाँ कि इस जीव ने जन्म-मरण न किया हो ?” महावीर ने उत्तर दिया—“गौतम, अधिक तो क्या, एक परमाणु (पुद्गल) जितना भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ इस जीव ने जन्म-मरण न किया हो ।”

मनुष्य के हाथ-पैर पा लेने से ही कोई मनुष्य नहीं बन जाता । मनुष्य बनता है मनुष्य की आत्मा पाने से और वह आत्मा मिलती है धर्म के आचरण से । भोग, निरा भोग मनुष्य को राक्षस बनाता है, एकमात्र त्याग की भावना ही मनुष्य को मनुष्य बनाने की क्षमता रखती है ।^१

मोक्ष की प्राप्ति के चार दुर्लभ कारण बताते हुए भी भगवान् महावीर ने पावापुरी के अपने अन्तिम प्रवचन में मनुष्यत्व को ही सबसे पहले गिनाया है । उन्होंने बतलाया कि मनुष्यत्व, शास्त्र-श्रवण, श्रद्धा तथा सदाचार के पालन में प्रयत्नशीलता, ये चार साधन जीव को प्राप्त होने अत्यन्त कठिन हैं ।^२

मनुष्यता ही मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति है । मनुष्य का व्यक्तिगत भोग-विलास की मनोवृत्ति से अलग रहना, त्याग-मार्ग अपनाना, धर्म और सदाचार के रंग में अपने को रंगना, जन्म-मरण के वधनों को तोड़ कर अजर-अमर पद पाने का प्रयत्न करना ही मनुष्यता की ओर अग्रसर होना है । मनुष्य-जीवन का ध्येय पूर्ण प्रकाश पाना है । वह प्रकाश, जिससे बढ़कर कोई दूसरा प्रकाश नहीं, वह ध्येय, जिससे बढ़कर कोई दूसरा ध्येय नहीं ।

व्यक्तित्व का विकास तथा उसके साधन

जैसा कि हम पहिले भी कह चुके हैं, प्राणी का मनुष्य-जीवन पा जाना ही उसकी विकासोन्मुखता का दर्शक है । केवल मनुष्य जीवन का पा जाना ही व्यवित के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, किन्तु विकास

१. “धर्म को ज्ञानी पुरुषों के पास से समझ कर, स्वीकार कर परिग्रह का संग्रह न करे तथा प्राप्त भोग पदार्थों में वैराग्य धारण कर लोक के प्रवाह के अनुसार चलना छोड़ दे ।”

—आचाराग, १, ४, १२७ ।

२. उत्तराव्ययन, ३, १ ।

के लिए कुछ अन्य बातों की भी आवश्यकता होती है। स्थानाग-सूत्र में लिखा है कि मानव-व्यक्तित्व के विकास के यह छह स्थान सभी जीवों को सुलभ नहीं हैं—(१) मनुष्यभव, (२) आर्यक्षेत्र में जन्म, (३) सत्कुल में उत्पत्ति, (४) केवलप्रज्ञप्त धर्म के सुनने का अवसर, (५) धर्म में श्रद्धा, तथा (६) श्रद्धा से गृहीत धर्म का शरीर से आचरण।

उपर्युक्त विवरण से प्रतीत होता है कि मनुष्य को अपना पूर्ण विकास करने के लिए जहाँ एक ओर मनुष्य-जीवन तथा आर्यक्षेत्र एवं सुकुल में जन्मरूप भौतिक साधनों की आवश्यकता है, वहाँ दूसरी ओर जिनोपदिष्ट धर्म का श्रवण कर श्रद्धापूर्वक उसके आचरणरूप आध्यात्मिक साधनों की भी आवश्यकता है।^१ इसी बात को उत्तराध्ययन में भी दुहराया गया कि—“प्राणिमात्र को इन चार अंगों की प्राप्ति होना इस संसार में दुर्लभ है—(१) मनुष्यत्व, (२) श्रुति, (३) श्रद्धा, (४) और संयम-पालन में शक्ति लगाना।”^२

मानव-जीवन प्रारम्भ से ही अच्छा या बुरा नहीं होता, वह तो कच्ची गीली मिट्टी के समान है, जिसे चाहे जिस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चाहे उसके द्वारा अपना और दूसरों का कल्याण कर लो, चाहे उसे व्यर्थ ही पड़ा रहने दो।^३ जन्म के समय मनुष्य को जीवन के अतिरिक्त अनेक वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। मनुष्य का शरीर सबसे प्रथम वस्तु है जो कि उसे जीवन में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। शरीर के साथ उसे परिपूर्ण ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ भी प्राप्त होती हैं। बुद्धि, मन और आयु भी उसे प्राप्त होती हैं और इन सबसे ऊपर उसके साथ वे पुरातन संस्कार भी रहते हैं; जिनकी सहायता से वह मानव-जीवन प्राप्त करता है। जैनागम की भाषा में हम उन्हें कर्म कहते हैं। मन, वाणी तथा शरीर द्वारा क्षण-प्रतिक्षण आत्मा के

१. स्थानाग, ४८५।

२. उत्तराध्ययन, ३, १।

३. “हे पुरुष, तू ही तेरा मित्र है, बाहर क्यों मित्र खोजता है? अपने को ही वग में रख तो तू सब दुःखों से मुक्त हो जावेगा।”

साथ सम्बद्ध होने से ये कर्म ही आत्मा के उत्थान एवं पतन के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं ।^१

बुद्धि की अर्द्ध-विकसित अवस्था पार करने के बाद मनुष्य जब संसार का वास्तविक दर्शन और ज्ञान प्राप्त करता है, वह अवस्था मनुष्य के जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण मानी गई है । यहाँ से उसके जीवन के विकास अथवा पतन का प्रारम्भ होता है । इस अवस्था में यदि मनुष्य अपनी नाना प्रवृत्तियों और बाह्य उत्तेजनाओं के प्रवाह में अपने को निर्वन्ध छोड़ दे तो वह जीवन की परस्पर विरोधी क्षुद्र और निरर्थक बातों में अपने को फँसा देगा और वह जीवन के मूल स्रोत को स्पर्श भी न कर सकेगा । यही कारण है कि मानव-गति को सुगति तथा दुर्गति दोनों रूप माना गया है ।^२

आत्मज्ञान—मनुष्य के विकास की सबसे प्रथम श्रेणी यह है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति पर गहन विचार करे कि उसे मनुष्यजीवन में जो जो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, उनकी वास्तविकता क्या है ? शरीर क्या है, और आत्मा क्या है ; मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा ; यह आत्मा जन्म-जन्मान्तर में संक्रमण करने वाला है अथवा नहीं ? आदि प्रश्नों पर उसे पूर्णरूप से विचार करना चाहिए । संभव है, उसे इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं न मिल सके तो उसका कर्तव्य है कि वह किसी विशिष्ट ज्ञानी का समागम प्राप्त कर संसार की वास्तविकता को जानने की चेष्टा करे ।^३

धीरे-धीरे उसे ज्ञात होता है कि इस संसार में दो द्रव्य प्रधान हैं, आत्मा तथा अनात्मा । सांसारिक व्यक्ति का आत्मा अनात्मा के बन्धन में पड़ कर जन्म-जन्मान्तरो में निरन्तर संक्रमण करता रहता है । आत्मा का स्वभाव अमूर्त तथा ज्ञानदर्शनरूप है जब कि अनात्मा का स्वभाव विल्कुल इसने विपरीत है ।^४

१. “कर्म से बँधा हुआ यह जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है ।”

—उत्तराध्ययन, ३३, १ ।

२. स्थानाग, १२१ ।

३. आचाराग, १, १, १-५ ।

४. वही, १, १, ११ ।

कर्मसमारम्भ का ज्ञान—आत्मज्ञान के साथ ही मनुष्य को कर्म-समारम्भ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कर्मसमारम्भ ही जीवन को अनेक योनियो में भ्रमण कराता हुआ सासारिक दुखों को सहन करने के लिए बाध्य करता है।

संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन की रक्षा के लिए लोक में मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा आदि पाने के लिए, जन्मान्तर में उच्च जाति के प्राप्त्यर्थ, शत्रु आदि के मारणार्थ तथा दुखों से मुक्ति के लिए एवं अपने दुखों को नष्ट करने के लिए जो अनेक प्रकार के हिंसादि क्रियाओं से परिपूर्ण कर्म करता है, वे ही कर्मसमारम्भ कहलाते हैं। यही कर्मसमारम्भ कर्मबंधन का कारण होने से संसार-परिभ्रमण का कारण है।

यह कर्मसमारम्भ तीन प्रकार से होता है—या तो ये हिंसादि-परिपूर्ण कार्य स्वयं किये जाते हैं अथवा दूसरों से कराए जाते हैं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने पर अनुमोदना किए जाते हैं। आत्मज्ञान से परिपूर्ण विकासोन्मुख व्यक्ति के लिए तीनों प्रकार से ही कर्म-समारम्भ न करने का संकल्प करना चाहिए।^१

हिंसादि का ज्ञान—एक साधारण व्यक्ति को जब आत्मज्ञान होता है तो उसे संसार की समस्त आत्माओं के प्रति पूर्ण सद्भावना पैदा होती है और वह यह जानने की चेष्टा करता है कि इस पृथ्वी-तल पर कहाँ-कहाँ आत्मा का निवास है। अन्त में उसे ज्ञात होता है कि संसार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इन सभी में आत्मा का निवास है। इन पाँच प्रकार के जीवों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का जीव भी है, जो चलता-फिरता है और जिसमें जीवन का ज्ञान स्पष्टरूप से दिखाई देता है। छोटे से छोटे कीड़े से लगा कर मनुष्य तक के जीव इसी द्वितीय श्रेणी में आते हैं। आत्मज्ञान के साथ इन छह प्रकार के जीवों का ज्ञान भी आवश्यक है। कर्मसमारम्भ को अनन्त संसार का कारण समझने वाला प्राणी इन छह काय के जीवों की सुरक्षा में निरन्तर तत्पर रहता हुआ अपनी आत्मा के विकास के प्रति उन्मुख रहता है। वह निष्प्रयोजन किसी प्राणी का नाश तो करता ही नहीं है, सप्रयोजन भी प्रमादरहित हो कर कम-से-कम प्राणि-हिंसा हो, ऐसा संयत जीवन बिताने का प्रयत्न करता है।^२

१ आचारांग, १, १, ११-१३

२. वही, १, १, १५-६१ (प्रथम अध्याय 'शस्त्रपरिज्ञा')।

इन्द्रिय-विषयो के प्रति विराग—शब्दादि इन्द्रिय-विषयो के प्रति अनुरक्त व्यक्ति दुःखी हो कर प्रमादी हो जाता है। प्रमाद के कारण ज्ञान का ह्रास और मोह (अज्ञान) की वृद्धि होती है। वह सोचने लगता है कि यह मेरा पिता है, यह मेरी माता है, वह मेरी स्त्री, पुत्र, वधू, मित्र, नाते-रिश्तेदार है। यह मेरी अनेक प्रकार की धन-सम्पत्ति है, भोजन-वस्त्र आदि है, इस प्रकार का मोह भी उसे होता है। यह मोही-प्राणी रात-दिन दुःखी होता हुआ इष्ट-पदार्थों के संयोग की अभिलाषा करता है और पुनः धनादिक में लुब्ध हो कर अनेक प्रकार के हिसात्मक कार्यों में प्रवृत्त होने लगता है। अतः जानी पुरुष का कर्तव्य है कि वह इन्द्रियो के विषयो से दूर रहने का निरन्तर अभ्यास करे।^१

उपासक तथा श्रमण, जीवन

जैन-धर्म में आचरण को चारित्र्य कहते हैं। चारित्र्य का अर्थ है संयम, वासनाओं तथा भोग-विलासों का त्याग, इन्द्रियो का निग्रह, अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति और शुभ प्रवृत्ति की स्वीकृति।

चारित्र्य के प्रधानरूप से दो भेद माने गए हैं, अगार-चारित्र्य, तथा अनगार-चारित्र्य।^२ जीवन की पूर्ण त्यागवृत्ति अनगारचारित्र्य है तथा अपूर्णरूप से त्यागवृत्ति अगारचारित्र्य है। पूर्ण त्याग महाव्रत होता है। महाव्रत का अर्थ है, हिंसा, असत्य, चौर्य, मैथुन और परिग्रह का सर्वथा प्रत्याख्यान। यह साधुओं के लिए होता है। हिंसादि का एकदेश से प्रत्याख्यान अणुव्रत कहलाता है, यह उपासक (गृहस्थ) के लिए है।^३

उपासक—हृदय में आत्मतत्त्व के प्रति दृढ विश्वास ले कर, आत्मा तथा अनात्मा के भेद को समझ कर साधना के पथ पर चलने के लिए प्रयत्नशील मनुष्य जब हिंसादि पापों से अपनी परिस्थिति के अनुसार विरक्त होने का संकल्प करता है तो उसे साधकजीवन की सबसे पहली उपासक-अवस्था प्राप्त होती है। वह घर में ही रह कर निरन्तर अहिंसा-तत्त्व की साधना में संलग्न रहता है। गार्हस्थ्यक कार्यवश यदि वह

१ आचाराग, १, १, ६२।

२ “चरित्तधम्मं दुविहे पण्णत्ते, तज्जहा, अगारचरित्तधम्मं चेव अणगार-चरित्तधम्मं चेव” स्थानाग ७२।

३. स्थानाग, ३८९।

अहिंसादि धर्म का पूर्ण पालन करने में असमर्थ रहता है तो भी वह मन से कभी भी किसी प्रकार की हिंसादि की भावना नहीं करता ।^१

जैनागमों में उपासक के वारह व्रतों का वर्णन किया गया है । उनमें पाँच अणुव्रत होते हैं । अणु का अर्थ छोटा होता है, और व्रत का अर्थ प्रतिज्ञा है । साधुओं के महाव्रतों की अपेक्षा गृहस्थों के हिंसा आदि के त्याग की प्रक्रिया मर्यादित होती है, अतः वह अणुव्रत है । सात शिक्षाव्रत भी उन व्रतों के अंग हैं । शिक्षा का अर्थ शिक्षण, अभ्यास है । जिनके द्वारा धर्म की शिक्षा ली जाए, धर्म का अभ्यास किया जाए, वे प्रतिदिन अभ्यास करने योग्य नियम शिक्षाव्रत कहे जाते हैं ।^२

उपासक-अवस्था में मनुष्य के हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा निरन्तर दृढ़ से दृढतर होती रहती है । साधु-समागम तथा आगम-अभ्यास द्वारा वह अपने तात्त्विक ज्ञान को निरन्तर बढ़ाता रहता है, अन्त में एक दिन वह इस स्थिति पर पहुँच जाता है, जहाँ वह यह अनुभव करने लगता है कि गार्हस्थिक जीवन एक बन्धन है और वह उसे तोड़ने को उत्सुक हो जाता है ।^३ साधक की वास्तविक साधना का प्रारम्भ यही से है ।

श्रमण—इन्द्रियों के विषयों के प्रति विरक्त, छह काय के जीवों की रक्षा में सावधान, श्रद्धा एवं ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति एक दिन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जब तक घर में निवास है, तब तक निश्चय ही संयम का पूर्ण पालन नहीं हो सकता, क्योंकि गृह-निवास असंयम का प्रतीक है ।^४ अतः आत्मा के विकास में तत्पर व्यक्ति सुअवसर प्राप्त कर गृह-त्याग करके अनगर-अवस्था को प्राप्त करता है ।

१ 'हिंसा' चार प्रकार की है—(१) सकल्पी (इच्छापूर्वक), (२) आरम्भी (गृहकार्य के निमित्त), (३) उद्योगी (आजीविका के निमित्त) (४) विरोधी (देश तथा आत्मरक्षा के निमित्त) । गृहस्थ इनमें से केवल सकल्पी हिंसा का त्यागी होता है ।
—जैनधर्म, पृ० १८१ ।

२. उवासगदसाओ, १, ४, पृ० ४.

३. "प्रमादी (असंयमी) पुरुष घर में निवास करते हैं ।"

—आचाराग, १, १, ४४

४. वही, १, ११, ४४ ।

विकास की चरम अवस्था

प्रव्रज्या-ग्रहण के बाद साधु की विषय-विरागता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। भौतिक इन्द्रियो के प्रयोग द्वारा वह वस्तुओं को जान तो लेता है, किन्तु किसी भी वस्तु के प्रति उसे प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं करता।^१ सम्पूर्ण प्रकार से विषय-विरक्त साधु के जीवन का केवल एक ही महान् उद्देश्य रह जाता है, वह है निरन्तर आत्म-विकास। और इस उद्देश्य के सामने उसके जीवन की समस्त क्रियाएँ गौण हो जाती हैं। चलना, फिरना, खाना, पीना, उठना, बैठना सभी कार्य आत्म-विकास की दिशा में होते हैं। अन्त में पूर्णमुक्त वह जीव केवल आत्म-तत्त्व को प्राप्त कर लेता है; जिसे जैनागम की भाषा में निर्वाण—प्राप्ति कहते हैं।^२

व्यक्तित्व-विकास की विभिन्न अवस्थाएँ (अ)

जैनधर्म में पाँच प्रकार की अवस्था वाले व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट एवं लोकपूज्य माने गए हैं।^३ उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) अरिहंत, (२) सिद्ध, (३) आयरिय (आचार्य), (४) उवज्झाय (उपाध्याय), (५) साहू (साधु)

अरिहंत तथा सिद्ध, ये साधना की पूर्ण अवस्थाएँ हैं। सिद्ध विदेह-मुक्त तथा अरिहंत सदेह-मुक्त परमात्मा है। अन्य अवस्थाएँ साधना के पथ पर चलने वाले साधक की हैं। ये सभी अवस्थाएँ एक अपवाद को छोड़ कर अपनी योग्यता से क्रम से रखी गई हैं। वह अपवाद है, सिद्ध के पहिले अरिहंत का आना। इसका कारण संभवतः यह जान पड़ता है कि, चूंकि संसारी; व्यक्तियों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध (उपदेश आदि के कारण) अरिहंत से होता है, अतः उनका स्मरण सिद्ध से पूर्व किया गया है। यद्यपि सिद्धावस्था अरिहंत की अपेक्षा उत्कृष्ट है।^४

१ वही, १, २, ७५

२ समवायाग, १.

३ 'णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं', भगवती, १, १, १, २, कल्पसूत्र, १, १, १।

४ श्रमणसूत्र पृ० १२, १३।

अग्रिहंत आदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं हैं; प्रत्युत आध्यात्मिक गुणों के विकास से प्राप्त होने वाले पांच महान् आध्यात्मिक मंगलमय पद हैं। यही कारण है कि ये पांच महान् आत्माएँ पंच-परमेष्ठी के नाम से संबोधित की जाती हैं।^१ परमेष्ठी शब्द का अर्थ है—जो परमपद (सर्वोच्च अवस्था) में रहते हैं। मंगल के अन्य साधारण वामनामन् आत्माओं की अपेक्षा आध्यात्मिक विकास के उच्च स्वरूप को प्राप्त अग्रिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा नावु द्वी 'पंचपरमेष्ठी' हैं।

अरिहंत—'अरिहंत' शब्द का अर्थ है, अरि (कर्मजन्त्र) का हनन (नाश) करने वाला। इसका फलितार्थ यह हुआ कि जो महान् आत्मा आध्यात्मिक साधना के बल पर मन के विकारों से लड़ते हैं, वामनाओं से संघर्ष करते हैं, राग-द्वेष से टक्कर लेते हैं और अंत में इनका पूर्ण रूप से सदा के लिए नष्ट कर डालते हैं, वे अरिहंत कहलाते हैं। अरिहंत अवस्था को प्राप्त व्यक्ति "अरहा" (अर्हत्) कहा जाता है। जैनमूर्तियों में प्रायः सभी जगह महावीर आदि तीर्थंकरों के लिए अर्हत् विशेषण का प्रयोग हुआ है।^२

"अरिहंत" शब्द के स्थान में कुछ प्राचीन आचार्यों ने अरहंत और अरुहन्त पाठान्तर भी स्वीकार किया है। उनके विभिन्न संस्कृत रूपान्तर होते हैं; जैसे—अर्हन्त, अरहोन्तर अरथान्त, अरहन्त और अरुहन्त। अर्ह—पूजायाम् धातु से बनने वाले अर्हन्त शब्द का अर्थ पूज्य है। वीतराग तीर्थंकरदेव विश्व के कल्याणकारी धर्म के प्रवर्तक हैं, अतः असुर, सुर, नर आदि सभी के पूजनीय हैं।^३

सिद्ध अवस्था प्राप्त करने से पूर्व आत्मा अर्हत्-अवस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्था को हम अर्द्ध-सिद्ध-अवस्था भी कह सकते हैं। जब आत्मा आत्म-गुणों को नष्ट करने वाले कर्मों (४) के बन्धन से मुक्त हो जाता है, तब उसे अर्हत्-अवस्था प्राप्त होती है। यह अवस्था उसे संसार में

१. श्रमणपूत्र, पृ० ६

२. अंतगडदसाओ, १, १, पृ० ३.

३. सामायिक सूत्र पृ० २५९.

४. "क्षीणमोह अर्हत् के चार घाती कर्म (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय व अन्तराय) एक साथ नष्ट हो जाते हैं।" स्थानांग, २२६.

ही प्राप्त हो जाती है। अतः शरीर रहने के कारण कुछ कर्मों का संबन्ध उसके साथ रहता है, यद्यपि वे कर्म उसकी आत्मा के पूर्ण विकास में थोड़ी-सी भी बाधा नहीं डालते।^१ कर्मबन्धन के सद्भाव के कारण ही वह पूर्णमुक्त अर्थात् सिद्ध नहीं कहलाता। फिर भी वह आत्म-विकास में बाधक कर्मों^२ के नष्ट हो जाने से आत्मा के पूर्ण विकसित गुणों को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के बाधक कर्म नष्ट होने से उसे पूर्ण ज्ञान अर्थात् केवल-ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह समस्त संसार के अणु-परमाणु की प्रति समय की प्रत्येक अवस्था को जानने लगता है।^३ इसी प्रकार दर्शन के बाधक कर्म के नष्ट हो जाने से वह संसार की क्षण-प्रति-क्षण की अवस्था का दर्शन करने लगता है। मोहनीय और अंतराय के नष्ट होने से अनन्तसुख और उसे अनन्तशक्ति की प्राप्ति हो जाती है, इस प्रकार अर्हत्-अवस्था को प्राप्त प्राणी सासारिक परमात्मपद को प्राप्त कर लेता है। ये प्रथम समय 'जिन' सयोगकेवली, संदेहमुक्त तथा जीवन्मुक्त आदि नामों से कहे जाते हैं।^४

तीर्थंकर

अरिहंत की भूमिका में तीर्थंकर-अरिहंत भी आ जाते हैं और दूसरे समस्त अरिहंत भी। तीर्थंकर और दूसरे केवली-अरिहंतों में आत्म-विकास की दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं है। सब अरिहंत अन्तरंग में एक भूमिका पर होते हैं। सबका ज्ञान, दर्शन, चरित्र और वीर्य समान ही होता है। सबके सब अरिहंत 'क्षीणमोह' की भूमिका पार करने के बाद तेरहवें गुणस्थान में होते हैं।

तीर्थंकर का अर्थ है तीर्थ का निर्माता।^५ जिसके द्वारा संसाररूप मोह-माया का नद मुविधा से तिरा जाए; वह धर्मतीर्थ कहलाता है।

१. अर्हत् के चार कर्म मौजूद रहते हैं—“वेदनीय, आयु, नाम, और गोत्र”
स्थानाग, २६८,

२. अर्हन्त के जानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय ये ४ धातीकर्म नष्ट हो जाते हैं।

३. जैनसूत्राज, भाग १, (कल्पसूत्र, ५, १२७ पृ० २६६)

४. तुलना, “जीवन्मुक्तो नाम” “अखिलगन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठ.”

वेदान्तसार, पृ० १४

५. “तीर्थं प्रवचने शास्त्रे लब्ध्वात्मनाये दिगम्बरे,
पुण्यारण्ये जलोत्तारे महासत्त्वे महामुनी” अमरकोष।

इस धर्मतीर्थ की स्थापना करने के कारण भगवान् महावीर आदि तीर्थंकर कहलाते हैं। स्थानागसूत्र में लिखा है कि अर्हत्तों के निर्वाण से लोक में अंधकार हो जाता है तथा अर्हत्तो के उत्पन्न होने से लोक में उद्योत ही जाता है।^१

तीर्थंकर 'नामकर्म' की एक प्रकृति (भेद) मानी गई है^२, जिसका बंध किन्हीं विशिष्ट शुभ कार्यों के करने से होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जीवनभर शुद्ध भावना से उन शुभ कार्यों को करता रहे तो वह अग्रिम जन्म में तीर्थंकरपद को धारण कर सकता है। नायाधम्मकहाओ में वर्णन है कि महावल मुनि अनेक प्रकार की तपस्याओं को करके सर्वोत्कृष्ट पुण्य के परिणामस्वरूप तीर्थंकर नामकर्म का बंध करते हैं, जिसका कि बंध निम्नलिखित बीस कारणों से होता है।^३

१—७. अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत एवं तपस्वी इन सात व्यक्तियों में के प्रतिवात्सल्य भक्ति प्रदर्शित करना।

८. अनवरत ज्ञानाभ्यास करना।

९. जीवादि पदार्थों के यथार्थ श्रद्धारूप शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करना।

१०. गुरुजनो का विनय करना।

११. प्रायश्चित्त एवं प्रतिक्रमण द्वारा अपने अपराधों की क्षमायाचना करना।

१२. अहिंसादि व्रतों का अतिचाररहित योग्य रीति से पालन करना।

१३. पापों की उपेक्षा करते हुए वैराग्यभाव धारण करना।

१४. बाह्य और आभ्यन्तर तप करना।

१५. यथाशक्ति त्यागवृत्ति को अपनाना।

१६. साधुजनों की सेवा करना।

१७. समताभाव रखना।

१. स्थानाग, १३४।

२. समवायाग, ४२।

३. नायाधम्मकहाओ ८, ६६, पृ० ६१।

१८ ज्ञान-शक्ति को निरन्तर बढ़ाते रहना ।

१९. आगम पर श्रद्धा रखना ।

२०. प्रवचन का प्रकाश करना ।

तीर्थंकर अपने समय का सबसे बड़ा धर्म प्रवर्तक होता है। जिन—शासन और जिन—संघ का पूर्ण उत्तरदायित्व तीर्थंकर पर होता है। भगवतीसूत्र में लिखा है कि श्रमण भगवान् महावीर तीर्थंकर थे, वे स्वयंबुद्ध थे, वे सम्पूर्ण पुरुषों में श्रेष्ठ, सिंह की तरह निर्भय तथा शक्तिशाली और कमल की तरह सुन्दर एवं समस्त संसार के स्वामी थे। वे लोगो को प्रकाश देने वाले थे, चक्षु देने वाले थे तथा लोगो के सन्मार्ग के प्रदर्शक थे। वे संसार से भयभीत प्राणियों को शरण देने वाले थे। वे छद्म अर्थात् छल, प्रमाद एवं घातीकर्मवरणों से दूर थे। वे जिन, तीर्ण, तारक, बुद्ध, बोधक, मुक्त, मोचक, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे तथा शिव, अचल, अरुज, अनन्त अक्षय, अव्यावाध तथा अपुनरावर्तक सिद्ध गति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते थे।^१

उपयुक्त सभी विशेषण इस बात का द्योतन करते हैं कि तीर्थंकर स्वयंबुद्ध हो कर प्राणिमात्र को वास्तविक धर्म का रहस्य बता कर समस्त संसार के कल्याण में तत्पर रहते हैं।

तीर्थंकर भी अर्हत्-अवस्था को प्राप्त करता है। अर्थात् वह आत्मगुण-विनाशक चार कर्मों का नाश कर पूर्ण ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्हत्-अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद ही तीर्थंकर धर्म का उपदेश देते हैं; इसके पूर्व नहीं। भगवान् महावीर ने १२॥ वर्ष की तपस्या के बाद जब अर्हत्-अवस्था को प्राप्त किया; तब ही उन्होंने उपदेश देना प्रारम्भ किया।^२

पूर्वजन्म में शुभ कार्यों द्वारा अनन्त पुण्यबन्ध करने वाला जीव अगले भव में तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करता है। अतः वह जन्म से ही तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर की माता पुत्र के गर्भ में आते ही १४ शुभ स्वप्न देखती है। तीर्थंकर के पिता जब उन स्वप्नों का रहस्य समझाते

१. भगवती सूत्र, १ ५ तथा नायाधम्मकहाओ १ ।

२. जैनसूत्राज् भाग १ (कल्पसूत्र १, ५, १२१-१२२) ।

समवायाग मे ३४ बुद्धातिशयो का वर्णन है ।^१ टीकाकार अभयदेव सूरि ने बुद्ध का अर्थ तीर्थंकर किया है ।^२

इन अतिशयो के अनुसार तीर्थंकरों की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती है—

१ तीर्थंकरों के सिर के बाल, दाढ़ी तथा मूँछ, एवं रोम और नख बढ़ते नहीं हैं, हमेशा एक ही स्थिति में रहते हैं ।

२ उनका शरीर हमेशा रोग तथा मल से रहित होता है ।

३. उनका मांस तथा खून गाय के दूध के समान सफेद वर्ण का होता है ।

४ उनका श्वासोच्छ्वास कमल के समान सुगन्धित होता है ।

५ उनका आहार तथा नीहार (मूत्रपुरीषोत्सर्ग) दृष्टिगोचर नहीं होता ।

६. वे धर्म-चक्र का प्रवर्तन करते हैं ।

७ उनके ऊपर तीन छत्र लटकते रहते हैं ।

८ उनके दोनों ओर चामर लटकते हैं ।

९ स्फटिकमणि के बने हुए पाद-पीठ सहित उनका स्वच्छ सिंहासन होता है ।

१० उनके आगे हमेशा अनेक लघुपताकाओं से वेष्टित एक इन्द्र-ध्वज पताका चलती है ।

११. जहाँ-जहाँ अरिहत भगवान् ठहरते हैं, अथवा बैठते हैं, वहाँ-वहाँ यक्ष-देव सछत्र, सध्वज, सघट, सपताक तथा पत्र-पुष्पों से व्याप्त अशोकवृक्ष का निर्माण करते हैं ।

१२ उनके मस्तक के पीछे दशो दिशाओं को प्रकाशित करने वाला तेजोमण्डल होता है । जहाँ भगवान् का गमन होता है; वहाँ निम्नलिखित परिवर्तन हो जाते हैं—

१३ भूमिभाग समान तथा सुन्दर हो जाता है ।

१. समवायाग, ३४ ।

२. वही, टी० (अभयदेव) पृ० ३५ ।

१४ कण्टक अधोमुख हो जाते हैं ।

१५ ऋतुएँ सुखस्पर्श वाली हो जाती हैं ।

१६ समवर्तक वायु के द्वारा एक योजन तक के क्षेत्र की शुद्धि हो जाती है ।

१७. मेघ द्वारा उचित बिन्दुपात से रज और रेणु का नाश हो जाता है ।

१८ पंचवर्ण वाला मुन्दर पुष्पसमुदाय प्रकट हो जाता है ।

१९ (अ) अनेक प्रकार की धूप के धुएँ से क्षेत्र सुगंधित हो जाता है ।

(व) अमनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध का अभाव हो जाता है ।

२० (अ) भगवान् के दोनो ओर आभूषणी से सुसज्जित यक्ष चमर ढोरते हैं ।

(व) मनोज्ञशब्दादि का प्रादुर्भाव हो जाता है ।

(स) उपदेश करने के लिए अरिहंत भगवान् के मुख से एक योजन को उल्लंघन करने वाला हृदयगम स्वर निकलता है ।

२२ भगवान् का भाषण अर्द्धभाषा भाषा में होता है ।

२३ भगवान् द्वारा प्रयुक्त भाषा आर्य, अनार्य, द्विपद, चतुष्पद आदि समस्त प्राणिवर्ग की भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है ।

२४ पहिले बद्धवैर देव, असुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व आदि देव भगवान् के पादमूल में प्रशान्तचित्त हो कर धर्म-श्रवण करते हैं ।

२५ अन्य तीर्थ वाले प्रावचनिक (विद्वान्) भी भगवान् को नमस्कार करते हैं ।

२६ अन्य तीर्थ वाले विद्वान् भगवान् के पादमूल में आ कर निरुत्तर हो जाते हैं । जहाँ भगवान् का विहार होता है, वहाँ पच्चीस योजन तक निम्न बातें नहीं होती—

२७. ईति (धान्य को नष्ट करने वाले चूहे आदि प्राणी की उत्पत्ति) नहीं होती । २६ मारी (संक्रामक बीमारी) नहीं होती ।

२६. अपनी सेना उपद्रव नहीं करती ।
 ३०. दूसरे राजा की सेना उपद्रव नहीं करती ।
 ३१. अतिवृष्टि नहीं होती ।
 ३२. अनावृष्टि नहीं होती ।
 ३३. दुर्भिक्ष नहीं होता ।
 ३४. रुधिरवृष्टि तथा ज्वरादि का प्रकोप नहीं होता ।

सिद्ध

दूसरा पद सिद्ध का है । सिद्ध का अर्थ पूर्ण है । जो राग-द्वेषरूप शत्रुओं को जीत कर, अरिहंत बन कर चौदहवें गुणस्थान^१ की भूमिका को भी पार कर सदा के लिए जन्म-मरण से रहित हो कर शरीर और शरीरसम्बन्धी सुख-दुःखों को पार कर, अनन्त, एकरस आत्म-स्वरूप में स्थित हो गए है, वे सिद्ध कहलाते हैं । सिद्धदशा मुक्तदशा है, वहाँ आत्मा ही आत्मा है । वहाँ कर्म नहीं और कर्म-बन्ध के कारण भी नहीं है । अतएव वहाँ से लौट कर संसार में आना नहीं है; जन्म-मरण पाना नहीं है । सिद्ध, लोक के अग्रभाग में विराजमान है । जहाँ एक सिद्ध है वहाँ अनन्त सिद्ध है । प्रकाश में प्रकाश मिला हुआ है । “णमो सिद्धाणं” के पद द्वारा त्रिलोकवर्ती अनंतानंत सिद्धों को नमस्कार किया जाता है । साधक, सम्यक्त्व की भूमिका से चतुर्थ गुणस्थान से विकास करता हुआ जीवन्मुक्त अरिहंत बनता है और उसके बाद विदेहमुक्त हो जाता है । इस प्रकार सिद्ध आत्म-विकास की अन्तिम कोटि पर है, उससे आगे और कोई विकासभूमिका नहीं है । यह साधक से, साधना द्वारा सिद्ध होने की अमर यात्रा है । जैन संस्कृति का अन्तिम ध्येय सिद्धत्व है ।^२

संसारिक अवस्था में प्राणी के कर्मों का बंधन होता है । क्षण-प्रति-क्षण प्राणी इन कर्मों के फल का अनुभव करके उनसे मुक्ति भी पाता रहता है और क्षण-प्रतिक्षण शुभ और अशुभ क्रिया-रूप व्यापार द्वारा इन्हीं कर्मों का संचय भी करता रहता है । इस प्रकार कर्मों की एक संतति चलती रहती है, जो इस आत्मा को कभी स्वतन्त्र नहीं होने देती । साधक संयम के द्वारा आने वाले कर्मों का मार्ग बन्द कर देता है और

१. समवायाग, १४ ।

२. श्रमण सूत्र, पृ ९

तप के द्वारा संचित कर्मों का नाश कर कर्मसंतति से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेता है। कर्म-बन्धन से पूर्ण मुक्ति पा लेना ही आत्मा की सर्वोच्च विकसित अवस्था है। इसी को निर्वाणप्राप्ति कहते हैं, और यही सिद्ध-अवस्था कहलाती है।

अरिहंत-अवस्था में चार आत्मनाशक कर्मों का अभाव होता है। शरीर के सम्बन्ध से अन्य चार कर्म उसके उपस्थित रहते हैं। जिस समय वह शरीर छोड़ता है, तत्क्षण अवशिष्ट चार कर्मों का भी अभाव हो जाने के कारण वह सिद्ध हो जाता है।^१ महावीर ने जिस क्षण अपापा (पावा) में मृत्यु को प्राप्त किया, उसी क्षण वे सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त हो गए।^३

सिद्धों के आठ ही कर्मों का अभाव हो जाता है। इसी बात को दृष्टि में रख कर समवायाग सूत्र में सिद्धों के ३१ गुणों का वर्णन किया गया है। आभिनिबोधिक ज्ञानावरणादि पाँच ज्ञानावरणों के अभाव से ज्ञान सम्बन्धी पाँच गुण, चक्षुर्दर्शनावरणादि नौ दर्शनावरणों के अभाव से दर्शन-सम्बन्धी नौ गुण, सातावेदनीय तथा असतावेदनीय के अभाव से दो गुण, दर्शनमोहनीय तथा चरित्रमोहनीय के अभाव से दो गुण, नरकादि चार आयु के अभाव से चार गुण, उच्चगोत्र और नीचगोत्र के अभाव से दो गुण, शुभनाम तथा अशुभनाम के अभाव से दो गुण, दानान्तराय आदि पाँच अन्तरायों के अभाव से पाँच गुण इस प्रकार (५+६+२+२+४+२+२+५) सिद्धों के कुल ३१ गुण कहे गए हैं।^३

सिद्धों को प्रथमसमय सिद्ध अयोग-केवली तथा विदेहमुक्त कहा जाता है।^४

आचार्य

व्यवस्था और अनुशासन की दृष्टि से श्रमणजीवन के जो तीन भेद किये जाते हैं उनमें आचार्य का स्थान सबसे प्रधान एवं प्रथम है। द्वितीय स्थान उपाध्याय का तथा अन्तिम स्थान साधु का है।

१. स्थानाग, १९६

२ कल्पसूत्र १ ५ १२३ (जैनसूत्राज् भाग १)

३ समवायाग, ३१ ।

४ तुलना 'अयं देह अवसाने कार्यसंस्काराणामपि विनाशात् परमकैवल्य-मानन्दैकरस अखण्ड ब्रह्मावतिष्ठते' वेदान्तसार, पृ० २५ ।

श्रमण-अवस्था को प्राप्त व्यक्ति के लिये आवश्यक होता था कि वह स्वतंत्ररूप में विचरण न कर किसी श्रमण-संघ में सम्मिलित हो, क्योंकि एकान्त विचरण के कारण संभव है कि कभी संयम के नष्ट होने का अवसर आ जाय।^१ आचार्य इस प्रकार के श्रमणसंघों का नेता होता था। महावीर के चतुर्विध संघ में जो उनके ११ शिष्य (गणधर) थे, वे सभी आचार्य थे। उनमें प्रत्येक के अपने-अपने श्रमण-संघ थे। सबसे प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतम के श्रमण-संघ में ५०० श्रमण थे। द्वितीय गणधर अग्निभूति के श्रमण-संघ में ५०० श्रमण थे। सबसे अन्तिम गणधर प्रभास के श्रमण-संघ में ३०० श्रमण थे।^२

आचार्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने संघ में धार्मिक नियमों के अनुसार व्यवस्था रखे। श्रद्धालु संसारभयभीत व्यक्ति की योग्य परीक्षा कर उसे जिनधर्म में दीक्षित करे। दीक्षित साधुओं को धर्म में स्थिर एवं दृढ़ रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व आचार्य पर होता है। साधु द्वारा किसी प्रकार का अपराध, अनुशासन की अवहेलना आदि हो जाने पर वह आचार्य के निकट जा कर अपना अपराध निवेदन करता है और आचार्य उसको यथाविधि प्रायश्चित्त दे कर यथापूर्व, धर्म में स्थित रहने की प्रेरणा करता है।^३

आचार्य स्वयं साधु होता है; अतः आचार्य के उपर्युक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त उसे श्रमणजीवन के पूर्ण कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। आचार्य पूरे संघ में सबसे अधिक ज्ञानी एवं चरित्र की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति होता है, जिसे उदाहरणस्वरूप मान कर अन्य साधु अपने कर्तव्य में दृढ़ रहकर आत्मविकास की ओर उन्मुख रहते हैं। आचार्य को धर्मप्रधान श्रमण-संघ का पिता कहा गया है। 'आचार्य परम पिता।

१ गृहस्थ की स्त्रियाँ, पुत्रियाँ, पुत्रवधुएँ, दासियाँ या दाइयाँ ब्रह्मचारी श्रमण को लुभाने या डगमगाने का प्रयत्न कर सकती हैं।

—आचाराग २, २, ८२।

२ जैनसूत्राज् भाग १, (कल्पसूत्र, "लिष्ट आफ स्थविराज्", १ पृष्ठ २८६, २८७।

३. "१० प्रकार के वैयावृत्य में प्रायश्चित्त का स्थान प्रथम है। प्रायश्चित्त का अभिप्राय है, गुरु के निकट जा कर अपने अपराधों का निवेदन करना तथा दंडरूप तप आदि का ग्रहण करना" स्थानाग, ७१२।

वह अहिंसा, सत्य आदि आचार का स्वयं दृढता से पालन करता है तथा अन्य साधुओं को भी उस आचार के पालन को प्रेरणा देता है। यह पद अधिकार का नहीं, साधको के जीवन-निर्माण का पद है। वह अरिहंत की भूमिका की ओर बढ़ने वाला महाप्रकाश है, जो अपने पीछे चलने वाले चतुर्विध संघ का पथ प्रदर्शन करता है। आचार्य को दीपक कहा है; जो ज्योति को ज्योति से जलाता हुआ दूसरे आत्म-दीपो को भी प्रदीप्त कर देता है।^१

स्थानाग मे गुण तथा दीक्षा को दृष्टि मे रख कर आचार्य के कई भेद किए गए हैं।^२

गुणों की दृष्टि से आचार्य चार प्रकार के होते हैं—

- १ आमलक-मधुर, (आवले की तरह मीठा)।
- २ मृद्वीका-मधुर (दाख की तरह मीठा)
- ३ क्षीर-मधुर (दूध की तरह मीठा)
- ४ खंड-मधुर (शक्कर की तरह मीठा)

टीकाकार अभयदेव कहते हैं कि जिस प्रकार आँवला, दाख, दूध तथा शक्कर मे मधुरता की मात्रा ईषद्, बहु, बहुतर तथा बहुतम रूप मे क्रमशः वृद्धि पर है; इसी प्रकार उपशम (शांति) आदि गुणों की क्रम से वृद्धि के कारण आचार्य चार प्रकार के होते हैं।

दीक्षा की दृष्टि से भी आचार्य चार प्रकार के होते हैं—

१. प्रव्राजनाचार्य
- २ उत्थापनाचार्य
- ३ प्रव्राजनोत्थापनाचार्य
- ४ धर्माचार्य

प्रव्राजनाचार्य वे आचार्य कहलाते हैं, जो गृहस्थों को साधुधर्म की प्रव्रज्या (दीक्षा) देते हैं। साधुधर्म से स्खलित हो जाने पर श्रमणों को पुनः दीक्षा देने वाले आचार्य उत्थापनाचार्य कहलाते हैं।

१ श्रमण सूत्र, पृ० ६।

२. स्थानाग सूत्र, ३२०।

जो आचार्य उपयुक्त दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, वे प्रव्राजनोत्थापना-चार्य कहलाते हैं। जो उपयुक्त तीन प्रकार के कार्यों से रहित हो कर केवल धर्म का उपदेश देते हैं, वे धर्माचार्य कहलाते हैं।^१

उपाध्याय

चौथा पद उपाध्याय का है। श्रमण-जीवन में ज्ञान का विशेष महत्त्व है; क्योंकि अज्ञान एक ओर श्रद्धा को शिथिल कर देता है तो दूसरी ओर चरित्र से भी भ्रष्ट कर देता है। विवेकी ज्ञाननिष्ठ साधक ही साधना के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, उत्थान और पतन के कारणों की विवेचना कर सकता है, धर्म और अधर्म के बीच भेदरेखा खींच सकता है, संसार और मोक्ष के मार्ग का पृथक्करण कर सकता है। अज्ञानी साधक क्या जानेगा, वह अन्धा चल तो सकता है परन्तु चले कहाँ ? किस ओर ? उसे न मार्ग का पता है, न मंजिल का। अतः यह आवश्यक माना गया कि साधु को निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। किन्तु यह तब तक संभव नहीं हो सकता ; जब तक कि किसी विशिष्ट ज्ञानी का समागम उसे प्राप्त न हो। अतः यह विधान रखा गया कि अग शास्त्रों तथा पूर्वरूप आगमों के ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति संघ में अवश्य होना चाहिए; जो कि अन्य समुदायों को निरन्तर ज्ञानाभ्यास में सहायता प्रदान करता रहे।

चरित्र की साधना के समान ही ज्ञान की साधना भी मोक्ष का अंग है। उपाध्याय का पद धर्म-संघ में ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए है। वह अन्धों को आँख देता है। स्वयं शास्त्रों को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना उसका कार्य है। वह एक तरह का उपाचार्य होता है; क्योंकि आचार्य की अनुपस्थिति में उसे संघ का नेतृत्व भी करना पड़ता है। वह आध्यात्मिक-शिक्षा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है। पापाचार के प्रति विरक्ति तथा सदाचार के प्रति अनुरक्ति की शिक्षा देने वाला उपाध्याय वस्तुतः साधना—पथ के यात्रियों का सबसे महत्त्वपूर्ण साथी है।

चूँकि संघ में साधुओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि आचार्य केवल संघ के अनुशासन में ही पूर्ण व्यस्त रहता है। अतः

आचार्य का पद उपाध्याय से अलग रखना पड़ा। यद्यपि कभी-कभी आचार्य और उपाध्याय पद आवश्यकता पड़ जाने पर एक ही व्यक्ति ग्रहण करता है। उपाध्याय अन्य साधुओं की तरह आचार्य के पूर्ण अनुशासन में रहता है और उनकी ही आज्ञानुसार अध्यापन का कार्य किया करता है। उपाध्याय के साधु होने के कारण वह साधु-जीवन के समस्त कर्त्तव्यों का निर्दोषरूप से पालन करता है।

स्थानागसूत्र में अध्यापन करने वाले आचार्य (उपाध्याय) के चार भेद बताए गए हैं —

- १ उद्देशनाचार्य,
- २ वाचनाचार्य,
- ३ उभयाचार्य,
४. धर्माचार्य।

जो आचार्य अंगादि शास्त्रों का सव्याख्या अध्यापन करते हैं, वे उद्देशनाचार्य कहलाते हैं। जो केवल अंगादि शास्त्रों के वाचन का अभ्यास कराते हैं, अथवा वाचन कर दूसरों को सुनाते हैं, वे वाचनाचार्य कहलाते हैं। जो उपर्युक्त दोनों प्रकार के कार्य करते हैं वे उभयाचार्य कहलाते हैं। उक्त तीनों प्रकार के कार्यों से रहित हो कर जो धर्म का उपदेश देते हैं वे धर्माचार्य कहे जाते हैं।^१

साधु

श्रमण-जीवन की सबसे प्रथम अवस्था साधु है। संसार से विरक्त व्यक्ति जब किसी आचार्य के निकट प्रव्रज्या धारण करता है, तो वह साधु-संघ में सम्मिलित हो जाता है। उसे साधुजीवन के कर्त्तव्यों का पूर्णरूप से पालन करना, उपाध्याय के निकट ज्ञानाभ्यास करना और सध के आचार्य के पूर्ण अनुशासन में रहना आवश्यक होता है। साधु का अर्थ है—साधक। साधना करने वाला साधक होता है। साधु मोक्ष-मार्ग की साधना करता है। साधु का पद बड़े महत्त्व का है। साधु सर्व-विरतिरूप साधना का पथ का प्रथम यात्री है। यही उपाध्याय आचार्य और अरिहंत तक पहुँचता है और अन्त में सिद्ध बन जाता है।

साधु को न जीवन का मोह रहता है और न मृत्यु का भय, न इस लोक में उसे आसक्ति होती है और न परलोक में । मुख्य रूप से वह शुद्धोपयोग में रहता है और गौणरूप से शुभोपयोग में, परन्तु अशुभोपयोग में वह कभी नहीं उतर कर आता । उसके अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पाँच महाव्रत जीवन-पर्यन्त के लिए होते हैं और वे होते हैं, मन-वचन-काय से । हिंसा, असत्य आदि का दुर्भाव, वह न मन में रखता है न वचन में और न शरीर में । इतनी बड़ी पवित्रता है—साधु-जीवन की । अतः पाँचवें पद में “णमो लोके सत्त्वसाहूणे” कहते हुए संसार के समस्त साधुओं को नमस्कार किया गया है ।

श्रमण-जीवन में क्षाति (क्षमा) मुक्ति=निर्लोभता, आर्जव (मन की सरलता), मार्दव (मन की कोमलता), लाघव (परिग्रह का त्याग) सत्य, संयम, तप, त्याग (पदार्थों के प्रति मोह, कामना आदि का त्याग) तथा ब्रह्मचर्यवास इन दस धर्मों का अत्यधिक महत्त्व है । इसी कारण ये श्रमण-धर्म कहे गए हैं ।^१

समवायाग सूत्र में जो अनगार के २७ गुण बताए गए हैं ।^३ वे श्रमण-जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं । वे २७ गुण निम्न प्रकार हैं—

५—हिंसादि पाँच पापों से पूर्ण विरमण (निवृत्ति)

५—स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियों का पूर्ण निग्रह (निग्रह)

४—क्रोध, मान, माया तथा लोभरूप कपायों का त्याग ।

३—भावसत्य, करण-सत्य तथा योग-सत्य । भावनाओं की विशुद्धि भावसत्य है । आचरण की विशुद्धि करणसत्य है तथा मन, वचन एवं कार्य के प्रयोग की विशुद्धि योग-सत्य है ।

२—क्षमा एवं विरागता ।

३—मन, वचन तथा काय का समाहरण (संक्षेप) करना ।

३—सम्यग्ज्ञान (सम्यग्दर्शन, सत्यश्रद्धा) तथा सम्यक्चरित्र-सम्पन्नता ।

२—कष्टसहिष्णुता एवं मरणातिक सहिष्णुता ।

१. स्थानांगसूत्र ३८६

२. समवायाग १०.

३. समवायाग २७.

अरिहंत आदि पाँचो पदो का मूल स्वरूप वीतराग-विज्ञानता है। यह वीतराग-विज्ञानता ही है, जो अरिहंत आदि को त्रिभुवन के पूज्य बनाती है।

व्यक्तित्व-विकास की विभिन्न अवस्थाएँ (ब)

अंग-शास्त्रो मे मानव-व्यक्तित्व के विकास की १४ अवस्थाओ का विवरण मिलता है। इन अवस्थाओ को गुणस्थान कहते हैं।^१ गुण या स्वभाव (भाव) पाँच प्रकार के होते हैं। औदयिक, औपशमिक, क्षायिक क्षायोपशमिक और पारिणामिक, ये जीवो के पाँच भाव होते हैं।^३ ये भाव क्रमशः कर्म के उदय, उपशम (शांति), क्षय, क्षयोपशम तथा उदयादि के बिना केवल स्वभावमात्र की अपेक्षा से होते हैं। चूँकि जीव इन गुणो वाला होता है, इसलिए आत्मा को भी गुणनाम से कहा जाता है और उसके स्थान गुणस्थान कहे जाते हैं। ये चौदह गुणस्थान क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

- १ मिच्छादिट्ठी (मिथ्यादृष्टि)
- २ सासायणसम्मदिट्ठी (सासादनसम्यग्दृष्टि)
- ३ सम्मामिच्छादिट्ठी (सम्यक्मिथ्यादृष्टि)
- ४ अविरयसम्मदिट्ठी (अविरतसम्यग्दृष्टि)
- ५ विरयाविरए (विरताविरत)
- ६ प्रमत्तसंजए (प्रमत्तसंयत)
- ७ अप्पमत्तमजए (अप्रमत्तसंयत)
- ८ नियट्ठीवायरे (निवृत्तिवादर)
- ९ अनियट्ठीवायरे (अनिवृत्तिवादर)
- १० सुहुमसपराए (सूक्ष्मसापराय)
- ११ उवसामए, खवए, उवसतमोहे (उपशांतमोह)
- १२ खीणमोहे (क्षीणमोह)
- १३ सयोगी केवली (सयोग केवली)
- १४ अयोगी केवली (अयोगकेवली)

१. वही सूत्र १४

२. स्थानागमूत्र ५३७

पहिले कहे गये ८ कर्मों में से सबसे प्रबल मोहनीय कर्म है। यह कर्म ही आत्मा को समस्त शक्तियों को विकृत करके न तो उसे सच्चे मार्ग का भान होने देता है और न उस पर चलने देता है। किन्तु ज्यों ही आत्मा के ऊपर से मोह का परदा हटने लगता है, त्यों ही उसके गुण विकसित होने लगते हैं। अतः इन गुणस्थानों की रचना में मोह के चढाव और उतार का ही ज्यादा हाथ है। इनका स्वरूप संक्षेप में क्रमशः इस प्रकार है।

(१) मिथ्यादृष्टि—मोहनीय कर्म के एक भेद-मिथ्यात्व^१ के उदय से जो जीव अपने हिताहित का विचार नहीं कर सकते, अथवा विचार कर सकने पर भी जिन्हें हिताहित का ठीक ज्ञान नहीं होता, वे जीव मिथ्या-दृष्टि कहे जाते हैं। जैसे ज्वरग्रस्त व्यक्ति को मधुर रस भी अच्छा मालूम नहीं होता, वैसे ही उन्हें धर्म अच्छा नहीं मालूम होता। ससार के अधिकतर जीव इसी श्रेणी के होते हैं।

(२) सासादन-सम्यग्दृष्टि^२—जो जीव मिथ्यात्व कर्म के उदय को हटा कर सम्यग्दृष्टि हो जाता है; वह जब सम्यक्त्व से च्युत हो कर मिथ्यात्व में आता है तो दोनों के बीच का यह दर्जा होता है। जैसे पहाड़ की चोटी से यदि कोई आदमी लुढ़के तो जब तक वह जमीन में नहीं आ जाता तब तक उसे न पहाड़ की चोटी पर ही कहा जा सकता और न जमीन पर ही, इसी प्रकार इसे भी जानना चाहिए। सम्यक्त्व चोटी के समान है, मिथ्यात्व जमीन के समान है और यह गुणस्थान बीच के ढालू मार्ग के समान है, अतः जब कोई जीव आगे कहे जाने वाले चौथे गुणस्थान से गिरता है तभी यह गुणस्थान होता है। इस गुणस्थान में आने के बाद जीव नियम से पहिले गुणस्थान में पहुँच जाता है।

(३) सम्यग्-मिथ्यादृष्टि—जैसे दही और गुड़ को मिला देने पर दोनों का मिला हुआ स्वाद होता है, उसी प्रकार एक काल में

१ स्थानाग, (सूत्रवृत्ति) १०५, पृ० ६२, अ।

२ तुलना, महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पहिला मार्ग 'सम्यग्दृष्टि' है। बौद्ध दर्शन, पृ० २५।

सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिले हुए परिणामो को सम्यग्-मिथ्यादृष्टि कहते हैं ।

(४) अविरतसम्यग्दृष्टि—जिस जीव की दृष्टि अर्थात् श्रद्धा समीचीन होती है उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं । और जो जीव सम्यग्दृष्टि तो होता है, किन्तु समय नहीं पालता, वह अविरत सम्यग्दृष्टि कहा जाता है । आगे के सब गुणस्थान सम्यग्दृष्टि के होते हैं ।

(५) विरताविरत—जो संयत भी हो और असंयत भी हो उसे विरताविरत कहते हैं । अर्थात् जो त्रसजीवो की हिंसा का त्यागी है और यथाशक्ति अपनी इन्द्रियो पर भी नियंत्रण रखता है उसे विरताविरत कहते हैं । गृहस्थ का जो चरित्र बताया गया है वह विरताविरत का ही चरित्र है । व्रती गृहस्थो को विरताविरत कहते हैं । इस गुणस्थान से आगे के जितने गुणस्थान हैं, वे सब समय की ही मुख्यता से होते हैं ।

(६) प्रमत्तसंयत^१—जो पूर्ण संयम को पालते हुए भी प्रमाद के कारण उसमे कभी-कभी कुछ असावधान हो जाते हैं उन श्रमणो को प्रमत्तसंयत कहते हैं ।

(७) अप्रमत्तसंयत—जो प्रमाद के न होने से अस्खलित संयम का पालन करते हैं, शुभ ध्यान में मग्न उन मुनियो को अप्रमत्तसंयत कहते हैं । सातवे गुणस्थान से आगे दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती हैं—१ उपशम-श्रेणी और २ क्षपकश्रेणी । श्रेणी का मतलब है पंक्ति या कतार । जिस श्रेणी पर जीव कर्मों का उपशम करता हुआ चढ़ता है, उसे उपशमश्रेणी कहते हैं और जिस श्रेणी पर कर्मों को नष्ट करता हुआ चढ़ता है, उसे क्षपकश्रेणी कहते हैं । प्रत्येक श्रेणी में चार-चार गुणस्थान होते हैं । आठवाँ-नववाँ और दसवाँ गुणस्थान उपशम श्रेणी में भी सम्मिलित हैं और क्षपक श्रेणी में भी सम्मिलित हैं । ग्यारहवाँ गुणस्थान केवल उपशम-श्रेणी का है और बारहवाँ गुणस्थान केवल क्षपकश्रेणी का है ।

१ “प्रमादी पुरुष को चारो ओर से भय रहता है और अप्रमादी पुरुष चारो ओर से निर्भय हो जाता है ।” आचाराग, १, १, १२३, १” प्रमादी पुन-पुन. गर्भ में आता है ।” आचाराग, १, १ १०९ ।

गुणस्थान केवल क्षपकश्रेणि का है। ये सभी गुणस्थान क्रमशः होते हैं और शुभ ध्यान में मग्न मुनियों के ही होते हैं।

(८) निवृत्तिवादर—इस गुणस्थान का नाम “अपूर्वकरण” भी है। करण शब्द का अर्थ परिणाम है और जो पहिले नहीं हुए हैं उन्हें अपूर्व कहते हैं। सुध्यान में मग्न जिन मुनियों के प्रत्येक समय में अपूर्व-अपूर्व परिणाम—भाव होते हैं; उन्हें अपूर्वकरण गुणस्थान वाला कहा जाता है। इस गुणस्थान में न तो किसी कर्म का उपशम होता है और न क्षय होता है, किन्तु उसके लिए तैयारी होती है। इस गुणस्थान में जीव के भाव प्रतिसमय उन्नत से उन्नततर होते चले जाते हैं।

(९) अनिवृत्तिवादर—इस गुणस्थान का नाम “अनिवृत्तिवादर साम्पराय” भी है। समान-समयवर्ती जीवों के परिणामों में कोई भेद न होने को अनिवृत्ति कहते हैं। अपूर्वकरण की तरह यद्यपि यहाँ भी प्रति-समय अपूर्व—अपूर्व परिणाम ही होते हैं; किन्तु अपूर्वकरण में तो एक समय में अनेक परिणाम होने से समानसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं। परन्तु इस गुणस्थान में एक समय में एक ही परिणाम होने के कारण समान समय में रहने वाले सभी जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। उन परिणामों को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। और बादरसाम्पराय का अर्थ “स्थूलकषाय” होता है। इस अनिवृत्तिकरण के होने पर ध्यानस्थ मुनि या तो कर्मों को दवा देता है या उन्हें नष्ट कर डालता है। यहाँ तक के सब गुणस्थानों में स्थूल-कषाय पाई जाती है, यह बतलाने के लिए इस गुणस्थान के नाम के साथ “वादरसाम्पराय” पद जोड़ा गया है।

(१०) सूक्ष्मसाम्पराय—उक्त प्रकार के परिणामों के द्वारा जो ध्यानस्थ मुनि कषाय को सूक्ष्म कर डालते हैं; उन्हें सूक्ष्मसाम्पराय गुण-स्थान वाला कहा जाता है।

(११) उपशांतमोह—इस गुणस्थान का नाम “उपशांतकषाय वीतराग छद्मस्थ” भी है। उपशमश्रेणी पर चढ़ने वाले ध्यानस्थ मुनि जब उस सूक्ष्म कषाय को भी दवा देते हैं तो उन्हें उपशांतकषाय कहते हैं। पहिले लिख आए हैं कि आगे बढ़ने वाले ध्यानी मुनि आठवें गुणस्थान से दो श्रेणियों में बँट जाते हैं। उनमें से उपशमश्रेणी वाले मोह को

धीरे-धीरे सर्वथा दवा देते हैं, पर उसे निर्मूल नहीं कर पाते । अतः जैसे किसी वर्तन में भरी हुई भाप अपने वेग से ढक्कन को नीचे गिरा देती है, वैसे ही उस गुणस्थान में आने पर दवा हुआ मोह उपगमश्रेणि वाले आत्माओं को अपने वेग से नीचे की ओर गिरा देता है । इसमें कषाय को विलकुल दवा दिया जाता है । अतएव कषाय का उदय न होने से इसका नाम उपशान्तकषाय वीतराग है; किन्तु इसमें पूर्ण ज्ञान और दर्शन को रोकने वाले कर्म मौजूद रहते हैं, इसलिए इसे छद्मस्थ भी कहते हैं ।

(१२) क्षीणमोह—क्षपकश्रेणी पर चढ़ने वाले मुनि मोह को धीरे धीरे नष्ट करते हुए जब उसे सर्वथा निर्मूल कर डालते हैं तो उन्हें क्षीणमोह कहते हैं । इस प्रकार सातवें गुणस्थान से आगे बढ़ने वाले ध्यानी साधु चाहे पहली श्रेणी पर चढ़े, चाहे दूसरी श्रेणी पर चढ़ें वे सब आठवाँ, नववाँ और दशवाँ गुणस्थान प्राप्त करते ही हैं । दोनों; श्रेणी पर चढ़ने वालों में इतना ही अन्तर होता है कि प्रथम श्रेणी वालों से दूसरी श्रेणी वालों में आत्मविशुद्धि और आत्मवल विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसके कारण पहली श्रेणी वाले मुनि तो दशवें से ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँच कर दवे हुए मोह के उद्भूत हो जाने से नीचे गिर जाते हैं और दूसरी श्रेणी वाले मोह को सर्वथा नष्ट करके दसवें से बारहवें गुणस्थान में पहुँच जाते हैं । यह सब जीव के भावों का खेल है । उसी के कारण ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँचने वाले साधु का अवश्य पतन होता है और बारहवें गुणस्थान में पहुँच जाने वाला कभी नहीं गिरता, बल्कि ऊपर की ही चढ़ता है ।

(१३) सयोगकेवली—समस्त मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने पर तेरहवाँ गुणस्थान होता है । मोहनीय कर्म के चले जाने से शेष कर्मों की शक्ति क्षीण हो जाती है । अतः बारहवें के अन्त में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चारों घातिया कर्मों का नाश करके क्षीण-कषाय मुनि सयोगकेवली हो जाता है । ज्ञानावरण कर्म के नष्ट हो जाने से उसके केवलज्ञान प्रकट हो जाता है । वह ज्ञान पदार्थों के जानने में इन्द्रियप्रकाश और मन वगैरह की सहायता नहीं लेता, इसलिए उसे केवलज्ञान कहते हैं और उसके होने के कारण इस गुणस्थान वाले केवली कहलाते हैं । ये केवली आत्मा के शत्रु, घातिकर्मों को जीत लेने के कारण

परमात्मा, जीवन्मुक्त^१, अरिहत आदि नामों से पुकारे जाते हैं। जैन तीर्थंकर इसी अवस्था को प्राप्त करके जैनधर्म का प्रवर्तन करते हैं और जगह जगह घूम कर प्राणि-मात्र को उनके हित का मार्ग बतलाते हैं तथा इसी कार्य में अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत करते हैं। जब आयु अन्तर्मुहूर्त (एक मुहूर्त से कम) रह जाती है तो वे सब व्यापार बन्द करके ध्यानस्थ हो जाते हैं। जब तक केवली के मन, वचन और काया का व्यापार रहता है; तब तक वे सयोगकेवली कहलाते हैं।

(१४) अयोगकेवली—जब केवली ध्यानस्थ हो कर मन, वचन और काय का सब व्यापार बन्द कर देते हैं; तब उन्हें अयोगकेवली कहते हैं। ये अयोगकेवली बाकी बचे हुए चार अघातिया कर्मों को भी नाश करके, ध्यानरूप अग्नि के द्वारा समस्त कर्म भस्म करके कर्म और शरीर के बन्धन से छूट कर मोक्षलाभ करते हैं।

-

१. “वेदान्त में भी इसी प्रकार की जीवन्मुक्त अवस्था मानी गई है।”
वेदान्त सार, पृ० १४।

२ सूत्रकृतांग १४, (सूत्रवृत्ति अभयदेव, पृ० २६, २७) तथा “जैनधर्म”
पृ० २२०।

पंचम अध्याय

उपासक-जीवन

उपासक-अवस्था

जैनागम के अनुसार निर्वाण-प्राप्ति का एकमात्र मार्ग धर्म है। उसके दो भेद हैं—सागार-धर्म और अनगार-धर्म, गृहस्थ का धर्म और साधु का धर्म। सागार-धर्म एक सीमित मार्ग है। वह जीवन की सरल किन्तु छोटी पगडंडी है। गृहस्थ का धर्म अगु है, छोटा है, किन्तु वह हीन एवं निन्दनीय नहीं है। इस सागारधर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति श्रमणोपासक अथवा उपासक कहलाता है।^१

इस द्विविध धर्म का मूल आधार विनय अर्थात् आचार है, अतः इन दोनों को आगार-विनय और अनगारविनय भी कहा गया है।^२ आत्म-धर्म में दृढ श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आत्मा और अनात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर, सासारिक परिस्थितियों के वशीभूत होकर जब अपने को गृह का पूर्ण रूप से त्याग करने में असमर्थ पाता है तो वह इस प्रकार का संकल्प करता है कि मैं अभी श्रमणोपासक के व्रतों को ही ग्रहण कर आत्मा का ध्यान करूँगा।^३

गृहस्थ संसार में रहता है। अतः उसके ऊपर परिवार, समाज तथा राष्ट्र का उत्तरदायित्व होता है। यही कारण है कि वह पूर्णरूप से अहिंसा और सत्य के राजमार्ग पर नहीं चल सकता। उसे कभी-कभी

१. स्थानाग-सूत्र, ७२।

२. नायाधम्मकहाओ, ६०, पृ० ७४।

३. वही, ६०, पृ० ७३।

अपने विरोधी प्रतिद्वन्द्वी लोगो से संघर्ष करना पड़ता है, किन्तु शान्ति एवं अहिंसा के साथ, जीवनयात्रा के लिए कुछ न कुछ शोषण का मार्ग अपनाना होता है, किन्तु न्याय एवं नीति के साथ; तथा परिग्रह का जाल भी बुनना पड़ता है, किन्तु इच्छाओ के निरोध के साथ। उपर्युक्त परिस्थितियों में वह पूर्णतया निरपेक्ष, अखण्ड अहिंसा एवं सत्यरूप साधु-धर्म का पालन करने में अपने को असमर्थ पाता हुआ अहिंसा और सत्य के एकदेशपालनरूप उपासकधर्म को स्वीकार करता है।

सूत्रकृताग में उपासकजीवन का संक्षेप में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है।^१—“कितने ही श्रमणोपासक जीव और अजीव तत्त्वों के सम्बन्ध में जानते हैं, पाप-पुण्य के भेद को जानते हैं, कर्म आत्मा में प्रवेश क्यों करते हैं (आम्रव), और कैसे रोके जा सकते हैं (संवर), उनके फल कैसे होते हैं और वे कैसे नष्ट हो सकते हैं (निर्जरा), किया किसे कहते हैं, उसका अधिकरण क्या है, बंध और मोक्ष किसे कहते हैं, यह सब जानते हैं। किसी अन्य की सहायता न होने पर भी देव, असुर, राक्षस या किन्नर आदि उनको उनके धर्म से विचलित नहीं कर सकते। उनको जैन सिद्धान्त में शका, काक्षा (विषयो की इच्छा) और विचिकित्सा (ग्लानि) नहीं होती। वे जैन सिद्धान्त का अच्छी तरह अर्थ समझ कर निश्चित-मति होते हैं। उनको विश्वास होता है कि यह जैन सिद्धान्त ही अर्थ और परमार्थरूप है, और दूसरे सब अनर्थरूप हैं। उनके घर के द्वार आगे निकले हुए होते हैं। उनके दरवाजे अभ्यागतों के लिए खुले रहते हैं। उनमें, दूसरों के घर में या अन्तःपुर में घुस पड़ने की इच्छा नहीं होती। वे चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को पूर्ण पौषध व्रत (उपवास) विधिपूर्वक करते हैं। वे निग्रथ श्रमणों को निर्दोष खान-पान, मेवा-मुखवास, वस्त्र-पात्र, कम्बल, रजोहरण, औषध, सोने-वैठने को पाट, गय्या और निवास के स्थान आदि देते हैं। वे अनेक शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यानव्रत, पौषधोपवास आदि तप-कर्मों द्वारा आत्मा को वासित करते हुए रहते हैं।

“इस प्रकार की चर्या से बहुत समय जीवन व्यतीत करने पर जब उस श्रमणोपासक का शरीर रोग, वृद्धावस्था आदि विविध संकटों से

१. सूत्रकृताग, २, २, ७५-७७, पृ० ३८१-३८४, (जैनसूत्राज् भाग २)

घिर जाता है तब अथवा यो भी, वह खाना-पीना छोड़ देता है तथा अपने किए पापकर्मों को गुरु के सामने निवेदन करके उनका प्रायश्चित्त स्वीकार करने समाधियुक्त होता है और आयुष्य पूर्ण होने पर मृत्यु को प्राप्त कर महाऋद्धि और महाद्युति से युक्त देवलोको में से किसी देव-लोक में जन्म लेता है। यह स्थान आर्य है, शुद्ध है, संशुद्ध है और सब दुःखों को क्षय करने का मार्गरूप है।”

उपासक-अवस्था का महत्त्व

उपासक-अवस्था साधक की विरताविरति अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण मनोयोग से सासारिक हिंसादि-परिपूर्ण क्रियाओं से विरत होने का प्रयत्न तो करता है किन्तु गार्हस्थिक परिस्थितियाँ उसे पूर्ण विरत नहीं होने देती। मन से विरत किन्तु शरीर से अविरत यह व्यक्ति मिश्र अवस्था में भूलता रहता है। धर्म में क्रिया से अधिक भावना का महत्त्व है; अतः मिश्र अवस्था में रहने वाला व्यक्ति भी आत्मविकास की ओर निरन्तर बढ़ता रहता है। “जो अविरति से युक्त है वही स्थान हिंसा का है और त्याज्य है। जो विरति का स्थान है वही अहिंसा का है और स्वीकार करने योग्य है। जिसमें कुछ विरति और कुछ अविरति है वह स्थान हिंसा और अहिंसा दोनों का है तो भी यह विरताविरत रूप मिश्र-धर्म भी आर्य है, संशुद्ध है और सब दुःखों का क्षय करने वाला है।”^१

कुछ लोग गृहस्थधर्म को निन्द्य तथा हेय बताते हैं। उनका कहना है कि गृहस्थजीवन जिधर देखो उधर ही पापों से भरा हुआ है, उसका प्रत्येक आचरण पापमय है, विकारमय है, उसमें धर्म कहाँ? परन्तु ऐसा मानने वाले लोग सत्य की गहराई तक नहीं पहुँच पाये हैं। यदि सदाचारी गृहस्थ-जीवन वस्तुतः निन्द्य तथा हेय होता तो जैन-संस्कृति के प्राण-प्रतिष्ठापक श्रमण-भगवान् महावीर धर्म के दो भेदों में गृहस्थ-धर्म की गणना क्यों करते? क्यों उच्च सदाचारी गृहस्थों को श्रमण के समान मानते हुए उनको “समणभूए” (श्रमणभूत^२) शब्द

१. जैनसूत्राज् भाग २ (सूत्रकृताग, २, २, ७८, पृ० ३८४, ३८५)

२. समवायांग, ११।

से सम्बोधित करते ? क्यों उत्तराध्ययन-सूत्र में यह कहा जाता कि—
“कुछ भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थ सयम की दृष्टि से श्रेष्ठ है और गृहस्थ-
दशा में रहते हुए भी साधक सुव्रत हो जाता है ।”

यह ठीक है कि गृहस्थ का धर्म क्षुद्र है, साधु जैसा महान् नहीं है, परन्तु यह क्षुद्रता साधु के महान् जीवन की अपेक्षा से है ।^२ अन्य साधारण कामनाओं के दलदल में फंसे संसारी मनुष्यों की अपेक्षा तो एक धर्माचारी सद्गृहस्थ का जीवन महान् ही है, क्षुद्र नहीं ।

उपासक यदि गृहस्थ-धर्म में पूर्ण-रूप से सावधान है तो साधु उसकी विनय करते हैं और साधुओं के द्वारा उपासक का किसी प्रकार अविनय हो जाने पर वे उपासक से क्षमायाचना भी करते हैं । उपासकदशाग में वर्णन है कि^३—“श्रमणोपासक आनन्द को आत्मविशुद्धि के कारण ५०० योजन दूर जानने योग्य अवधिज्ञान पैदा हुआ । उसने श्रमण गौतम के सामने अपने अवधिज्ञान उत्पन्न होने की बात कही । गौतम ने आनन्द से कहा कि गृहस्थ को अवधिज्ञान तो हो सकता है किन्तु इतने विस्तृत क्षेत्र वाला नहीं, जितना कि तुम कह रहे हो । अतः तुम असत्य-भाषण की आलोचना (गुरु के समक्ष अपराध-निवेदन) तथा प्रतिक्रमण (दण्डग्रहण) करो । आनन्द ने कहा कि ‘मैं सत्य कह रहा हूँ अतः मुझे नहीं; किन्तु आपको ही आलोचना और प्रतिक्रमण करना चाहिए, गौतम को आनन्द के वचनों में शंका हुई और वे भगवान् महावीर के निकट पहुँचे तथा उनसे पूछा । महावीर ने कहा कि—
“गौतम, आनन्द सत्य कहता है । अतः तुम्हें आलोचना तथा प्रतिक्रमण-पूर्वक आनन्द से क्षमायाचना करना चाहिए ।” भगवान् की बात सुन कर गौतम ने आनन्द से क्षमायाचना की ।

उपासकअवस्था में सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का महत्त्व

सम्यग्दर्शन—आध्यात्मिक-विकास-क्रम में उपासक की अवस्था चौथी है । इसे चतुर्थ गुणस्थान^४ भी कहते हैं । इसके पहिले के तीन

१ उत्तराध्ययन ५, २० ।

२. स्थानागसूत्र-वृत्ति, ३८६, पृ० २७७ (अ)

३ उपासकदशाग (अभयदेववृत्ति) १, १२—१४, पृ० २६-३३ ।

४. “चौदह गुणस्थानों में चतुर्थ गुणस्थान, अविरतसम्यग्दृष्टि है ।”

गुणस्थान सत्य के प्रति अनास्था एवं असत्य के प्रति गाढश्रद्धा से परिपूर्ण होते हैं। यह अवस्था सम्यग्दर्शन के साथ प्रारम्भ होती है। सम्यग्दर्शन का अर्थ है, “सत्य के प्रति दृढ विश्वास।” मनुष्य के जीवन में आचरण एवं ज्ञान की अपेक्षा विश्वास का अधिक महत्त्व है; क्योंकि विश्वासहीन मनुष्य के हृदय में न तो ज्ञान की ओर झुकाव हो सकता है और न आचरण की ओर उन्मुखता।^१

जैनागम में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र्य को मुक्ति का मार्ग कहा गया है।^२ इन तीनों में सम्यग्दर्शन की प्रधानता कही गई है। उपासकजीवन का आरम्भ हृदय में सत्य के प्रति दृढ आस्था उत्पन्न हो जाने के साथ ही हो जाता है। इसी को सम्यक्त्व भी कहते हैं। यह श्रद्धा अन्धश्रद्धा नहीं है, अपितु वह प्रकाशमान जीवित श्रद्धा है, जिसके प्रकाश में जड को जड एवं चैतन्य को चैतन्य समझा जाता है, तथा संसार, मोक्ष, धर्म, अधर्म, सभी का ज्ञान हो जाता है। वस्तुतः विवेकबुद्धि का जागृत हो जाना ही सम्यक्त्व है। इसे तत्त्वार्थ-श्रद्धान भी कहते हैं। अनन्तकाल से हम यात्रा तो करते चले आ रहे हैं, किन्तु उसका गन्तव्य लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ था, इस लक्ष्य का स्थिरीकरण सम्यक्त्व के द्वारा होता है।^३

जाताधर्मकथासूत्र में सम्यक्त्व को रत्न की उपमा दी गई है। अनन्तकाल से दीन-हीन, दरिद्र भिखारी के रूप में भटकता हुआ आत्मदेव सम्यक्त्वरत्न पाने के बाद आध्यात्मिक धन का स्वामी हो जाता है। सम्यक्त्वी की प्रत्येक क्रिया निराले ढग की होती है। उसका सोचना, समझना, बोलना और करना सब कुछ विलक्षण होता है। वह संसार में रहता हुआ भी संसार से निर्विण्ण हो जाता है।

सम्यग्दर्शन के साथ ही साथ उपासक के हृदय में धर्म के प्रति शकाशीलता का सर्वदा के लिए नाश हो जाता है। उसे इस बात का पूर्ण निश्चय हो जाता है कि आत्मविकास के लिए धर्म के अतिरिक्त

१. स्थानाग, ७०।

२. वही, ४३, १५७।

३. “हम कहाँ से आए हैं ? कहाँ जावेगे ? इसका ज्ञान साधारण प्राणियों को नहीं होता।” आचाराग, १, १, १—४।

इस संसार में कोई अन्य वस्तु सहायक नहीं हो सकती । सासारिक भोग-विलासो एवं कामनाओ को वह दुःख का कारण मान कर हमेशा के लिए उनसे मुंह मोड़ लेता है । आत्म-ज्ञान कराने वाले श्रमण, निर्ग्रन्थ अथवा विद्वज्जनो के प्रति उसके हृदय में एक अभूतपूर्व श्रद्धा एवं स्नेह की भावना पैदा हो जाती है । वह उनकी भौतिक कमियों को देख कर उनसे किसी प्रकार की ग्लानि एवं सकोच नहीं करता ।^१ आत्मधर्म में उसे इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है कि वह अन्यधर्मावलम्बियों के साथ न तो अतिपरिचय ही स्थापित करना चाहता है और न ही उनके पाखण्ड-पूर्ण कार्यों की थोड़ी-सी भी सराहना । क्योंकि इस प्रकार के कार्य उसे अपने धर्म से विचलित कर सकते हैं ।^१

सम्यग्ज्ञान—जैनागमो में अधिकतर श्रमणोपासक शब्द के साथ 'जीव अजीव का ज्ञाता' इस विशेषण का प्रयोग हुआ है ।^२ यह इस बात की ओर संकेत करता है कि उपासक के जीवन में दर्शन के बाद और आचार से पहिले ज्ञान का होना अत्यधिक आवश्यक है । जीव तथा अजीव के बन्धन और मुक्ति को ले कर जैनागमों में ६ पदार्थ वर्णित हैं ।^३ ज्यो ही उपासक को जीव-अजीव तत्त्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, त्यो ही वह नव पदार्थों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है । "कर्म आत्मा में क्यों प्रवेश करते हैं ? (आस्रव), उनको कैसे रोका जा सकता है ? (सवर), उनके फल कैसे होते हैं और वे कैसे नष्ट हो सकते हैं ? (निर्जरा), किया किसे कहते हैं, उसका अधिकरण क्या है, बन्ध और मोक्ष किसे कहते हैं ?—इन सब बातों का ज्ञान उपासक को होता है ।"^४

सम्यक्चारित्र—श्रद्धा एवं ज्ञान से सम्पन्न उपासक जब आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर होने के लिए चारित्र का अवलम्बन करता है तो वह चतुर्थ गुणस्थान से निकल कर देशव्रती श्रावक की पंचम भूमिका में आता है ।^५ यह वह भूमिका है, जहाँ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य

१ उपासकदशांग, १, ६, पृ० १० ।

२ उपासकदशांग, १, ६, पृ० १०, तथा नायाधम्मकहाओ, १, ५, ६०,

३. स्थानाग, ६६५ ।

४ जैनसूत्राज् भाग २, (सूत्रकृताग, २, २, ७५—७७)

५. चौदह गुणस्थानो में पाँचवा गुणस्थान विरताविरत है

और परिग्रह-परिमाणभाव की मर्यादित साधना प्रारम्भ हो जाती है। सर्वथा न करने से कुछ करना अच्छा है, यह आदर्श इस भूमिका का है।^१

गृहस्थ के जीवन में पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का एक बहुत बड़ा भार है। ऐसी स्थिति में पूर्णत्याग का मार्ग तो अपनाया नहीं जा सकता; परन्तु अपनी स्थिति के अनुसार मर्यादित त्याग तो ग्रहण किया ही जा सकता है। इस मर्यादित एव आशिक त्याग का नाम ही आगम की भाषा में देशविरति है।

उपासक-अवस्था के भेद

यद्यपि जैन-सूत्रों में स्पष्ट-रूप से उपासक-जीवन के भेदों का कोई वर्णन नहीं मिलता किन्तु उसके जीवन-क्रम को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उपासक के जीवन की तीन अवस्थाएँ होती हैं।

प्रथम अवस्था—गृह कार्यों में व्यस्त मानव, अनन्त पुण्योदय से जब किसी साधु अथवा धर्मज्ञ के समागम को प्राप्त कर उससे धर्म का श्रवण करता है तो उसके हृदय में धर्म के प्रति अपूर्व आस्था उत्पन्न हो जाती है। उसे अपना असयमित एव अमर्यादित जीवन भारस्वरूप एव कष्ट-प्रद प्रतीत होने लगता है। वह विनीत भाव से साधु के निकट जाकर उनसे अपने जीवन को संयमपूर्ण बनाने की अभिलाषा प्रकट करता है और साधु द्वारा अपने विचारों का समर्थन प्राप्त कर वह उनके निकट पाँच अणुव्रत तथा सात शिक्षाव्रतरूप उपासकधर्म को स्वीकार करता है। इस प्रकार घर पर रहकर उपासक के वारह व्रतों का पालन करना उपासक की प्रथम अवस्था है।^२

द्वितीय अवस्था—कुछ वर्षों तक वारह व्रतों का पालन करने के बाद उपासक को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि घर में उपासक के व्रतों का निरतिचार (निर्दोष) पालन करना उसके लिए असम्भव है। अतः वह मित्रों, कुटुम्बजनो आदि के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र पर घर का भार डाल

१ “उपासक के पाँच अणुव्रत” उपासकदशाग, १, ४, पृ० ४।

२ उपासकदशाग, १, ३-५, पृ० २-५।

कर घर से सपर्क कम करने लिए “पौषधशाला” (उपासको के धर्मसाधन के स्थान) में चला जाता है। वहाँ पहुँच कर पौषधशाला को अच्छी तरह प्रमार्जन कर उच्चारप्रस्रवणभूमि (मलमूत्रप्रक्षेपभूमि) को अच्छी तरह देखभाल कर, दर्भ विच्छा कर, पोषध आदि उपासक की ग्यारह प्रतिमाओं का यथामार्ग तथा यथातत्त्व पालन करने लगता है। पौषधशाला में रह कर ग्यारह प्रतिमाओं के पालन को उपासक की द्वितीय अवस्था समझना चाहिए।^१

तृतीय अवस्था—ग्यारह प्रतिमाओं का निर्दोष पालन करते हुए उपासक का शरीर जब तप के द्वारा सूख कर लगभग हड्डियों का ढाँचा मात्र रह जाता है, तब वह सोचने लगता है कि जब तक उसमें उठने तथा कार्य करने की शक्ति, बल, वीर्य, पौरुष, श्रद्धा, वैराग्य आदि विद्यमान है, तब तक यह श्रेयस्कर होगा कि वह अन्न-पान का त्याग कर मृत्यु की आकांक्षारहित हो कर मारणातिक सल्लेखना (शान्तिपूर्वक मरण के प्रयत्न) को धारण करे। सल्लेखना—धारण के समय उपासक पूर्ण रूप से गृह एवं परिग्रह से सम्बन्ध छोड़ देता है तथा क्रमशः भोजन-पान भी अल्प करते हुए एकदिन सर्वथा छोड़ देता है और शान्तिपूर्वक आत्मध्यान करते हुए वह मृत्यु का आलिगन करता है।^२

परवर्ती आचार्यों ने उपासक-जीवन की इन्हीं तीनों अवस्थाओं को ले कर उपासक के तीन भेद किए हैं—पाक्षिक, नैष्ठिक तथा साधक।

पाक्षिक उपासक वह कहलाता है जो उपासक के बारह व्रतों का निर्दोष पालन करता है। नैष्ठिक श्रावक वह है जो उपासक की ग्यारह प्रतिमाओं का निर्दोष पालन करता है तथा साधक वह है जो कि शान्तिपूर्वक आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर निराकाक्ष हो कर मृत्यु का आलिगन करता है।^३

श्रमण के प्रति भक्ति एवं सेवाभाव को ध्यान में रखकर श्रमणोपासक के चार भेद किए हैं—१ अम्मापितिसमाणे (मातृपितृसमान),

१. उपासकदशाग, ६, १०, पृ० २४-२५।

२. वही, १, १५, पृ० ३३,

३. “जैनधर्म”, पृ० १८४-२०१।

२ भातिसमाणे (भ्रातृसमान), ३ मित्तसमाणे (मित्रसमान), ४ सवत्ति-समाणे (सपत्निसमान) ।

जिन उपासको मे, साधु के प्रति भक्ति, श्रद्धा, स्नेह एवं सेवा-भावना माता-पिता के समान, भाई के समान, मित्र के समान तथा सपत्नि (सौत) के समान क्रमशः हीन से हीनतर होती चली जाती है वे उपासक क्रमशः मातृपितृ-समान, भ्रातृ-समान, मित्र-समान तथा सपत्नि-समान श्रमणोपासक कहलाते हैं ।^१

उपदेश ग्रहण करने की शक्ति, मन की चंचलता आदि को ध्यान में रख कर श्रमणोपासक के चार भेद किए गए हैं—१ अद्धागसमाणे, (आदर्शसमान), २ पडागसमाणे (पताकासमान), ठाणुसमाणे (स्थानु-समान) ३ खरकण्ठअसमाणे (खरकटकसमान) ।

जो उपासक स्वच्छ दर्पण की तरह धर्मोपदेश को यथार्थरूप में ग्रहण कर लेता है, वह आदर्शसमान श्रमणोपासक है । जिस उपासक का मन पताका (ध्वजा) की तरह चंचल रहता है, वह पताका-समान श्रमणोपासक है । जो उपासक अपने दुराग्रह के कारण स्थानु (लकड़ी के खम्भे) की तरह कभी भी नम्र स्वभाव वाला नहीं होता, वह स्थानु-समान श्रमणोपासक है । तथा जो उपासक उपदेशक के प्रति तीक्ष्ण काँटों की तरह वेधने वाले दुर्वचन का प्रयोग करता है, वह खरकटक समान श्रमणोपासक है ।^२

स्थानाग मे उपासक-अवस्था की ज्येष्ठता एवं कनिष्ठता आदि को ध्यान में रखकर उपासक के चार भेद किए गए हैं —

१. रायणिये समणोवासगे महाकम्मे महाकिरिए अणायावी असमिते धम्मस्स अणाराहते (रात्तिक-श्रमणोपासक-महाकर्म-महाक्रिय-अनातापी असमित-धर्मस्यानाराधक.)—जो उपासक-अवस्था में ज्येष्ठ होकर भी कर्मबन्धन के कारणभूत प्रमादादि से परिपूर्ण शरीरादिक की महान् क्रिया एवं कर्म करता है, अल्पश्रद्धा होने के कारण शीतादि कष्टों को सहन नहीं करता, गमन; भोजन, भाषण आदि में असावधान रहता है

१. स्थानाग, ३२१, पृ० २३०-२३१ (व)

२. वही, पृ० २३०-२३२ (व)

तथा उपासकधर्म का पालन नहीं करता, वह “रात्तिक अनाराधक कहलाता है।

२ रायणिये-समणोवासगे अप्पकम्मे-अप्पकिरिए आतावीसमिए धम्मस्स आराहते (रात्तिक-श्रमणोपासक-अल्पकर्म-अल्पक्रिय-आतापि समित्त-धर्मास्याराधक) — जो उपासक-अवस्था में ज्येष्ठ होकर, प्रथम प्रकार के उपासक से भिन्न, अल्प कर्म एवं अल्प क्रिया वाला, प्रगाढ़ श्रद्धा होने के कारण शीतादि कष्टों को सहन करने वाला, गमन-भोजनादि कार्यों में पूर्ण सावधान तथा उपासकधर्म का यथार्थरीति से पालन करने वाला है, वह “रात्तिक आराधक कहलाता है।

३ ओमरातिणिते समणोवासगे महाकम्मे-महाकिरिए-अणायावी असमित्ते धम्मस्स अणाराहते (अवमरात्तिक-श्रमणोपासक-महाकर्म-महा-क्रिय-अनातापी-असमित्त-धर्मास्यानाराधक) — अवस्था में लघु होकर भी जो उपासक महाकर्म तथा महाक्रिय एवं गमनादि क्रियाओं में असावधान तथा उपासकधर्म का अनाराधक है, वह “अवमरात्तिक अनाराधक” कहा जाता है।

४ ओमरातिणिते समणोवासगे अप्पकम्मे-अप्पकिरिए-आतावी समिए धम्मस्स आराहते (अवमरात्तिक-श्रमणोपासक-अल्पकर्म-अल्पक्रिय-आतापि-समित्त-धर्मास्याराधक) — अवस्था में लघु किन्तु अल्पक्रिय, अल्पकर्म, शीतादि कष्टों को सहने वाला, गमनादि क्रियाओं में सावधान तथा उपासक-धर्म का आराधक, श्रमणोपासक “अवमरात्तिक आराधक” कहलाता है।

यही चार भेद श्रमणोपासिकाओं के भी कहे गए हैं।^१

उपासक-धर्म

वारह गिहिधम्म (गृहीधर्म), ग्यारह उवासगपडिमा (उपासक-प्रतिमा) तथा अपच्छिम मारणतियसलेहणा (अपश्चिममारणान्तिक-सल्लेखना) इस प्रकार कुल ३४ प्रकार का उपासक का धर्म है।

पचारुव्वय (पंच अणुव्रत) तथा सत्तसिक्खावइय (सप्त शिक्षाव्रत), कुल वारह प्रकार का गृहीधर्म अर्थात् गृहस्थ का धर्म कहा गया है। इन्हें

१. स्थानागसूत्र वृत्ति, ३२०, पृ० २२८ तथा २३०।

गृहस्थ-धर्म इस कारण कहा जाता है कि इन व्रतों का पालन, उपासक गृहमे रह कर ही करता है। अन्य व्रतों का पालन करने के लिए उपासक को घर छोड़ कर पोषधशाला में जाना पड़ता है।^१

अणुव्रत—उपासक के हिंसादि पापों से विरत होने को अणुव्रत कहते हैं। उपासक गृहस्थ होने के कारण पापों से पूर्णतया विरत नहीं हो सकता, इस कारण उसके व्रत अणुव्रत कहलाते हैं। अणु का अर्थ 'लघु' है। इन व्रतों में लघुता महाव्रतों की महत्ता की अपेक्षा से है, किसी अन्य अपेक्षा से नहीं। अणुव्रत पाँच प्रकार के हैं—^२

- १ थूलातो पाणाइवायातो वेरमण (स्थूलप्राणातिपातविरमण)
- २ थूलातो मुसावायातो वेरमण (स्थूलमृषावादविरमण)
३. थूलातो अदिन्नादाण—वेरमणं (स्थूलअदत्तादानविरमण)
- ४ सदारसतोसे (स्वदारसतोष)
- ५ इच्छापरिमाणे (इच्छापरिमाण)

स्थूलप्राणातिपातविरमण—अहिंसा आध्यात्मिक जीवन की आधार-भूमि है। वह एक सर्वव्यापी सिद्धान्त है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो साधक केवल अहिंसा की साधना में ही तल्लीन रहता है। अहिंसा व्रत में उपासक अथवा श्रमण के सभी व्रत गर्भित हो जाते हैं। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-व्रतों की साधना भी अहिंसा पर अवलम्बित है और वास्तव में अन्य सभी व्रत अहिंसा-व्रत के ही विस्तार हैं।

“मैं जीवनपर्यन्त मन, वचन, काय से स्थूल हिंसा न करूंगा, और न किसी अन्य द्वारा कराऊंगा” यह अहिंसाणुव्रत का स्वरूप है।^३

हिंसा का लक्षण —जैनधर्म में क्रिया की अपेक्षा भावना की प्रधानता है। अतः किसी प्राणी को जीवन से वियुक्त कर देना ही हिंसा नहीं है; अपितु अन्य प्राणी के जीवन-संरक्षण के प्रति हृदय में असद्भावना पैदा होना ही हिंसा है। प्रमादी हो कर किसी अन्य प्राणी के प्रति सावधान

१ नायाधम्मकहाओ, १, ६०, पृ०, ७४।

२ स्थानाग सूत्र, ३८६, तथा सूत्रवृत्ति, पृ० २७७ (अ)

३ उपासकदशाग, १, ५, पृ० ५,

नहीं रहना भी हिंसा है । अन्य प्राणी की मृत्यु हो अथवा न हो, किन्तु प्रयत्न करने वाले प्राणी के हृदय की अपवित्रता अथवा प्रमादीपन हिंसा का द्योतक है । प्राणी की हिंसा हो जाने पर भी यदि अप्रमाद है, तो वह हिंसा नहीं कही जा सकती ।^१

अहिंसा का लक्षण—उपर्युक्त प्रकार की हिंसा से विरति अहिंसा है । यह अहिंसा केवल निषेधात्मक ही नहीं है; किन्तु इसका विधेयात्मक रूप भी है । उपासक की अहिंसा राष्ट्री की आंतरिक शासन-प्रणाली में आमूल परिवर्तन तथा सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में संशोधन की ओर संकेत करती है । पारिवारिक, कौटुम्बिक और जातीय जीवन के निर्माण में बहुत मात्रा में सहानुभूति, परस्पर सहायता, स्नेह, त्याग और एकनिष्ठा की भावनाओं की आवश्यकता रहती है, जो कि अहिंसा के ही रूप हैं । वास्तव में अहिंसा के सिद्धान्त का यह अर्थ है कि समस्त-जीवन वलप्रयोग के स्तर से ऊँचा उठा कर विवेक, विनय, सहनशीलता और पारस्परिक सेवा के स्तर पर प्रतिष्ठित किया जाए ।

अहिंसारुब्रत का धारक उपासक जहाँ मनुष्यमात्र के प्रति प्रगाढ़ स्नेह एवं सहायता की भावना से ओतप्रोत रहता है, वहाँ वह पशुजाति के प्रति भी अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण होता है । वह गाय, भैंस आदि पशुओं को कठोर बन्धनों से नहीं बाँधता, उन्हें लकड़ी से नहीं पीटता, उनकी नासिका आदि अंगों का छेदन नहीं करता, उनके ऊपर शक्ति से अधिक भार नहीं लादता और उनके खाने, पीने के समय का उल्लंघन न करते हुए उन्हें पूर्ण भोजन देता है ।^२

जो उपासक उपर्युक्त मर्यादाओं के पालन में शिथिलता करता है; उसका व्रत निर्दोष नहीं कहा जा सकता । व्रतों की निर्दोषता को ध्यान में रख कर प्रत्येक व्रत के पाँच-पाँच अतिचार कहे गए हैं । उपासक के जो कार्य व्रत में दूषण लगाते हैं; वे अतिचार कहलाते हैं । “स्थूल प्राणातिपातविरमण” के पाँच अतिचार हैं—

१. “प्रमाद और उसके कारण कामादि में आसक्ति ही हिंसा है ।”
आचाराग, १, १, ३४—३५ ।

२. उपासकदशाग, १, ५, पृ० ५ ।

- १ वध (वध)—पशुओं को कठोर वन्धनों से बाँधना ।
- २ वह (वध)—उनको लाठी आदि से पीटना ।
३. छविच्छेद (छविच्छेद)—उनकी नासिका आदि अंगों को छेदना ।
४. अइभार (अतिभार)—उनके ऊपर अधिक भार लादना ।
- ५ भक्तपाणविच्छेद (भक्तपाणविच्छेद)—उनको यथासमय भोजन व पानी न देना ।^१

स्थूलमूषावादविरमण—अहिंसा और सत्य का निकट सम्बन्ध है, अथवा यो कहिये कि अहिंसा के बिना सत्य और सत्य के बिना अहिंसा जीवित ही नहीं रह सकती । भगवान् महावीर ने अहिंसा को भगवती और सत्य को भगवान् कहा है । सत्य का आदर्श जितना ही ऊँचा होगा, मनुष्य का व्यक्तित्व उतना ही उच्च होगा और वह उतनी ही मात्रा में समाज को वर्तमान दुश्चक्र से निकाल कर विवेक तथा नैतिकता के ऊँचे स्तर पर स्थापित कर सकेगा ।

सत्याणुव्रतधारी उपासक जीवनपर्यन्त मन, वचन तथा काय से न किसी प्रकार का झूठ स्वयं बोलता है और न किसी अन्य के द्वारा बुलाता है ।

अहिंसागुव्रत की तरह सत्यागुव्रत भी निषेधात्मक नहीं है । किन्तु इसका विधेयात्मक रूप भी है । सत्य, जहाँ झूठ का त्याग है, वहाँ प्राणिमात्र से स्नेह-परिपूर्ण मिष्ट-भाषण का भी द्योतक है । असत्य-भाषण से मनुष्य का जीवन हमेशा शंका एवं भय से परिपूर्ण रहता है और पग-पग पर उसे कष्ट का अनुभव करना पड़ता है । किन्तु सत्य-भाषणशील व्यक्ति सर्वदा अभय एवं निःशंक जीवन व्यतीत करता हुआ अपने तथा समाज के कल्याण में तत्पर रहता है ।

इस व्रत के पूर्ण पालन के लिए यह आवश्यक है कि उपासक किसी भी बात को खूब सोच-समझने के बाद ही कहे । सहसा किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का रहस्य मालूम

१ उपासकदशाग १, ६, पृ० १० ।

२. वही, १.

हो जाने पर उसे प्रकट नहीं करना चाहिए तथा अपने कौटुम्बिक जन, मुख्यतः अपनी स्त्री के रहस्य को अन्य से प्रकट नहीं करना चाहिए। झूठा उपदेश देने तथा झूठे लेख लिखने और लिखाने से भी उपासक को दूर रहना चाहिए।

जो उपासक उपर्युक्त मर्यादाओं के पालन में शिथिलता करता है; उसका व्रत निर्दोष नहीं कहा जा सकता। स्थूलमृषावादविरमण व्रत के पाँच अतिचार हैं—

१. सहसम्भक्खाणे (सहसाम्याख्यान)—विना सोचे—समझे किसी भी बात का कहना।
२. रहसम्भक्खाणे (रहस्याभ्याख्यान)—किसी के रहस्य का प्रकट कर देना।
३. सदारमंतभेए (स्वदारमन्त्रभेद)—अपनी स्त्री की गुप्त बातों को प्रकट कर देना।
४. मोसोवएसे (मृषोपदेश)—झूठा उपदेश देना।
५. कूडलेहकरणे (कूटलेखकरण) — झूठा लेख (दस्तावेज) या झूठे वहीखाते लिखना।^१

स्थूलअदत्तादान-विरमण—अचौर्य का साधारण अर्थ चोरी नहीं करना है, किन्तु इसका तात्त्विक अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के अधिकारों पर आघात नहीं करना चाहिए। अचौर्य जहाँ चोरी के त्याग को बतलाता है, वहीं पर पारस्परिक सेवा, सहायता एवं सद्भावना की ओर भी संकेत करता है।

चोरी किसी भी वस्तु के अपहरणमात्र को ही नहीं कहते, किन्तु हृदय में परद्रव्य के प्रति आकर्षण पैदा होना अथवा चोरी के कार्य में थोड़ी-सी भी सहयोग की भावना पैदा होना चोरी है। उपासक मन, वचन, काय से जीवन-पर्यन्त इस प्रकार की चोरी करने तथा किसी अन्य के द्वारा करवाने के त्याग की प्रतिज्ञा करता है।^२

१. उपासकदशाग (वृत्ति, अभयदेव) १, ६, पृ० ११।

२. वही, १, ५, पृ० ५।

इतना ही नहीं, वह कभी भी चोरी की गई वस्तु को ग्रहण नहीं करता। चोर की रक्षा अथवा सहायता भी वह नहीं करता। आज्ञा के बिना अपने राज्य से विरुद्ध कार्य या राज्य की सीमा में वह प्रवेश नहीं करता तथा झूठी तराजू और झूठे वाँट भी नहीं रखता। वह शुद्ध वस्तु में अशुद्ध का सम्मिश्रण करके नहीं बेचता।

जो उपासक उपर्युक्त मर्यादाओं के पालन में शिथिलता करता है उसका व्रत निर्दोष नहीं कहा जा सकता। स्थूल-अदत्तादान विरमण-व्रत के पाँच अतिचार हैं—

- १ तेणाहडे (स्तेनाहृत)—चोर द्वारा लाई हुई वस्तु का ग्रहण करना।
२. तक्करपओगे (तस्करप्रयोग)—चोरी का उपाय बताना।
- ३ विरुद्धरज्जाइक्कमे (विरुद्धराज्यातिक्रम)—विरोधी राजा के राज्य की सीमा का उल्लंघन करना।
- ४ कूडतुलकूडमाणे (कूटतुलाकूटमान)—वस्तु के बेचने, खरीदने के प्रमाणों (तराजू, वाँट आदि) को कम-बढ़ रखना।
- ५ तप्पडिरुवगव्ववहारे (तत्प्रतिरूपकव्यवहार)—अधिक मूल्य वाली वस्तु में उसके समान कम मूल्य वाली वस्तु मिला कर बेचना।^१

स्वदारसंतोष—अपनी परिणीता स्त्री में ही पूर्ण संतोष रख कर अन्य स्त्रियों के साथ मन, वचन तथा काय से जीवन-पर्यन्त मैथुन सेवन करने तथा करवाने का त्याग स्वदारसंतोष-व्रत है।^२ इस व्रत में जहाँ अन्य स्त्रियों के साथ कामविधि के त्याग का नियम है, वहाँ अपनी स्त्री के साथ भी अतिकामुकता के त्याग की प्रतिज्ञा है।

इस व्रत का उपासक व्यक्ति, वेश्या अथवा किसी दूसरे की स्त्री अथवा लड़की के साथ व्यभिचार नहीं करता, काम-सेवन के अंगों से भिन्न अंगों द्वारा कामक्रीड़ा नहीं करता, काम-सेवन में तीव्र अभिलाषा

१ उपासकदगाग, (वृत्ति, अभयदेव) १, ६, पृ० ११-१३।

२. वही, १, ५, पृ० ५।

नहीं रखता तथा दूसरों के वैवाहिक सम्बन्ध नहीं कराता । इस व्रत का विधान मानसिक पवित्रता को लक्ष्य में रख कर किया गया है । अतः किसी भी प्रकार की मन में अमर्यादित कामभोग की भावना का पैदा होना इस व्रत के नाश का कारण है । जो उपासक उपर्युक्त मर्यादाओं के पालन में शिथिलता करता है ; उसका व्रत निर्दोष नहीं कहा जा सकता ।

स्वदार-संतोषव्रत के पाँच अतिचार हैं —

- १ इत्तरियपरिग्रहियागमणे (इत्तरपरिग्रहीतागमन)—धनादि दे कर कुछ काल के लिए रखी हुई स्त्रियों से व्यभिचार करना ।
- २ अपरिग्रहियागमणे (अपरिग्रहीतागमन)—विधिवत् विवाह न हुआ हो, उस के साथ व्यभिचार करना ।
- ३ अणंगकीडा (अनंगक्रीडा)—कामसेवन से भिन्न अंगों द्वारा कामसेवन करना ।
- ४ परिविवाहकरणे (परिविवाहकरण)—अपनी संतान को छोड़ अन्य लोगों के विवाह कराना ।
- ५ कामभोगतिव्वाभिलासे (कामभोगतीव्राभिलाषा)—काम-भोग की तीव्र अभिलाषा रखना ।^१

इच्छापरिमाणव्रत—परिग्रह भी एक बहुत बड़ा पाप है । परिग्रह मानव-समाज की मनोभावना को उत्तरोत्तर दूषित करता है और किसी प्रकार का भी स्वपरहिताहित का विवेक नहीं रहने देता । सामाजिक विषमता, संघर्ष, कलह एवं अशांति का प्रधान कारण परिग्रहवाद ही है । अतः स्व और पर की शांति के लिए अमर्यादित स्वार्थवृत्ति एवं संग्रहबुद्धि पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है । इस व्रत का नाम इच्छाविधिपरिमाणव्रत है, जो इस बात को ओर संकेत करता है कि अशांति का कारण परिग्रह नहीं, परिग्रह की इच्छा है । अतः इच्छा को मर्यादित करना ही वास्तविक परिग्रह-परिमाण है ।

एक व्यक्ति अकिंचन हो कर परिग्रही हो सकता है और वह अपनी संग्रह-बुद्धि के कारण निरन्तर दुखी रह सकता है, जबकि अन्य व्यक्ति अपने पास बहुत धन-सम्पत्ति के होते हुए भी उसमें तृष्णा एवं

अभिलाषा के त्याग के कारण अपने को निरन्तर सुखी अनुभव करता है। इस व्रत का धारक उपासक अपने जीवन में प्रयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु की उस संख्या का परिमाण निश्चित कर लेता है, जिससे अधिक वह अपने जीवन में संग्रह नहीं करता। इस व्रत में यह बात ध्यान देने योग्य है कि वस्तुओं के संग्रह से मुक्ति पा लेने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि उपासक ने व्रत को निर्दोषरूप में ग्रहण कर लिया है, क्योंकि इस व्रत का अभिप्राय इच्छा के नियन्त्रण से अधिक, और वस्तु के संग्रह पर नियन्त्रण से कम है। वास्तव में परिग्रह की इच्छा ही परिग्रह है; क्योंकि दुःख का कारण इच्छाएँ हैं, वस्तु नहीं। अतः उपासक को परिग्रह में मूर्च्छित बुद्धि की शुद्धि का प्रयत्न करना चाहिए।

इस व्रत को धारण करने वाला उपासक क्षेत्र तथा मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन नहीं करता, सोना चाँदी, पशु, धन, धान्य तथा गृहोपकरण आदि के भी प्रमाण का उल्लंघन नहीं करता। जो उपासक उपर्युक्त मर्यादाओं के पालन में शिथिलता करता है, उसका व्रत निर्दोष नहीं कहा जा सकता।

इच्छाविधि-परिमाणव्रत के पाँच अतिचार हैं—^१

१ खेत्तवत्पुपमाणाइक्कमे (क्षेत्रवस्तुप्रमाणातिक्रम)—जीवनपर्यन्त के लिए किए गए क्षेत्र तथा वस्तुओं के प्रमाण को बढ़ा लेना।

२ हिरण्यसुवर्णपमाणाइक्कमे (हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम)—सोने-चाँदी के प्रमाण को बढ़ा लेना।

३ दुप्पयचउप्पयप्पमाणाइक्कमे (द्विपदचतुष्पदप्रमाणातिक्रम)—दोपाये तथा चौपाये प्राणियों सम्बन्धी प्रमाण को बढ़ा लेना।

४ घणधणपमाणाइक्कमे (धनधान्यप्रमाणातिक्रम)—धन-धान्य के प्रमाण को बढ़ा लेना।

५ कुवियप्पमाणाइक्कमे (कुप्यप्रमाणातिक्रम)—गृह—सामग्री के प्रमाण को बढ़ा लेना।

उपासकदशाग^१ में एक आनन्द श्रमणोपासक का वर्णन है; जिसने महावीर स्वामी के समक्ष उपासक के व्रत ग्रहण करते समय निम्न-प्रकार से इच्छा-परिमाणव्रत स्वीकार किया था ।

उसने जीवनपर्यन्त स्थिर कोष-स्वर्णमुद्रा, वृद्धिप्रयुक्त स्वर्णमुद्रा, प्रविस्तरप्रयुक्तस्वर्णमुद्रा, चतुष्पदविधि, क्षेत्रवस्तुविधि, शकट-विधि, वाहनविधि, उपभोग-परिभोगविधि, जललूषण-वस्त्र, दन्तवन, फल विधि, अभ्यगविधि, उवटनविधि, मज्जनविधि, भोजनविधि, पेयाहारविधि, भक्ष्यविधि, औदनविधि-सूपविधि, घृतविधि, शाकविधि, माधुरकविधि, जेमनविधि, पानीयविधि और मुखवासविधि का परिमाण किया । उसने निश्चय किया कि वह समस्त कार्यों में लगी हुई केवल १२ करोड़ स्वर्णमुद्राये, १० हजार गायो के व्रज के हिसाब से ४ व्रज, ५० हजार निवर्तन (एकड़) क्षेत्र, १ हजार शकट (बैलगाड़ी), ८ वाहन, एक जल लूषणवस्त्र (स्नान के बाद शरीर के जलशोषण करने का वस्त्र), १ दन्तधावन, १ मधुर आवले का फल, शतपाक तथा सहस्र पाक तेल, १ उवटन के लिये सुगन्धित चूर्ण, स्नान के लिए ८ उष्ट्रिकाघट जल, १ क्षौम्युगलवस्त्र (दो रेशमी वस्त्र), शरीरलेपन के लिए अगरु-कुमकुम तथा चन्दन-रूप गन्धद्रव्य, कमल तथा मालती पुष्प, एक कर्णाभरण तथा एक अंगूठी, अगरुतथा तुरुक की धूप, भोजन के लिए कृष्टपेय, घृतपूर, खंडखाद्यक, कलमशालि औदन, कलायसूप (मटर की दाल) तथा मुद्गमाषसूप (मूँग तथा उर्द की दाल) शरत्काल, में सगृहीत गाय का घी, वथुआ एवं मटर की तथा सौवस्तिक शाक, पालंगा—माधुरक (बल्लीफल का रस) सेधाम्ल तथा दालिकाम्ल (दहीवड़ा), वर्षाजल तथा पाच मुगन्धित द्रव्यों से पूर्ण ताम्बूल के सिवाय अन्य समस्त वस्तुओं को जीवनपर्यन्त ग्रहण नहीं करेगा ।

दिग्ब्रत—पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिशाओं तथा विदिशाओं में जीवनपर्यन्त किसी निश्चित स्थान तक आने-जाने का परिमाण कर लेना दिग्ब्रत है । मैं अमुक दिशा में जीवन-पर्यन्त अमुक प्रदेश तक अमुक कोसों तक जाऊंगा; उससे आगे नहीं जाऊंगा; इस प्रकार का नियम दिग्ब्रत कहलाता है । पापा-

चरण के लिए गमनागमनादि क्षेत्र को विस्तृत करना जैनगृहस्थ के लिए निषिद्ध है। दिग्व्रत में कर्मक्षेत्र की मर्यादा बाँधी जाती है। उस निश्चित सीमा से बाहर जा कर हिंसा, असत्य आदि पापाचरण का पूर्ण त्याग दिग्व्रत का लक्ष्य है।

यह व्रत मनुष्य की लोभवृत्ति पर अंकुश रखता है। मनुष्य व्यापार आदि सासारिक कार्यों के लिए दूर दूर तक जाता है तथा वहाँ की प्रजा का शोषण करता है। जिस किसी प्रकार से धन कमाना ही जब मनुष्य का लक्ष्य हो जाता है, तो एक प्रकार से लूटने की मनोवृत्ति उसमें पैदा हो जाती है। जैनधर्म का सूक्ष्म आचारशास्त्र इस प्रकार की मनोवृत्ति में भी पाप देखता है। वस्तुतः पाप है भी। शोषण से बढ़कर और क्या पाप होगा? दिग्व्रत इस पाप से बचा सकता है।

इस व्रत के स्वीकार करने वाले उपासक को किसी भी परिस्थिति में की गई दिशाओं की मर्यादा का न तो विस्मरण करना चाहिए और न ही किसी दिशा-विदिशा में मर्यादित क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। इस व्रत के पाँच अतिचार कहे गए हैं—^१

- १ उड्ढदिसिपमाणाइक्कमे (उर्ध्वदिक्प्रमाणातिक्रम)
- २ अहोदिसिपमाणाइक्कमे (अधोदिक्प्रमाणातिक्रम)
- ३ तिरियदिसिपमाणाइक्कमे (तिर्यक्दिक्प्रमाणातिक्रम)
- ४ खित्तवुड्ढी (क्षेत्रवृद्धि)
- ५ सइअन्तरद्धा (स्मृत्यन्तर्धान)

ऊपर नीचे तथा चारों ओर दिशाओं में किए गये परिमाण का अतिक्रमण करना क्रमशः प्रथम तीन दिग्व्रत के अतिचार हैं। आवश्यकता पड़ जाने पर पूर्वनिश्चित क्षेत्र की सीमा में वृद्धि कर लेना चतुर्थ अतिचार है। तथा सीमाओं के परिमाण को भूल जाना पाँचवाँ अतिचार है।

उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत—जीवन भोग से वधा है। जब तक जीवन है, तब तक भोग का सर्वथा त्याग तो नहीं किया जा सकता।

मगर आसक्ति को कम करने के लिए उसकी मर्यादा अवश्य की जा सकती है। अनियन्त्रित जीवन पशुजीवन है। बल्कि उससे भी निकृष्ट है, क्योंकि पशु भी अपना जीवन कुछ तो मर्यादित रखते ही है। इस प्रकार का अमर्यादित जीवन न अपने लिए हितकर है, न दूसरो के लिए। अनियन्त्रित भोगासक्ति संग्रहबुद्धि को उत्तेजित करती है। संग्रह-बुद्धि परिग्रह का जाल बुनती है। परिग्रह का जाल ज्यो-ज्यो फैलता है; त्यो-त्यो हिंसा, द्वेष, घृणा, असत्य, चौर्य, आदि पापों की परम्परा लम्बी होती जाती है। अतएव श्रमणसंस्कृति गृहस्थ के लिए भोगासक्ति कम करने और उसके उपभोग-परिभोग में आने वाले भोजन, पानी, वस्त्र आदि पदार्थों के प्रकार एवं संख्या को मर्यादित करने का विधान करती है। उक्त व्रत के द्वारा पंचम अणुव्रत में परिमित किए गए परिग्रह को और भी परिमित कर अहिंसा की भावना को प्रबल एवं विस्तृत बनाया जाता है।

इस व्रत का उद्देश्य दैनिक जीवन की अन्न-वस्त्रादि वस्तुओं तथा उनकी प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रतिदिन के व्यावसायिक कार्यों का आवश्यकता से अधिक स्वीकार नहीं करना है। उपभोग-परिभोग के दो भेद हैं—भोजन तथा कर्म।

भोजन में बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों प्रकार के समस्त भोगयोग्य पदार्थों का अन्तर्भाव हो जाता है। भोजन-सम्बन्धी अतिचार पांच है—

१. सचित्ताहारे (सचित्ताहार)—पृथ्वी, जल तथा वनस्पतिकाय वाले जीवजरीरो का सचेतनरूप में भक्षण करना।

२ सचित्तपड्विद्धाहारे (सचित्तप्रतिवद्धाहार)—बीज, गुठली आदि सचेतन वस्तु के सहित फलादि का भक्षण करना।

३ अप्पउलिओसहिभक्खणया (अप्रज्वलितऔषधिभक्षण) अग्नि के द्वारा असंस्कृत तंडुलादि का भक्षण करना।

४ दुप्पउलिओसहिभक्खणया (दुष्पक्वऔषधिभक्षण)—अग्नि के द्वारा अर्द्धसंस्कृत या दुष्पक्व तंडुलादि का भक्षण करना।

५ तुच्छोसहिभक्षणया (तुच्छोर्जापविभक्षण)—कच्चे अन्न-फलादि का भक्षण करना ।

कर्मसम्बन्धी अतिचार १५ प्रकार के हैं—

१ इंगालकम्मे (अग्निकर्म)—लकड़ी जला कर कोयला आदि बनाने, ईंट पकाने, भट्टे में चूना पकाने आदि का व्यवसाय करना ।

२ वणकम्मे (वनकर्म)—जंगल के वृक्षों को कटवाने आदि का व्यवसाय करना ।

३ साडीकम्मे (शकटकर्म)—वैलगाड़ी आदि शकटों के बनाने, वेचने आदि का व्यापार करना ।

४ भाडीकम्मे (भाटीकर्म)—वैलगाड़ी, नाव, मकान आदि भाड़े किराये पर दे कर धंधा करना ।

५ फोडीकम्मे (स्फोटीकर्म)—जमीन फोड़ने, सुरंग विछा कर स्फोट करने का व्यवसाय करना ।

६ दंतवाणिज्जे (दंतवाणिज्य)—हाथीदात आदि का व्यवसाय करना ।

७ लखवाणिज्जे (लखवाणिज्य)—लाख का व्यवसाय करना ।

८. रसवाणिज्जे (रसवाणिज्य)—मदिरा आदि घातक रसों का व्यवसाय करना ।

९ विसवाणिज्जे (विषवाणिज्य)—जीव के प्राणों का नाश करने वाले विष, शस्त्रादि को बनाने तथा वेचने का व्यवसाय करना ।

१० केसवाणिज्जे (केशवाणिज्य)—केश वाले प्राणियों (दास, गाय, ऊँट, हाथी) आदि को या केशों को वेचने का व्यवसाय करना ।

११ जन्तपीलणकम्मे (यंत्रपीडनकर्म)—यंत्रों द्वारा तिलादि द्रव्यों का पीडन करने (पेरने) का व्यवसाय करना ।

१२ निल्लंछणकम्मे (निर्लाछनकर्म)—पशुओं को नपुंसक करने, उन्हें तप्त लोहे से दागने आदि का व्यवसाय करना ।

१३. दवग्निदावणया (दावाग्निदाप)—जंगल में आग लगाना ।

१४ सरदहतलायसोसणया (सरोहृदतडागशोपण)—अनापसनाप खेती करने के निमित्त से तालाव आदि जलाशयो को सुखाना ।

१५. असईजणपोसणया (असतीजनपोपण)—वेश्याकर्म द्वारा धनोपार्जन के निमित्त कुलटा आदि स्त्रियो का पालन-पोषण करना ।^१

अनर्थदण्डविरमण—मनुष्य यदि अपने जीवन को विवेकशून्य एवं प्रमत्त रखता है तो विना प्रयोजन भी हिसादि कर बैठता है । निष्प्रयोजन पापाचरण अनर्थदण्ड है । उपासक इस अनर्थदण्ड से विरक्त रहता है ।^२ जैनागमो में अनर्थदण्ड के चार भेद किए गये हैं—१ अपध्यानाचरित, २. प्रमादाचरित, ३. हिंस्रप्रदान ४. पापकर्मोपदेश ।

खोटेध्यान-पूर्वक किया गया आचरण अपध्यानाचरित है । प्रमादपूर्वक किया गया आचरण प्रमादाचरित है । हिसादि पापकार्यों में सहायक शस्त्रो का प्रदान करना हिंस्रप्रदान है । तथा पापकार्यों का उपदेश देना पापाकर्मोपदेश है ।

व्रती उपासक इन चार प्रकार के तथा अन्य प्रकार के भी व्यर्थ पाप-पूर्ण कार्यों का त्यागी होता है । वह कामोत्पादक वार्तालाप भी नहीं करता, अपने शरीर के अवयवो द्वारा कुचेष्टा नहीं करता, असम्बद्ध-असत्य एवं बहुत बकवाद नहीं करता, हिसा के साधनो का कार्य में प्रयोग नहीं करता और आवश्यकता से अधिक जीवनोपयोगी वस्तुओ का संग्रह नहीं करता ।

इस व्रत के पाच अतिचार हैं—

१. कन्दप्पे (कन्दर्प)—कामोत्पादक वार्तालाप करना ।

२ कुक्कुइए (कौत्कुच्य)—शरीर के अवयवो की कुचेष्टाओ द्वारा हँसी मजाक करना ।

१. उपासकदशाग, (अभयदेवसूत्रवृत्ति) १, ६ पृ० १६, १७ ।

२. हिसा दो प्रकार की है—अर्थदण्ड, (सप्रयोजन) अनर्थदण्ड, (निष्प्रयोजन) समवायाग २ ।

३. मोहरिए (मौख्य)— धृष्टतापूर्वक असत्य एवं असम्बद्ध प्रलाप करना, फिजूल बकवास करना ।

४. संजुत्ताहिकरणे (संयुक्ताधिकरण)—ऊखल, मूसल आदि को संयुक्त करके रखना ।

५. उपभोगपरिभोगादिरित्ते (उपभोगपरिभोगातिरिक्त)—भोजन, स्नान आदि की वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक रूप में उपभोग करना ।^१

सामायिक—जैनसाधना में सामायिक व्रत का बहुत बड़ा महत्त्व है । सामायिक का अर्थ है समता । रागद्वेषवर्धक संसारी प्रपंचों से अलग हो कर जीवनयात्रा को निष्पाप एवं पवित्र बनाना ही समता है । गृहस्थ जीवन-पर्यन्त सब पापव्यापारों का पूर्णरूप से त्याग कर पवित्र जीवन नहीं बिता सकता । अतः उसे प्रतिदिन कम से कम ४८ मिनट (एक मुहूर्त) के लिए तो सामायिक व्रत धारण करना ही चाहिए । सामायिक करते समय उपासक श्रमण जैसा हो जाता है । यह गृहस्थ की सामायिक साधु की सामायिक की भूमिका है । सामायिक करने के लिए उपासक किसी एकान्त निर्बाध स्थान में आसन बिछा कर अल्प-वस्त्र धारण कर कम से कम ४८ मिनट तक, सम्पूर्ण सावध व्यापारों का त्याग कर सासारिक भ्रंशटों से अलग हो कर अपनी योग्यतानुसार अध्ययन, चिन्तन आदि द्वारा आत्मा का ध्यान करे । इस व्रत के पाँच अतिचार हैं —

१. मणदुप्पणिहाणे (मनोदुष्प्रणिधान)—सामायिक-काल में मन से खोटे अहितकर विचार करना ।

२. वयदुप्पणिहाणे (वचोदुष्प्रणिधान)—कठोर तथा दोषपूर्ण शब्दों का सामायिक-काल में प्रयोग करना ।

३. कायदुप्पणिहाणे (कायदुष्प्रणिधान)—सामायिक-काल में शरीर द्वारा हिंसादि पापकार्य करना ।

४. सामाइयस्स सइअकरणया (सामायिकस्मृत्यकरण)—सामायिक करना या ली हुई सामायिक को भूल जाना ।

५. सामाज्यस्स अणवट्ठयस्सकरणया (सामायिकअनवस्थितकरण) यथोक्तीति से सामायिक न करना, अव्यवस्थितरूप से करना ।^१

देशावकाशिक—परिग्रहपरिमाण और दिशापरिमाणव्रत की जीवनपर्यन्त प्रतिज्ञा को और अधिक व्यापक एवं विराट् बनाने के लिए देशावकाशिक व्रत ग्रहण किया जाता है। दिग्व्रत में गमनागमन का क्षेत्र सीमित कर लिया जाता है और यहाँ उस सीमित क्षेत्र को, एक दो दिन आदि के लिए और अधिक सीमित कर लिया जाता है। देशावकाशिक व्रत में जहाँ क्षेत्र-सीमा सकुचित होती है, वहाँ उपभोगसामग्री की सीमा भी संक्षिप्त होती है। अर्थात् सीमित क्षेत्र के बाहर की सामग्री का उपभोग इस व्रत का धारी मनुष्य नहीं कर सकता। इस व्रत में उपासक मन, वचन, कर्म तीनों से क्षेत्र की मर्यादा कर लेता है। फिर वह मर्यादित भूप्रदेश से बाहर की वस्तुओं को किसी के द्वारा नहीं मँगवा सकता, मर्यादित भूप्रदेश से बाहर किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए नहीं भेज सकता, मर्यादित भूप्रदेश से बाहर स्थित अन्य पुरुष को शब्द-प्रयोग करके नहीं बुला सकता, मर्यादित भूप्रदेश से बाहर के व्यक्ति को अपना रूप आदि दिखा कर नहीं बुला सकता तथा मर्यादित भूप्रदेश से बाहर स्थित व्यक्ति को मिट्टी, पत्थर, ढेला आदि फेंक कर कोई कार्य नहीं करा सकता।

इस व्रत के पाँच अतिचार हैं—

१ आणवणप्पओगे (आनयनप्रयोग)—मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु का मँगवाना।

२. पेसवणप्पओगे (प्रेष्यप्रयोग)—मर्यादित क्षेत्र के बाहर किसी को भेजना।

३. सद्दाणुवाए (शब्दानुपात)—मर्यादित क्षेत्र से बाहर के मनुष्य को शब्द-प्रयोग करके बुलाना।

४ रूवाणुवाए (रूपानुपात)—मर्यादित क्षेत्र से बाहर के मनुष्य को अपना रूप दिखा कर बुलाना।

५. वहियापोमगलपक्खेवे (वाह्यपुद्गलप्रक्षेप)—मिट्टी, पत्थर आदि फैंक कर मर्यादित प्रदेश से बाहर के मनुष्य से कोई कार्य कराना ।

पौषधोपवास—यह व्रत जीवन-संघर्ष की सीमा को और अधिक संक्षिप्त करता है। एक रात-दिन के लिए संचित वस्तुओं का, शस्त्र का, पाप-व्यापार का, भोजन-पान, शरीरश्रृंगार तथा अब्रह्मचर्य का त्याग करना पौषधव्रत है। पौषधव्रतधारी की स्थिति साधु जैसी होती है। अतः पौषध में गृहस्थोचित वस्त्र नहीं पहने जाते, पलंग आदि पर नहीं सोया जाता और स्नान भी नहीं किया जाता। सासारिक प्रपंचों से सर्वथा अलग रह कर एकान्त में स्वाध्याय, ध्यान तथा आत्मचिन्तन आदि करते हुए जीवन को पवित्र बनाना ही इस व्रत का उद्देश्य है। इस व्रत के पाँच अतिचार हैं—

१ अप्पडिलेहियदुप्पडिलेहियसिज्जासंथारे (अप्रतिलेखितदुष्प्रति-लेखितशय्यासंस्तार)—शय्यासंस्तार (विच्छर्त्तने) को बिना देखे-भाले अथवा असावधानतापूर्वक देखभाल कर करना ।

२ अप्पमज्जियदुप्पमज्जियसिज्जासंथारे (अप्रमार्जितदुष्प्रमार्जित-शय्यासंस्तार)—बिना झाड़-पोछ किए अथवा असावधानतापूर्वक झाड़ पोछ कर शय्यासंस्तार का विछाना ।

३ अप्पडिलेहियदुप्पडिलेहियउच्चारपासवणभूमि (अप्रतिलेखितदुष्प्रतिलेखितउच्चारप्रस्रवणभूमि)—बिना देखे-भाले अथवा असावधानी से देखभाल कर, मूत्र तथा पुरीषोत्सर्ग करना ।

४ अप्पमज्जियदुप्पमज्जियउच्चारपासवणभूमि (अप्रमार्जितदुष्प्रमार्जितउच्चारप्रस्रवणभूमि)—स्थान को बिना झाड़-पोछ किए अथवा असावधानी से झाड़-पोछ कर मूत्रपुरीषोत्सर्ग करना ।

५ पोसहोववासस्स संम्म अणणुपालणया (पौषधोपवाससम्यगनुपालना)—पौषधोपवास का नियमानुकूल पालन नहीं करना ।^१

यथासंविभाग—यदि परिग्रह का उपयोग केवल अपने ही तक सीमित रहता है तथा वह जनकल्याण से प्रयुक्त नहीं होता तो महा-

१. उपासकदशांग, (अभयदेवमूर्तवृत्ति), १, ६, पृ० १८, १९ ।

२. वही, १, ६ पृ० १९ ।

भयंकर पाप बन जाता है। प्रतिदिन बढ़ते हुए परिग्रह को बढ़े हुए नख की उपमा दी गई है। बढ़े हुए नख को काटने की तरह परिमित परिग्रह का नित्यप्रति यत्किञ्चित् दान देने का विधान है। दान परिग्रह का प्रायश्चित्त है। गृहस्थ के घर का द्वार जनसेवा के लिए खुला रहना चाहिए, विशेषकर त्यागियो, व्रतियो एवं श्रमणों के लिए। यदि वे लोग किसी उपासक के घर पधारे तो उपासक का कर्तव्य है कि वह उनको योग्य भक्ति-भाव से आहार-पानी दे। स्थानागसूत्र में श्रमणोपासना से परम्परा से मुक्ति की प्राप्ति बताई गई है। “श्रमणसेवा से शास्त्र का उपदेश सुनने को मिलता है; शास्त्रोपदेश का फल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से विज्ञान (विशिष्टज्ञान), विज्ञान से प्रत्याख्यान (वस्तुओं के त्याग की इच्छा), प्रत्याख्यान से संयम, संयम से अनाश्रव (कमा का आगमन रुकना) तथा अनाश्रव से तपक्रिया तथा अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है।”^१ इस व्रत के पाँच अतिचार हैं—

१ सचित्तनिखेवणया (सचित्तनिक्षेप)—साधु को देय वस्तु सचेतन पत्र, पुष्प आदि पर रख देना।

२ सचित्तपिहणया (सचित्तपिधान)—साधु को देय वस्तु सचेतन पत्र-पुष्प आदि से ढँक देना।

३ कालाङ्कमे (कालातिक्रम)—साधु के भिक्षार्थ भोजन-काल का उल्लंघन कर देना।

४. परव्ववएसे (परव्यपदेश)—भिक्षा के लिए अपने घर साधु के आने पर अपनी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति की, वत्ता कर साधु को टरका देना कि यह भोज्य पदार्थ अमुक व्यक्ति का है।

५ मच्छरियाए (मात्सर्य)—अपने यहाँ किसी कारण साधु द्वारा आहार न लेने पर या किसी अन्य गृहस्थ के यहाँ से लेने पर उससे ईर्ष्या करना।^१

१. स्थानाग ६६, १६०।

२ उपासकदशाग, (अभयदेववृत्ति) १, ६, पृ० १६, २०।

उपासक की ११ प्रतिमा

प्रतिमा—उपासक घर में रह कर जिन व्रतों का पालन करता है उन्हें गृहीधर्म अथवा सावयधम्म (श्रावकधर्म^१) कहा जाता है। यह बात नितन्ता सत्य है कि कोई भी व्यक्ति घर में रह कर धर्मसाधना यथार्थरीति में नहीं कर सकता। क्योंकि गृहस्थी के भभट उसके मन को स्थिर नहीं रहने देते। अतः मन की एकाग्रता के लिए यह उचित माना गया कि वह घर से दूर किसी धर्मस्थान में जा कर उपासक धर्म को निर्दोषरूप से पालन करने का प्रयत्न करे। जैनागम में उपर्युक्त धर्म-स्थान को पोसहसाला (पौषधशाला) कहा गया है।

पौषधशाला उपासक-धर्म के पालन करने का निर्वाह स्थान है। उपासक अपने कुटुम्ब का भार ज्येष्ठपुत्र के ऊपर डाल कर सभी सासारिक कार्यों से निश्चिन्त हो कर इस पौषधशाला में रह कर आत्मजागरण में तत्पर हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद वह अपने कुटुम्ब से पूर्णरूप से संबंध-त्याग करने का अभ्यास करता है। पौषधशाला का जीवन गृहस्थ तथा साधुजीवन के बीच की कड़ी है। यहाँ आ कर उपासक सबसे पहिले उस भूमि का अच्छी तरह प्रतिलेखन प्रमार्जन करता है, जहाँ उसे निवास करना है। इसके बाद वह जीवजन्तु रहित भूमि को भलीभाँति देखभाल कर प्रमार्जन साफ कर लेता है, जहाँ उसे मलप्रक्षेपादि कार्यों से जाना पड़ता है। पौषधशाला में वह दर्भ या कठोर काष्ठ की शय्या पर सोता है और संपूर्ण समय गृहस्थ के कर्तव्यपालन करने तथा आत्म-ध्यान में व्यतीत करता है।^२

उपासक पौषधशाला में जा कर अणुव्रतो तथा शिक्षाव्रतो के अतिरिक्त जिन प्रतिज्ञाओं^३ को ग्रहण करता है; उन्हें पडिमा (प्रतिमा) कहा गया है। उपासक की ये प्रतिमाएँ ११ हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं—^४

१. उपासकदशाग, १, ७, पृ० २२।

२. उपासकदशाग, १, १०, पृ० २६।

३. जो श्रमण की उपासना करते हैं, वे उपासक कहलाते हैं। उपासको की प्रतिज्ञा उपासकप्रतिमा है। समवायाग (अभयदेववृत्ति) पृ० १६ अ।

४. उपासकदशाग १, ११, पृ० २६।

१. दंसणपडिमा (दर्शनप्रतिमा)
२. वयपडिमा (व्रतप्रतिमा)
३. सामाइयपडिमा (सामायिकप्रतिमा)
- ४ पोसहपडिमा (पौषधप्रतिमा)
५. पडिमापडिमा (प्रतिमाप्रतिमा)
६. अवम्भवज्जनपडिमा (अब्रह्मवर्जनप्रतिमा)
- ७ सचित्ताहारवज्जणपडिमा (सचित्ताहारवर्जनप्रतिमा)
८. सयमारम्भवज्जणपडिमा (स्वयमारंभवर्जनप्रतिमा)
- ९ पेसारम्भवज्जणपडिमा (प्रेष्यारम्भवर्जनप्रतिमा)
- १० उद्दिट्ठभत्तवज्जणपडिमा (उद्दिष्टभक्तवर्जनप्रतिमा)
- ११ समणभूयपडिमा (श्रमणभूतप्रतिमा)

प्रथम प्रतिमा का काल एक माह है, द्वितीय प्रतिमा का काल दो माह है, इस प्रकार एक एक प्रतिमा एक एक माह अधिक तक बढ़ती जाती है। अंतिम ग्यारहवीं प्रतिमा का काल ग्यारह माह है। इस प्रकार समस्त प्रतिमाओं का पूरा काल पाँच वर्ष छह माह होता है। प्रत्येक प्रतिमा के धारण से पहिले उपासक के द्वारा उससे पहिले की प्रतिमा का यथाकाल यथानियम अभ्यास कर लिया जाना आवश्यक है।^१

१. दर्शनप्रतिमा—जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष पुण्य एवं पापरूप नव पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धा होना सम्यग्दर्शन है। जब उपासक इस सम्यग्दर्शन का शंकादिदोषों से रहित हो कर निर्दोष रूप में पालन करता है, तब उसके दर्शनप्रतिमा कही जाती है।^२

२ व्रतप्रतिमा—दर्शनप्रतिमा का पूर्ण अभ्यास कर लेने के बाद अतिचाररहित पाच अणुव्रतों तथा सात शिक्षाव्रतों के पालन की प्रतिज्ञा करना व्रतप्रतिमा है। इस प्रतिमा के साथ ही मनुष्य

१ उपासकदशांग (अभयदेवसूत्रवृत्ति) पृ २६।

२. उपासकदशांग (अभयदेवसूत्रवृत्ति) पृ० २६ फुटनोट नं० १।

मे क्षमा, दया, सहनशीलता आदि मानवीय गुणों का विकास होने लगता है।^१

३. सामायिकप्रतिमा—दर्शन तथा व्रतप्रतिमा से युक्त उपासक, प्रातः मध्याह्न तथा सायं, जो सामायिक (समभाव, की साधना करता है, वह सामायिकप्रतिमा है। मन को एकाग्र कर वाह्य-आम्यतर परिग्रह का त्याग कर कुछ निश्चित समय तक आत्मा तथा परमात्मा का ध्यान करना व जीवन में समभाव का आचरण करना सामायिक कहलाता है।^२

४ पौषधप्रतिमा—उपयुक्त तीन प्रतिमाओं से युक्त उपासक प्रत्येक अष्टमी तथा चतुर्दशी को ४८ घंटे तक आहारपानी का पूर्ण त्याग कर धर्माचरण में समय व्यतीत करता है; उसे पौषधप्रतिमा कहा जाता है।^३

५ प्रतिमाप्रतिमा—इस प्रतिमा-ग्रहण के पहिले यह आवश्यक है कि उपासक द्वारा सम्यक्त्व, अण्व्रत, गुणव्रत, तथा शिक्षाव्रत एवं सामायिक तथा पौषधप्रतिमा का अच्छी तरह यथाकाल पालन कर पूर्ण अभ्यास कर लिया जा। जो उपासक प्रत्येक अष्टमी तथा चतुर्दशी की रात्रि में प्रतिमा की तरह निश्चल रहता है, केवल दिन में ही भोजन करता है, ढीले वस्त्र पहिनता है, दिन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रात्रि में भी अधिक कामभोगों में संलग्न नहीं रहता, दिन में प्रतिमा की तरह आसन में स्थिर हो कर त्रिलोक-पूज्य, जितकपाय 'जिन' का ध्यान करता है अथवा आत्मदोषों को नष्ट करने वाले किसी अन्य तत्त्व (आत्मादि) का ध्यान करता है, वह पंचम-प्रतिमाधारी है।^४

६. अब्रह्मवर्जनप्रतिमा—उपयुक्त पांच प्रतिमा के पूर्ण परिपालन के बाद सासारिक कामभोगों से मुक्ति पा लेना अब्रह्मवर्जनप्रतिमा है। इस प्रतिमा को धारण करने वाला व्यक्ति रात्रि में भी शृंगारपूर्ण चर्चा,

१ उपासकदशाग अभयदेवसूत्रवृत्ति पृ० २७ फुटनोट न० १।

२ वही ,, पृ० २७ फुटनोट न० २।

३ वही ,, पृ० २७ फुटनोट न० ३।

४ वही पृ० २७ नोट न० ४।

स्त्रियो से अतिपरिचय तथा अपने शरीर की सजावट आदि से दूर रहता है ।^१

७ सचित्ताहारवर्जनप्रतिमा—पूर्वप्रतिमाओ के अभ्यासपूर्वकसचित्त वस्तुओ के भक्षण का त्याग करना सचित्ताहारवर्जन प्रतिमा है ।^२

८. स्वयमारम्भवर्जनप्रतिमा—पूर्वप्रतिमाओ के पालन के साथ घर मे सदोप कार्य के स्वयं न करने का नियम लेना, स्वयमारम्भवर्जन प्रतिमा है । आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यक्ति के द्वारा गृहकार्य कराया जा सकता है ।^३

९. परारम्भवर्जनप्रतिमा—पूर्वप्रतिमाओ के गुणो से युक्त होकर उपासक, दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी सदोपगृहकार्यो के न कराने का जो नियम लेता है, वह परारम्भवर्जनप्रतिमा है ।^४

१०. उद्दिष्टभक्तवर्जनप्रतिमा—पूर्वप्रतिमाओ का पालन करते हुए उपासक अपने उद्देश्य मे तैयार किए गए भोजन का जो त्याग करता है; वह उद्दिष्टभक्तवर्जनप्रतिमा है । इस प्रतिमा मे सपूर्ण प्रकार के आरम्भ का त्याग हो जाता है, सिर को पूर्णरूप से मुँडित कर दिया जाता है, अथवा एक छोटी-सी शिखा रख ली जाती है । किसी वस्तु के सम्बन्ध मे पूछे जाने पर यदि जानता है तो उपासक कहता है कि मैं जानता हूँ; यदि नहीं जानता है तो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ । अर्थात्-अपने आपको उपासक बता कर वह सासारिक विवादो मे अधिक व्यस्त नहीं होता ।^५

११ श्रमणभूतप्रतिमा—ग्यारहवी प्रतिमा मे उपासक अपने सिर को पूरा मुँडा लेता है । वह श्रमणवेश तथा उपकरणो को

१. उपासकदशांग अभयदेवसूत्रवृत्ति पृ० २८ नोट न० १ ।

२. वही ” पृ० २८ नोट न० २ ।

३. वही ” पृ० २८ नोट न० ३ ।

४. वही ” पृ० २८ नोट न० ४ ।

५. वही ” पृ० २८ नोट न० ५ ।

धारण कर समय का पालन करता हुआ साधु जैसा जीवन व्यतीत करता है।^१

इन प्रतिमाओ के पालन का उद्देश्य उपासक के द्वारा धीरे-धीरे श्रमण-अवस्था को प्राप्त करना है; जैसा कि ग्यारहवीं प्रतिमा के नाम से प्रकट होता है।

मारणान्तिकसल्लेखना तथा मरणोत्तरविधान

सल्लेखना—जीवन की अंतिम व्यवस्था में उपासक का शरीर वृद्धावस्था एवं तप के आचरण के कारण हड्डियों का ढाँचा मात्र रह जाता है। उसमें उठने-बैठने तथा कर्म करने की शक्ति नहीं रहती। किन्तु उत्थान, क्रिया, बल, वीर्य, पौरुष, श्रद्धा तथा वैराग्य विद्यमान रहते हैं। उपासक के जीवन में यह सबसे मूल्यवान एवं अत्यन्त सावधान हो जाने का समय है। यदि इस काल में उपासक अपने कर्तव्यों से लेशमात्र भी च्युत होता है तो उसका जीवनभर आराधित उपासकधर्म निष्फल हो जाता है। इस समय उपासक अत्यन्त शान्ति के साथ मारणान्तिक संल्लेखना धारण करता है। जैनागम में इस व्रत को अर्पणच्छिममारणतिय संलेहणाभूसणाराहणाए (अपश्चिममारणान्तिकसल्लेखनाजोषणाराधना) कहा गया है। “सल्लेखना” शब्द का अर्थ है शरीर तथा कषाय को क्षीण कराना और जोषण शब्द का अर्थ है आत्मसेवा करना। मरणकाल में अशन-पान का क्रमण सर्वथा त्याग कर शरीर को तथा निरन्तर आत्मोपासना में लीन रह कर क्रोधादि कषायों को क्षीण करना और अन्त में शान्तिपूर्वक मृत्यु का आलिगन करना संल्लेखना कहलाता है।^२

मरणोत्तरविधान—जो व्यक्ति जीवनपर्यन्त उपासक के व्रतो का निर्दोष पालन करता है तथा अन्त में संल्लेखना धारण कर शान्तिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है; वह आग्रामी जन्म में नियम से महाद्युति एवं महाऋद्धि से युक्त देवलोक में जन्म लेता है।^३

१ उपासकदशाग अभयदेवसूत्रवृत्ति पृ० २६ नोट न० १।

११ प्रतिमाओ के विवेक विवरण के लिए देखिए—उवासगदसाओ (डा० पी० एल० वेद्या) पृ० २२४।

२ उपासकदशाग (अभयदेवसूत्रवृत्ति) १ ७, पृ २१।

३. जैनसूत्राज् भाग २ (सूत्राकृताग) २, २ ७७, पृ० ३८४।

महावीर ने कहा था कि—आनन्द श्रमणोपासक बहुत वर्षों तक उपासक के कर्तव्यों का पालन कर सौधर्मकल्प (स्वर्ग) के अरुणविमान में चार पल्य की आयु वाला देवता होगा ।^१ नंदनीपिता तथा सालिही-पिता ने अपने पूर्ण जीवन में उपासक के व्रतों का पालन किया । मरण-काल में सल्लेखना धारण कर वे मृत्यु को प्राप्त हुए । उसके बाद दोनों ने क्रमशः देवत्व प्राप्त कर आनतस्वर्ग के अरुणगव विमान तथा सौधर्मस्वर्ग के अरुणकील विमान में जन्म ग्रहण किया । इन दोनों के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि ये दोनों क्रम से महाविदेह में जन्म ले कर फिर सिद्धि को प्राप्त करेंगे । इससे यह बात स्पष्ट है कि उपासक देवलोक प्राप्त करने के बाद क्रमशः निर्वाण को भी प्राप्त करता है ।

जो व्यक्ति अपना जीवन उपासक के रूप में न व्यतीत कर सांसारिक भोग-विलासों में व्यतीत करते हैं तथा हिसादि पापकर्मों में लिप्त रहते हैं; वे इस भव में नारकीय यातनाओं को प्राप्त करते हैं तथा पर-भव में अनेक जन्मों तक नरकगामी होते हैं । जैनसूत्रों में ऐसे अनेक मनुष्यों का वर्णन है, जिन्होंने अपने जीवन में हिसादि पापों का आचरण किया और उसके परिणामस्वरूप उन्हें इहलोक तथा परलोक दोनों जगह अपराध का फल भोगना पड़ा ।^२

गोत्तासअ (गोत्रासक) नामक एक बहुत अधार्मिक मनुष्य था । वह प्रतिदिन गोशाला में जा कर पशुओं का वध करता तथा मांस एव मद्य का सेवन किया करता था । जीवनभर अधार्मिक कृत्यों के द्वारा उसने पाप का संग्रह किया और अशान्तिपूर्वक मर कर द्वितीय नरक में तीन सागरोपम की आयु वाला नारकी हुआ । नरक से निकलने के बाद उसने पुनः भूलोक में जन्म लिया । उसका नाम उज्झित रखा गया । उज्झित ने पुनः मांसभक्षण, जुआ खेलना, मद्य पीना आदि अधार्मिक कार्यों में अपना जीवन बिताया और अन्त में वेश्यागमन के परिणामस्वरूप उसे राजदंड भुगतना पड़ा । उसके नाक-कान काट लिए गए; उसके समस्त शरीर में तेल चुपड़ दिया गया, उसे वध्यचिह्न के रूप में दो खंडवस्त्र तथा लाल पुष्पों की माला पहिनाई गई, उसे

१ उपासकदशाग १ ६, पृ० २४ ।

२ विवागसुयम्, प्रथमश्रुतस्कन्ध (दु.खविपाक)

जमीन की ओर सिर करके बाँध दिया गया, उनके शरीर में मांस काट कर स्वयं उसे खिलाया गया, उसे हजारों कोटों में पीटा गया और अंत में उसे फासी का दण्ड दिया गया ।^१

विजयवर्द्धमान नामक गाँव में एक "डक्काई" नामका बड़ा अधार्मिक शासक था । वह पाँच सौ गाँवों पर शासन करता था । वह प्रजा पर अत्यधिक अत्याचार करता, उन्हें मारता, जगाता, उनका धन छीन लेता, उनमें अनेक प्रकार के अनधिकृत टैक्स लेता तथा चोरों और डाकुओं की सहायता देता था । उपर्युक्त पापपूर्ण कार्य करते हुए डक्काई को श्वास, कास, ज्वर, कुक्षिशूल आदि मोलह रोग उत्पन्न हो गये और उन रोगों से मर कर वह रत्नप्रभा नरक में एक मागर-प्रमाण की आयु वाले नारकीरूप में उत्पन्न हुआ । महावीर में गीतम के पृथ्वी पर उन्होंने डक्काई के भविष्य-जीवन का इस प्रकार वर्णन किया —

“ . . . वह सिंह का रूप धारण करेगा और उसके बाद मर कर प्रथम नरक में नारकी होगा । वहाँ से निकल सरीसृपों (पेट के बल रेंगने वाले सर्प आदि प्राणियों) में उत्पन्न होगा । उसके बाद वह द्वितीय नरक में, फिर तृतीय नरक में, फिर चतुर्थ, पंचम, षष्ठ तथा सप्तम नरक में उत्पन्न होगा । फिर क्रम से वह एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवों का शरीर धारण करता हुआ मनुष्यपर्याय को प्राप्त कर श्रमणधर्म का पालन करके आलोचना, प्रतिक्रमणपूर्वक समाधिमरण को प्राप्त हो कर सौधर्मस्वर्ग में देवरूप में उत्पन्न होगा, वहाँ से निकल कर महाविदेह में उत्पन्न हो कर अन्त में सिद्धि को प्राप्त करेगा ।”

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि महान् अधार्मिक मनुष्य भी धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर देवत्व तथा सिद्धि-पद को प्राप्त कर सकता है ।

उपासक का जीवन-क्रम

किसी भी जाति अथवा वर्ण का गृहस्थ^१ स्त्रीपुरुष निर्ग्रन्थ प्रवचन में श्रद्धावान् हो कर किसी साधुजन के समक्ष जब पाँच अणुव्रत तथा सात

१ विवागसूय १, २

२ विवागसूय १, १ ।

शिक्षा-व्रतरूप वारह प्रकार के गृहस्थ-धर्म को स्वीकार करता है; तब से उसका उपासकजीवन प्रारम्भ होता है ।

गृहस्थ-धर्म स्वीकार करने के बाद वह जीवन-भर के लिए स्थूल हिंसा, भूठ तथा चोरी का परित्याग कर देता है, अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ मैथुनविधि के त्याग का तथा गृहस्थिक वस्तुओं के संग्रह की कम से कम मात्रा का भी निश्चय कर लेता है ।^१

वह प्रतिज्ञा करता है कि अपने जीवन में सोना, चाँदी, खेत, वैयालगाड़ी, नाव, वस्त्र, आभूषण आदि निश्चित मात्रा के अतिरिक्त अन्य सोना, चाँदी आदि को प्रयोग में नहीं लाएगा । वह भोजनविधि का भी परिमाण करता है और निश्चय कर लेता है कि कुछ प्रकार के फल, मिष्टान्न, दाल, घृत, शाक, मधुर रस, दहीवड़ा, जल तथा ताम्बूल आदि का कुछ निश्चित मात्रा में ही अपने जीवन में सेवन करेगा । यहाँ तक कि तैलमर्दन, उवटन, स्नान, विलेपन, पुष्पधारण आदि के सम्बन्ध में भी वह अपनी आवश्यकताओं की अत्यल्प सीमा निश्चित कर लेता है ।^२ परिग्रह की सीमा कम हो जाने से मनुष्य अनेक प्रकार की संग्रहसम्बन्धी मानसिक चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है और घर में स्थित वस्तुओं में ही उसे संतोष का अनुभव होने लगता है ।

उपासक की अहिंसा की भावना का क्षेत्र मनुष्यमात्र तक सीमित नहीं है । वह पशु-पक्षियों पर भी दया से परिपूर्ण होता है । वह जिन गाय, भैंस आदि पशुओं का परिग्रह रखता है, उनको समय पर भोजन-पानी देने का पूरा ध्यान रखता है और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता, उन्हें मारता-पीटता नहीं और न ही उनके अंगों को छेदता है ।^३

१ 'कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होता है',

उत्तराध्यायन २५, ३३ ।

२ उपासकदगांग, ४ ।

३ वही, ५ ।

४. उपासकदगांग, १, ६ पृ० १९ ।

वह आपसी व्यवहार में विल्कुल सत्य, स्पष्ट एवं मिष्टभाषी होता है, बिना विचारे नहीं बोलता, किसी के रहस्य का भेदन नहीं करता, झूठा उपदेश नहीं देता और न ही झूठे लेख, वहीखाते या दस्तावेज लिखता है। वह ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, जो अनिष्ट तथा अप्रिय हो।^१

व्यापार के सम्बन्ध में उपासक बहुत सावधान रहता है। वह ऐसे कर्म नहीं अपनाता, जिनमें असवध व अतिवध होता है। वह निपिद्ध, राष्ट्रघातक, नैतिकताविरुद्ध एवं संयमघातक कर्मों द्वारा व्यापार नहीं करता, किन्तु न्यायोचित कार्यों द्वारा व्यापार कर अपने कुटुम्ब का पालन करता है। वह चोरी की वस्तु ग्रहण नहीं करता और चोरो को किसी प्रकार की सहायता भी नहीं पहुँचाता। वह व्यापार में राजकीय नियमों का पूर्ण ध्यान रखता है। वस्तुओं में मिलावट नहीं करता और न ही कम व अधिक तौलता-मापता है। उसका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत पवित्र होता है, वह दुर्भावनाओं को अपने पास फटकने नहीं देता। अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को वह माता, बहन तथा पुत्री समझता है। वह अपनी स्त्री के साथ भी अधिक कामभोग नहीं करता, तथा दुश्चरित्र वाले स्त्री-पुरुषों के साथ वह किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रखता।

उपासक यह समझता है कि दुःखों का कारण असंतोष है, अतः वह कम से कम वस्तु में संतुष्ट रहने का प्रयत्न करता है। वह कम से कम वस्तु के संग्रह का नियम ले कर कभी उस मर्यादा को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता और प्रत्येक जीवनोपयोगी वस्तु की निश्चित मर्यादा में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार वह अपनी इच्छा और तृष्णा पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है।

उपासक अपने बाह्य-जीवन को संकुचित करके निरन्तर अन्तर-जीवन के विकास का प्रयत्न करता है। वह बाह्य-संसार में अपने आवा-गमन की परिधि भी निश्चित कर लेता है और जीवनभर उसी परिधि के भीतर रहता है। अत्यावश्यक कार्य आ पड़ने पर भी परिधि-लंघन का भाव उसके मन में उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार उसके दोषपूर्ण कार्यों

१ उपासकदशक १, ६, पृ० १०।

२. वही, १, ६, पृ० ११।

का क्षेत्र संकुचित हो जाता है।^१ उपासक का भोजन शुद्ध तथा सात्विक होता है। कच्चे फल, अमर्यादित तथा अभक्ष्य वस्तुएं उसके भोज्य नहीं होती। जल एवं वनस्पति को भी पूर्ण रूप से पका कर वह उन्हें अचित्तरूपमे भक्षण करता है।^२

उपासक सर्वज्ञ आत्म-चिन्तन मे जागृत रहता है। वह व्यर्थ पाप-पूर्ण कार्यों को न स्वयं करता है और न किसी के करने मे, मन, वचन, अथवा कर्म से सहायता ही करता है। वह जीवन के प्रत्येक कार्य को आलस्यरहित हो कर सावधानी के साथ करता है। वह अपने शरीर के अंगों से कुचेष्टाएँ भी नहीं करता। शय्या, बिछौना अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं को उठाते-रखते समय वह अत्यन्त सावधानी से काम लेता है। वह उस जगह को भी पहिले से देखभाल व झाड़-पोंछ लेता है, जहाँ उन वस्तुओं को रखना है। उन वस्तुओं को रखने से पहिले भी वह उन्हें अच्छी तरह झाड़-पोछ लेता है।^३

उपासक का हृदय समत्व की भावना से परिपूर्ण होता है। उसे आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य, पशु अथवा जन्तुओं के मध्य कोई भेद नहीं दिखता। वह आत्मा को सर्वोच्च मान कर शरीर के भेद को बिलकुल भूल जाता है। इसी समत्व-भावना की प्राप्ति के लिए दिन मे तीन बार कुछ निश्चित समय के लिए एकान्त, निर्वाध स्थान में बैठ कर वह आत्मध्यान करता है। इस समय वह संसार को बिलकुल ही भूल जाता है, परिग्रह से पूरा सम्बन्ध तोड़ देता है और कुछ समय के लिए साधु-अवस्था को प्राप्त कर लेता है।^४

इस प्रकार उपासक सर्वदा धर्म के प्रति श्रद्धावान् हो कर धर्मीजनों का भी पूर्ण विनय करता है, उनका समागम प्राप्त करने की निरन्तर चेष्टा करता है और किसी साधुजन के घर आ जाने पर उन्हें उचितसम्मान दे कर यथाविधि आहार-पानी आदि देता है।^५

१ उपासकदशाग, पृ० ११, १२

२ वही, १, ६, पृ० १२, १३।

३. वही, १, ६ पृ० १७।

४. वही, ,,

५ वही, १, ६, पृ० १८।

गृहस्थजीवन में निरन्तर सावधान उपासक जब इस प्रकार का अनुभव करने लगता है कि घर में रह कर वह गृहस्थधर्म का पूर्ण-रूप से पालन नहीं कर पाता; तब किसी दिन अपने कुटुम्बिजन तथा मित्रों को घर पर बुला कर भोजनादि द्वारा सन्तुष्ट करके अपने गृह-त्याग-सम्बन्धी विचार उनके समक्ष रख देता है। कुटुम्बिजनों तथा पुत्र की स्वीकृति के बाद वह घर का समस्त भार अपने ज्येष्ठ-पुत्र को सौंप कर आत्म-साधन के लिए पौपधशाला में चला जाता है। पौपधशाला में जाते समय वह सभी लोगों से कहता है कि आज से किसी के घर पर उसके निमित्त भोजनादि तैयार न किया जाए और न ही किसी सांसारिक कार्य में उसकी सम्मति ली जाए।^१

पौपधशाला में जाने के बाद उपासक ग्यारह प्रतिमाओं का क्रम-क्रम से यथामूत्र, यथाकल्प, यथामार्ग तथा यथातत्त्व आराधन प्रारम्भ कर देता है। अन्तिम 'श्रमणभूत' प्रतिमा में पहुँच कर वह लगभग साधु का-सा जीवन व्यतीत करने लगता है। इस प्रकार अपने जीवन की अन्तिम अवस्था तक वह पौपधशाला में रह कर अपने कर्तव्यों का पूर्णरूप से पालन करता हुआ अपने व्यक्तित्व के विकास में तत्पर रहता है।^२ अतः में संल्लेखनापूर्वक शांति से मरण कर सद्गति को प्राप्त होता है।^३

उपासक की विचार-धारा

श्रद्धा, मानव के व्यक्तित्व-विकास की आधारशिला है—उपासक-अवस्था का प्रारम्भ निर्ग्रन्थ-प्रवचन एवं जीवाजीवादि पदार्थों में श्रद्धा एवं विश्वास से होता है। महावीर ने कहा था कि "जैसे कोई व्यक्ति रुधिर में रंगे वस्त्र को रुधिर से ही साफ करना चाहे तो क्या वह साफ हो सकता है? नहीं, इसी प्रकार प्राणातिपात आदि से होने वाला पापों से रंगा मनुष्य, मिथ्यादर्शन आदि के त्याग तथा सम्यग्दर्शन (सत्यश्रद्धा) आदि के ग्रहण से शुद्ध हो सकता है।"^४

१. उपासकदशाग, १, १० पृ० २५।

२. वही (अभयदेववृत्ति, १, १०, पृ० २६।

३. वही १, १५ पृ० ३३।

४. नायाधम्मकहाओ, ५, ६०. पृ० ७४, ७५।

मानव-जीवन नि.सार है—उपासक इस मनुष्यजीवन को आनन्दप्रद तथा स्थायी नहीं मानता; किन्तु इसके विपरीत वह इसे अध्रुव, अनिश्चित अशाश्वत, बिजली की तरह चंचल, जलबुद्बुद, कुशाग्रजलबिन्दु, संध्या-कालीन लालिमा तथा स्वप्नदर्शन की तरह अनित्य मानता है। वह यह भी जानता है कि मनुष्य का जीवन सड़ना, गलना, नष्ट होना आदि धर्मों से परिपूर्ण है तथा शीघ्र अथवा विलम्ब से छोड़ देने योग्य ही है।^१ बालक, वृद्ध और गर्भस्थ सभी मनुष्यों का जीवन नाशवान है। यह देखो, जैसे ज्येनपक्षी वर्तकपक्षी को मार डालता है, इसी तरह आयु क्षीण होने पर मृत्यु प्राणी जीवन को नष्ट कर देती है।^१

मानवीय कामभोग क्षणिक है—उपासक, मनुष्य के कामभोगों से दूर रहने का प्रयत्न करता है। यद्यपि गृहस्थावस्था के कारण वह उनसे सर्वथा पृथक् तो नहीं हो सकता, किन्तु उनकी वास्तविकता, दुःखोत्पादकता एवं अनित्यता को जानता है। वह समझता है कि ये कामभोग अशुचि, अशाश्वत, वान्तास्रव (वमन के द्वार), पित्तास्रव, श्लेष्मास्रव, शुक्रास्रव, शोणितास्रव, मूत्र-पुरीष-पूयादि से परिपूर्ण, अध्रुव एवं अनिश्चित है तथा एक न एक दिन इन्हे अवश्य ही छोड़ देना पड़ेगा।^२ महावीर ने कहा है कि—“सब वैपयिक गान विलाप है, सब नाचरंग विडम्बना है, समस्त अलंकार शरीर पर बोझ है तथा समस्त कामभोग दुःख देने वाले है।”^३ “सोना, चाँदी और स्वजनवर्ग सभी परिग्रह, इस लोक तथा परलोक में दुःख देने वाले तथा सभी नश्वर है। अतः इसे जानने वाला कौन पुरुष गृहवास को पसन्द कर सकता है ?”^४

धनसम्पत्ति त्याज्य है—सोना, चाँदी, मणि, मौक्तिक आदि चोर, अग्नि, राजा, भाई, बन्धु एवं मृत्यु द्वारा छीने जा सकते हैं। वे शरीर की तरह सड़न, गलन आदि धर्मों से परिपूर्ण हैं और एक न एक दिन नष्ट होने वाले ही हैं।^५

१. जैनसूत्राज् भाग २ (सूत्रकृताग १, २, १, २ पृ० २४६)

२. नायाधम्मकहाओ १, २८ पृ० २७।

३. उत्तराध्ययन, १३, १६।

४. जैनसूत्राज् भाग २, (सूत्रकृताग १, २, २, १० पृ० २५४)

५. नायाधम्मकहाओ, १, २८ पृ० २७।

निर्ग्रन्थ प्रवचन उपादेय है—यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन क्लीब, कापुरुष, इस लोक में प्रतिवद्ध तथा परलोक में अचेत एवं नीच पुरुषों के लिए कष्ट से आचरण करने के योग्य है। परन्तु जो व्यक्ति धीर एवं उद्यमशील है, उन्हें इस निःश्रेयस प्रवचन में कुछ भी दुःख नहीं है। यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन सत्य, सर्वश्रेष्ठ, न्याययुक्त, पापकर्मों का नाश करने वाला, मोक्ष का मार्ग तथा सम्पूर्ण दुःखों से मुक्त कराने का एक मात्र उपाय है।^१

सदाचार ग्राह्य है—यह संसार जरा एवं मरण के द्वारा प्रदीप्त है। जिस प्रकार कोई गृहपति अपने घर में आग लग जाने पर उसमें से अल्पभार एवं बहुमूल्य वस्तुओं को ग्रहण करके एकान्त में चला जाता है, यह सोचता हुआ कि ये वस्तुएँ हमें अग्रिम जीवन-यात्रा में सुख तथा निःश्रेयस आदि का साधन बनेगी। इसी प्रकार उपासक के पास आचार-रूप वस्तु है, जो अत्यन्त इष्ट है तथा संसार का नाश करने वाली है।^२

१. नायाधम्मकहाओ १, २८ पृ० २८

२. अन्तगडदसाओ प्रथमवर्ग, पृ० ४।

षष्ठ अध्याय

श्रमण-जीवन

श्रमण-अवस्था

उपासकजीवन से आगे की कोटि श्रमण-अवस्था है। उपासक ग्यारहवो प्रतिमा मे प्रायः श्रमण हो जाता है, इस कारण ही उस प्रतिमा का नाम “श्रमणभूत” प्रतिमा है।^१ इस अंतिम प्रतिमा मे उपासक श्रमणजीवन का अभ्यास प्रारम्भ कर देता है। जब वह अपने को श्रमण-जीवन के कठोर नियमों को अच्छी तरह पालन करने के योग्य समझ लेता है, तब वह श्रमण-जीवन में प्रवेश करता है।

श्रमण-जीवन अत्यन्त कष्टसाध्य है। जैनागम मे इसकी कठोरता पर अच्छी तरह प्रकाश डाला गया है। “श्रमण-जीवन, दो हाथों से सागर को तैरने जैसा कठिन, रेत के ग्रास जैसा नीरस, तलवार की धार पर चलने जैसा महाकष्टसाध्य, लोहे के चने चवाने जैसा अशक्य, प्रज्वलित अग्नि-शिखा को पी जाने जैसा दुःसाध्य, हवा से कपड़े की थैली भरने जैसा असाध्य और तुच्छ काटे से एक लाख योजन वाले मेरुपर्वत को भेदने जैसा असम्भव है।”^२

वस्तुतः श्रमण-जीवन इतना ही उग्र जीवन है। “यह मार्ग क्लीब, कापुरुष, इस लोक में आसक्त तथा परलोक से अचेत और दुरुनुचर प्राकृतजनों का नहीं है; किन्तु धीर, वीर, निश्चलमति एवं स्थितप्रज्ञो

१ उपासकदशाग, १, ११, पृ० २६।

२ नायावम्मकहायो, १, २८ पृ० २७, २८ तथा उत्तराव्ययन, १६, ३६-४२।

का है।”^१ जो लोग कायर हैं, साहसहीन हैं, वासनाओं के दास हैं, इन्द्रियो के चक्कर में पड़े हैं और दिन-रात इच्छाओं की लहरो के थपेड़े खाते रहते हैं, वे भला क्यों कर इस क्षुरधारासम दुर्गमपथ पर चल सकते हैं ?

श्रमण शब्द का निर्वचन तथा समानार्थक शब्द

निर्वचन—श्रमण का मूल प्राकृत शब्द “समण है। समण के संस्कृत रूपान्तर तीन होते हैं—श्रमण, समन तथा शमन। श्रमणसंस्कृति का वास्तविक मूलाधार इन्हीं तीन संस्कृतरूपों पर से व्यक्त होता है।

“श्रमण शब्द “श्रम्” धातु से बना है, जिसका अर्थ है श्रम करना। यह शब्द प्रकट करता है कि व्यक्ति अपना विकास अपने परिश्रम द्वारा कर सकता है। सुख-दुःख, उत्थान-पतन सभी के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। “समन” का अर्थ है—समताभाव अर्थात् सबको अपने समान समझना तथा सबके प्रति समभाव रखना। दूसरों के प्रति व्यवहार की कसौटी आत्मा है। जो बात अपने को बुरी लगती है वह दूसरों के लिए भी बुरी है।^२ “शमन” का अर्थ है अपनी वृत्तियों को शान्त रखना।^३

अनुयोगद्वारसूत्र में “भावसामायिक” का निरूपण करते हुए श्रमण शब्द के निर्वचन पर प्रकाश डाला गया है—“जिस प्रकार मुझे दुःख अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार संसार के अन्य सभी जीवों को दुःख अच्छा नहीं लगता, यह समझ कर जो स्वयं न हिंसा करता है, न दूसरों से करवाता है और न किसी प्रकार की हिंसा का अनुमोदन करता है तथा सभी प्राणियों में समत्वबुद्धि रखता है, वह श्रमण है।”^४

मूल सूत्र में “सममणइ” शब्द आया है। उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य हेमचन्द्र लिखते हैं—“अण्” धातु प्रवृत्ति के अर्थ में है और ‘सम’

१. नायावम्मकहाओ १, २८, पृ० २८ ।

२. सूत्रकृतांग, २, २, ८१ (जैनसूत्राज् भाग २, पृ० ३८७) ।

३. श्रमणसूत्र, पृ० ७५, ७६ ।

४. अनुयोगद्वार सूत्र, उपक्रमाधिकार ।

शब्द तुल्यार्थक है। अतः जो सब जीवों के प्रति सम अर्थात् समान अराति अर्थात् प्रवृत्ति करता है वह श्रमण कहलाता है।

दशवैकालिक सूत्र में श्रमण का अर्थ तपस्वी किया गया है “जो अपने ही श्रम से—तप साधना से मुक्तिलाभ करते हैं, वे श्रमण कहलाते हैं।”^१ आचार्य श्रीलाक भी सूत्रकृतांग में श्रमण शब्द की यही “श्रम” और “सम” सम्बन्धी व्याख्या करते हैं।^२

बुद्ध ने भी श्रमणशब्द के अर्थ पर कुछ प्रकाश डाला है—‘जो व्रतहीन है, मिथ्याभाषी है, इच्छा तथा लोभ से भरे हुए है; ऐसे व्यक्ति मुण्डित हो कर भी क्या श्रमण बनेंगे? जो छोटे-बड़े पाप का शमन करता है, उसे पापों का शमनकर्ता होने के कारण श्रमण कहते हैं।’^३

महावीर ने भी यही कहा है कि—‘केवल मुण्डित होने मात्र से भी कोई श्रमण नहीं होता, श्रमण होता है—समता की साधना से।’^४

समानार्थक शब्द—वैसे तो श्रमण शब्द के समानार्थक अनेक शब्दों का प्रयोग अंगशास्त्र में हुआ है; फिर भी हम कुछ मुख्य शब्दों की व्याख्या यहाँ करते हैं।

मुनि—जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा समस्त त्रस जीवों के हिसारूप ‘कर्मसमारम्भ’ को अच्छी तरह जान कर उसका त्याग कर देता है, वह मुनि कहलाता है।^५

अनगार—समस्त प्राणियों के रक्षणरूप संयम का पालन करने वाला, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा, सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्ग में प्रवृत्त और माया का त्याग करने वाला अनगार कहलाता है।^६

१. “श्राम्यन्तीति श्रमणा, तपस्यन्तीत्यर्थः” दशवैकालिकसूत्रवृत्ति, १, ३,

२. “श्राम्यति तपसा खिद्यते इति कृत्वा श्रमणो वाच्य अथवा समं तुल्यं मित्रादिषु मनः—अन्तःकरण यस्य स सममनः, सर्वत्र वासी-चन्दनकल्प-इत्यर्थः” सूत्रकृतांग, १. १६ (हिन्दी टीका, पृ० २६८, २६९)

३. धम्मपद, धम्मठ्ठवग्ग, ६, १०।

४. उत्तराध्ययन, २५, ३१, ३२।

५. आचारांग, १, १, १ ७ (जैनसूत्राज् भाग १ पृ० १, १५)

६. वही, १, १, ३, १, भाग १ पृ० ५।

ब्राह्मण—“वह ब्राह्मण इसलिए कहलाता है कि वह राग-द्वेष, कलह, भूठी निन्दा, चुगली, आक्षेप, संयम में अरति, विषयो में रति, मायाचार और भूठ आदि सब पापकर्मों से रहित होता है, सम्यक् प्रवृत्ति से युक्त होता है, सदा यत्नशील होता है, अपने कल्याण में तत्पर होता है, तथा कभी क्रोध अथवा अभिमान नहीं करता।”^१

श्रमण—“वह श्रमण इसलिए कहलाता है कि वह विद्वानों से नहीं हारता और सब प्रकार की आकाक्षा से रहित होता है। वह परिग्रह, हिंसा, भूठ, मैथुन क्रोध, मान, माया, लोभ, राग तथा द्वेषरूपी पाप से विरत होता है।”^२

भिक्षु—“वह भिक्षु इसलिए कहलाता है कि वह अभिमान से रहित नम्र होता है और गुरु का आज्ञानुवर्ती होता है। वह विविध प्रकार के कष्टों तथा विघ्नों से नहीं हारता। अध्यात्मयोग से वह अपना अन्त-करण शुद्ध करता है। वह प्रयत्नशील, स्थिरचित्त और दूसरों द्वारा भिक्षा के रूप में दिए हुए भोजन की मर्यादा में रह कर जीवन-निर्वाह करने वाला होता है।”^३

निग्रन्थ—“वह निग्रन्थ इसलिए कहलाता है कि वह अकेला (संन्यासी) होता है, एक को जानने वाला (मोक्ष अथवा धर्म को) होता है, जागृत होता है, पापकर्मों के प्रवाह को रोकने वाला होता है, सुसंयत होता है, सम्यक्प्रवृत्ति से युक्त होता है आत्मतत्त्व को समझने वाला होता है, विद्वान् होता है, इन्द्रियो के विषयो से विरक्त होता है, पूजा, सत्कार और लाभ की इच्छा से रहित होता है, धर्मार्थी होता है, धर्मज्ञ होता है, मोक्षपरायण होता है तथा समतापूर्वक आचरण करने वाला होता है।”^४

श्रमण-अवस्था का महत्त्व

जैनधर्म में श्रमण का पद बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आध्यात्मिक विकास के क्रम में उसका स्थान छठा है। यदि यहाँ से वह

१ सूत्रकृतांग (हि०), १, १६, १, पृ० ६७ ।

२ वही १, १६, २, पृ० ६७ ।

३. वही १, १६, ३, पृ० ६८ ।

४. वही १, १६, ४, पृ० ६८ ।

निरन्तर ऊर्ध्वमुखी विकास करता रहे तो अन्त मे चौदहवे गुणस्थान की भूमिका पर पहुँच कर सदाकाल के लिए अजर, अमर, सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो जाता है। ऐसे ही श्रमण-जीवन को पंचनमस्कारमंत्र मे “णमो लोए सव्वसाहूणं” कह कर नमस्कार किया गया है। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जिस मन्त्र मे अरिहंत एवं सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया गया है, उसी मंत्र मे उन्हीं के समकक्ष रख कर साधु को भी नमस्कार किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि श्रमण-जीवन अवश्य ही मुक्ति का साधक है, और श्रमण-अवस्था को प्राप्त व्यक्ति किसी दिन अवश्य ही पूर्ण मुक्त हो जाता है।^१

भगवतीसूत्र मे पाँच प्रकार के देवो का वर्णन है। वहाँ महावीर ने गौतम गणधर के प्रश्न का समाधान करते हुए साधुओं को साक्षात् “धर्मदेव” कहा है। वस्तुतः साधु धर्म का जीता-जागता देवता ही है।^२

भगवतीसूत्र के चौदहवे शतक मे भगवान् महावीर ने साधुजीवन के अखण्ड आनन्द का उपमा के द्वारा एक बहुत ही सुन्दर चित्र उपस्थित किया है। गणधर गौतम को सम्बोधित करते हुए भगवान् कहते हैं कि “हे गौतम, एक मास की दीक्षा वाला श्रमण निर्ग्रन्थ वाणव्यन्तर देवो के सुख को अतिक्रमण कर जाता है। दो मास की दीक्षावाला मुनि नाग-कुमार आदि भवनवासी देवो के सुख को अतिक्रमण कर जाता है। इसी प्रकार तीन मास की दीक्षा वाला साधु असुरकुमार देवो के सुख को, चार मास की दीक्षा वाला ग्रह, नक्षत्र एवं ताराओं के सुख को, पाँच मास की दीक्षा वाला ज्योतिष्कदेवजाति के इन्द्र-चन्द्र एवं सूर्य के सुख को, छह मास की दीक्षा वाला सौधर्म एवं ईशान देवलोक के सुख को, सात मास की दीक्षा वाला सनत्कुमार एवं माहेन्द्र देवो के सुख को, आठ मास की दीक्षा वाला ब्रह्मलोक एवं लान्तक देवो के सुख को, नव मास की दीक्षा वाला आनत एवं प्राणत देवो के सुख को, दस मास की दीक्षा वाला आरण एवं अच्युत देवो के सुख को, ग्यारह मास की दीक्षा वाला

१ भगवती, १, १, १, तथा कल्पसूत्र १, १, १, ‘णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण, णमो उवज्झायाण, णमो लोए सव्वसाहूण ।’

२ भगवती, १२, ६ ।

नवग्रैवेयक देवो के सुख को तथा वारह मास की दीक्षा वाला श्रमण अनुत्तरौपपातिक देवो के सुख को अतिक्रमण कर जाता है ।^१

प्रव्रज्या

जो व्यक्ति ससार से विराग प्राप्त कर श्रमण-जीवन को ग्रहण करने का इच्छुक होता है, वह विना किसी जातिभेद अथवा श्रेणि-भेद के जैनसंघ में सम्मिलित कर लिया जाता है; । केवल साधारण मनुष्य ही श्रमण नहीं होते हैं; किन्तु बड़े-बड़े योद्धा, धनी, मानी तथा ज्ञानी व्यक्ति श्रमण-जीवन स्वीकार करते हैं; । यह सोचते हुए कि यह सासारिक इन्द्रियभोग व्यर्थ है; जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षणस्थायी है, वे अपना समस्त वैभव तथा कुटुम्ब को छोड़ कर साधु जीवन स्वीकार कर लेते हैं ।^२

प्रव्रज्या के कारण—स्थानागसूत्र में प्रव्रज्या के दश भेद बतलाए गए हैं ।

१. छन्द (ससार से स्वतः विरक्त होकर प्रव्रज्या धारण करना) ।
२. रोषा (अचानक क्रोध के कारण प्रव्रज्या ले लेना) ।
३. दारिद्र्यद्यूना (दरिद्रता के कारण प्रव्रज्या स्वीकार करना) ।
४. स्वप्ना (संसार से विराग पैदा करने वाला स्वप्न देख कर प्रव्रज्या स्वीकार करना) ।
५. प्रतिश्रुता (पहिले की गई प्रतिज्ञा-पूर्ति के निमित्त प्रव्रज्या लेना) ।
६. स्मारणिका (पूर्वभव की स्मृति के कारण प्रव्रज्या ग्रहण कर लेना) ।
७. रोगिणिका (बीमारी के कारण प्रव्रज्या अंगीकार करना) ।
८. अनादृता (अपमान के कारण प्रव्रज्या अंगीकार करना) ।

१. भगवती, १४, ९ ।

२. औपपातिक, १४, ४९ ।

६ देवसंज्ञप्ता (देवताओं द्वारा सम्बोधित किए जाने पर प्रव्रज्या स्वीकार करना) ।

१० वत्सानुवर्धिका (दीक्षित पुत्र के स्नेह के कारण प्रव्रज्या धारण करना) ।^१

भावनाशील व्यक्ति कभी-कभी छोटा-सा भी निमित्त मिल जाने पर प्रव्रज्या ग्रहण कर लेते थे । उज्जयिनी की रानी देविलासत्तने अपने पति के सिर पर एक सफेद वाल देख कर उसे अंगुली से मोड़ कर निकाल दिया । राजा ने उसे देखा और कहा कि वृद्धावस्था का दूत आ गया है । उसने उसे सोने की पेट्टी में बन्द किया, रेशमी वस्त्र से उसे बाँध कर सारे नगर में घुमाया । इसके बाद अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर उसने यह घोषणा की कि हमारे पूर्वपुरुष सफेद वाल होने से पहले ही प्रव्रजित हो जाते थे; अतः मैं भी प्रव्रज्या स्वीकार करता हूँ ।^२

कभी-कभी तो अतितुच्छ कारण भी प्रव्रज्या-ग्रहण के लिए पर्याप्त होता था । भरत ने अपनी अंगुली को मुद्रिकाशून्य अतएव अमनोज्ञ देख कर ससार से वैराग्य प्राप्त किया और दीक्षा ग्रहण की ।^३ राजा दुम्भुह ने इन्द्र-ध्वज को गिरते देखा और उन्हें वैराग्य हो गया ।^४ अरिष्टनेमि ने पशुओं को वनघन में देखा और उनकी हिंसा में खुद निमित्त न बन जाय; इस कारण तथा संसार की अनित्यता का ज्ञान कर प्रव्रज्या धारण की ।^५

निम्नोक्त प्रकार के व्यक्ति प्रव्रज्या धारण नहीं कर सकते थे—बच्चे, वृद्ध, नपुंसक, आलसी, डरपोक, बीमार, डाकू, राजा के शत्रु, पागल, अन्धे, दास, मूर्ख, ऋणी, अंगहीन, बलात्घर्म-परिवर्तन करने वाले, गर्भिणी स्त्री तथा नवयुवती ।^६

१ स्थानांग, १०, ७१२, पृ० ४५९ ।

२ आवश्यकचूर्णि, २, पृ० २०२ ।

३ उत्तराध्ययन टीका, १८, पृ० २३२ अ

४ वही, ९, पृ० १३६ ।

५. वही, ६, पृ० १२६, फुट नोट ।

६. स्थानांग ३, २०२, पृ० १५४ ।

निष्क्रमणसत्कार—प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले व्यक्ति का प्रव्रज्या-महोत्सव (निष्क्रमणसत्कार) बहुत ही समारोहपूर्वक मनाया जाता था। राजा, राजकीय जन तथा प्रजाजन इस कार्य में सम्मिलित होते थे। राजालोग प्रजा को दीक्षित होने के लिए उत्साहित किया करते थे। राजा कृष्ण वासुदेव ने घोषणा की थी कि कोई भी राजा, राज्य का उत्तराधिकारी, रानी, राजकुमार, राज्य, का प्रधान, योद्धा, कुटुम्ब का प्रधान, ग्राम का मुखिया धनी पुरुष, श्रेष्ठी, सेनाध्यक्ष, तथा व्यापारियों का प्रधान आदि यदि प्रव्रजित होना चाहता है तो वह स्वयं उन लोगों के कुटुम्ब के पालन का उत्तरदायित्व ग्रहण करने को तैयार है।^१

प्रव्रज्या कमलसरोवर अथवा किसी पवित्र देवमन्दिर के निकट दी जाती थी। इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन चुन लिया था। चतुर्थी तथा अष्टमी इस कार्य के लिए अनुपयुक्त माने जाते थे।^२ प्रव्रज्या-धारण के पूर्व अपने माता-पिता और सरक्षक से प्रव्रज्या ग्रहण करने की आज्ञा प्राप्त कर लेना आवश्यक था। प्रायः संरक्षक लोग दीक्षा ग्रहण करने के इच्छुक पुरुष अथवा स्त्री को आचार्य के समक्ष भिक्षारूप में भी भेंट कर दिया करते थे।^३

नायाधम्मकहाओ में राजकुमार मेघ के प्रव्रजित होने का वर्णन है।^४ भगवान् महावीर का उपदेश सुन कर मेघकुमार अपने घर वापिस आए और माता-पिता से दीक्षा लेने की आज्ञा माँगी। जब मेघकुमार की मा ने पुत्र के प्रव्रज्याग्रहण के विषय में सुना तो वह दुःख से व्याकुल हो कर मूर्छित हो गई। इसके बाद माता-पिता ने उसे प्रव्रज्या ग्रहण करने से रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु राजकुमार अपने विचार से थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद बाजार (कुत्तियावण) से वस्त्र, पात्र, रजोहरण आदि धर्मोपकरण मंगाये गये। एक नाई (कासावय) बालों को काटने के लिए बुलाया गया। इसके बाद मेघकुमार को स्नान कराया गया। उसका शरीर चन्दन से लिप्त किया

१ नायाधम्मकहाओ ५, पृ० ७१।

२ बृहत्कल्पभाष्य ४१३।

३ नायाधम्मकहाओ १, ३१ तथा अन्तगडदसाओ ५ २८।

४ वही १, २६-३२, पृ० २४-३४।

गया तथा उसे सुन्दर वस्त्र और आभूषणों से सुज्जित किया गया । इसके बाद वह शिविका में बैठा । उसके दाहिनी ओर माता तथा बाईं ओर धर्मोपकरण ले कर उपमाता (धाय) बैठी । मेघकुमार गुणशीलक चैत्य पर भगवान् महावीर के निकट गए तथा अपने हाथों से पंचमुष्टि केशलोच कर महावीर के समक्ष उपस्थित हुए और तीन बार उनकी प्रदक्षिणा कर स्तुति तथा पूजा की । महावीर ने मेघकुमार को प्रव्रजित कर स्वीकार किया और उसे उपदेश दिया कि तुम्हें अब यत्ना से चलना है, खड़े होना है, बैठना है, सोना है, खाना है, धोना आदि है ।

श्रमण अवस्था के भेद

दीक्षाकाल गुण, आयु आदि की अधिकता तथा अल्पता की अपेक्षा साधु के दो भेद किए गए हैं—शैक्ष तथा स्थविर । जो श्रमण किसी आचार्य के निकट शिक्षा (उपदेश) ग्रहण कर साधुजीवन की प्रव्रज्या धारण करता था, उसे शैक्ष कहा जाता था । शैक्ष का अर्थ है—शिक्षार्थी नवदीक्षित या अल्प अवस्था वाला साधु ।

शैक्ष के तीन भेद हैं—उत्कृष्ट, मध्यम तथा जघन्य । जो श्रमण आचार्य के निकट सात दिन-रात तक शिक्षा ग्रहण करके महाव्रत स्वीकार करता था, वह जघन्य शैक्ष कहलाता था । जो चार मास की शिक्षा के बाद महाव्रत स्वीकार करता था, वह मध्यम शैक्ष कहलाता था । इसी प्रकार जो छह मास की शिक्षा के बाद महाव्रत स्वीकार करता था, वह उत्कृष्ट शैक्ष कहलाता था । इस छह माह की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाता था । अर्थात् छह माह की शिक्षा ग्रहण के बाद श्रमणदीक्षा स्वीकार करना अनिवार्य था ।

शैक्ष के विपरीत स्थविर होता था । स्थविर शब्द का अर्थ है वृद्ध, दीर्घ अवस्था वाला साधु ।

स्थविर के तीन भेद हैं—१ जातिस्थविर, २ श्रुतस्थविर ३ पर्यायस्थविर ।

जाति का अर्थ है जन्म, जो श्रमण जन्म की अपेक्षा अन्य श्रमणों से वृद्ध होता था, वह जातिस्थविर कहलाता था । श्रुत का अर्थ है-आगम । जो श्रमण अन्य श्रमणों की अपेक्षा आगमज्ञान में वृद्ध होता था, वह श्रुत-

स्थविर कहलाता था। पर्याय का अर्थ है प्रव्रज्या-ग्रहण। जो श्रमण प्रव्रज्याग्रहण की अपेक्षा अन्य श्रमणों से वृद्ध होता था, वह पर्याय-स्थविर कहलाता था।^१

श्रमण निर्ग्रन्थ के पांच भेद किए गए हैं—१ पुलाक २ वकुश ३ कुशील ४ निर्ग्रन्थ ५ स्नातक।

श्रमणजीवन के मूल गुणों तथा उत्तरगुणों में परिपूर्णता प्राप्त न करके भी जो वीतरागप्रणीत आगम में कभी अपनी श्रद्धा शिथिल नहीं होने देता, वह पुलाक है।

जो शरीर तथा उपकरण (वस्त्र-पात्र-रजोहरण आदि) के संस्कारों में लीन रहता हो, सिद्धि तथा कीर्ति चाहता हो और सुखशील हो, वह वकुश है। वकुश निर्ग्रन्थ दो प्रकार के होते हैं—उपकरणवकुश और शरीरवकुश। जो उपकरणों में आसक्त होने के कारण नाना प्रकार के बहु-मूल्य और अनेक विशेषतायुक्त उपकरणों का संग्रह करता है तथा हमेशा उनकी सजावट आदि में लीन रहता है, वह उपकरणवकुश है। जो शरीर में आसक्त होने के कारण उसकी शोभा के निमित्त उसका संस्कार करता रहता है, वह शरीरवकुश है।

कुशील के दो भेद हैं—प्रतिसेवनाकुशील तथा कषायकुशील। जो इन्द्रियों का वशवर्ती हो, वह प्रतिसेवनाकुशील है। जो तीव्र कषाय के वश न हो कर कदाचित् केवल मन्द कषाय के वशीभूत हो जाए, वह कषाय-कुशील है।

जिसमें सर्वज्ञता न होने पर भी रागद्वेष का अत्यन्त अभाव हो; और केवल अन्तर्मुहूर्त के बाद ही जिसको सर्वज्ञता प्रकट होने वाली हो, वह निर्ग्रन्थ है।

जिसमें सर्वज्ञता प्रकट हो चुकी हो, वह स्नातक है।^२

१. स्थानाग, १५९, (अभयदेववृत्ति, पृ० १२३)।

२. स्थानाग ४४५ (अभयदेववृत्ति पृ० २१६) तथा वही १५८ पृ० १२३-१२५।

वैयावृत्य के प्रकरण में साधु के १० भेद किए गए हैं^१—

१. आचार्य २ उपाध्याय ३. स्थविर ४ तपस्वी ५. ग्लान ७ शैक्ष ७ कुल ८ गण ९. संघ १० साधर्मिक ।

मुख्य रूप से जिसका कार्य व्रत और आचरण ग्रहण कराने का है, वह आचार्य है । जिसका मुख्य कार्य श्रुताभ्यास कराने का है, वह उपाध्याय है । जो दीक्षा आश्रु तथा गुणों में आपेक्षिक रूप से वृद्ध है, वह स्थविर कहलाता है । जो महान और उग्र तप करने वाला है, वह तपस्वी है । जो रोग आदि से क्षीणशरीर हो, वह ग्लान है, जो नवदीक्षित हो कर शिक्षण प्राप्त करने के लिए तत्पर हो वह शैक्ष है । एक ही दीक्षा-चार्य का शिष्य-परिवार कुल कहलाता है । पृथक्-पृथक् आचार्यों के शिष्य-रूप साधु यदि परस्पर सहाध्यायी हो तो उनका समुदाय गण कहलाता है । एक ही आचार्य के अनुशासन में रहने वाले श्रमणों का समुदाय संघ कहलाता है । ज्ञान आदि गुणों में समान अथवा एक ही धर्म, सम्प्रदाय को मानने वाले साधर्मिक कहलाते हैं ।

समवायाग में शवल साधु (चरित्रभ्रष्ट) के २१ प्रकार बताए गए हैं ।^२

- १ हस्तक्रिया द्वारा कामोन्माद शान्त करने वाला ।
- २ मैथुनसेवन में आसक्त ।
- ३ रात्रि-भोजन करने वाला ।
- ४ सदुष्ट आहार पुनः पुनः ग्रहण करने वाला ।
- ५ शय्यातर (आश्रयस्थानदाता) के यहाँ से आहार ग्रहण करने वाला ।
- ६ साधु के निमित्त से बनाये हुए, खरीदे गए तथा लाए गए भोजन को ग्रहण करने वाला ।
- ७ दिन में बार बार भोजन करने वाला ।
- ८ छह माह के भीतर एक श्रमणसंघ को छोड़ अन्य संघ में जाने वाला ।
- ९ एक माह के भीतर तीन बार उदकलेप (नाभिप्रमाण जलावगाहन) करने वाला ।

१. स्यानाग, ७१३, पृ० ४४९ ।

२ समवायाग २१ ।

१०. एक माह में तीनवार मायास्थान का सेवन करने वाला ।
- ११ राजपिण्ड का सेवन करने वाला ।
- १२ स्वेच्छानुसार प्राणातिपात करने वाला ।
१३. „ मृपावाद करने वाला ।
१४. „ अदत्तादान करने वाला ।
- १५ „ व्यवधानरहित पृथ्वी पर स्थान, आसन, कार्योत्सर्ग तथा स्वाध्यायादि करने वाला ।
१६. सचित्तपृथ्वी अथवा शिला पर एवं कीटयुक्त काष्ठ पर स्थान, शयन तथा आसन करने वाला ।
- १७ जीवसहित, बीजमहित तथा हरितवनस्पतिसहित स्थान पर आसनादि करने वाला ।
- १८ स्वेच्छानुसार मूल, कन्द, त्वचा, प्रवाल, पुष्प, फल, हरितशाकादि का भोजन करने वाला ।
- १९ एक वर्ष के भीतर १० बार उदकलेप करने वाला ।
- २० एक वर्ष के भीतर १० बार मायास्थान का सेवन करने वाला ।
- २१ शीतल जल से व्याप्त हाथों द्वारा भोजन ग्रहण करने वाला ।

श्रमणधर्म

अंगशास्त्र में जैन-साधु की जीवन-चर्या का अतीव विराट् एवं तल-स्पर्शी वर्णन है। वास्तव में समस्त अंगशास्त्र का केन्द्रबिन्दु श्रमण जीवन ही है। श्रमणधर्म में महाव्रत का अत्यधिक महत्त्व है; क्योंकि श्रमण की समस्त जीवनचर्या का मुख्य उद्देश्य महाव्रतों की पूर्ण साधना है। श्रमणधर्म के रूप में जिन समिति गुप्ति, धर्म, परोपहजय, संयम, तप तथा प्रतिमाओं का निर्देश किया गया है, वे सब महाव्रत की साधना के ही अंग हैं। महावीर ने केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे प्रथम श्रमणों के महाव्रतों का ही उपदेश दिया था।^१

महाव्रत—हिंसादि पाच पापो से सम्पूर्ण विरत होना महाव्रत है। उसके पाच भेद तथा २५ भावनाएँ हैं।^१

महाव्रत के पाच भेद इस प्रकार हैं—१. सर्वप्राणातिपातविरमण २ सर्वमृषावादविरमण ३. सर्वअदत्तादानविरमण ४ सर्वमैथुनविरमण ५ सर्वपरिग्रहविरमण।

१ सर्वप्राणातिपातविरमण—समस्त जीवों की हिंसा का जीवन-पर्यन्त त्याग करना सर्वप्राणातिपातविरमण है। इस व्रत का धारक श्रमण मन वचन तथा काया से किसी प्राणी की हिंसा न स्वयं करता है न दूसरों से कगता है और न हिंसा-कार्य में किसी प्रकार का अनुमोदन ही करता है। इस व्रत के निर्दोषपालन के लिए वह सावधानी से गमन करता है, मन, वचन तथा काया के प्रयोग में बहुत सावधान रहता है और आहार-पानी को अच्छी तरह देखभाल कर ग्रहण करता है।^२

सर्वमृषावादविरमण—असत्य तथा पीड़ाकारी वचनों के प्रयोग का जीवन-पर्यन्त त्याग करना सर्वमृषावादविरमण है। इस व्रत का धारक श्रमण मन; वचन तथा काया से न स्वयं असत्य बोलता है, न किसी अन्य से बोलवाता है और न असत्यवचनों का किसी प्रकार से अनुमोदन करता है। इस व्रत के निर्दोष पालन के लिए श्रमण बोलने से पहिले बहुत अच्छी तरह विचार कर लेता है; क्रोध, लोभ, भय तथा हास्य के वश बोलने का भी त्याग कर देता है, क्योंकि इनमें से किसी एक के भी वश हो कर असत्य बोलना संभव है।^३

सर्वअदत्तादानविरमण—विना दी हुई वस्तु के ग्रहण का जीवन-पर्यन्त त्याग करना सर्वअदत्तादानविरमण है। इस व्रत का धारक श्रमण मन, वचन तथा काया से विना दी हुई वस्तु को न स्वयं ग्रहण करता है, न दूसरों को ग्रहण करवाता है और न इस कार्य में किसी भी प्रकार की अनुमोदना ही करता है। इस व्रत के निर्दोष पालन के लिए वह भिक्षा में प्राप्त भोजन आचार्य को दिखा कर सेवन करता है; जीवनों-

१ समवायाग २५।

२ आचाराग २, १५ (१) पृ० २०३।

३. वही २, १५ (२) पृ २०४-२०५।

पयोगी वस्तुओं की परिमित मात्रा में तथा बहुत कम बार (दफा) याचना करता है।^१

सर्वमैथुनविरमण—देव, मनुष्य तथा तिर्यच-सम्बन्धी मैथुन का जीवनपर्यन्त त्याग करना सर्वमैथुनविरमण है। इस व्रत का धारक श्रमण मन, वचन तथा काया से किसी भी प्रकार के मैथुन का सेवन न स्वयं करता है, न दूसरों से करता है और न इस कार्य में किसी प्रकार की अनुमोदना ही करता है। इस व्रत के निर्दोष पालन के लिए वह स्त्रीसम्बन्धी विकथा नहीं करता, स्त्रियों के मनोहर अंगों को नहीं देखता, स्त्रियों के साथ पूर्वानुभूत कामक्रीडा का स्मरण नहीं करता, परिमाण से अधिक तथा कामोद्दीपक आहार ग्रहण नहीं करता और स्त्री, मादा पशु या नपुंसक से संसक्त आमन पर नहीं बैठता।^२

सर्वपरिग्रहविरमण—संसार की सचित्त, अचित्त, मिथ्य, विद्यमान या अविद्यमान किसी भी वस्तु में ममत्त्ववृद्धि का आजीवन त्याग करना सर्वपरिग्रहविरमण है। इस व्रत का धारक श्रमण, मन, वचन तथा काया से किसी भी वस्तु में ममत्त्ववृद्धि न स्वयं रखता है और न दूसरों से रखाता है और न इस कार्य में किसी प्रकार का अनुमोदन ही करता है। इस व्रत के निर्दोषपालन के लिए वह मनोहर शब्द, रूप, रस, गंध, तथा स्पर्श में आसक्ति का पूर्ण त्याग करता है।^३

समिति तथा गुप्ति—श्रमणजीवन की आवश्यक क्रियाओं में सावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करना समिति है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक क्रिया का सभी प्रकार से निग्रह करना गुप्ति है। गुप्ति में अतिक्रिया का निषेध तथा समिति में सत्क्रिया का प्रवर्तन मुख्य है। समवायांग में ५ समिति तथा ३ गुप्ति, इन ८ को, प्रवचन—मातर, कहा गया है, क्योंकि ये द्वादशांगरूप प्रवचन के आधार-भूत सघ तथा श्रमण के लिए माता की तरह हितकारी हैं।^४

१ वही २, १५ (३) पृ० २०५-२०७

२ आचाराग २, १५ (४), पृ० २०७-२०८।

३ वही २, १५ (५), पृ० २०८-२१०।

४. समवायाग ८, (अभयदेवसूरिवृत्ति पृ० १३-१४)।

समिति—समिति के पाँच भेद हैं^१—१. ईर्ष्यासमिति, २ भाषासमिति ३. एषणासमिति, ४. आदानभाण्डामत्रनिक्षेपणासमिति ५. उच्चार-प्रस्रवणखेलसिंघाणजल्लपरिष्ठापन-समिति ।

किसी भी जन्तु को क्लेश न हो, इस कारण सावधानीपूर्वक चलना ईर्ष्यासमिति है । सत्य, हितकारी, परिमित और सदेहरहित बोलना भाषासमिति है । भिक्षा से सम्बन्धित ४२ दोषों का निराकरण करते हुए धर्मपालन के लिए शुद्ध तथा सात्विक भोजन ग्रहण करना एषणासमिति है । वस्तुमात्र को भलीभाँति देखभाल कर एवं प्रमार्जित कर उठाना या रखना आदान-भाण्डामत्रनिक्षेपणासमिति है । जीवजन्तुरहित निरवद्य स्थान पर अच्छी तरह देखभाल कर मल, मूत्र, नासिका-मल थूक आदि का परिष्ठापन करना (डालना) उच्चारप्रस्रवणखेलसिंघाणजल्लपरिष्ठापन-समिति है ।

गुप्ति—गुप्ति के तीन भेद हैं —१. कायगुप्ति २. वचनगुप्ति तथा ३. मनोगुप्ति ।

किसी वस्तु के लेने, रखने अथवा उठने, बैठने, चलने आदि में कर्त्तव्याकर्त्तव्य के विवेकपूर्वक शारीरिक व्यापार का नियमन करना कायगुप्ति है । बोलने के प्रत्येक प्रसंग पर या तो वचन पर नियंत्रण करना अथवा मौन धारण कर लेना वचनगुप्ति है । दुष्ट सकल्प अथवा मिश्रित (अच्छे वुरे) सकल्प का त्याग करना और अच्छे सकल्प का सेवन करना मनोगुप्ति है ।

धर्म—साधु को जो श्रमणधर्म में धारण (स्थिर) करते हैं, वे धर्म हैं । इनकी संख्या १० है^३—१ क्षान्ति, २. मुक्ति, ३ आर्जव, ४ मार्दव, ५ लाघव ६ सत्य, ७ सयम, ८. तप, ९. त्याग, १० ब्रह्मचर्यवास ।

क्षान्ति का अर्थ है—सहनशीलता, अर्थात् क्रोध को उत्पन्न न होने देना अथवा उत्पन्न हुए क्रोध को विवेकबल से दवा देना । हृदय में लोभकषाय का अभाव होना मुक्ति-निर्लोभता है । भाव की विशुद्धि अर्थात् विचार, भाषण तथा प्रवृत्ति की एकरूपता सरलता ही आर्जव है । चित्त में मृदुता और बाह्यव्यवहार में नम्रवृत्ति

१ वही ५ ।

२ समवायाग ३ ।

३ वही १० तथा स्थानाग ७१२, पृ० ४४६ ।

होना मार्दव है। इस धर्म के आचरण के लिए जाति, कुल, वन, तप, लाभ, विद्या, रूप, ऐश्वर्य आदि के मद का त्याग करना आवश्यक है। बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर अपनी आत्मा में न्युता हलकेपन का अनुभव करना लाघव है। प्राणिमात्र के लिए हित, मित, प्रिय तथा यथार्थ वचन बोलना सत्य है। मन, वचन तथा काया का नियमन अर्थात् विचार-वाणी और गतिस्थिति आदि में यतनाचार मनवचनकाय-नियंत्रण का अभ्यास करना सयम है। मलिनवृत्तियों को निर्मूल करने के निमित्त अपेक्षितबल की साधना के लिए जो आत्म-दमन (इच्छानिरोध) किया जाता है, वह तप है। वस्तुओं में मूर्च्छावृद्धि का त्याग करना त्याग है। बाह्य कामभोगों में अपना चित्त हटा कर ब्रह्म (आत्मा) में रमण करना ब्रह्मचर्यवास है।

परिषहजय—स्वीकृत धर्ममार्ग से चलित न होने, स्थिर रहने और कर्मबन्धन के क्षय के लिए जो जो स्थिति ममभावपूर्वक सहन करने योग्य है, उसे परिषह कहते हैं। श्रमण के लिए इन परिषहों पर विजय प्राप्त करना अत्यावश्यक है। यद्यपि परिषह संक्षेप में कम और विस्तार से अधिक भी कल्पित किए जा सकते हैं, तथापि त्याग को विकसित करने के लिए जिनका सहन करना विशेष आवश्यक है, वे ही २२ परिषह आगम में गिनाए गए हैं।^१

१ दिगिच्छा (भूख की बाधा), २ पिपासा (प्यास की बाधा), ३ शीत, ४ उष्ण, ५ दशमणक (डॉस, मच्छर, जूं, खटमल मक्खी आदि की बाधा), ६ अचेल (वस्त्राभाव या वस्त्राल्पता के कारण उत्पन्न बाधा), ७ अरति (कठिनाइयों के कारण धर्ममार्ग में अरुचि होना), ८ स्त्री (विजातीय लिंग के प्रति आकर्षण), ९ चर्या (पद-विहार), १०. नैपेधिकी (सोपद्रव अथवा निरुपद्रव स्वाध्यायभूमि), ११ शय्या (मुखद अथवा दुःखद स्थान तथा विछौना), १२ आक्रोश (दुर्वचन), १३. वध (लकड़ी आदि के द्वारा पीटा जाना), १४ याचना (भिक्षा-मागना) १५ अलाभ (भोजनादि का प्राप्त न होना) १६ रोग, १७ तृणस्पर्श (तीक्ष्णतृणादि का स्पर्श) १८ जल्ल (शरीर तथा वस्त्रादि पर पसीने या मेल की बाधा), १९ सत्कार-

१. समवायाग, २२, पृ० ३८-३९ तथा उत्तराध्ययन, २, परिषहाध्ययन।

पुरस्कार (सम्मान में गर्भित और अपमान में दुःखित होना) २० प्रज्ञा (चमत्कारिणी बुद्धि के होने पर गर्व तथा उसके अभाव में खेद), २१ अज्ञान (तपस्यादि करने पर भी ज्ञान-प्राप्ति न होना), २२ अदर्शन (अनेक मतों के श्रवण से स्वधर्म में श्रद्धा का अस्थिर हो जाना) ।

संयम—आत्मा का शुद्धावस्था में स्थिर रहना, संयम या चारित्र्य है । परिणामों की विशुद्धि के तारतम्य (न्यूनाधिकता) की अपेक्षा से संयम के ५ भेद हैं^१—१ सामायिक, २ छेदोपस्थापना ३ परिहारविशुद्धि ४ सूक्ष्मसम्पराय ५ यथाख्यात ।

समभाव में स्थिर रहने के लिए समस्त सावद्य (सदोष) प्रवृत्तियों का त्याग करना सामायिक है । प्रथम छोटी दीक्षा लेने के बाद विशिष्ट श्रुत का अभ्यास कर चुकने पर विशेष शुद्धि के निमित्त जो जीवनपर्यन्त के लिए पुनः दीक्षा ली जाती है अथवा दीक्षा में दोष उत्पन्न हो जाने पर उसका छेद कर फिर नवीनरूप में जो दीक्षा का आरोपण किया जाता है, वह छेदोपस्थापना है । जिसमें विशिष्ट प्रकार के तप प्रधान आचार का पालन किया जाता है, वह परिहारविशुद्धि है । जिसमें क्रोधादि कपायों का उदय तो नहीं होता, केवल लोभ का अंश अतिसूक्ष्मरूप में रहता है, वह सूक्ष्मसम्पराय है । जिसमें किसी भी कपाय का उदय बिल्कुल नहीं रहता, वह यथाख्यात अर्थात् वीतरागसंयम है ।

तप—वासनाओं को क्षीण करने तथा समुचित आध्यात्मिकत्व की साधना के लिए शरीर, इन्द्रियो और मन को जिन-जिन उपायों से तपाया जाता है, वे सभी तप हैं ।

तप के दो भेद हैं—बाह्यतप तथा आभ्यन्तरतप ।

बाह्यतप—बाह्यतप ये छह भेद हैं—१ अनशन, २. उनोदरी, ३ वृत्तिसंक्षेप, ४ रसपरित्याग, ५ कायक्लेश, ६ प्रतिसंलीनता ।

मर्यादित समय तक या जीवन के अन्त तक सब प्रकार के भोजन-पान का त्याग करना अनशन है । भूख से कम खाना उनोदरी तप है । विविध भोज्य वस्तुओं के सेवन के लोभ को कम करना वृत्तिसंक्षेप है । घी, दूध आदि तथा मद्य-मधु आदि विकार पैदा करने वाले विग्नइय रसों

का त्याग करना रस-परित्याग है। धर्मसाधना के लिए विविध आसनादि द्वारा समभावपूर्वक शारीरिक कष्ट सहना कायबलेश है। विषयो व कर्मायो से आत्मरक्षा करने हेतु बाधारहित एकान्त स्थान में रहना प्रतिसलीनता है।^१

कायबलेश के ७ भेद हैं।^२

१ स्थानायतिक (शरीर को भूमि पर पूर्णरूप से फैला देना)

२ उत्कटुकासनिक (उकड़ू बैठना)

३ प्रतिमास्थायी (प्रतिमा की तरह निश्चल रहना)

४ वीरासनिक (सिंहासन पर बैठे हुए के समान आसन लगाना)।

५. नैपथिक (पैरों को बराबर करके रखना)

६ दडायतिक (दड की तरह देह को फैलाना)

७ लगण्डशायी (इस प्रकार शयन करना कि पीठ पृथ्वी को न छुए)

आभ्यन्तरतप—जिन तपो में मानसिक क्रिया की प्रधानता हो और जो मुख्यरूप से बाह्यद्रव्यों की अपेक्षा न रखने के कारण दूसरों को न दिख सके, वे आभ्यन्तरतप हैं।

आभ्यन्तरतप के छह भेद हैं^३—१ प्रायश्चित्त, २. विनय ३ वैया-वृत्य ४. स्वाध्याय ५ ध्यान ६ उत्सर्ग।

प्रायश्चित्त—धारण किए हुए व्रत में प्रमादजनित दोषों का जिससे शोधन किया जा सके; वह प्रायश्चित्त है। इसके छह भेद हैं—१ आलोचना २ प्रतिक्रमण, ३ तदुभय, ४ विवेक, ५ व्युत्सर्ग, ६ तप।

गुरु के समक्ष शुद्धभाव से अपने अपराध को प्रकट कर देना, आलोचना है। दंडग्रहण कर गत अपराध से निवृत्त होना तथा भविष्य में अपराध न हो, ऐसी सावधानी रखना प्रतिक्रमण है। एक ही अपराध के लिए आलोचना तथा प्रतिक्रमण करना, तदुभय है। भोजन करते समय यदि अभोज्यवस्तु प्राप्त हो जाय, तो समझ कर उसका त्याग

१. समवायाग, ६

२. वही, ६।

३. स्थानाग, १९६, ४८९।

कर देना विवेक है। एकाग्रतापूर्वक शरीर और वचन के व्यापारों को छोड़ देना, व्युत्सर्ग है। अनशनादि बाह्यतप करना तप है।

विनय—ज्ञानादिसद्गुणों में बहुमान रखना, विनय है। इसके सात भेद हैं^१—१ ज्ञानविनय, २ दर्शनविनय, ३ चारित्र्यविनय ४ मनो-विनय, ५ वचनविनय, ६. कायविनय, ७ उपचारविनय।

ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानविनय है, तत्त्व की यथार्थप्रतीतिरूप सम्यग्-दर्शन से विचलित न होना, दर्शनविनय है। सामायिकादि चारित्र्य में चित्त का समाधान रखना चारित्र्यविनय है। उपयुक्त तीनों प्रकार के विनयों को मन वचन तथा कायपूर्वक विनय करना; क्रमशः मनोविनय, वचनविनय तथा कायविनय है। अपने से ज्ञान—दर्शन-चारित्र्य में आगे बढ़े हुए का आदर करना उपचारविनय है।

वैयावृत्य—योग्य साधनों को जुटा कर अथवा अपने आपको काम में लगा कर सेव्यपुरुषों की सेवाशुश्रूषा करना वैयावृत्य है। इसके १० भेद हैं—१ आचार्यवैयावृत्य, २ उपाध्यायवैयावृत्य, ३ स्थविरवैयावृत्य ४ तपस्वीवैयावृत्य, ५ ग्लानवैयावृत्य, ६ शैक्षवैयावृत्य, ७ कुल-वैयावृत्य, ८ गणवैयावृत्य, ९ सध्ववैयावृत्य, १० सार्धमिकवैयावृत्य।

“श्रमण-जीवन के भेद” नामक प्रकरण में कहे हुए आचार्य आदि श्रमणों एवं कुल, गण, सध्व, व सार्धर्मी की सेवाशुश्रूषा करना क्रमशः आचार्यवैयावृत्य आदि है।

स्वाध्याय—ज्ञानप्राप्ति के लिए आगम आदि का विविध प्रकार से अध्ययन करना स्वाध्याय है। इसके पाँच भेद हैं^२—१ वाचना, २ पृच्छना, ३ परिवर्त्तना, ४ अनुप्रेक्षा, ५ धर्मकथा।

सूत्र या ग्रन्थ का अर्थसहित पाठ लेना वाचना है। शका दूर करने के लिए अथवा विशेष निर्णय के लिए पूछना पृच्छना है। पढ़े हुए पाठ की उच्चारणशुद्धिपूर्वक आवृत्ति करना परिवर्त्तना है। आगम-पाठ या उसके अर्थ पर विवेक चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। जानी हुई वस्तु का रहस्य समझाना, व्याख्या करना या धर्मोपदेश देना धर्मकथा है।

१. स्थानाग, ५८५।

२ वही, ७१२।

३. स्थानाग, ४६५।

ध्यान—एक विषय में अन्तःकरण की वृत्ति को टिकाना-स्थापित करना ध्यान है। इसके चार भेद हैं^१—१ आर्तध्यान, २. रौद्रध्यान, ३ धर्मध्यान, ४. शुक्लध्यान।

दुःख में पीड़ित होने पर बारबार शोक, विलाप आदि करना, चिन्ताग्रस्त हो जाना आर्तध्यान है। हिसादि पापों को क्रियान्वित करने का विचार करना रौद्रध्यान है धर्म के सम्बन्ध में विविध प्रकार से चिन्तन करना धर्मध्यान है। आठ प्रकार के कर्म-मल से रहित आत्मा एवं आत्मा से सम्बन्धित ज्ञानादि गुणों, शक्तियों आदि का शुद्ध चिन्तन करना, शुक्लध्यान है। इन चारों में प्रारम्भ के दो ध्यान संसार के कारण होने से हेय तथा अन्तः के दो, मुक्ति के कारण होने से उपादेय हैं।

उत्सर्ग—वाह्य तथा आभ्यन्तर उपधि (ग्रन्थि) का त्याग करना उत्सर्ग है। धन, धान्य, मकान, क्षेत्रादि वस्तुएँ वाह्य उपधि हैं तथा क्रोध, मान, माया, लोभादिरूप मनोविकार आभ्यन्तर उपधि हैं।

प्रतिमा—विशिष्ट संहनन (शरीरयोग्यता) वाले भिक्षुओं की प्रतिज्ञाएँ प्रतिमा हैं। वे १२ प्रकार की हैं^२—१ मासिकी, २ द्विमासिकी, ३ त्रैमासिकी; ४ चतुर्मासिकी, ५. पंचमासिकी, ६. षाण्मासिकी, ७ सप्तमासिकी, ८ प्रथमा सप्तरात्रिन्दिवा, ९. द्वितीया सप्तरात्रिन्दिवा १० तृतीया सप्तरात्रिन्दिवा, ११. अहोरात्रिकी, १२. एकरात्रिकी।

प्रथम प्रतिमा—प्रथमप्रतिमाधारी भिक्षु को एकदत्ति आहार और एकदत्ति जल लेना चाहिए। साधु के पात्र में दाता द्वारा दिये जाने वाले आहार और जल की धारा जब तक अखंड बनी रहे, उसका नाम दत्ति है। धारा खंडित होने पर दत्ति की समाप्ति हो जाती है। इस प्रतिमा का काल एकमास है।

द्वितीय-सप्तम प्रतिमा—दो दत्ति आहार की तथा दो दत्ति पानी की लेना द्वितीयप्रतिमा है। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ तथा सप्तम प्रतिमाओं में क्रमशः ३, ४, ५, ६, और ७ दत्ति आहार

२ वही, २४७

३. समवायाग, १२।

की और उतनी ही दत्ति पानी की ग्रहण की जाती है। प्रत्येक प्रतिमा का समय एक एक मास का है केवल दत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण ये द्विमासिकी, त्रैमासिकी आदि कही जाती है।

अष्टम प्रतिमा—यह प्रतिमा सात दिन-रात की होती है। इसमें नगर के बाहर, उपवासपूर्वक उत्तानासन (आकाश को ओर मुँह करके सीधा लेटना) अथवा निपद्यासन (पैरों को बराबर करके बैठना) से ध्यान लगाना होता है।

नवमप्रतिमा—यह प्रतिमा भी सात दिनरात की होती है। इसमें नगर के बाहर; उपवासपूर्वक दण्डासन, लगुडासन अथवा उत्कटुकासन से ध्यान किया जाता है।

दशमप्रतिमा—यह प्रतिमा भी सात दिनरात की होती है। इसमें नगर के बाहर, उपवासपूर्वक गोदोहासन, वीरासन अथवा आम्त्रकुब्जासन से ध्यान किया जाता है।

एकादशप्रतिमा—यह प्रतिमा एक दिनरात की होती है। इसमें उपवासपूर्वक नगर के बाहर दोनों हाथों को घुटने की ओर लंबा करके दण्डायमान रूप में खड़े होकर कायोत्सर्ग किया जाता है।

द्वादशप्रतिमा—यह प्रतिमा केवल एक रात्रि की है। इसमें उपवासपूर्वक नगर के बाहर श्मशान में या शून्यस्थान में खड़े हो कर, मस्तक झुका कर, एक वस्तु पर दृष्टि रख कर, निर्निमेष नेत्रों से निश्चलतापूर्वक कायोत्सर्ग किया जाता है।

संल्लेखना तथा मरणोत्तर विधान

संल्लेखना—निरन्तर तपश्चर्या करने से या अतिवृद्धावस्था के कारण अथवा असाध्य रोग के कारण शरीर के कृश, शुष्क, निर्मास तथा अस्थिचर्ममात्र रह जाने से अथवा अपना आयुष्य निकट जान कर या किसी मित्रदेव द्वारा सावधान करने पर साधक द्वारा अनशन करके शरीर को कृश करने के साथ-साथ विषयों और कषायों को कृश करना संल्लेखना है। अनुत्तरौपपातिकदशाग में धन्य अनगार के तपश्चरण से उत्पन्न शारीरिक दशा का वर्णन किया गया है^१—“धन्य अनगार के

पैर सूखे वृक्ष की छाल, लकड़ी की खडाँड़ अथवा जीर्ण जूत के समान थे। उनके पैर केवल हड्डी, चमड़ा तथा नसों से पहिचाने जाते थे, न कि मांस-रुधिर से। उनके पैरों की अंगुलियाँ धूप में मुरझाई हुई, मूँग अथवा उड़द की फलियों के समान थीं। अनगार धन्य की जंघाएँ काक तथा ढंक पक्षियों की जंघाओं के समान निर्मास हो गई थीं। उनके घुटने काक तथा टँक पक्षियों के संविस्थानों के समान थे। उनके ऊर धूप में मुरझाए हुए प्रियंगु, वदरी, शल्यकी, तथा शाल्मली वृक्ष के प्रदान के समान थे। धन्य अनगार का कटिप्रदेश ऊँट अथवा बड़े वन के पैर के समान था। उनका उदर सूखी मणक, अथवा नने भूनने के पात्र के समान था। उनकी पार्श्व-अस्थियाँ ऐसे प्रतीत होती थीं, जैसे वह कई दर्पणों, पाणनामक पात्रों अथवा स्थाणुओं की पंक्ति हो। उनका पृष्ठ-भाग ऐसा मालूम होता था, जैसे कान के आभूषणों, गोल पापानों अथवा लाख के बने हुए खिलौनों की पंक्ति हो। उनका उर स्थल वाँस के पंखे, ताड़ के पंखे अथवा गाय के चरने के कुण्ड के अधोभाग के समान था। धन्य अनगार की भुजाएँ, माँस तथा रुधिर की कमी से इस प्रकार सूख गई थी, जैसे शमी, बहाय और अगस्तिक वृक्ष की फलियाँ धूप में सूख जाती हैं। उनके हाथ सूखे गोबर अथवा बड़ या पलाश के सूखे पत्तों के समान थे। उनके हाथों की उंगलियाँ कलाय, मूँग तथा उड़द की सूखी फलियों के समान थीं। धन्य अनगार की ग्रीवा मांस और रुधिर के अभाव से इस तरह दिखाई देती थी, जैसी सुराई, कमण्डलु अथवा किसी ऊँचे मुख वाले पात्र की ग्रीवा हो। उनकी ठोड़ी-चिबुक भी तुम्बे या हकुव का फल अथवा आम की गुठली जैसा दिखता था। उनके ओठ सूखी जोक अथवा श्लेष्म या मेहदी की गोली के समान प्रभाहीन थे। उनकी जीभ पलाश अथवा वटवृक्ष के सूखे पत्ते के समान थी। अनगार धन्ना की नासिका आम, आमलक या मातुलिंग की धूप में सुखाई गई अतिसूक्ष्म फाक के समान निर्मास दिखाई पड़ती थी। उनकी आँखें वीणा के छिद्र अथवा प्रभातकालीन तारे के समान निष्प्रभ मालूम पड़ती थी। उनके कान सूख कर मुरझाए हुए मूली, चिरभट्टी अथवा करेले के छिलके के समान निर्मास थे। उनका सिर धूप में सूखे हुए कोमल तुम्बक, आलू अथवा सेफालक के समान प्रभाहीन प्रतीत होता था।”

जब श्रमण का शरीर तप की आराधना के कारण उपर्युक्त प्रकार से निर्मास एवं प्रभाहीन हो जाता था, तब वह सोचने लगता था कि जब तक मुझमें शक्ति, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम आदि के साथ धृति श्रद्धा, एवं सवेग (विराग) विद्यमान हैं; तब तक मेरे लिये यही श्रेयकर होगा कि मैं किसी धर्माचार्य या गुरु (ज्येष्ठ मुनि) की सरक्षकता (निश्राय) में सल्लेखना (आमरण अनशन=सथारा, ग्रहण कर शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करूँ) ।

सल्लेखना-ग्रहण के लिए आचार्य या गुरु अथवा गीतार्थ बड़े साधु की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है । आचार्य की अनुमति ले कर श्रमण सर्वप्रथम अपने समस्त साथी श्रमणों से, फिर सघ से व ८४ लक्ष जीवयोनि से अपने पूर्वकृत अपराधों के लिए क्षमायाचना करता है । इसके बाद सल्लेखनालीन साधु की सेवा करने वाले श्रमण के साथ पर्वत आदि किसी एकान्त निर्वाध स्थान में वह चला जाता है । वहाँ पहुँच कर वह पृथ्वी-शिलापट्टक एवं मलमूत्र-प्रक्षेप-भूमि को अच्छी तरह देखभाल कर, झाड़पोछ कर दर्भ विछाता है । इसके बाद पूर्व की ओर मुँह करके दर्भ-शय्या पर बैठ कर मस्तक पर अंजलि करके पंचपरमेष्ठियों को नमस्कार करता है और फिर अशन, पान, खादिस तथा स्वादिसरूप चार प्रकार के आहार का जीवन-पर्यन्त त्याग कर देता है । सल्लेखना ग्रहण करने वाले साधु के लिए आवश्यक है कि वह सल्लेखना के अतिचारों (दोषों) से दूर रह कर अपने व्रत का निर्दोष-पालन करे । सल्लेखनाव्रत के पाँच अति-चार निम्नप्रकार बताए गए हैं—^१

- १ इहलोकासंसप्पओगे (मैं मर कर किसी श्रेष्ठी आदि के रूप में जन्म लूँ, या प्रचुर सुखभोग के साधन प्राप्त हो, ऐसी वाञ्छा करना ।)
- २ परलोकासंसप्पओगे (मैं मर कर देवता आदि के रूप में जन्म लूँ, मुझे देवलोक के सुख मिले, इस प्रकार की फलाकाक्षा करना ।)
- ३ जीवियासंसप्पओगे (मेरी जिदगी बहुत लंबी चले, जिससे मैं लोगों से मिलने वाली बाहवाही लूट लूँ, या

मेरे कुटुम्बीजनो को मालामाल करता जाऊँ,
इस प्रकार अधिक जीने की आसक्ति करना ।

- ४ मरणाससम्पन्नो जल्दी मौत आजाय तो इस दुख से पिड छूट जाय, इस प्रकार की मरणाकाक्षा करना)
- ५ कामभोगासंसम्पन्नो (मैं मानवीय या दिव्य कामभोगों को पालूँ या भोग लूँ; ऐसी आकाक्षा करना ।)

संल्लेखनाव्रती साधु पूर्वोक्त प्रकार से अशन पान का, १८ पापस्थानों का, चारो कपायो का पूर्ण त्याग कर वैराग्यमग्न एवं आत्मजागरण में सावधान श्रमण, स्थविर श्रमणों के निकट ११ अंगों का स्वाध्याय करता रहता है । अन्य श्रमण पूर्णरूप से उसकी वैयावृत्य करते हैं । एक दिन वह आत्मध्यान करते करते शान्तिपूर्वक मृत्यु का आलिगन कर लेता है । अन्य स्थविर श्रमण यह जान कर कि साथी श्रमण ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया है; उसके भंडोपकरण (वस्त्र, पात्र, रजोहरण आदि) ले कर अपने आचार्य या गुरु के निकट आते हैं और उन भंडोपकरणों को उनके समक्ष रख कर संल्लेखनाप्राप्त श्रमण की मृत्यु की सूचना देते हैं ।^१

मरणोत्तर विधान—पूर्वोक्त प्रकार से समाधिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त श्रमण नियम से अनुत्तरविमान नामक स्वर्ग में देवपद को प्राप्त करता है और अंत वह निर्वाणपद भी प्राप्त कर लेता है ।

अनुत्तरोपपातिकदशाग में ऐसे अनेक श्रमणों का वर्णन है, जिन्होंने संल्लेखनापूर्वक मृत्यु का आलिगन किया, अनुत्तरविमानों में देवपद को प्राप्त किया और अन्त में सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हुए । मेघकुमार श्रमण ने संल्लेखनापूर्वक मृत्यु को प्राप्त कर विजय महाविमान में देवत्व प्राप्त किया और वहाँ पर ३३ सागरोपम की आयु भोग कर वहाँ से च्युत हो कर महाविदेह में उत्पन्न हो कर सिद्धत्व प्राप्त किया ।^२ जालिकुमार १६ वर्ष तक श्रामण्यपर्याय का पालन कर अन्त में संल्लेखनापूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुए और उन्होंने विजयविमान में देवपद को प्राप्त किया । भ० महावीर ने कहा था कि—“श्रमण जालिकुमार महाविदेह क्षेत्र में जन्म ले कर सिद्धत्व प्राप्त करेगा ।”^३

१ नायाधम्मकहाओ, १, ३६, पृ० ४३-४६ ।

२. वही , १, ३७ पृ० ४६ ।

३ अनुत्तरोपपातिकदशाग, १ ।

श्रमण की जीवन-चर्या

भिक्षावृत्ति—भिक्षु क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्म, वृद्ध, बाल, वृद्ध, वृद्ध आदि किसी भी अनिन्दित व अगर्हित कुल में भिक्षाचर्या के लिए जा सकता है, किन्तु उसे चक्रवर्ती राजा, राजकर्मचारी तथा राजवंशियों के यहाँ भिक्षा ग्रहण करने न जाना चाहिए ।^१ जिस मार्ग में गड्ढे, टेकर, गड्ढे, खाई, कौट आदि हों तथा जहाँ भयंकर पशु विचरते हों; उस मार्ग से भिक्षावृत्ति को नहीं जाना चाहिए ।^२ भिक्षावृत्ति को जाते समय साधु को अपने वस्त्र, पात्र, रजोहरण आदि समस्त धर्मोपकरण साथ में ले जाना चाहिए ।^३ भिक्षा माँगने जाते समय साधु को गृहस्थ के घर का दरवाजा उसकी अनुमति के बिना तथा बिना देखे-भाले नहीं खोलना चाहिए । यदि किसी जगह भोज (संखडि) हो तो उस ओर साधु को चला कर भिक्षावृत्ति के लिए नहीं आना चाहिए ।^४

यदि दाता का हाथ या पात्र सूक्ष्म जीव, बीज या वनस्पति आदि सचित्त वस्तु से युक्त है तो उसके हाथ से या पात्र से भोजन नहीं लेना चाहिए ।^५ यदि धान्य, फल, फली आदि भोज्य वस्तु चाकू आदि से काटी हुई नहीं है तथा अग्नि द्वारा पूर्णरूप से पकाई हुई नहीं है, उसकी उगने की शक्ति पूर्णतया नष्ट नहीं हुई है; तो उसे सदोप समझ कर भिक्षु को ग्रहण नहीं करना चाहिए ।^६ भिक्षु आहार ग्रहण करने के बाद उसमें से अच्छा (स्वाद्विष्ट) आहार सेवन कर ले तथा खराब छोड़ दे, तो उससे दोष लगता है । अतः साधु को अच्छा-बुरा सब भोजन समभाव से स्वीकार कर लेना चाहिए ।

आहार-पानी के संबंध में भिक्षुओं के सात नियम हैं । ये नियम सप्तपिण्डपणाएँ तथा “सप्तपानपणाएँ” कहलाते हैं । वे इस प्रकार हैं—

- | | | |
|----|--------------|-------------------------------|
| ४ | आचाराग (हि०) | २, १, ११, २१, पृ० ६८ । |
| ५. | वही | २, १, २६, २७, ३१ पृ० ६८, ६९ । |
| १ | आचाराग (हि०) | २, १, १६, २०, पृ० ६९ । |
| २ | वही | २, १, १३, पृ० ७१ । |
| ३ | वही | २, १, १, पृ० ७३ । |
| ४ | वही | २, १, २, पृ० ७३ । |
| ५. | वही | २, १, ५२-५४ पृ० ७६ । |
| ६ | वही | २, १, ६३ पृ० ८१-८३ । |

१ भिक्षु, अलिप्त तथा सूखे हाथ अथवा पात्र से दिये हुए निर्जीव अचित्त(प्रासुक) आहार को स्वयं माँग कर या दूसरों के देने पर ग्रहण करे ।

२ भिक्षु, लिप्त हाथ अथवा पात्र से दिए हुए अचित्त आहार को ही ले ।

३. भिक्षु, शुद्ध तथा भरे हुए पात्र एवं हाथ से, हाथ में अथवा पात्र में दिया हुआ आहार ग्रहण करे ।

४ अचित्त पोहे, होले, धानी आदि जिसमें फेंकने का कम और खाने का अधिक निकलता हो तथा जिससे दाता को भी वर्तन धोने आदि का पश्चात्कर्म न करना पड़े हो, ऐसा ही आहार भिक्षु ग्रहण करे ।

५ जो अचित्त भोजन गृहस्थ ने स्वयं अपने खाने के लिए कटोरी, थाली आदि में परोस कर रखा हो, भिक्षु उसे ग्रहण करे ।

६ जिस निर्जीव भोजन को गृहस्थ ने अपने या दूसरे के लिए कड़खी आदि से निकाला हो, उसी का साधु स्वयं माँग कर अथवा दूसरे के देने पर ले ।

७ जो भोजन फेंकने योग्य हो, जिसको कोई दूसरा मनुष्य या जानवर न लेना चाहे, उस प्रासुक भोजन को साधु ग्रहण करे ।

निवास, मलमूत्रप्रक्षेप तथा शय्या—जैनागमों में साधुओं के निवास मलमूत्रप्रक्षेप तथा शय्या आदि के विषय में अनेक प्रकार के नियम बतलाए गए हैं ।

निवास—भिक्षु को ऐसे आवास में नहीं ठहरना चाहिए, जो उसके निमित्त से बनाया गया हो, माँगा गया हो अथवा खरीदा गया हो ।^१ स्त्री, पशु और नपुंसक का जहाँ रात्रिनिवास हो, या गृहस्थका जहाँ प्रतिदिन भोजनादि का आरम्भ—समारम्भ होता हो, ऐसे मकान या कक्ष में उसे नहीं ठहरना चाहिए ।^२ उसे सराय, बगीचों के

१. आचाराग (हि०) २, २, ६४, पृ० ८५ ।

२. २, २, ६७, पृ० ८५, ८६ ।

विश्रामगृहो तथा मठो मे, जहाँ बार-बार साधु आते जाते रहते हैं, नहीं ठहरना चाहिए ।^१

भिक्षु को चाहिए कि वह अपने निवास के लिए जीव-जन्तु से रहित, एकान्त, तथा निर्वाध स्थान की गवेषणा करे ।

मलमूत्रप्रक्षेप—जीवजन्तु से युक्त, गीली, धूल वाली, कच्ची मिट्टी वाली जमीन पर तथा सचित्त शिला, ढेले, एवं कीड़े वाली लकड़ी पर मलमूत्र नहीं डालना चाहिए । जिस जमीन पर गृहस्थ ने मूग उड़द, तिल आदि बोए हो, वहाँ भी भिक्षु को मलमूत्र-परिष्ठापन नहीं करना चाहिए । आराम, उद्यान, वन, उपवन, देवमंदिर, सभागृह आदि मलमूत्र के लिए निषिद्ध स्थान हैं । भिक्षु को खुले बाड़े में या एकान्त जगह में जहाँ कोई देख न सके और जो स्थान जीवजन्तु से रहित हो, वहाँ किसी पात्र में मलमूत्र करके उसे खुले बाड़े अथवा जली भूमि पर या किसी निर्जीव स्थान में सावधानी से डाल देना चाहिए ।^२

शय्या—भिक्षु, शय्यासंस्तारक (विछौने) के सम्बन्ध में निम्नोक्त चार नियमों को भलीभाँति जान कर इनमें से किसी एक को स्वीकार करे —^३

१ भिक्षु घास, तिनका, सूखी ढूँ, पराल, वाँस की खपचियाँ, पीपल आदि के पट्टे (फलक) में से किसी एक का निश्चय करके विछाने के लिए स्वयं याचना करे अथवा दूसरे दे तो उसे स्वीकार करले ।

२ ऊपर बताई गई वस्तुओं में से किसी एक का निश्चय करके, भिक्षु उसे गृहस्थ के घर देख कर विछाने के लिए माँगे अथवा दूसरो के देने पर ले ।

३ भिक्षु जिसके मकान में ठहरे; उसके यहाँ उपर्युक्त कोई वस्तु विछाने को हो तो वह माग ले अथवा गृहस्थ दे तो ले ले; अन्यथा उकड़ू या पल्हू आदि मार कर बैठा रहे और सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत कर दे ।

३ वही २, २, ७७, पृ० ८७ ।

१ आचाराग, २, १०, १६३-१६९, (हि०) पृ० ११८, ११९ ।

२ वही, २, २, १००-१०२, पृ० ६०, ६१ ।

४. भिक्षु जिसके यहाँ ठहरे, उसके मकान में पत्थर या लकड़ी की पट्टी पड़ी मिल जाए तो उस पर सो जाय ; अन्यथा उकड़ू या पल्हथी आदि मार कर बैठा रहे और सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत कर दे ।

गय्यासंस्तारक (विछौने) के लिए स्थान देखते समय साधु को आचार्य, उपाध्याय आदि तथा बालक, रोगी या अतिथि साधु आदि के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए । सोने के पहिले भिक्षु को मलमूत्र त्यागने के स्थान की अच्छी तरह देखभाल कर लेनी चाहिए । भिक्षु को आवश्यक है कि विछाने की वस्तुओं को काम में लेने के बाद वह उन वस्तुओं को सावधानी के साथ गृहस्थ को लौटा दे ।^१

वस्त्र—भिक्षु या भिक्षुणी को वस्त्र की आवश्यकता पड़ने पर वह ऊन, रेणम, सन, ताडपत्र, कपास या रेशे के बने हुए वस्त्र की याचना करे । जो भिक्षु बलवान तथा निरोग हो उसे एक ही वस्त्र ग्रहण करना चाहिए । भिक्षुणी चार वस्त्र ग्रहण कर सकती है—एक दो हाथ का, दो तीन हाथ के और एक चार हाथ का । इतनी लम्बाई वाले वस्त्र न मिले तो जोड़ कर बना लेना चाहिए ।

जो वस्त्र भिक्षु के निमित्त तैयार किया गया हो, खरीदा गया हो, अथवा माँगा गया हो उसे भिक्षु को ग्रहण नहीं करना चाहिए ।^२ गृहस्थ जिस वस्त्र को पहन चुका हो, जो वस्त्र फेक देने लायक हो अथवा जिसे कोई याचक भी स्वीकार न करे, ऐसा वस्त्र साधु को ग्रहण करना चाहिए ।^३

पात्र—भिक्षु को यदि पात्र की आवश्यकता हो तो वह तूँवा, लकड़ी, मिट्टी या इसी प्रकार का कोई पात्र माँगे । बलवान तथा निरोग भिक्षु एक ही पात्र ग्रहण करे । जो पात्र गृहस्थ काम में ले चुका हो अथवा जो फेक देने लायक हो, जिसे कोई याचक भी स्वीकार न करे ; ऐसा पात्र साधु को ग्रहण करना चाहिए ।^४

१. आचाराग, २, २, १०५-१०७ पृ० ६१, ६२ हि०)

२ वही २, ५ १४१-१४३, पृ० ६०५ „

३ वही २, ५, १४५ पृ० १०६ „

४ वही १, ६, १५२ पृ० १११ „

विहार—वर्षाऋतु प्रारम्भ होने पर भिक्षु को चाहिए कि वह गाँव-गाँव घूमना बन्द करके सयम के स्थान पर चातुर्मास (वर्षावास) करके रहे । वर्षाऋतु के बाद हेमन्तऋतु के भी दस-पाँच दिन व्यतीत हो जाने पर जब मार्ग में जीव-जन्तु तथा घास कम हो जाए तथा लोगों का आना-जाना प्रारम्भ हो जाए तब भिक्षु सावधानी से विहार करे ।^१

भिक्षु को चलते समय अपने समक्ष चार हाथ जमीन पर दृष्टि रखकर जीव-जन्तु को बचाते हुए चलना चाहिए । जाते समय यदि साथ में आचार्य, उपाध्याय या अपने से अधिक गुणसम्पन्न साधु हो तो भिक्षु को चाहिए कि वह इस प्रकार चले कि उनके हाथ पैर से अपना हाथ पैर न टकराए ।^२

मार्ग में हिसक पशुओं को देख कर उनसे डर कर भिक्षु को मार्ग छोड़कर वन, झाड़ी आदि दुर्गम स्थानों में न घुसना, न पेड़ पर चढ़ना, न पानी में कूदना और न किसी प्रकार के हथियार आदि की शरण लेना चाहिए; किन्तु थोड़ा-सा भी विचलित हुए बिना संयमपूर्वक चलते रहना चाहिए । यदि मार्ग में लुटेरों का भुँड मिल जाए और वे वस्त्रादि छीन ले तो उन्हें नमस्कार, प्रार्थना आदि करके वस्तुएँ वापिस नहीं माँगना चाहिए; किन्तु उपेक्षाभाव धारण कर लेना चाहिए ।^३

यदि एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय मार्ग में कमर तक पानी पार करना पड़े तो पहिले सिर से पैर तक शरीर को साफ कर निर्जीव कर ले फिर एक पैर पानी में, और दूसरा पैर जमीन पर रख कर सावधानी से अपने हाथ-पैर एक दूसरे से न टकरावे, इस प्रकार जल को पार करे ।^४

१. आचाराग (हि०) २, ३, १११-११३, पृ० ६४, ६५ ।

२. वही २, ३, ११४, १२८, पृ० ९५ ।

३. वही २, ३, १३१, पृ० ६७, ६८ ।

४. वही २, ३, ११८, पृ० ६६ ।

श्रमण-जीवन की विचारधारा

शुद्ध आत्मतत्त्व की प्राप्ति चरम लक्ष्य है—श्रमण-जीवन का एक मात्र उद्देश्य अपनी आत्मा की सर्वोच्च उन्नति करना है, अतः श्रमण सर्वदा आत्मा का चिन्तन करता रहता है। अंगशास्त्र में जहाँ कहीं भी श्रमण-जीवन का वर्णन है वहाँ यह अवश्य लिखा है कि, “वह आत्मा का विचार करता हुआ विहार करने लगा।”^१

आत्म-तत्त्व की उन्नति के लिए श्रमण को उसकी विकृत एवं प्रकृत दोनों अवस्थाओं पर विचार करना पड़ता है। आत्मा क्रोधादि कपायोसे अभिभूत होने के कारण विकृत होता है। ऐसा विकृत आत्मा शत्रु के समान माना गया है। महावीर ने कहा था कि, “हे बन्धु, अपने साथ ही युद्ध कर, बाह्य युद्ध करने से क्या लाभ होगा ?”^२ जो श्रमण आत्मा की इस विकृति पर संयम एवं तप के द्वारा पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है, उसका आत्मा उसका मित्र हो जाता है। आचाराग में कहा गया है कि, “हे पुरुष तू ही तेरा मित्र है, बाहर के मित्र को क्यों ढूँढ़ता है ?”^३ तू अपनी आत्मा को निग्रह में रख और इस प्रकार तू दुःख से मुक्त हो जावेगा।^४

अहिंसा चरमलक्ष्य की प्राप्ति का साधन है—यदि वास्तव में देखा जाए तो श्रमण-जीवन एक अहिंसा का जीवन है। श्रमण की प्रत्येक क्रिया तथा विचार अहिंसा की भावना से ओत-प्रोत रहता है। श्रमण के पचमहाव्रतों में प्रथम स्थान अहिंसा का है। सत्य और अचौर्य में अहिंसा की ही भावना व्याप्त है। ब्रह्मचर्य एवं परिग्रह-त्याग इसी के ही रूप हैं। अहिंसा की पूर्ण साधना के लिए श्रमण अनगार व्रतता है।^५ महावीर ने कहा था कि, “मनुष्य दूसरे जीवों के प्रति असावधान न रहे,

१. “अप्पाण भावेमाणे विहरइ” नायाधम्मकहाओ, १, ४, १, ३२, १, ३५।

२. आचाराग (हि०) १, ५, १५४, पृ० ३३।

३. तुलना, “आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन”, गीता ६, ५।

४. आचाराग, (हि०) १, ३, ११७, ११८, पृ० २३।

५. “विविध कर्मरूपी हिंसा की प्रवृत्तियाँ मैं नहीं करूँ, इस भाव से उद्यत हुआ, बुद्धिमान अनगार कहा है।” आचाराग (हि०) १, १, ३६, ६१ पृ० ८।

जो दूसरो के प्रति असावधान रहता है, वह अपनी आत्मा के प्रति असावधान रहता है। जो अपनी आत्मा के प्रति असावधान रहता है, वह दूसरे जीवों के प्रति असावधान रहता है।”^१

अप्रमाद अहिंसा की आधारशिला है—किसी को जीवनविमुक्त कर देना अथवा कष्ट देना ही हिंसा नहीं है। हिंसा का आधार तो हिंसा की भावना है। प्राणिहिंसा होने पर भी मन की पवित्रता से व्यक्ति अहिंसक हो सकता है और प्राणिहिंसा न होने पर भी यदि हृदय में प्राणी की रक्षा के भाव नहीं हैं तो अप्रमाद के कारण व्यक्ति हिंसक माना जायेगा। आलस्य के कारण हृदय में प्राणी की रक्षा के भाव तथा रक्षारूप प्रवृत्ति न होना प्रमाद है। आचारांग में कहा है कि, “प्रमाद और उसके कारण कामादि में आसक्ति हिंसा है।”^२

श्रमण हमेशा इस बात का विचार करता रहता है कि वह एक क्षण के लिए भी प्रमत्त न हो। प्रमाद को कर्म तथा अप्रमाद को अकर्म कहा गया है।^३ महावीर ने बार बार कहा है कि, “श्रमण को थोड़ा-सा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए।”^४ प्रमाद को दृष्टि में रखकर ही श्रमण के दो भेद किए गए हैं : १. प्रमत्तसंयत, तथा २. अप्रमत्तसंयत। प्रमादी श्रमण प्रथम कोटि में तथा अप्रमादी श्रमण द्वितीय कोटि में आता है।^५ प्रमादी मनुष्य सर्वदा भयग्रस्त रहता है और अप्रमादी निर्भय हो कर विचरण करता है।^६

शरीर तथा कामभोगों में आसक्ति संसार का कारण है—श्रमण जब तक शरीर तथा इन्द्रिय के विषयों में मूर्च्छित रहेगा, वह कभी

१. आचारांग (हि०) १, १, २२, पृ० ८।

२. वही १, १, ३४, ३५, पृ० ८।

३. सूत्रकृतांग (हि०) २, ३, पृ० १३७।

४. आचारांग (हि०) १, २, ८४, १, १, ८०, ९५ पृ० १४।

५. समवायांग, १४।

६. आचारांग (हि०) १, १, १२३, पृ० २४।

अप्रमत्त नहीं हो सकेगा। संसार में कामनाओं का पार नहीं है। कामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा, चलनी में पानी भरने के समान व्यर्थ है। कामनाओं को पूर्ण करने के लिए दूसरे प्राणियों का वध आदि करना पड़ता है।^१ मनुष्य इन वासनाओं के कारण ही बार-बार गर्भ (जन्म) प्राप्त करते हैं। भोग से तृष्णा कभी शांत नहीं होती; ऐसा समझ कर भिक्षु को इनकी इच्छा छोड़ देनी चाहिए।^२ अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए श्रमण एक ओर तो सांसारिक विषय-सुखों से दूर रहने का चिन्तन करता रहता है और दूसरी ओर वह हमेशा शरीर से निःस्पृहता की भावना जागृत करता है।

संसार अनित्य एवं अशरण है—श्रमण इस बात का सदैव ध्यान करता है कि संसार क्षणभंगुर एवं हेय है। “मनुष्य का जीवन अत्यल्प है और इसे संसार में कहीं भी शरण नहीं है। जब मनुष्य मृत्यु से घिर जाता है, आँख कान आदि इन्द्रियों की शक्ति कम हो जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, जीवन और जवानी पानी की तरह बहने लगता है, तब कुटुम्बीजन उसका तिरस्कार करने लगते हैं। उस समय माता-पिता तथा प्रियजन कोई भी उसे मृत्यु के मुख से नहीं बचा सकते।^३ यही सोच कर महावीर ने कहा था कि, “हे धीर पुरुष, तू संसारवृक्ष के मूल और डालियों को तोड़ फेंक। इस संसार का वास्तविक (अनित्य-रूप) स्वरूप समझ कर आत्मदर्शी बन।”^४

शरीर अपवित्र एवं उपेक्षणीय है—संसार के प्रति विरागता को दृढ़ करने के लिए श्रमण शरीर की अशुचितारूप वास्तविकता पर भी विचार करता है। “यह शरीर जैसा (अपवित्र) भीतर है, वैसा ही बाहर है और जैसा बाहर है, वैसा ही भीतर है। पंडित मनुष्य, शरीर

१. आचारांग (हि०) १, ३, १०८, १०९, पृ० २०।

२. आचारांग (हि०), १, २, ८४, ८५, १।

३. वही १, २, ६३, ६५, पृ० ११।

४. वही १, ३, १११।

के भीतर दुर्गन्ध से भरे हुए भागों को जानता है और शरीर के मल निकलने वाले भागों के स्वरूप को भी समझता है । बुद्धिमान इसको ठीक तरह समझ कर निकली हुई लार को चाटने वाले बालक की तरह त्यागे हुए भोगों में फिर लिप्त नहीं होता ।”^१



सप्तम अध्याय

ब्राह्मण तथा श्रमण-संस्कृति

संस्कृति

संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मानवता की भलाई है। संसार में भारतीय संस्कृति, योरोपीय संस्कृति आदि जिन-जिन विभिन्न संस्कृतियों के नाम मुने जाते हैं, उन सब में हम उन प्रयत्नों का समावेश पाते हैं, जो समय-समय पर मानव-व्यक्तित्व के विकास की दिशा में किए गए। इस दृष्टिकोण से संसार में केवल एक ही संस्कृति है और वह है मानव-संस्कृति।

यह मानव-संस्कृति भौगोलिक दृष्टिकोण से अनेक संस्कृतियों में विभाजित हो जाती है। हमारे भारतदेश की वह आचार-विचार-परम्परा, जिसने शताब्दियों पूर्व से मानव को ऐहलौकिक सुख-शान्ति के साथ पारलौकिक-समृद्धि का भी मार्ग प्रदर्शित किया; वह “भारतीय संस्कृति” अथवा आर्य-संस्कृति” कहलाती है।

आर्यसंस्कृति में मानव-व्यक्तित्व के विकास की दो प्राचीन परम्पराएँ मुख्य हैं—१ ब्राह्मण-परम्परा तथा २ श्रमण-परम्परा। इन्हे हम क्रमशः ब्राह्मण-संस्कृति तथा श्रमण-संस्कृति के नाम से सम्बोधित करेंगे।

ब्राह्मण-संस्कृति

ब्राह्मण-संस्कृति मूल में ‘ब्रह्मन्’ के आसपास प्रारंभ और विकसित हुई है। ब्रह्मन् के अनेक अर्थों में से प्राचीन दो अर्थ इस जगह ध्यान देने योग्य हैं १—प्रार्थना (स्तुति) तथा २ यज्ञयागादिकर्म। वैदिक-मंत्रों

एवं सूक्तों के द्वारा जो नानाविध स्तुतियाँ और प्रार्थनाएँ की जाती हैं; वे ब्रह्मन् कहलाती हैं। इसी तरह वैदिक-मंत्रों द्वारा साध्य यज्ञ-यागादि कर्म भी ब्रह्मन् कहलाता है। वैदिक-मंत्रों के सूत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित वर्ग और यज्ञयागादि कराने वाला पुरोहितवर्ग ही ब्राह्मण हैं।

ब्राह्मण-संस्कृति का मूल आधार वेद है। अतः यह वैदिक-संस्कृति के नाम से भी कही जाती है। वेद के प्रधानतया दो विभाग हैं—संहिता और ब्राह्मण। मंत्रों के समुदायों का नाम संहिता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में इन्हीं मंत्रों को विस्तृत व्याख्या है। ब्राह्मण के तीन खंड हैं—१. ब्राह्मण २ आरण्यक, और ३ उपनिषद्। अतः वेदों से चार प्रकार के ग्रन्थों का बोध होता है—१ वेद २ ब्राह्मण, ३ आरण्यक तथा ४. उपनिषद्।^१

श्रमण-संस्कृति

श्रमण-संस्कृति का आधारभूत शब्द “समण” है। समण शब्द प्राकृत का है, उसके संस्कृत-रूप तीन होते हैं—१ श्रमण, २. समन, ३. शमन। श्रमण संस्कृति का रहस्य इन्हीं तीनों शब्दों में अन्तर्हित है। श्रमण शब्द “श्रम” धातु से बना है, जिसका अर्थ है—तप और श्रम करना। “समन” का अर्थ है—समता का भाव,^२ तथा “शमन” का अर्थ है—अपनी वृत्तियों को शान्त रखना। महात्मा बुद्ध ने “श्रमण” का अर्थ किया है, “पापों को शमन करने वाला”^३। इस प्रकार तप व श्रम, समानता तथा शान्ति ये तीन तत्त्व श्रमण-संस्कृति की आधारशिला हैं।

अभी जैनधर्म के नाम से जो आचार-विचार पहिचाना जाता है; वह भगवान् पार्श्वनाथ के समय में विशेषकर महावीर के समय में निर्गण्ठधम्म (निर्गं थधर्म) नाम से पहिचाना जाता था, परन्तु वह श्रमण-धर्म भी कहलाता था। अन्तर केवल इतना है कि एकमात्र जैन-धर्म ही श्रमणधर्म नहीं है। श्रमणधर्म की और भी अनेक शाखाएँ भूत-

१ संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १८।

२ उत्तराध्यायन, २५, ३२।

३. धम्मपद, धम्मट्ठवग्ग, ६, ६०।

काल में थी।^१ और अब भी बौद्धधर्म के नाम से एक शाखा जीवित है। अतः हम साधारणतः श्रमण-संस्कृति को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—१. जैन-संस्कृति, और २. बौद्धसंस्कृति।

जैन-संस्कृति—जिस संस्कृति को हम जैन-संस्कृति के नाम से पहि-
चानते हैं, उस के सर्वप्रथम आविर्भाविक कौन थे, और उनसे वह पहले-
पहल किस रूप से उद्भूत हुई ? इसका पूरा-पूरा सही वर्णन करना इति-
हास की सीमा के बाहर है। फिर भी आजकल जो शोध हुई है उसके
आधार पर हम कह सकते हैं कि जैन-संस्कृति के प्रथम प्रणेता भगवान्
ऋषभ तथा अंतिम उद्धारक महावीर थे। इस संस्कृति के सर्वमान्य
पुरुष “जिन” कहलाते हैं। “जिन” का अर्थ है—वे पुरुष, जिन्होंने चार
कर्मों पर विजय प्राप्त करके संसार की समस्त वस्तुओं को एक साथ
जानने वाला केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है। अतः “जिन” के नाम पर
इस संस्कृति का नाम जैन-संस्कृति है।

बौद्ध-संस्कृति—महात्मा गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन^३ थे।
वे बौद्ध-परम्परा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस धर्म की नींव आज से
लगभग २५०० वर्ष पूर्व पड़ी थी। बुद्ध ने तत्कालीन परिस्थितियों से ऊब
कर स्वतंत्ररूप से सोच-विचार करना प्रारम्भ किया। उन्होंने बोधि-वृक्ष
के नीचे ध्यानमग्न हो कर निश्चित किया कि तप और यज्ञों से मनुष्य
मुक्ति नहीं पा सकता, उसे मुक्ति पाने के लिए जीवन को शुद्ध बनाना
और अपनी इच्छाओं का निरोध करना होगा। महात्मा बुद्ध ने दुःख के
पूर्ण विनाश के लिए आष्टांगिक मार्ग बतलाया है, जिनमें दृष्टि, सकल्प,
वचन, कर्म, जीविका, प्रयत्न, स्मृति तथा समाधि की शुद्धि पर बल दिया
गया है।^४ बुद्ध ने अपने उपदेश उस समय की लोकभाषा “पाली” में
दिये, जिनका संग्रह “त्रिपिटक” के नाम से विख्यात है।^५ महात्मा-बुद्ध के
नाम पर इस संस्कृति का नाम बौद्ध-संस्कृति पड़ा।

१. भारतीय संस्कृति और अहिंसा, पृ० ४५।

२. कल्पसूत्र, ५, १२१, पृ० २६४।

३. भारतीय संस्कृति और अहिंसा, पृ० ४०।

४. दीर्घनिकाय, २, ९।

५. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३४६।

जैन तथा बौद्ध संस्कृति का अन्तर—महावीर और बुद्ध न केवल समकालीन ही थे, बल्कि वे बहुधा एक ही प्रदेश में विचरने वाले तथा समान और समकक्ष अनुयायियों को एक ही भाषा “प्राकृत” में उपदेश करते थे। दोनों के मुख्य उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं था। फिर भी महावीर-पोषित तथा बुद्ध-संचालित सम्प्रदायों में प्रारंभ से ही विशेष अंतर रहा है, जो ज्ञातव्य है। बौद्ध-सम्प्रदाय बुद्ध को ही आदर्शरूप से पूजता है तथा बुद्ध के ही उपदेशों का आदर करता है, जब कि जैन-सम्प्रदाय महावीर आदि चौबीस तीर्थंकर को इष्टदेव मान कर उन सभी के वचनों का आदर करता है। बौद्ध, चित्त-शुद्धि के लिए ध्यान और मानसिक संयम पर जितना बल देते हैं, उतना बल बाह्यतप और देहदमन पर नहीं।^१ जैन, ध्यान और मानसिक संयम के अतिरिक्त देहदमन पर भी अधिक बल देते रहे। बुद्ध का जीवन जितना लोगों में हिलने-मिलने वाला तथा उनके उपदेश जितने अधिक सीधे-सादे लोकसेवागामी हैं, वैसा महावीर का जीवन और उपदेश नहीं। बौद्ध-अनगार की बाह्यचर्या उतनी नियंत्रित नहीं रही, जितनी जैन-अनगारों की रही। इसके अतिरिक्त और भी अनेक विशेषताएँ हैं, जिनके कारण बौद्ध-सम्प्रदाय भारत के समुद्र और पर्वतों की सीमा लाँघ कर उस पुराने समय में भी विभिन्न-भाषाभाषी, सम्य-असम्य अनेक जातियों में दूर-दूर तक फैला और करोड़ों अभारतीयों ने भी बौद्ध आचार-विचार को अपने-अपने ढंग से, अपनी-अपनी भाषा में उतारा व अपनाया जब कि जैन-सम्प्रदाय के संबन्ध में ऐसा नहीं हुआ।^२

ब्राह्मण तथा श्रमण संस्कृति का अन्तर

वैषम्य तथा साम्यदृष्टि—ब्राह्मण तथा श्रमण संस्कृतियों के मध्य छोटे-बड़े अनेक विषयों में मौलिक अंतर है। पर उस अंतर को संक्षेप

१. “भिक्षुओं, इन अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए—१ काममुख में लिप्त होना २. शरीर पीडा में लगना।” सयुक्तनिकाय, ५५, २, १।

“शरीर को सताप देना जडता की निशानी है।” प्रमाणवार्तिक स्ववृत्ति, १, ३४२।

२. जैनसंस्कृति का हृदय, पृ० १०।

मे कहना हो तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि ब्राह्मण-संस्कृति वैषम्य पर प्रतिष्ठित है, जब कि श्रमण-परम्परा साम्य पर प्रतिष्ठित है। यह वैषम्य और साम्य तीन बातों में देखा जा सकता है १—समाज-विषयक २, साध्य-विषयक, ३ प्राणिजगत् के प्रति दृष्टि-विषयक।

समाजविषयक वैषम्य का अर्थ है—समाजरचना तथा धर्माधिकार में ब्राह्मण-वर्ण का जन्मसिद्ध श्रेष्ठत्व और इतर वर्णों का ब्राह्मण की अपेक्षा कनिष्ठत्व। ऋग्वेद में कहा है^१ कि ब्राह्मण “ब्रह्मा” के मुख से पैदा हुए जब कि शूद्र पैरों से। यही कारण है कि ब्राह्मण तथा शूद्र में उतना ही भेद व्यवहार में लाया गया, जितना भेद मुख और पैर में है। अन्य वर्णों के साथ भी आनुपातिक ढंग से विषमता का व्यवहार किया गया।

ब्राह्मण—धर्म का वास्तविक साध्य है—“अभ्युदय”, अर्थात् ऐहिक-समृद्धि, राज्य, पशु, पुत्रादि के नानाविध लाभ तथा इन्द्रपद, स्वर्गीयसुख आदि नानाविध पारलौकिक लाभ। अभ्युदय का साधन मुख्यतया यज्ञधर्म है। इस धर्म में पशु-पक्षी की बलि अनिवार्य मानी गई^२ है, और कहा गया है कि वेदविहित हिंसा धर्म का हेतु है। इस विधान में बलि किये जाने वाले निरपराध पशु-पक्षी आदि के प्रति स्पष्टतया आत्मसाम्य के अभाव की अर्थात् आत्म-वैषम्य की दृष्टि है।

श्रमणधर्म समाज में किसी भी वर्ण का जन्मसिद्ध श्रेष्ठत्व न मानकर गुणकृत तथा कर्मकृत श्रेष्ठत्व व कनिष्ठत्व मानता है।^४ इसलिए वह समाजरचना तथा धर्माधिकार में जन्मसिद्ध वर्णभेद का आदर न करके गुणकर्म के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था करता है। अतएव उसकी दृष्टि में सद्गुणी शूद्र भी दुर्गुणी ब्राह्मण आदि से श्रेष्ठ है और धार्मिक क्षेत्र में योग्यता के आधार पर प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) समानरूप से उच्चपद का अधिकारी है।^५

१ ऋग्वेद, १०, ६०, १२।

२. “अग्नीषोमीय पशुमालभेत” सांख्यकारिका टीका, ११, पृ० ५।

३ “कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होते हैं।” उत्तराध्ययन, २५, ३।

४. “चाण्डालकुलोत्पन्न, किन्तु उत्तमगुणी हरिकेशवल नामक एक जितेन्द्रिय भिक्षु हो गये हैं।” उत्तराध्ययन, १२, १,

श्रमणधर्म का अंतिम साध्य ब्राह्मण धर्म की तरह अभ्युदय न होकर निःश्रेयस् है। निःश्रेयस् का अर्थ है—ऐहिक तथा पारलौकिक नाना-विध लाभो का त्याग करने वाली ऐसी स्थिति, जिसमें पूर्ण साम्य प्रकट होता है। और कोई किसी से कम योग्य या अधिक योग्य नहीं रहने पाता। जीवजगत् के प्रति श्रमणधर्म की दृष्टि पूर्ण आत्म-साम्य की है। जिसमें न केवल पशु-पक्षी आदि जन्तुओं का ही समावेश होता है, अपितु वनस्पति जैसे अतिक्षुद्र जीववर्ग का भी समावेश होता है।^१ इसमें किसी भी देहधारी का किसी भी निमित्त से किया जाने वाला वध आत्मवध जैसा ही माना गया है।^२ निःश्रेयस् के साधनों में अहिंसा मुख्य है। किसी भी प्राणी का किसी भी प्रकार से हिंसा न करना समस्त प्राणियों को आत्मवत् समझना यही निःश्रेयस् का मुख्य साधन है। जिसमें अन्य सब साधनों का समावेश हो जाता है। यह साधनगत साम्यदृष्टि हिंसाप्रधान यज्ञयागादि कर्म की दृष्टि से विलकुल विरुद्ध है। इस तरह ब्राह्मण और श्रमणधर्म का वैषम्य और साम्यमूलक इतना विरोध है, कि जिससे दोनों धर्मों के बीच पद-पद पर संघर्ष की संभावना रही है, जो सहस्रो वर्षों के इतिहास में लिपिबद्ध है। यह पुराना विरोध ब्राह्मणकाल में भी था और बुद्ध एवं महावीर के समय में भी, तथा इसके बाद भी। इसी चिरंतन विरोध के प्रवाह को महाभाष्यकार पतंजलि ने अपनी वाणी में व्यक्त किया है। वैयाकरण पाणिनि ने सूत्र में शाश्वत विरोध का निदर्शन किया है, पतंजलि “शाश्वत”—जन्म-सिद्धविरोध वाले अहि-नकुल गो-व्याघ्र जैसे द्वन्द्वों के उदाहरण देते हुए साथ-साथ ब्राह्मण-श्रमण का भी उदाहरण देते हैं।^३ पतंजलि से अनेक शताब्दियों बाद होने वाले जैनाचार्य हेमचन्द्र

१ सभी प्राणियों को जीवन प्रिय है, सुख अच्छा लगता है, तथा दुःख प्रतिकूल है।” आचारांग, १, २, ३।

२. “जो मुनि वनस्पति की हिंसा को जानता है वह सच्चा कर्मज है।” आचारांग १, १, ४५-४७।

“जो अपना दुःख जानता है, वह बाहर का दुःख जानता है और जो बाहर का दुःख जानता है, वह अपना दुःख जानता है।” आचारांग १, १, ५५।

तुम वही हो, जिसे तुम मारना चाहते हो, पीड़ा देना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो आचारांग श्रु १

३ महाभाष्य २, ४, ६।

ने भी ब्राह्मण-श्रमण उदाहरण देकर पतञ्जलि के अनुभव की यथार्थता पर मुहर लगाई है।^१

परस्पर प्रभाव और समन्वय—ब्राह्मण और श्रमण-परम्परा परस्पर एक दूसरे के प्रभाव से विलकुल अछूती नहीं है। छोटी-मोटी अनेक बातों में एक का प्रभाव दूसरे पर न्यूनाधिक मात्रा में पड़ा हुआ देखा जाता है। उदाहरणार्थ, श्रमणधर्म की साम्यदृष्टिमूलक अहिंसा-भावना का ब्राह्मणपरम्परा पर क्रमशः इतना प्रभाव पड़ा कि जिससे यज्ञीय-हिंसा का समर्थन केवल पुरानी शास्त्रीय चर्चाओं का विषयमात्र रह गया और और व्यवहार में यज्ञीय-हिंसा लुप्त-सी हो गयी। अहिंसा व 'सर्वभूतहिते रत' सिद्धान्त का पूरा आग्रह रखने वाली साख्य, योग औपनिषद्, अवधूत आदि जिन परम्पराओं ने ब्राह्मण-परम्परा के प्राणभूत वेदविषयक प्रामाण्य और ब्राह्मणवर्ग के पुरोहित व गुरुपद का आत्यंतिक विरोध नहीं किया; वे परम्पराएँ क्रमशः ब्राह्मण धर्म के सर्वसंग्राहक क्षेत्र में एक या दूसरे रूप में मिल गई हैं। इसके विपरीत जैन, बौद्ध आदि जिन परम्पराओं ने वैदिकप्रामाण्य और ब्राह्मण वर्ग के गुरुपद के विरुद्ध आत्यंतिक आग्रह रक्खा, वे परम्पराएँ यद्यपि सदा के लिए ब्राह्मणधर्म से अलग ही रही हैं; फिर भी उनके शास्त्र एवं निवृत्तिधर्म पर ब्राह्मणपरम्परा की लोकसंग्राहक वृत्ति का एक या दूसरे रूप में प्रभाव अवश्य पड़ा है।^२

उभय संस्कृतियों की तुलना

मानवजीवन का उद्देश्य—वैदिक दृष्टिकोण से मानवजीवन का एकमात्र यही उद्देश्य माना गया कि मानव अपने जीवनकाल में अधिक से अधिक सुख या आनन्द प्राप्त करे और जीवन के पश्चात् उसे स्वर्ग अथवा मुक्ति की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम, मानवजीवन के दीर्घायु होने की आवश्यकता प्रतीत हुई। ऋषियों ने १०० वर्ष के कर्मठ जीवन की कल्पना की थी।^३ १०० वर्ष के जीवन में पूर्ण आनन्द की प्राप्ति के लिए आवश्यक था कि शरीर स्वस्थ रहे और

१ मिद्धहैमव्याकरण, ३, १, १४१।

२ जैनधर्म का प्राण, पृ० ४।

३. ऋषियों की वाणी है—“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् गतं समा。”

इन्द्रियाँ सशक्त रहे तभी तो जीवन में आनन्द की प्राप्ति सम्भव हो सकती है ।

बौद्ध दृष्टिकोण से मानवजीवन का एकमात्र उद्देश्य दुःख-विनाश माना गया । दुःख-विनाश बौद्ध के चार आर्यसत्यो में से एक है । बुद्ध का कहना था कि संसार में जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि दुःख है, यह बात सत्य है । दुःख का कारण तृष्णा (भोगों की अभिलाषा) है । तृष्णा के अत्यन्त निरोध से दुःख का नाश हो जाता है । और दुःख-नाश का उपाय आष्टांगिक मार्ग है ।^१ बुद्ध ने अपने जीवनकाल में अधिक से अधिक सुख या आनन्द की प्राप्ति की कल्पना नहीं की । उनका कहना था कि मानवजीवन के चरम लक्ष्य को पाने के लिए न तो काम-सुखों में लिप्त होने की आवश्यकता है और न ही शरीर को पीड़ा देने की । बुद्ध ने इन दोनों अतियों (पराकाष्ठाओं) के बीच का मार्ग जनता को समझाया । यही मार्ग मज्झिममार्ग (मध्यममार्ग) के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।^२

जैन-दृष्टिकोण से मानवजीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना माना गया ।^३ इस निर्वाण-प्राप्ति का उपाय अहिंसा है । मानव पूर्ण अहिंसक जीवन व्यतीत कर दुःखों से आत्यन्तिक अभाव रूप एवं अनन्त-ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तमुख एवं अनन्तशक्ति रूप निर्वाण को प्राप्त कर सकता है ।^४ यद्यपि सयम तथा तप अहिंसा के ही रूप हैं; किन्तु चरम लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सयम तथा तप की भी आवश्यकता दिवताने के लिए अहिंसा के साथ संयम तथा तप का भी निर्देश किया गया है । मन को स्थिर एवं शान्त रख कर शरीर से कष्ट सहन करना तप तथा इन्द्रियों का दमन कर छहकाय के जीवों की रक्षा करना सयम है ।^५

१. बौद्धदर्शन, “चार आर्यसत्य” पृ० २३ ।

२. बौद्ध संस्कृति, पृ० ७ ।

३. सूत्रकृताग, १, २, २, ३२ ।

४. सूत्रकृताग १, ११ ।

५. “अहिंसा, सयम एवं तप रूप धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है ।”
दशवैकालिक १, १ ।

संस्कार—ब्राह्मण संस्कृति में मानवव्यक्तित्व के विकास के लिए संस्कारों को अत्यधिक आवश्यक माना गया है। संस्कार का साधारण अर्थ है—किसी वस्तु को ऐसा रूप देना, जिसके द्वारा वह अधिक उपयोगी बन सके।^१ प्रत्येक संस्कार के समय प्रायः देवताओं के समक्ष शुद्ध, संस्कृत और उच्च भावी—जीवन की प्रतिज्ञा की जाती रही है; क्योंकि वैदिक पुरुषों की ऐसी धारणा थी कि किसी मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए देवताओं की सहायता लेना अपेक्षित है। जैनसंस्कृति में धार्मिक दृष्टि से संस्कारों की कोई महत्ता स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि संस्कारों का संबंध मुख्यतया शरीर में है और जैन संस्कृति शरीरनिरपेक्ष, आत्मसंस्कृति है।^२

यद्यपि जैनागम में अनेक जगह ऐसे प्रकरण उपलब्ध होते हैं, जो कि हमें “संसार” की ओर संकेत करते हैं, किन्तु उनका महत्व केवल सामाजिक है। धार्मिक नहीं।

ब्राह्मण,—धर्मशास्त्रों में संस्कारों की संख्या बहुमत से १६ मानी गई है—१ गर्भाधान, २ पुसवन, ३. सीमन्तोन्नयन, ४ विष्णुवलि, ५ जातकर्म, ६ नामकरण, ७ निष्क्रमण, ८ अन्नप्राशन, ९ चौल, १० उपनयन, ११—१४ चार वेदव्रत, १५ समावर्तन तथा १६ विवाह।^३

जातकर्म तक के पाँच संस्कार पुत्र के जन्म से सम्बन्ध रखते हैं। इन संस्कारों में गर्भस्थिति से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक विष्णु, त्वष्टा,

१ “संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्य. कस्य-चिद् अर्थस्य।” जैमिनीसूत्र, ३, १, ३, (शबरटीका)।

२ सूत्रकृतांग १, २, १, १४। “जैसे लेप वाली भित्ति लेप गिरा कर कृश कर दी जाती है, इसी तरह अनशनादि रूप के द्वारा शरीर को कृश करके अहिंसाधर्म का पालन करना चाहिए।”

३ गौतम (८, १४-२४) के अनुसार संस्कारों की संख्या ४० है, जिनमें प्रधान संस्कारों के अतिरिक्त ५ दैनिक महायज्ञ, ७ पाकयज्ञ, ७ हवि-यज्ञ, ७ सोमयज्ञों की गणना की गई है। वैखानस के अनुसार १८ शरीर संस्कार हैं। अगिरा ने संस्कारों की संख्या २५ बताई है। मनु, याज्ञवल्क्य और धर्मसूत्रकार विष्णु के अनुसार गर्भाधान से अन्त्येष्टि तक १६ संस्कार हैं।

प्रजापति, सरस्वती, अश्विनीद्वय आदि देवताओं की आराधना करके गर्भस्थ बालक के कल्याण तथा उसके पुत्ररूप में उत्पन्न होने की कामना की जाती थी।^१ दसवें या बारहवें दिन नामकरण संस्कार द्वारा पुत्र का नाम रखा जाता था। पौराणिकयुग में यह संस्कार शिशु के लगभग ६ माह का हो जाने पर होता था।^२ इसके बाद उत्पत्ति के चतुर्थमास में शिशु को चन्द्र-सूर्य के दर्शनार्थ घर से बाहर निकाल कर निष्क्रमण-संस्कार किया जाता था। छठे मास में शिशु को दही, मधु तथा घी चटा कर अन्नप्राशन-संस्कार किया जाता था। इसके बाद प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में केशकर्तन तथा चूडास्थापना द्वारा चौल-संस्कार होता था।

जैनसूत्रों में सबसे प्रथम संस्कार गर्भाधान माना गया है। इसके बाद द्वितीय संस्कार जातकर्म है, जो पुत्रोत्पत्ति के प्रथम दिन किया जाता था। गर्भकाल में भी माता-पिता द्वारा पुत्र की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी रखी जाती थी। ऐसा कहा गया है कि गर्भिणी को सावधानी से उठना बैठना, सोना तथा चलना चाहिए और उसे भोजन भी अत्यन्त स्वास्थ्यकर ग्रहण करना चाहिए।^३

जातकर्म—संस्कार में प्रथम दिन पुत्र की नाल काट कर पृथ्वी में गाड़ दी जाती थी। द्वितीय दिन “जागरिका” उत्सव मनाया जाता था, जिसमें रात्रिभर जाग कर लोग आनन्द मनाते थे। तृतीय दिन “चन्द्रसूर्यदर्शनिका” उत्सव होता था। जिसमें बहुत उल्लास के साथ नवोत्पन्न पुत्र को चन्द्र-सूर्य के दर्शन कराये जाते थे। इसके बाद लगातार ७ दिन तक हर्षोल्लास मनाया जाता था। ११ वे दिन “शुचिकर्म” (गृहशुद्धि) होता था और १२ वे दिन पिता सुन्दर वस्त्र एवं अलंकारों को धारण कर समस्त मित्र, कुटुम्बीजन, तथा निकटजनों को अपने घर पर बुलाता था। घर पर बहुत मात्रा में विशिष्ट भोजन तैयार किया जाता था और सभी आगन्तुक जनों को भोजनपान द्वारा संतुष्ट करके उनके समक्ष पुत्र का नामकरण संस्कार होता था।^४

१ ऋग्वेद, १०, १८४।

२ भागवत, १०, ८, ६।

३ नायावम्मकहाओ १, १६, तथा भगवती, ११, ११।

४ वही १, २०।

इसके बाद भी अनेक प्रकार के उत्सव मनाये जाते थे। बालक जब कुछ रेंगने लगता था, तब “परंगामण”, जब चलना प्रारम्भ करता था तब “पयचंकामण”, जब प्रथम बार अन्न ग्रहण करता था, तब “जेमामण” जब प्रथम बार स्पष्ट शब्दों का उच्चारण करता था, तब “पज्जपावण” और जब कान छेदे जाते थे, तब “कर्णवेध” संस्कार होता था। “वर्षग्रथि” (सवच्छरपडिलक्खण), केशकर्तन (चोलोपण), यज्ञोपवीत (उवनयण) तथा अक्षर ज्ञान (कलाग्रहण) संस्कारों का भी वर्णन जैन-गमों में यत्रतत्र बीज रूप में प्राप्त होता है। भगवतीसूत्र में सभी संस्कार “कौतुक” कहे गए हैं। अभयदेव ने कौतुक का अर्थ “रक्षा-विधानादि” किया है। इन उत्सवों के समय याग (पूजाविशेष) दाय (दान) आदि क्रियाओं के द्वारा पुत्र की रक्षा का विधान किया जाता था।^१

विद्यार्थी जीवन—ब्राह्मण-संस्कृति के अनुसार बालक का विद्यार्थी जीवन उपनयन-संस्कार से प्रारम्भ होता है।^२ इस संस्कार के पश्चात् उनका ब्रह्मचर्याश्रम-जीवन माना जाता है।

उपनयन-संस्कार में आचार्य विद्यार्थी के लिए “गायत्री” या “सावित्री” मन्त्र का शिक्षण आरम्भ करता था। अन्त में आचार्य ब्रह्मचारी की कटि में मेखला बांध कर और और दंड दे कर ब्रह्मचर्यव्रत का आदेश देता था, “तुम ब्रह्मचारी हो, जल पीओ, काम करो, सोओ मत, आचार्य के अधीन हो कर वेद का अध्ययन करो।”^३

उपनयन-संस्कार के बाद आचार्य और विद्यार्थी का वह सम्बन्ध स्थापित होता था, जिसके द्वारा विद्यार्थी लगभग १२ वर्षों तक वैदिक साहित्य तथा दर्शन का अध्ययन करता था।

अंगशास्त्र में भी उपनयन (उवनयण) संस्कार का वर्णन है। अभय देव ने उपनयन का अर्थ “कलाग्रहण” किया है। कला का अर्थ है—

१ भगवती, ११, ११, ४२६ पृ० ६६६, १०००, नायावम्मकहाओ १, २०, कल्पसूत्र, ५, १०२-१०८ ओवाइयसुत्त, ४०, पृ० १८५।

२ “उपनयन का मौलिक अर्थ है (आचार्य के द्वारा) कला-ग्रहण किया जाना।” पाणिनि, १, ३, ३६।

३ भारतीय संस्कृति का उत्थान, पृ० ४३, ४४।

विद्या, विद्याग्रहण के समय जो उत्सव मनाया जाता था, उसे उपनयन कहा गया है।^१ उपनयन के बाद माता-पिता अपने पुत्र को कलाचार्य (विद्यागुरु) के साथ भेज देते थे।

अध्ययन काल—वैदिक युग में ब्रह्मचर्याश्रम का प्रारम्भ १२ वर्ष की अवस्था में होता था।^२ उस युग में वेदों का अध्ययन ही प्रधान था। अतः १२ वर्ष की अवस्था से लेकर जब तक वेदों का अध्ययन चलता रहता था, तब तक विद्यार्थी पढ़ते रहते थे। साधारण रूप से १२ वर्ष का समय ब्रह्मचारी के लिए उचित माना गया है।^३

अगशास्त्र के अनुसार बालक का अध्ययन कुछ अधिक ८ वर्ष से प्रारम्भ होता था और जब तक वह कलाचार्य के निकट 'संपूर्ण' ७२ कलाओं का अथवा कुछ कलाओं का अध्ययन नहीं कर लेता था, तब तक अध्ययन करता रहता था।^४

बौद्ध-संस्कृति में कोई भी गृहस्थ अपने कुटुम्ब का परित्याग करके किसी अवस्था का होने पर भी बुद्ध, धर्म और सघ की शरण में जा कर विद्याध्ययन में लग सकता था।

ज्ञान की प्रतिष्ठा—व्यक्तित्व के विकास की दिशा में ज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। मानवजीवन की सफलता उसके ज्ञान की मात्रा पर अवलंबित होती है। शतपथ-ब्राह्मण में ज्ञान की प्रतिष्ठा को प्रमाणित करते हुए कहा गया है कि—“स्वाध्याय और प्रवचन से मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, वह स्वतंत्र बन जाता है, उसे नित्य धन प्राप्त होता है, वह सुख से सोता है, वह अपना परम चिकित्सक हो जाता है, वह इन्द्रियो पर संयम कर लेता है, उसकी प्रज्ञा बढ़ जाती है और उसे यश मिलता है।”^५

जैनागमों में भी ज्ञान की महिमा स्वीकार की गई है। शिष्य ने पूछा—“भंते ! ज्ञानसम्पन्नता से जीव को क्या लाभ है ?” गुरु ने कहा—

१. भगवती, सूत्र ११, ११, ४२६, पृ० ६६६, (अभयदेववृत्ति) ।

२. छान्दोग्य उपनिषद्, ६, १, १-२ ।

३. गोपथ ब्राह्मण, २, ५ ।

४. नायाधम्मकहाओ, १, २६, पृ० २१ ।

५. शतपथ ब्राह्मण, ११, ५, ७, १—५ ।

‘आयुष्मन्, ज्ञानसम्पन्न जीव समस्त पदार्थों को यथार्थरूप से जान सकता है। यथार्थरूप से जानने वाले जीव को इस चतुर्गतिमय संसाररूपी अटवी में कभी दुःखी नहीं होना पड़ता। जैसे धागे वाली सुई खोती नहीं है, वैसे ही ज्ञानी जीव संसार में पथभ्रष्ट नहीं होता और ज्ञान, चरित्र, तप तथा विनय के योग को प्राप्त होता है तथा स्वपरदर्शन को यथार्थ जान कर असत्यमार्ग में नहीं फँसता।’^१

जैनो तथा बौद्धों ने लौकिक विभूतियों को तिलाजलि दी और भिक्षु का जीवन अपना कर भी ज्ञान का अर्जन और वितरण किया। तत्कालीन समाज ने नतमस्तक हो कर उन महामनीषियों की पूजा की और अपना सर्वस्व उनके लिए समर्पित कर दिया। ऐसी परिस्थिति में विद्वानों को अनगार या अकिंचन होने पर भी यह प्रतीत न हुआ कि घर वाले अथवा स्वर्णजटित वस्त्र वाले उनसे अच्छे हैं। अवश्य ही उन विद्वानों का समाज पर यह प्रभाव पड़ कर रहा कि अनेक राजाओं और राजकुमारों ने अपने वैभव और ऐश्वर्य के पद को अंगीभारन करके जीवनभर ज्ञानमार्ग के पथिक रह कर सरल जीवन बिताया और अपने जीवन के द्वारा ज्ञान की महिमा को उज्ज्वल किया।^२

विद्या के अधिकारी—वैदिक काल में जिन विद्यार्थियों की अभिरुचि अध्ययन के प्रति होती थी, आचार्य प्रायः उन्हीं को अपनाते थे। जिन विद्यार्थियों की प्रतिभा ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होती थी, उन्हें फाल और हल या ताने-बाने के काम में लगाना पड़ता था।^३

जैनाचार्यों ने विद्यार्थी की योग्यता के लिए उसका आचार्यकुल में रहना, उत्साही, विद्याप्रेमी, मधुरभाषी तथा शुभकर्मा होना आवश्यक बतलाया है।^४ आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, गुरुजनों के हृदय से दूर रहने वाले शत्रु की तरह विरोधी तथा विवेकहीन शिष्य को ‘अविनीत’ कहा गया है।^५ इसके विपरीत जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन

१. उत्तराध्ययन, २६, ५६, पृ० ३४३।

२. वही २०, भगवती सूत्र, १२, २, १३, ६ अतगडदसाओ, ७।

३. छन्दोग्यउपनिषद्, ६, १, २।

४. उत्तराध्ययन, ११, १४।

५. वही १, ३।

करने वाला है, गुरु के निकट रहता, (अन्तेवासी) है, तथा अपने गुरु के के इंगित, मनोभाव तथा आकार का जानकार है, उसे “विनीत” कहा गया है ।^१

शिष्य को वाचाल, दुराचारी, क्रोधी, हंसी-मजाक करने वाला कठोर वचन कहने वाला, बिना पूछे उत्तर देने वाला, पूछने पर असत्य उत्तर देने वाला, गुरुजनों से वैर करने वाला नहीं होना चाहिए ।^२ उत्तराध्ययन सूत्र में शिष्य के लिए निम्नोक्त विधान बतलाया गया है—“गुरुजनों की पीठ के पास अथवा आगे-पीछे नहीं बैठना चाहिए जिससे अपने पैरों का उनके पैरों से स्पर्श हो । शय्या पर लेटे-लेटे तथा अपनी जगह पर बैठे-बैठे ही उन्हें प्रत्युत्तर न देना चाहिए । गुरुजनों के समक्ष पैर पर पैर चढ़ा कर, अथवा घुटने छाती से सटा कर तथा पैर फैला कर कभी नहीं बैठना चाहिए । यदि आचार्य बुलाएँ तो कभी भी मौन न रहना चाहिए । मुमुक्षु एवं गुरुकृपेच्छ शिष्य को तत्काल ही उनके पास जाकर उपस्थित होना चाहिए । जो आसन गुरु के आसन से ऊँचा न हो तथा जो शब्द न करता हो ऐसे स्थिर आसन पर शिष्य को बैठना चाहिए । आचार्य का कर्त्तव्य है कि ऐसे विनयी शिष्य को सूत्र, वचन और उनका भावार्थ, उसकी योग्यता के अनुसार समझाए ।^३

उत्तराध्ययन सूत्र में गुरु तथा शिष्य के संबन्ध पर भी प्रकाश डाला गया है “जैसे अच्छा घोड़ा चलाने में सारथी को आनन्द आता है, वैसे चतुर साधक को विद्यादान करने में गुरु को आनन्द प्राप्त होता है । जिस तरह अड़ियल टट्टू को चलाते-चलाते सारथी थक जाता है, वैसे ही मूर्ख शिष्य को शिक्षण देते देते गुरु भी हतोत्साह हो जाता है । पापदृष्टि वाला शिष्य कल्याणकारी विद्या प्राप्त करते हुए भी गुरु की चपतों और व भर्त्सनाओं को वध तथा आक्रोश (गाली) मानता है । साधुपुरुष तो यह समझ कर कि गुरु मुझ को अपना पुत्र, लघुभ्राता, अथवा स्वजन के समान मान कर ऐसा कर रहे हैं, गुरु की शिक्षा (दण्ड) को अपने लिए कल्याणकारी मानता है, किन्तु पापदृष्टि वाला शिष्य

१. उत्तराध्ययन, १, २ ।

२. वही १, ४, ६, १३, १४, १७, ।

३. वही १, १८-२३ ।

उस दशा में अपने को दास मान कर दुःखी होता है। कदाचित् आचार्य कुद्व हो जाय तो शिष्य अपने प्रेम से उन्हें प्रसन्न करे, हाथ जोड़ कर उनकी विनय करे तथा उनको विश्वास दिलाए कि वह भविष्य में वैसा अपराध कभी नहीं करेगा।^१

बौद्ध-संस्कृति में विद्यार्थी का सदाचारी होना आवश्यक गुण माना जाता था। तत्कालीन आचार्यों का विश्वास था कि दुष्ट स्वभाव का शिष्य बड़े जूते के समान है, जो खरीदे जाने पर भी पैर को काटता है। दुष्ट शिष्य आचार्य से जो ज्ञान ग्रहण करता है, उसी से उनकी जड़ काटता है।^२ भिक्षुओं को उच्चतर शिक्षण देने के लिए जो “उपसम्पदा” संस्कार होता था उसके पहिले ही संघ के सभी सदस्यों का मत लिया जाता था। यदि संघ पक्ष में नहीं होता था, तो उस भिक्षु की उपसंपदा नहीं हो सकती थी। तथागत बुद्ध ने नियम बनाया था कि ढोगी, ढीठ, मायावी या गृहस्थों की निन्दा करने वाले भिक्षुओं के लिए संघ में स्थान नहीं है। गौतम ने आदेश दिया कि गृहासक्त, पापेच्छु, पापसंकल्पी भिक्षु को बाहर निकाल दिया जाय।^३ संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं को छूत रोग से मुक्त होना, ऋणभार से मुक्त होना, राजा की सेवा में न होना, माता-पिता की स्वीकृति लेना, अवस्था में कम से कम २० वर्ष होना आदि आवश्यक गुरा थे।^४

शूद्रों का विद्याधिकार—वैदिक काल में आर्येतर जातियों के द्वारा आर्य भाषा और संस्कृति में निष्णान्त हो कर वैदिक मंत्रों की रचना करने का उल्लेख मिलता है शूद्रों के लिए वैदिक शिक्षा पर रोक प्रधानतः स्मृति-काल में लगी। उनके लिए सदा से ही पुराणों के अध्ययन की सुविधा थी। आश्वलायन गृह्यसूत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों जातियों के “समावर्तन” संस्कार के विधान दिए गए हैं।^५ जातककाल में ऐसे अनेक शूद्र और चाण्डाल हो चुके हैं, जो उच्चकोटि के दार्शनिक तथा

१. उत्तराध्ययन, १, ३७-४१।

२. उपानहजातक, २३१।

३. चुल्लवग्ग, ६, १, ४।

४. चुल्लवग्ग, १०, १७, २।

५. आश्वलायन गृह्यसूत्र, ३, ८।

विचारक थे ।^१ सुत्तनिपात के अनुसार मातंग नामक चाण्डाल तो इतना बड़ा आचार्य हो गया था कि उसके यहाँ अध्ययन करने के लिए अनेक उच्चवर्ण के लोग आते थे ।

जैन-संस्कृति में चाण्डालों तक का दार्शनिक शिक्षा पा कर महर्षि बनना संभव था । उत्तराध्ययन में हरिकेशवल नामक चाण्डाल की चर्चा आती है, जो स्वयं ऋषि बन गया था और सभी गुणों से अलंकृत हुआ ।^२ जैनशास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ण-व्यवस्था जन्मगत नहीं किन्तु कर्मगत है । “कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है तथा कर्म से शूद्र होता है ।”^३

बौद्ध संस्कृति में भी ज्ञान के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करने का मार्ग सबके लिए समान रूप से खोल दिया गया था । एक बार संघ में प्रवेश पा जाने पर ज्ञान पाने की दिशा में अपनी शूद्रजाति के कारण किसी प्रकार की बाधा नहीं रह जाती थी । गौतम के जीवनकाल में ही शूद्रवर्ग के असंख्य व्यक्ति उनके शिष्य बन चुके थे ।^४

विद्यालय—वैदिक काल में प्रायः प्रत्येक विद्वान् गृहस्थ का घर विद्यालय होता था ।^५ क्योंकि गृहस्थ के पाँच यज्ञों में ब्रह्मयज्ञ की पूर्ति के लिए गृहस्थ को अध्यापन-कार्य करना आवश्यक था ।^६ जिन वनी, पर्वतों और उपनद-प्रदेशों को लोगो ने स्वास्थ्य-संवर्धन के लिए उपयोगी माना वे स्थान आचार्यों ने अपने आश्रम और विद्यालयों के उपयोग के लिए चुने । महाभारत में कण्व, व्यास, भारद्वाज, और परशुराम आदि के आश्रमों के वर्णन मिलते हैं ।^७ रामायण-कालीन चित्रकूट में वाल्मीकि का आश्रम था ।^८

१. सेतुजातक, ३७७ ।

२. उत्तराध्ययन, १२, १ ।

३. वही २५, ३३ ।

४. चुल्लवग्ग, ६, १, ४, महावग्ग, ६, ३७, १ ।

५. छान्दोग्य उपनिषद्, ८, १५, १, ४, ६, १ तथा २, २३, १ ।

६. अध्यापन ब्रह्मयज्ञ. मनुस्मृति, ३, ७० ।

७. आदिपर्व, ७० ।

८. रामायण, २, ५६, १६ ।

जैन-संस्कृति की आचार्य-परम्परा तीर्थ'करो में आरम्भ होती है। तीर्थ'कर प्रायः अनगर होते थे। अन्तिम तीर्थ'कर महावीर का निग्रन्थ होना प्रसिद्ध है। ऐसे तीर्थ'करो की पाठशाला का भवनो में होना संभव नहीं था। उनके शिष्य-संघ आचार्यों के साथ ही देशदेणान्तर में पर्यटन करते थे। महावीर के जो ११ गणधर (शिष्य) थे, वे सब आचार्य थे। उनमें इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, आर्यव्यक्त तथा सुधर्मा के प्रत्येक के ५०० शिष्य थे; मंडितपुत्र तथा मौर्यपुत्र के प्रत्येक के ३५० शिष्य थे। और अकम्पित, अचलभ्राता, मेतार्य तथा प्रमास के प्रत्येक के ३०० शिष्य थे। ये भ्रमण करते हुए संयोगवश महावीर से मिले और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो कर अपने शिष्यों सहित उनके संघ में सम्मिलित हो गए।^१

जन-शनैः जैनमुनियो तथा आचार्यों के लिए भी गुफा-मन्दिर तथा तीर्थक्षेत्र के मन्दिर आदि बनने लगे। इसके बाद राजधानियाँ, तीर्थ-स्थान, आश्रम तथा मन्दिर शिक्षा के केन्द्र बने। राजा तथा जमींदार लोग विद्या के पोषक तथा संरक्षक थे। समृद्ध राज्यों की अनेक राजधानियाँ बड़े-बड़े विद्या-केन्द्रों के रूप में परिणत हुईं। जैनागमों में वर्णन है कि बनारस विद्या का केन्द्र था। शत्रुपुर का राजकुमार अगड-दत्त वहाँ विद्याध्ययन के लिए गया था। वह अपने आचार्य के आश्रम में रहा और अपना अध्ययन समाप्त कर घर लौटा। सावत्थी (श्रावस्ती) एक अन्य विद्या का केन्द्र था। पाटलिपुत्र भी विद्या का केन्द्र था। "अज्जरक्खिय" जब अपने नगर दशपुर में अपना अध्ययन न कर सका तो वह उच्च शिक्षा के लिए पाटलिपुत्र गया। 'प्रतिष्ठान, दक्षिण में विद्या का केन्द्र था।

साधुओं के निवासस्थान (वसति) तथा उपाश्रयों में भी विद्याध्ययन हुआ करता था। ऐसे स्थानों पर वे ही साधु अध्यापन के अधिकारी होते थे, जो उपाध्याय के समीप रहकर आगम का पूर्णरूप से अन्यास कर चुके होते थे।^२

बौद्ध-शिक्षण, विहारों में होता था। ये विहार नगरों के समीप ऊँचे भवनों के रूप में बनते थे। तत्कालीन अनेक राजाओं और धनी लोगों

१. कल्पमूत्र, "लिस्ट आफ स्थविराज, श्रमण भगवान् महावीर, पृ० २११-२२०।

२. ला० इन ए० इ०, पृ० १७३-१७४।

ने गौतमबुद्ध के समय से ही विहारों के बनवाने का उत्तरदायित्व लिया । ऐसी परिस्थिति में विहारों का राजप्रसाद के समकक्ष होना स्वाभाविक ही था । प्रारम्भ में विहार सादे होते थे पर धीरे-धीरे वे सुसंस्कृत बनने लगे ।

श्रावस्ती के “जेतवन” विहार का निर्माण अनार्थपिण्डक ने गौतम-बुद्ध के जीवनकाल में कराया था । इसमें १२० भवन और अनेक शालाएँ थी । उपदेश देने के लिए, समाधि लगाने के लिए तथा भोजन करने के लिए पृथक-पृथक शालाएँ निर्धारित थी । साथ ही स्नानागार, औषधालय, पुस्तकालय, अध्ययनकक्ष आदि बने हुए थे । पुस्तकालय में बौद्धधर्म की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य विचारधाराओं के ग्रन्थों का भी संग्रह किया गया था । उसमें अनेक जलाशय भी बनाए गए थे ।^१

अध्ययन के विषय—वैदिक-शिक्षण के आदिकाल से ही ऋग्वेद का अध्ययन और अध्यापन सर्वप्रथम रहा । वेद के अतिरिक्त वेदांग, शिक्षा कल्प, निरुक्त, छन्द, व्याकरण तथा ज्योतिष का महत्व भारतीय विद्यालयों में सदैव रहा है । इनका अध्ययन और अध्यापन वैदिक काल में ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होने लगा था । छान्दोग्य उपनिषद् में तत्कालीन अध्ययन के विषयों की एक सूची इस प्रकार मिलती है—“चारो वेद, इतिहास-पुराण, वेदों का वेद (व्याकरण), पित्र्य (श्राद्ध-यज्ञ), राशि (गणित), दैव (भौतिक-विधान), निधि (काल-ज्ञान), वाको—वाक्य (तर्क), एकायन (नीति), देव विद्या (शिल्प तथा कलाएँ) ।”

भगवतसूत्र (२१) तथा औपपातिक—दशासूत्र (३२ p. १७२) में अध्ययन के विषय निम्न प्रकार बतलाए गए हैं—छह वेद, छह वेदांग तथा छह उपांग ।

छह वेद इस प्रकार हैं—१ ऋग्वेद, २ यजुर्वेद, ३ सामवेद, ४ अथर्ववेद, ५ इतिहास (पुराण) तथा ६ निघटु ।

छह वेदांग इस प्रकार हैं—१. सखाण (गणित), २. सिक्खाकप्प (स्वरशास्त्र) ३. वागरण (व्याकरण) ४ छन्द, ५ निरुक्त (शब्दशास्त्र)

१ वाट्सं, ह्वेनसांग, भाग १, पृ० ३८५, ३८६ ।

२ छान्दोग्यउपनिषद्, ७, १, २ ।

तथा ६ जोइस (ज्योतिष)। छह उपागो में प्रायः वेदांगों में वर्णित विषयों का और अधिक विस्तारपूर्वक वर्णन था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन-संस्कृति में भी वेद का अध्ययन प्रारम्भ काल में होता रहा है। स्थानांग में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का उल्लेख है।^१

उत्तराध्ययन टीका में निम्नप्रकार १४ विद्यास्थान (अध्ययन के विषय) बताए गए हैं—चार वेद; छह वेदांग, मीमांसा, नाय (न्याय) पुराण तथा धम्मसत्थ (धर्मशास्त्र)।

स्थानांगमूत्र में नव प्रकार के पापधृतो का वर्णन है^२—

१ उप्पाय	(अपशकुन-विज्ञान)
२ निमित्त	(शकुन-विज्ञान)
३. मन्त	(उच्च-इन्द्रजाल विद्या)
४. आइक्खिय	(नीच-इन्द्रजाल विद्या)
५ तेगिच्छिय	(चिकित्सा-विज्ञान)
६. कला	(कला-विज्ञान)
७ आवरण	(गृह-निर्माण-विज्ञान)
८. अण्णाराण	(साहित्य-विज्ञान, काव्य नाटकादि)
९ मिच्छापवयरा	(असत्य-शास्त्र)

अंगशास्त्र में ७२ कलाओं का वर्णन मिलता है।^३ यद्यपि सभी छात्र इन समस्त कलाओं में निपुणता प्राप्त नहीं करते थे, फिर भी अपनी

१ स्थानांग, ३, ३, १८५, “जैन परम्परा के अनुसार वेद दो प्रकार के हैं—आर्यवेद तथा अनार्यवेद। आर्यवेदों की रचना भरत तथा अन्य आचार्यों ने की थी। इनमें तीर्थंकरों के यशोगान तथा श्रमण एवं उपासकों के कर्तव्यों का वर्णन था। बाद में सुलसा, याज्ञवल्क्य आदि ने अनार्यवेदों की रचना की।” आवश्यकचूणि २१५।

२ उत्तराध्ययन टीका, ३, पृ० ५६ (अ)।

३ स्थानांग, ९, ६७८।

४. नायावम्मकहाओ, १, २०, पृ० २१।

शक्ति के अनुसार इन कलाओं में दक्ष होना प्रत्येक छात्र का उद्देश्य होता था ।

ये ७२ कलाएँ निम्न प्रकार हैं—१ लेह (लेख), २. गणिय (गणित), ३ पोरेकव्व (कविता बनाना), ४ अज्जा (आर्यावृत्त का ज्ञान), ५. पहेलिया (पहेलियों का ज्ञान), ६ मागधिया (मागधी भाषा में कविता-निर्माण), ७ गाहा (गाथा वृत्त में कवितानिर्माण) ८ गीइय (गीतों का निर्माण), ९. सिलोय (श्लोको का निर्माण), १०. रुव (मूर्ति-निर्माण-कला) ११ नट्ट (नृत्य), १२ गीय (गायन), १३. वाइय (वादित्र), १४ सरगम (सरगम), १५ पोक्खरगय (ढोलवादन), १६ समताल (ताल का ज्ञान), १७. दगमट्ठिय (मृत्तिका विज्ञान), १८. जूय (द्युत), १९. जणवाय (विशेष प्रकार का द्यूत), २० पासय (अक्षद्यूत) २१. अट्ठावय (शतरंज), २२ सुत्तखेड (कठपुतली विज्ञान), २३. वत्थ (भौरे का खेल), २४ नालिका खेड (पासो का खेल), २५ अन्नविहि (भोजन विज्ञान), २६ पाणविहि (पानकविज्ञान), २७ वत्थविहि (वस्त्रविज्ञान), २८. विले वणविहि (विलेपन विज्ञान), २९ सयणविहि (शय्याविज्ञान), ३०. हिरण्यजुत्ति (चांदी के आभूषणों का विज्ञान), ३१ सुवण्णजुत्ति (सोने के आभूषणों का विज्ञान), ३२ चुण्णजुत्ति (चूर्णविज्ञान), ३३. आभरण विहि (आभरण-विज्ञान), ३४. तरुणी पडिकम्म (युवती-विज्ञान), ३५ पत्तच्छेज्ज (पत्र-छेद द्वारा आभूषणों के प्रकार बनाना), ३६ कडच्छेज्ज (मस्तक को सजाने का विज्ञान), ३७ इत्थिलक्खण (स्त्री लक्षण-विज्ञान), ३८ पुरिसलक्खण (पुरुषलक्षण-विज्ञान) ३९ हयलक्खण (अश्वलक्षणविज्ञान), ४० गयलक्खण (गजलक्षणविज्ञान), ४१ गोलक्खण (गो लक्षण विज्ञान), ४२ कुक्कडलक्खण (मुर्गी लक्षण) विज्ञान) ४३ छत्तलक्खण (छत्रलक्षणविज्ञान), ४४ दण्डलक्खण (दण्ड-लक्षणविज्ञान), ४५ असिलक्खण (असिलक्षणविज्ञान), ४६. मणिलक्खण- (मणिलक्षणविज्ञान), ४७ काकिणीलक्खण (काकिणी-रत्नलक्षण विज्ञान), ४८ सज्जणय (पक्षियों की बोली का विज्ञान), ४९ ५०. चार-पडिचार (गृहों के चलन तथा प्रतिचलन की विद्या), ५१. सुवण्णपाग (सुवर्ण बनाने की विद्या), ५२ हिरण्णपाग (चाँदी बनाने की विद्या), ५३. सज्जीव (नकली धातुओं को असली धातु में परिवर्तित करने की विद्या), ५४. निज्जीव (असली धातुओं को नकली धातु में परिवर्तित करने की विद्या), ५५. वत्थुविज्जा (गृहनिर्माणविज्ञान), ५६-५७ नगरमाण

-खंधारमाण (नगर तथा स्कन्धावारो को नापने की विद्या), ५८. जुद्ध (युद्धविज्ञान), ५९. निजुद्ध (मल्लविज्ञान), ६०. जुद्धातिजुद्ध (घोर युद्ध), ६१. दिट्ठिजुद्ध (दृष्टियुद्ध), ६२. मुट्ठिजुद्ध (मुष्टियुद्ध), ६३. बाहु युद्ध (बाहुयुद्ध), ६४. लयायुद्ध (मल्लयुद्ध), ६५. ईसत्थ (तीर विज्ञान), ६६. छरुप्पवाय (असिविज्ञान), ६७. धनुव्वेय (धनुर्वेद), ६८. वह (व्यूह विज्ञान), ६९. पडिवूह (प्रतिव्यूह विज्ञान), ७०. चक्कवूह (चक्रव्यूह विज्ञान), ७१. गरुलवूह (गरुडव्यूहविज्ञान), ७२. सगडवूह (शकटव्यूहविज्ञान)।

शिक्षण विधि—वैदिक काल में प्रारंभ से ही सूत्रों को कंठाग्र करने की रीति थी। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित की अभिव्यक्ति वाणी के साथ-साथ हाथ की गति से भी की जाती थी। वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करने के लिए तथा उनके पाठ में किसी प्रकार की त्रुटि न होने देने के लिए विविध प्रकार के पाठ होते थे। जैसे, संहितापाठ, पद-पाठ, क्रम-पाठ, जटापाठ तथा धनपाठ।

जैन-शिक्षणपद्धति का श्रेय महावीर को है। महावीर ने कहा था कि, “जैसे पक्षी अपने बच्चों को चुगादाना देते हैं, वैसे ही शिष्यों को नित्य दिन और रात शिक्षा गुरु को देनी चाहिए।”^१ यदि शिष्य संक्षेप में कुछ समझ नहीं पाता था तो आचार्य व्याख्या करके उसे समझाता था। आचार्य अर्थ का अनर्थ नहीं करते थे। वे अपने आचार्य से प्राप्त विद्या को यथावत् शिष्य को ग्रहण कराने में अपनी सफलता मानते थे। वे व्याख्यान देते समय व्यर्थ की बातें नहीं करते थे।^२

परवर्ती युग में शास्त्रों के पाठ करने की रीति का प्रचलन हुआ। विद्यार्थी शास्त्रों का पाठ करते समय शिक्षक से पूछ कर सूत्रों का ठीक-ठीक अर्थ समझ लेता था और इस प्रकार अपना संदेह दूर करता था। विद्यार्थी बार-बार आवृत्ति करके अपने पाठ को कंठस्थ कर लेता था। फिर वह पढ़े हुए पाठ का मनन और चिंतन करता था।^३ प्रश्न पूछने से पहिले विद्यार्थी आचार्य को हाथ जोड़ लेता था।^४

१. आचाराग, १, ६, ३, ३।

२. सूत्रकृताग, १, १४, २४-२७।

३. उत्तराव्ययन, २६, १८, तथा १, १३।

४. वही १, २२।

जैन शिक्षण की वैज्ञानिक शैली के पाँच अंग थे—१. वाचना (पढ़ना), २. पृच्छना (पूछना), ३ अनुप्रेक्षा (पढ़े हुए विषय का मनन करना), ४. आम्नाय—परियट्टणा (कण्ठस्थ करना और आवृत्ति करना) तथा ५. धर्मोपदेश ।^१

बौद्ध-शिक्षण-पद्धति का आदर्श स्वयं गौतमबुद्ध ने प्रतिष्ठित किया था । गौतम ने अपनी शिक्षण-पद्धति का विवेचन करते हुए स्वयं कहा है—“जिस प्रकार समुद्र की गहराई शनैः-शनैः बढ़ती है, सहसा नहीं, हे भिक्षुओ, उसी प्रकार धर्म की शिक्षा शनैः-शनैः होनी चाहिए । पद-पद चल कर ही अर्हत् बना जा सकता है ।^२ गौतम के शिक्षण में प्रासंगिक उपमा, दृष्टान्त, उदाहरण और कथा का समावेश होता था ।

अनुशासन—वैदिक युग में आचार्य विद्यार्थी को प्रथम दिन ही आदेश देता था कि, “अपना काम स्वयं करो, कर्मण्यता ही शक्ति है, अग्नि में समिधा डालो, अपने मन को अग्नि के समान ओजस्विता से समृद्ध करो, सोओ मत ।”^३

जैनशिक्षण में भिक्षुओ के लिए शारीरिक कष्ट को अतिशय महत्व दिया गया है । व्रतभंग के प्रसंग पर साधु को मरना ही श्रेयस्कर बताया गया है । जैनशिक्षण में शरीर की बाह्यशुद्धि को केवल व्यर्थ ही नहीं, अपितु अनर्थकर बताया गया है । शरीर का संस्कार करने वाले श्रमण “शरीरवकुश” (शिथिलाचारी) कहलाते थे ।^४ वैदिक पद्धति के अग्निहोत्र आदि की उपेक्षा भी जैनसंस्कृति में की गई है ।^५ परिवर्ती युग में विद्यार्थियों के लिए आचार्य की आज्ञा का पालन करना, डाट पड़ने पर भी चुपचाप सह लेना, भिक्षा में स्वादिष्ट भोजन न लेना आदि नियम बनाये गये । विद्यार्थी सूर्योदय से पहिले जाग कर अपनी वस्तुओ का निरीक्षण करते थे और गुरुजनो का अभिवादन करते थे । दिन के तीसरे पहर में वे भिक्षा माँगते थे, रात्रि के तीसरे पहर में वे

१. स्थानाग, ४६५ ।

२. चुल्लवग्ग, ६, १, ४ ।

३. शतपथब्राह्मण, ११, ५, ४, ५ ।

४. स्थानाग ४४५ तथा १५८ ।

५. सूत्रकृताग, १, ७ ।

सोते थे। विद्यार्थी भूल से किए गए अपराधों का प्रायश्चित्त भी करते थे।^१

जैनसंस्कृति के विद्यार्थी ऊन, रेशम, क्षौम, सन, ताडपत्र आदि के वने हुए वस्त्रों के लिए गृहस्थ से याचना करते थे। वे चमड़े के वस्त्र या बहुमूल्य रत्न या स्वर्णजटित अलंकृत वस्त्रों को ग्रहण नहीं करते थे। हट्टे-कट्टे विद्यार्थी केवल एक और भिक्षुणियाँ चार वस्त्र पहि-
नती थी।^२

शिक्षक का व्यक्तित्व—ऋग्वैदिक आचार्य, जिसके दिव्य प्रतीक अग्नि और इन्द्र हैं, तत्कालीन ज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से समाज में सर्वोच्च व्यक्ति थे। आचार्य विद्यार्थी को ज्ञानमय शरीर देता था।^३ वह स्वयं ब्रह्मचारी होता था और अपने ब्रह्मचर्य की उत्कृष्टता के बल पर असंख्य विद्यार्थियों को आकर्षित कर लेता था।^४

जैनशिक्षण के आचार्यों पर महावीर और उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की छाप रही है। वे अपना जीवन और शक्ति मानवता को सन्मार्ग दिखाने के प्रयत्न में ही लगा देते थे।^५

आचार्य के आदर्श व्यक्तित्व की जैनसंस्कृति में जो रूपरेखा आगे बनी वह इस प्रकार थी—“वह सत्य को नहीं छिपाता था और न उसका प्रतिवाद करता था। वह अभिमान नहीं करता था और न यश की कामना करता था। वह कभी भी अन्य धर्मों के आचार्यों की निन्दा नहीं करता था। सत्य भी कठोर होने पर उसके लिए त्याज्य था। वह सदैव सद्बिचारों का प्रतिपादन करता था। शिष्य को डाँट-डपट कर या अपशब्द कह कर वह काम नहीं लेता था। वह धर्म के रहस्य को पूर्णरूप

१ उत्तराध्ययन, २६।

२ आचाराग, २, ५, १, १।

३ अथर्ववेद, ११, ५, ३।

४ वही, ११, ५, १६।

५. आचाराग, १, ६, ५, २-४।

से जानता था। उसका जीवन तपोमय था। उसकी व्याख्यानशैली शुद्ध थी, वह कुशल विद्वान् और सभी धर्मों का पंडित होता था।^१

बौद्ध-शिक्षण में गौतम के व्यक्तित्व की सर्वोपरि महिमा थी। गौतम ने जो निजी आदर्श उपस्थित किया था, वह बौद्ध-शिक्षण के परवर्ती आचार्यों के लिए मार्ग-प्रदर्शक बन कर रहा। गौतम में अदम्य उत्साह था। उनमें कर्मण्यता की कल्पनातीत शक्ति थी और नई-नई विषम परिस्थितियों को सुलझाने के लिए प्रत्युत्पन्न बुद्धि और समाधान की क्षमता थी। सारे भारत के भिक्षु गौतम के समीप अपने संदेहों को मिटाने के लिए आते थे।^२

समावर्तन—वैदिककाल में अध्ययन समाप्त हो जाने पर कुछ विद्यार्थी आचार्य की अनुमति से घर लौट जाते थे। आश्रम छोड़ते समय आचार्य विद्यार्थी को कुछ ऐसा उपदेश—दीक्षान्त भाषण देता था, जो उसके भावी जीवन की प्रगति में सहायक होता था।

इस अवसर पर ब्रह्मचारी के शरीर का अलकरण किया जाता था। समावर्तन का अर्थ है, लौटना। इस संस्कार में ब्रह्मचारी का विधिपूर्वक स्नान होना था। इसी “स्नान” को महत्व देते हुए इस संस्कार को भी स्नान कहा गया है। समावर्तन-संबंधी स्नान कर लेने के बाद व्यक्ति ‘स्नातक, कहलाता था। विवाह के समय तक स्नातक पद की प्रतिष्ठा रहती थी और विवाह होते ही स्नातक गृहस्थ की उपाधि से अलकृत हो जाता था।^३

जैनसूत्रों में भी समावर्तन-संस्कार का वर्णन मिलता है। छात्र जब अध्ययन समाप्त करके घर वापिस आता था, तब अत्यन्त समारोह के साथ उसे स्वीकार किया जाता था। रक्षित जब पाटलिपुत्र से अध्ययन समाप्त करके घर वापिस आया तो उसका राजकीय सम्मान किया गया। सारा नगर पताकाओं तथा बंदनवारों से सुसज्जित किया गया।

१ सूत्रकृतांग, १, १४, १६-२७।

२ महावग्ग, ८, १३, ७।

३ “आजायासंगमात् स्नातको भवति, अत ऊर्ध्वं गृहस्थः।” बोधायनगृह्य सूत्र, परिभाषा, १, १५, १०।

रक्षित को हाथी पर बिठाया गया तथा लोगो ने उसका सत्कार किया। उसकी योग्यता पर प्रसन्न होकर लोगो ने उसे दास, पशु तथा स्वर्ण आदि द्रव्य दिया।^१

विवाह—वैदिक धारणा के अनुसार गार्हपत्य (गृहस्थ जीवन) के लिए पत्नी का होना अपेक्षित है। देवताओ की पूजा करने के लिए पति-पत्नी का सहयोग होना चाहिए।^२ स्नातको का विवाह साधारणतः उनकी योग्यता, विद्या और चरित्र के द्वारा उत्तम कुल की योग्य कन्याओ से अनायास ही हो जाता था। स्नातको के ब्रह्मज्ञान पर मुग्ध होकर कुछ उच्चकोटि के नागरिक अपनी कन्याएँ उन्हें दे देते थे। इस प्रकार की वैवाहिक योजना का नाम ब्रह्मविवाह था।^३

शतपथ ब्राह्मण में गृहस्थ के लिए ५ महायज्ञों का विधान है। गृहस्थ का कर्त्तव्य था कि वह नित्य उन यज्ञों का संपादन करे। पंच महायज्ञों में ब्रह्मयज्ञ सर्वप्रथम है। ब्रह्मयज्ञ में वेदों का स्वाध्याय प्रधान था। ब्रह्मयज्ञ के अतिरिक्त पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथियज्ञ का विधान है। पितृयज्ञ में पितरों की परितृप्ति के लिए “स्वधा” के साथ जल आदि समर्पित किया जाता था। देवयज्ञ में “स्वाहा” के साथ समिधा आदि से देवताओं का परितोष किया जाता था। भूतयज्ञ में प्राणियों की परितृप्ति के लिए नित्य बलि दी जाती थी। अतिथियज्ञ में अतिथि के लिए जल आदि प्रस्तुत करके उनका परितोष किया जाता था।^४

जैनसंस्कृति में प्रायः आरंभ से ही गृहस्थों के व्यक्तित्व के विकास की योजना सुव्यवस्थित विधि से प्रस्तुत की गई है।^५ साधारणतः जैन-गृहस्थ उन्हीं नियमों और व्रतों को अंशतः अपनाता था जिनको जैनश्रमण पूर्णरूप में अपनाते थे। अहिंसा, सत्य, अचौर्य,

१ उत्तराख्ययन टीका, २, पृ० २२ (अ)।

२ ऋग्वेद, १०, ४५, २४, ५, ३, २, ५, २८, ३।

३ गातिपर्ब, ७६, २।

४. शतपथ ब्राह्मण, ११, ५, ६, २।

५ उपासकदशाग में जैनगृहस्थों के व्यक्तित्व-विकास का निरूपण किया गया है।

ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का व्रत मुनि और गृहस्थ दोनों के लिए समान रूप से लेना पड़ता था। मुनि के लिए यह महाव्रत होता था और वे इसको सर्वत ग्रहण करते थे, पर गृहस्थ के लिए इनका सर्वत ग्रहण करना असंभव ही है। ऐसी परिस्थिति में उनका व्रत केवल आंशिक ही होता था। उनके आंशिक व्रत का नाम अशुव्रत था।

अणुव्रतो के साथ गृहस्थ को सात शिक्षाव्रत भी ग्रहण करना पड़ते थे, जिनके अनुसार वह जीवनपर्यन्त चारों दिशाओं में आने जाने का नियम, निष्प्रयोजन हिंसादि पापों का त्याग, सामायिक, उपवास, उपभोग की वस्तुओं का परिमाण निश्चित करना तथा अतिथिसंविभाग व्रत की प्रतिज्ञा करता था।^१ इन व्रतों में से सामायिक, पोषधोपवास और यथासंविभागव्रत क्रमशः वैदिक संस्कृति के ब्रह्मयज्ञ, व्रतोपवास और अतिथियज्ञ के समकक्ष हैं। गृहस्थ-जीवन का अतः सल्लेखना—विधि से होना चाहिए। इसके अनुसार शुद्ध मन हो कर, सभी विकारों से मुक्त हो कर और सभी लोगों से क्षमादान ले कर अपने समस्त पूर्वकृत पापों की आलोचना की जाती थी। अन्त में महाव्रतों को अपना कर शोक, भय, विषाद, अरति आदि से चित्त को विमुक्त कर भोजन, पेय का सर्वथा त्याग कर के समाधिमरण अपना लिया जाता था।^२

बौद्ध—संस्कृति में गृहस्थ भी बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण में जाते थे। उन्हें चार आर्यसत्त्यों का अभ्यास करना पड़ता था। गौतम स्वयं गृहस्थों का सम्मान करते थे। बौद्ध-भिक्षु गृहस्थों के उपकार से कृतज्ञ होते थे। फिर भी साधारणतः बौद्धाचार्यों का मत था कि यथाशीघ्र गृहस्थाश्रम को छोड़ देने में ही कल्याण है। जो नहीं छोड़ सकते हैं, वे भले ही गृहस्थ उपासक बने रहें। उपासक बनना व्यक्तित्व के विकास की सबसे पहली सीढ़ी मानी गई है। उपासक से आशा की जाती थी कि वह बौद्ध साधुओं की उत्कृष्टता देख कर स्वयं ही उनके समान बनने के लिए प्रव्रज्या ले ले।^३

१ नायाधम्मकहायो, १, ६०, पृ० ७४।

२ उपासकदशार्ग, १, ७, पृ० २१।

३ महावग्ग, ५, १३, ५, १।

तथागत बुद्ध के अनुसार यदि श्रद्धालु गृहस्थ में सत्य, धर्म, धृति और त्याग ये चार गुण हैं तो वह इस लोक तथा परलोक में शोक नहीं करता ।^१ गौतमबुद्ध के पश्चात् कालान्तर में बौद्धसंस्कृति की महायान शाखा प्रस्फुटित हुई। महायान के अनुसार गृहस्थ, जीवन के किसी क्षेत्र में क्यों न हो; प्रव्रज्या लिए बिना ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है; चाहे वह व्यापारी, शिल्पी, राजा, दास या चाण्डाल ही क्यों न हो। ऐसे को निर्वाण-प्राप्त कराने के साधन, दया, मैत्रीभावना, उदारता, त्याग, गृहस्थ आत्मबलिदान, बुद्ध और बोधिसत्वों की भक्ति आदि हैं ।^२

वानप्रस्थ तथा सन्यास—वैदिक संस्कृति में मनुष्य की उत्तर अवस्था में वानप्रस्थ तथा सन्यास इन दो आश्रमों का अत्यधिक महत्व रहा है। प्रारम्भिक युग में वानप्रस्थ तथा सन्यास, दोनों मुनिकोटि में रखे जाते थे। सूत्रकाल से इन दोनों का भेद सुनिश्चित हुआ है।

वानप्रस्थ नाम से ही प्रतीत होता है कि इस आश्रम के सम्बन्ध में आरंभिक युग से ही घर छोड़ कर वन की शरण लेने का विधान रहा होगा। मुनि, अग्नि वस्त्र धारण करते थे, सिर पर जटा रखते थे और उनके दात मँले होते थे। उनके मुख से कान्ति नहीं टपकती थी।^३ वानप्रस्थ मुनि को कभी गाँव में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वह वन के फल और मूल से अथवा प्राप्त की गई भिक्षा से, आए हुए अतिथियों की पूजा करता था और भिक्षुओं को भिक्षा देता था। नियम था कि वानप्रस्थ अपनी वाणी पर संयम रखे, किसी से स्पर्धा न करे, दूसरों के प्रति क्षमा तथा मैत्री-भाव बढ़ाए और सत्यपरायण बने। साधारणतः वानप्रस्थ मुनि केश, श्मश्रु बढ़ाते थे। नित्य समाहित होना वानप्रस्थ के लिए आवश्यक था।^४ वानप्रस्थवासी स्त्रियाँ भी वल्कल और अग्नि धारण करती थी। गाधारी और कुन्ती ने वानप्रस्थ व्रत अपनाया था।^५

१. मुत्तनिपात, आडवकमुत्त ।

२. महायान सूत्रालंकार, २, पृ० १६, तथा आगे ।

३. सेतुकेतुजातक, १७७ ।

४. आश्वमेधिक पर्व, ४६ वाँ अध्याय ।

५. आश्रमवासिक पर्व, १६, १५, २६, १२, १३ ।

सन्यास आश्रम में मनुष्य सर्वतन्त्र-स्वतंत्र हो कर महान् विचारक बनने का अवसर पाता था। सन्यास का विधान मानव को किसी एक स्थान, कुटुम्ब, ग्राम, देश, कुल, धर्म, व्यवसाय तथा पद को सकुचित सीमा से निकाल कर विशाल आध्यात्मिक क्षेत्र में लाने के लिए किया गया है। वानप्रस्थ—आश्रम के मनन, चिन्तन और तप साधारणतः ब्रह्मज्ञान के साधन हैं। ब्रह्मज्ञान हो जाने पर इन साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। साधना की अवधि समाप्त हो जाने पर मुनि की संन्यास अवस्था होती है। ऐसे ब्रह्मज्ञानियों का उल्लेख उपनिषद्-साहित्य में मिलता है; जो सम्भवतः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों में अपने व्यक्तित्व का विकास करके ब्रह्मसंस्थ हो चुके थे।^१

बौद्ध तथा जैन संस्कृतियों में यद्यपि गृहस्थ के लिए व्यक्तित्व विकास की योजना बनाई गई, पर गृहस्थाश्रम को कभी आवश्यक नहीं माना गया। दोनों संस्कृतियों के ग्रन्थों में गृहस्थाश्रम के दोषों की गणना प्रायः मिलती है। गौतम ने गृहस्थाश्रम का विवेचन करते हुए बताया है कि, “पुत्र और पशु में आसक्त मन वाले गृहस्थ को मृत्यु उसी प्रकार ले जाती है, जैसे सोये हुए गाव को बाढ़। ऐसी परिस्थितियों में पिता, पुत्र, भाई, बन्धु कोई नहीं बचा सकते। जब सत्य इस प्रकार है तो शीलवान् पंडित यथाशीघ्र निर्वाण की ओर ले जाने वाले मार्ग को अपने लिए खोज निकाले।” दार्शनिक तत्वों के आधार पर भी गौतम ने वैराग्य का कारण बतलाते हुए कहा है कि, “सभी संस्कार (बनी हुई वस्तुएँ) अनित्य और दुःखमय हैं। सभी धर्म (पदार्थ) अनात्म हैं। जब इन बातों को कोई व्यक्ति अपनी प्रज्ञा से देखता है तो उसे संसार से विराग होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है।”^२

जैन-संस्कृति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चराचर संपत्ति रखता है या उसके रखने की सम्मति देता है तो वह कभी मुक्त नहीं हो सकता।^३

१. छान्दोग्य उपनिषद्, २, २३, १, तथा मनुस्मृति, ६, ८१।

२. धम्मपद, २०, १५, १७।

३. वही, मग्गवग्ग, ५-७।

४. सूत्रकृतांग, १, १, १, २।

गृहस्थाश्रम के घनघोर श्रम से बचने के लिए कुछ लोग उसका परित्याग करते थे; तभी तो उनके सम्बन्धी उनसे कहते थे कि, “तुम से हम सरल काम करायेगे, तुम्हारा ऋण भी हम वाँट लेगे, तुम घर लौट चलो। “ऐसे आश्वासन पा कर कभी-कभी लोग घर लौट जाते थे।^१ “संसार के सभी प्राणी आतुर हैं, यह देख कर घर से निकल ही पड़ना चाहिए।^२ इस प्रकार के विचार प्रायः जैनसाधक के हुआ करते थे।

इस संस्कृति के विचारकों को मानवजीवन नश्वर, घृणास्पद और चंचल प्रतीत होता था, अतः इस जीवन को सुधारने के लिए उनके समक्ष प्रव्रज्या ही एकमात्र उपाय था। उन्हें स्वभावतः गृहस्थाश्रम के कामभोगों में अशुद्धि और अपवित्रता दिखाई पड़ती थी। यह बात प्रत्यक्ष है कि “संसार का समस्त ऐश्वर्य मरने के साथ ही समाप्त हो जाता है, पुत्रादि सब कुछ नश्वर है ही, फिर किसके लिए गृहस्थाश्रम में निवास किया जाए ?”^३

व्यक्तित्व के विकास के लिए बौद्ध-संस्कृति में वनों का अतिशय महत्व रहा है। इस संस्कृति में अरण्य को रमणीय माना गया है और कहा गया है कि कामनाओं के चक्कर में न पड़ने वाले विरागी पुरुष इन्हीं अरण्यों में रमण करते हैं।^४

गौतमबुद्ध ने वन की उपयोगिता प्रमाणित करते हुए कहा था कि, “जब तक भिक्षु वन के शयनासन का उपभोग करेंगे, उनकी वृद्धि होगी।^५ उन्होंने नियम बनाया था कि भिक्षु एकासन और एक शय्या वाला हो कर अकेला विचरण करे, आलस्य न करे, अपना दमन करे और वन में आनन्दपूर्वक रहे।^६

१ वही, १, ३, २।

२. वही, ३, १, १०६।

३. ज्ञाताधर्म कथा, १, १।

४ धम्मपद, ७, १०।

५ महापरिनिव्वानसुत्त, १, ६।

६. धम्मपद, परिण वग्गो, १६।

जैन संस्कृति में आत्मा को कर्मों के संस्कार से बचाने के लिए ही पुनर्जन्म के बन्धन से मुक्त होने की जो योजना बनाई गई, उसके लिए गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और संयमरूप साधन प्रस्तुत किये गए ।^१

जहाँ तक जैनमुनियों के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था का सम्बन्ध है; यह निश्चय रहा कि उनके निमित्त न कोई घर बनना चाहिए, न भोजन और न वस्त्र । ऐसी परिस्थिति में श्मशान, शून्यागार, गुहा तथा शिल्पशाला आदि में वह निवास कर सकता था ।^४ वह शीत से बचने के लिए अग्नि प्रज्वलित नहीं करता था । उसके लिए वस्त्र भिक्षा से प्राप्त होते थे । गीत से बचने के लिए वह कुछ अधिक वस्त्र ले सकता था, किन्तु गर्मी के आते ही वह उन्हें छोड़ देता था ।



१. इन सबके विवरण के लिए देखिए, इसी पुस्तक का “श्रमण जीवन” अध्याय ।

२. आचाराग, १, ७, २, १ ।

३. वही १, ७, ३, ३ ।

अष्टम अध्याय

उपसंहार

जैनपरम्परा में मानवीय विकास की रूपरेखा

आत्मा अपनी स्वाभाविक परिणति से शुद्ध है, निर्मल है, विकार-रहित है, परन्तु कपायमूलक वैभाविक परिणति के कारण वह अनादि-काल से कर्मबन्धन में जकड़ा हुआ है। यह सभी अनुभव करते हैं कि प्राणी सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते, किसी न किसी प्रकार की कपायमूलक हलचल किया ही करता है। यह हलचल ही कर्मबन्ध की जड़ है। अतः सिद्ध है कि कर्म, व्यक्तिशः अर्थात् किसी एक कर्म की अपेक्षा से आदि वाले है परन्तु कर्मरूप-प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है। भूतकाल की अनन्त गहराई में पहुँच जाने के बाद भी ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता; जब कि आत्मा पहिले सर्वथा शुद्ध रहा हो और बाद में कर्मस्पर्श के कारण अशुद्ध बन गया हो। यदि कर्मप्रवाह को आदिमान मान लिया जाय तो प्रश्न होता है कि विशुद्ध आत्मा पर विना कारण अचानक ही कर्ममल लग जाने का क्या कारण है? विना कारण के कार्य तो होता नहीं है। और यदि सर्वथा दृश्य आत्मा भी विना कारण के यो ही व्यर्थ कर्ममल से लिप्त हो जाता है तो फिर जप-तप आदि की अनेकानेक कठोर साधनाओं के बाद मुक्त हुए जीव भी पुनः कर्मलिप्त हो जायेंगे।^१

एक बार महावीर के शिष्य मंडित-पुत्र ने उनसे प्रश्न किया कि, “कर्मों से बधमोक्ष तथा आत्मा का नये-नये रूपों में ससार में भटकना

बुद्धि ग्राह्य नहीं है क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा त्रिगुणातीत, बाह्य तथा आन्तरिक सुख-दुःखों के प्रभाव से परे है, अतः वह किस कारण कर्मबद्ध^१ होगा ? और जिसका बन्धन ही नहीं है, उसके छूटने की बात ही कहाँ ? इस कारण जो अवद्ध होगा, वह संसार में भ्रमण भी किस लिए व क्यों करेगा ?

महावीर ने उत्तर दिया कि, “उक्त श्रुतिवाक्य में जो आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, वह केवल सिद्ध आत्माओं पर ही लागू होता है; संसारी आत्माओं पर नहीं।”

मंडितपुत्र ने पुनः प्रश्न किया, “सिद्ध और संसारी यों दो प्रकार की आत्माओं की कल्पना करने की अपेक्षा सभी आत्माओं को केवल कर्ममुक्त सिद्धस्वरूप मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है ?”

महावीर बोले—“संसारी आत्माओं को कर्मरहित मान लेने पर जीवों में जो कर्मजन्य सुख-दुःख के अनुभव का व्यवहार होता है, वह निराधार सिद्ध होगा। मैं सुखी हूँ दुःखी हूँ, इत्यादि व्यवहार का आधार जीवों के कर्मफल माने जाते हैं। यदि हम जीवों को कर्मरहित मान लेंगे तो इस सुख-दुःख का कारण क्या माना जाएगा ? आत्मा का शरीर अथवा अन्तःकरण के साथ जो घनिष्ठ संबंध है उसी को हम “बंध” कहते हैं। आत्मा स्वरूप से उज्ज्वल है, इसमें कोई विरोध नहीं; पर जब तक वह कर्मबन्धयुक्त है, शरीरधारी है, तब तक कर्मफल से मलिन है। इस मलिन प्रकृति के कारण वह नवीन-नवीन कर्म बाँधता रहता है और उन कर्मों के अनुसार ऊँच-नीच गतियों में भटकता है, यही इसका ससार—परिभ्रमण है। जब तक आत्मा को ससार से मुक्त होने का साधन प्राप्त नहीं होता, तब तक वह चातुर्गतिक संसार में भटकता रहता है और अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। जिस समय इसे गुरु के द्वारा अथवा स्वयं मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है, तब यदि मुक्ति

१. “तस्मान्न वध्यते, नापि मुच्यते, नापि ससरति कश्चित्, ससरति, वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः” सात्यकारिका, ६२

के लिए वह उद्यम करने लगता है तो कर्मबंधनों का क्षय करके वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।^१

मनुष्यजीवन के दो रूप हैं, एक भीतर की ओर और दूसरा बाहर की ओर। जो जीवन बाहर की ओर भाँकता रहता है, संसार की मोह-माया में उलझा रहता है, अपने आत्मतत्त्व को भूल कर केवल देह का पुजारी बना रहता है, वह मनुष्य-भव में मनुष्यता के दर्शन नहीं कर सकता। शास्त्रकार इस प्रकार के भौतिक विचार रखने वाले देहात्म-वादी को वहिरात्मा या मिथ्यादृष्टि कहते हैं।^२ मिथ्यासंकल्प, मनुष्य को अपने वास्तविक अन्तरजगत् की ओर अर्थात् चैतन्य की ओर नहीं झाँकने देते और सदा बाह्य जगत् के भौतिक विलास की ओर ही उलझाये रहते हैं। केवल बाह्यजगत् का द्रष्टा मनुष्य आकृतिमात्र से मनुष्य है, परन्तु उसमें मोक्षसाधक मनुष्यत्व नहीं।^३

मनुष्य-जीवन का दूसरा रूप भीतर झाँकना है। भीतर की ओर झाँकने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य, देह और आत्मा को पृथक्-पृथक् वस्तु समझता है, जड़जगत् की अपेक्षा चैतन्य को अधिक महत्व देता है और भोग-विलास की ओर आँखें बन्द करके अन्तर में रहने वाले आत्मतत्त्व को देखने का प्रयत्न करता है। शास्त्र में उक्त जीवन को अन्तरात्मा या सम्यग्दृष्टि कहा गया है। मनुष्य के जीवन में मनुष्यत्व की भूमिका यही से प्रारम्भ होती है। अधोमुखी जीवन को ऊर्ध्वमुखी बनाने वाला सम्यग्दर्शन के अतिरिक्त और कौन है? यही वह भूमिका है, जहाँ अनादिकाल के अज्ञानांधकार से आच्छन्न जीवन में सर्वप्रथम सत्य की सुनहरी किरण प्रस्फुरित होती है।^४

१. श्रमण भगवान् महावीर, पृ० ६५, ६७।

२. “आत्मविकास के १४ गुणस्थानों में सबसे प्रथम गुणस्थान मिथ्यादृष्टि है।” समवायाग, १४।

३. “मनुष्य को ये चार बातें दुर्लभ हैं, १. मनुष्यत्व, २. श्रुति=धर्मश्रवण, ३. श्रद्धा ४. संयमधारण की शक्ति।” उत्तराव्ययन ३, १।

४. बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में प्रथम मार्ग सम्यग्दृष्टि है, जिसका तात्पर्य है—कायिक, वाचिक, मानसिक, भले बुरे कर्मों का ठीक-ठीक ज्ञान” बौद्धदर्शन, पृ० २५।

मनुष्य यदि इस सत्य-परीक्षण की शुद्ध दृष्टि को प्राप्त कर अनात्मा से सम्बन्ध छोड़ आत्मोन्मुख हो जाय तो वह निरन्तर विकास करता हुआ मानवजीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । मानवीय विकास की इस रूपरेखा को ठीक तरह समझने के लिए हमें जैन-परम्परा के आदर्शों की ओर अपनी दृष्टि दौड़ानी पड़ेगी ।

जैन-परम्परा के आदर्श—मानवीय विकास की जैन-परम्परा को समझने के लिए हमें संक्षेप में उन आदर्शों का परिचय प्राप्त करना होगा, जो पहिले से आज तक जैन-परम्परा में सर्वमान्य रहे हैं ।

सबसे प्राचीन आदर्श जैन-परम्परा के समक्ष ऋषभदेव और उनके परिवार का है । ऋषभदेव ने अपने जीवन का बहुभाग उन उत्तर-दायित्वों को बुद्धिपूर्वक निभाने में व्यतीत किया, जो प्रजापालन के साथ उन पर आ पड़े थे । उन्होंने उस समय के बिलकुल अर्पढ़ लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाया, कुछ कामधन्धा न जानने वाले वनचरो को खेती-बाड़ी तथा बड़ई, कुम्हार आदि के जीवनोपयोगी धन्धे सिखाए, आपस में कैसे व्यवहार करना, कैसे सामाजिक नियमों का पालन करना ? यह भी सिखाया । जब उनको यह ज्ञान हो गया कि उनका बड़ा पुत्र भरत प्रजापालन के समस्त उत्तरदायित्वों को सम्हालने के योग्य हो गया है, तब वे राज्य का भार उसे सौंप कर गहन आध्यात्मिक विषयों की छानबीन के लिए तपस्वी हो कर घर से निकल पड़े ।

ऋषभ के भरत और बाहुवलि नामक पुत्रों में राज्य के निमित्त भयानक युद्ध प्रारम्भ हुआ । अन्त में युद्ध का निर्णय हुआ । भरत का प्रचण्ड प्रहार निष्फल गया । जब बाहुवली की वारी आई और समर्थ-तर बाहुवली को जान पड़ा कि मेरे मुष्टि-प्रहार से भरत की अवश्य दुर्दशा होगी, तब उसने भ्रातृविजयाभिमुख क्षण को आत्मविजय में बदल दिया । उन्होंने यह सोच कर कि राज्य के निमित्त लड़ाई में विजय पाने और वैर-प्रतिवैर तथा कुटुम्ब-कलह के बीज बोने की अपेक्षा सच्ची विजय अहंकार और तृष्णा पर जय में ही है, अपने बाहुवल को क्रोध और अभिमान पर ही जमाया और अवैर से वैर के प्रतिकार के जीवन का

आदर्श स्थापित किया। फल यह हुआ कि अन्त में भरत का भी लोभ और गर्व खत्म हुआ।^१

एक समय था जब कि केवल क्षत्रियो में ही नहीं, पर सभी वर्गों में मांस खाने की प्रथा थी। प्रतिदिन के भोजन, सामाजिक उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान के अवसरोपर पशु-पक्षियों का वध ऐसा ही प्रचलित और प्रतिष्ठित था; जैसा आज नारियलो और फलों का चढ़ना। उस युग में भगवान् अरिष्टनेमि ने एक अलौकिक परम्परा स्थापित की। उन्होंने अपने विवाह में भोजन के लिए वध किए जाने वाले निर्दोष, पशु-पक्षियों की आर्तमूकवाणी से आर्द्र-हृदय हो कर यह निश्चय किया कि वे ऐसा विवाह न करेंगे, जिसमें अनावश्यक और निर्दोष पशु-पक्षियों का वध होता हो। उस गंभीर निश्चय के साथ वे सबका आग्रह टाल कर वारात से शीघ्र वापिस लौट आए और द्वारिका से सीधे गिरनार पर्वत पर जा कर उन्होंने तपस्या की। कौमार वय में राजपुत्री का त्याग और ध्यान तथा तपस्या का मार्ग अपना कर उन्होंने उस चिरप्रचलित पशुवध की प्रथा पर आत्मदृष्टान्त द्वारा ऐसा कठोर प्रहार किया कि जिससे गुजरातभर में और गुजरात से प्रभावित दूसरे प्रान्तों में भी भी वह प्रथा नामशेष हो गई।^२

भगवान् पार्श्व तथा महावीर का जीवन जैन-परम्परा में महान् आदर्श समझा जाता रहा है। महावीर के जीवन में पार्श्व के आत्म-विकास का पूर्ण प्रतिबिम्ब उपस्थित है। दीर्घतपस्वी महावीर ने अपने जीवन में अहिंसावृत्ति को अपना कर पूर्ण साधना का ऐसा परिचय दिया कि उनके समय में तथा उनके बाद भी लोग ब्राह्मणधर्म में से हिंसा का नाम मिटा देने के लिए उग्र प्रयत्न करते रहे। परिणाम यह हुआ कि जिन यज्ञों में पशुवध के बिना पूर्णाहुति नहीं हो सकती थी। ऐसे यज्ञ भारत-वर्ष में नामशेष हो गए।

महावीर की एक और अपनी विशेषता थी। उन्होंने मनुष्य के भाग्य को ईश्वर और देवों के हाथों से निकाल कर स्वयं मनुष्य के हाथ

१. उत्तराध्ययन, २२ कल्पसूत्र "लाइफ आफ अरिष्टनेमि"।

२. कल्पसूत्र, "लाइफ आफ ऋषभ"।

पर रख दिया । महावीर से स्पष्ट कहा था कि “हिंसा से तो हिंसा को उत्तेजना मिलती है; लोगो में परस्पर शत्रुता बढ़ती है; और सुख की कोई आशा नहीं । सुख चाहते हो तो सब जीवों से मैत्री करो, प्रेम करो सब दुःखी जीवों पर करुणा रखो । ईश्वर में और देवों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे तुम्हें सुख या दुःख दे सकें । तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुखी और दुःखी करते हैं । अच्छा फल पाओ । बुरा कर्म करके बुरा परिणाम भोगने के लिए तैयार रहो ।”

जैन-परम्परा में विकास की दो श्रेणियाँ और उनका परस्पर समन्वय—जैन परम्परा में मानव के विकास की दो श्रेणियाँ हैं—
१ गृहस्थजीवन में रहते हुए विकास करने वाला गृहस्थ उपासक और २. गृहस्थवास को छोड़ कर आत्मसाधना के पथ पर चलने वाला अनगार श्रमण ।

इन दोनों वर्गों का आदर्श एक समान है किन्तु दोनों के विकास करने की गति में जितना तारतम्य है, उतना ही तारतम्य उन दोनों साधकों के साधनों में भी है । अहिंसा, सत्य, अचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये विकास के साधन हैं । उनके पालन में गृहस्थसाधक के लिए मर्यादा रखी गई है; क्योंकि उसे गृहस्थधर्म निभाते हुए साथ-साथ आत्मधर्म में भी आगे बढ़ना होता है । इसी कारण उसके समस्त व्रतों में उतनी ही मर्यादा रखी गई है, जितनी उसके जीवन में सुसाध्य हो सके । किन्तु श्रमण-साधकों को तो विकास के उन साधनों का सम्पूर्ण पालन करना होता है । इस कारण गृहस्थ के व्रतों को अगुव्रत और श्रमण के व्रतों को महाव्रत कहते हैं ।^१

साधु के लिए श्रमण तथा गृहस्थ के लिए श्रमणोपासक शब्द हमें विकास की दोनों श्रेणियों में परस्पर समन्वय की ओर संकेत करते हैं । इसी प्रकार आगार-चारित्र और अनगार-चरित्र,^२ आगार-सामायिक और अनगार-सामायिक^३ आदि भी हमें स्पष्टरूप से यह बताते हैं कि महावीर

१. समवायाग, ५ ।

२. स्थानाग, ७२ ।

३. वही ८४ ।

ने एक ही धर्म को केवल अवस्थाभेद से दो प्रकार का कहा है। उन्होंने दोनों वर्गों के व्यक्ति के लिए पूर्णरूप से अलग धर्मों की व्यवस्था नहीं की तथा महावीर ने श्रमण और श्रमणोपासक दोनों के लिए आलोचना तथा प्रतिक्रमण की व्यवस्था की और इसी प्रकार दोनों के लिए मृत्यु काल में सल्लेखना का भी विधान किया।

महावीर ने कभी भी गृहस्थधर्म की निन्दा नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने गृहस्थधर्म को साधुधर्म की प्रथम श्रेणी माना है। गृहस्थ की प्रतिमाओं में अंतिम “श्रमणभूत” प्रतिमा पर विचार करने से यह बात विलकुल स्पष्ट हो जाती है।^१

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन-परम्परा में विकास की दोनों श्रेणियों के परस्पर समन्वय पर पूर्ण बल दिया गया है।

सहायक ग्रन्थ-सूची

जैन-अंगशास्त्र

१. सुत्तागमे सम्पादक, पुष्पभिक्षु, गुडगाव छावनी, १९५३।
२. आचाराग अग्रेजी अनुवाद, हरमन जेकोवी, "सेक्रेड बुक ऑफ दी ईस्ट" पुस्तक न० २२, जैनसूत्राज्, भाग १, १८८४।
 - „ निर्युक्ति, भद्रवाहु, सूरत, १९३५
 - „ वृत्ति, गोलाकाचार्य, सूरत, १९३५।
 - „ चूर्णि, जिनदासगणी, रतलाम. १९४१।
 - „ हिन्दी अनुवाद (हि०), गोपालदास जीवाभाई, पटेल, बम्बई, १९३८।
३. सूत्रकृताग अग्रेजी अनुवाद, हरमन जेकोवी, "सेक्रेड बुक ऑफ दी ईस्ट" पुस्तक न० ४५, जैनसूत्राज् भाग २, १८८५।
 - „ निर्युक्ति, भद्रवाहु।
 - „ चूर्णि, जिनदासगणी, रतलाम, १९४१।
 - „ वृत्ति, शीलाकाचार्य, आगमोदय समिति, बम्बई, १९१७।
 - „ हिन्दी टीका, पं० अविनाशदास ओझा, राजकोट, विक्रम संवत् १९९३। (३ भाग)
 - „ हिन्दी अनुवाद (हि०), गोपालदास जीवाभाई पटेल, बम्बई, १९३८।
४. स्थानाग वृत्ति, अभयदेव, अहमदाबाद, १९३७।
५. समवायाग वृत्ति, अभयदेव, अहमदाबाद, १९३८।

- ६ भगवती (व्याख्या
प्रज्ञप्ति) वृत्ति, अभयदेव, रतलाम, १९३७ ।
- ७ ज्ञाताधर्मकथा,
(नायाधम्मकहाओ) वृत्ति, अभयदेव, आगमोद्यमसमिति, बम्बई,
१९१९ ।
- ” सम्पादक प्रो० एन० व्ही० वैद्य, पूना, १९४० ।
- ” हिन्दी अनुवाद, प्यारेचन्दजी महाराज, रतलाम,
विक्रम सवत्, १९९५ ।
८. उपासकदशांग
(उवासगदसाओ) वृत्ति, अभयदेव, अहमदाबाद, विक्रम सवत्
१९९३ ।
- ” सम्पादक, डा० पी० एल० वैद्य, पूना, १९३० ।
- ” अंग्रेजी अनुवाद, हार्नले, कलकत्ता, १८८८ ।
- ” गुजराती अनुवाद, जीवराज घेलाभाई, अहमदाबाद
१९२२ ।
- ९ अन्तकृददशांग,
(अन्तगडदसाओ) वृत्ति, अभयदेव, संपादक, म० चि० मोदी, अहमदा-
बाद, १९३२ ।
- ” सम्पादक, पी० एल० वैद्य, पूना, १९३२ ।
१०. अनुत्तरौपपातिकदशांग वृत्ति, अभयदेव, सम्पादक, म० चि० मोदी,
(अनुत्तरोववाइयदसाओ) अहमदाबाद, १९३२ ।
- ” सम्पादक, पी० एल० वैद्य, पूना, १९३२ ।
- ” हिन्दी अनुवाद, उपाध्याय आत्मारामजी महाराज
लाहौर, १९३६ ।
- ११ प्रश्नव्याकरणांग, वृत्ति, अभयदेव, बम्बई, १९१९ ।
- ” वृत्ति, ज्ञानविमलसुरि, अहमदाबाद, विक्रम सवत्
१९९३ ।
१२. विपाकसूत्र,
(विवागसूयं) वृत्ति, अभयदेव, सम्पादक, म० चि० मोदी, पूना,
तथा व्ही० जे० चौकसी, अहमदाबाद, १९३५ ।

जैन-आगमग्रन्थ

१. अनुयोगद्वार, वृत्ति, हरिभद्र, रतलाम, १९२८ ।
२. आवश्यक सूत्र, नियुक्ति, भद्रबाहु ।
- ” चूणि, जिनदासगणी, रतलाम, १९२८ ।

- ३ उत्तराध्ययन, अँग्रेजी अनुवाद, हरमन जेकोवी, "सेक्रेड बुक आफ दी ईस्ट" पुस्तक न० ४५, जैनसूत्राज् भाग २, १८९५ ।
- „ हिन्दी अनुवाद, मुनि श्रीसौभाग्यचन्द्रजी, बम्बई, विक्रम संवत् १९९२ ।
- „ टीका, शान्तिसूरी, बम्बई, १९१६ ।
४. औपपातिकसूत्र, वृत्ति, अभयदेव, द्वितीय, एडीसन, सूरत, १९१४
- (ओवाइयसुत्त),
५. कल्पसूत्र, अँग्रेजी अनुवाद, हरमन जेकोवी, "सेक्रेड बुक आफ दी ईस्ट" पुस्तक न० २२, जैनसूत्राज् भाग १, १८८४ ।
६. दशवैकालिक, वृत्ति, हरिभद्र, बम्बई, १९१८ ।
- „ चूर्णि, जिनदास गणी, रतलाम, १९३३ ।
- „ हिन्दी अनुवाद, मुनि श्रीसौभाग्यचन्द्रजी, बम्बई, १९३६ ।
७. निशीथ, चूर्णि, जिनदास गणी, सम्पादक, विजयप्रेम-सूरीश्वर, विक्रम संवत् १९९५ ।
८. नदीसूत्र, चूर्णि, जिनदास गणी, रतलाम, १९२८ ।
- „ भाषा टीका, हस्तिमल्ल मुनि, मुथा, १९४२ ।
- ९ वृहत्कल्प, भाष्य, संघदास गणी ।
- १० पञ्चवणा, वृत्ति, मलयगिरि, बम्बई, १९१८, १९१९ ।
११. पट्खण्डागम, धवला टीका, भाग १ ।

वैदिक ग्रन्थ

- १ अथर्ववेद,
२. आपस्तव सूत्र, "सेक्रेड बुक आफ दी ईस्ट" पुस्तक न० २, आक्सफोर्ड, १८१७ ।
३. आश्वलायनगृह्यसूत्र,
- ४ ऋग्वेद,
- ५ गोपथब्राह्मण,
- ६ छान्दोग्य उपनिषद्,
७. जैमिनीसूत्र (शबर टीका),

- ८ तर्कभाषा, अन्नभट्ट, सम्पादक-रामकृष्ण भंडारकर, पूना, १९३७ ।
९. बोधायन गृह्यसूत्र,
 १०. बृहदारण्यकोपनिषद्,
 ११. श्रीमद्भागवत
 १२. महाभारत, टी० आर० कृष्णाचार्य, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९०६-१९०९ ।
 १३. महाभाष्य, पतञ्जलि ।
 १४. मनुस्मृति, "सेक्रेड बुक आफ दी ईस्ट" पुस्तक २५ अनुवाद, बृहलर, १८८६ ।
 १५. रामायण, टी० आर० कृष्णाचार्य, बम्बई, १९११ ।
 १६. वेदातसार, सदानन्द, पूना, १९२९ ।
 १७. गतपथ ब्राह्मण,
 १८. साख्यकारिका, टीका, वाचस्पति मिश्र, पूना, १९३४ ।

बौद्ध ग्रन्थ

- १ अंगुत्तरनिकाय, पी० टी० एस०, लन्दन, १८८५-१९०० ।
 २ अभिघर्मकोप,
 ३. चुल्लवग्ग,
 ४. दीग्घ-निकाय, सम्पादक-रोज डेविड्स, पी० टी० एस०, लन्दन, १८८९ ।
 ५. धम्मपद, पी० टी० एस०, १९०६-१९१५ ।
 ६ प्रमाणवार्तिक, स्ववृत्ति,
 ७ बौद्धदर्शन, राहुलसाकृत्यायन, इलाहाबाद, १९४८ ।
 ८ बौद्धसंस्कृति, राहुलसाकृत्यायन, कलकत्ता, १९५२ ।
 ९ मज्झिमनिकाय, सम्पादक-टेकनर, लन्दन, १८८८-१८९९ ।
 १०. महायानसूत्रालंकार,
 ११. महापरिनिव्वानसुत्तं,
 १२. सच्चसंगहो, भदंत, आनन्द कौशल्यायन, प्रयाग, विक्रम संवत् १९५७ ।
 १३. जातक, सम्पादक-फोसवाल, लन्दन, १८७७-१८९७ ।
 १४. संयुक्तनिकाय, सम्पादक-एम० लिअन फोर, लन्दन, १८८४ १८९८ ।

अन्य ग्रन्थ

- १ इन्ट्रोडक्शन टू प्राकृत
लक्षण आफ चण्ड, डा० हार्नले ।
२. इडियन एण्टीक्वेरी, पु० ६, डा० याकोवी ।
३. इडियन फिलासफी, पु० १, डा० राधाकृष्णन् ।
- ४ कास्मोलोजी ओल्ड-
एण्ड न्यू, प्रो० घासीराम ।
- ५ चार तीर्थंकर, प० सुखलाल संधवी, बनारस, १९५३ ।
६. जैनदर्शन, प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, काशी, १९५५ ।
७. जैन आगम, प० दलसुख मालवणिया, बनारस ।
- ८ जैनधर्म, प० कैलाशचन्द्रजी, मथुरा, १९५५ ।
९. जैनसंस्कृति का हृदय, प० सुखलाल संधवी, बनारस, १९४६ ।
१०. जैनधर्म का प्राण, प० सुखलाल संधवी, बनारस, १९४६ ।
- ११ नाट्यशास्त्र, भरत, काशी संस्कृत सीरिज, १९२६ ।
- १२ नागरी प्रचारिणी
पत्रिका, पु० न० २१ ।
- १३ प्राकृत व्याकरण, आचार्य हेमचन्द्र ।
- १४ पार्श्वनाथाचा
चातुर्याम धर्म, धर्मानन्द कोसम्बी ।
१५. भारतीय, संस्कृति और
अहिंसा, धर्मानन्द कोसम्बी, बम्बई, १९४८ ।
१६. भारतीय संस्कृति का
उत्थान, डा० रामजी उपाध्याय, इलाहाबाद, १९५० ।
- १७ लाइफ इन ऐन्ड्रयेट
इडिया एज डेपिक्टेड
इन दी जैन कैनन्स
(ला० इन ए० इ०) डा० जगदीशचन्द्र, बम्बई, १९४७ ।
- १८ वीर निर्वाण संवत्, मुनिश्रीकल्याणविजयजी ।
१९. सामायिक सूत्र, उपाध्याय अमरमुनिजी, आगरा, विक्रम संवत् २००३ ।
- २० संस्कृत साहित्य का
इतिहास, बलदेव उपाध्याय, बनारस, १९४५ ।
२१. सिद्धहैम शब्दानुशासन,

- २२ श्रमणसूत्र, उपाध्याय अमरमुनि, आगरा विक्रम संवत् २००७ ।
- २३ श्रमण भगवान् महावीर प० कल्याणविजय गणी, जालोर, विक्रम संवत् १९९८ ।
- २४ हेमचन्द्र परिशिष्ट पर्व,
- २५ ह्वेनसांग, वाटर्स, भाग १
- २६ अर्धमागधी कोष, प्रथम भाग, केसरीचन्द्र भण्डारी, इंदौर, १९२३ ।
- „ द्वितीय भाग, „ „ इंदौर, १९२७ ।
- „ तृतीय भाग, रेजीडेन्ट जनरल सेक्रेटरीज़, बम्बई, १९३० ।
- „ चतुर्थ भाग „ „ „ १९३२ ।
- २७ पाइअ सद्द महण्णवो, सम्पादक, हरगोविन्ददास सेठ, कलकत्ता, १९२३ ।
- २८ जैन तत्त्वज्ञान, पं० मुखलालजी सघवी, जैन मंस्कृति संशोधन मण्डल, बनारस हि० यूनि० पत्रिका न १२ ।



